खण्ड-431, अंक-6
शुक्रवार, 1 श्रावण, शक संवत् 1921
(23 जुलाई, 1999 ई0)

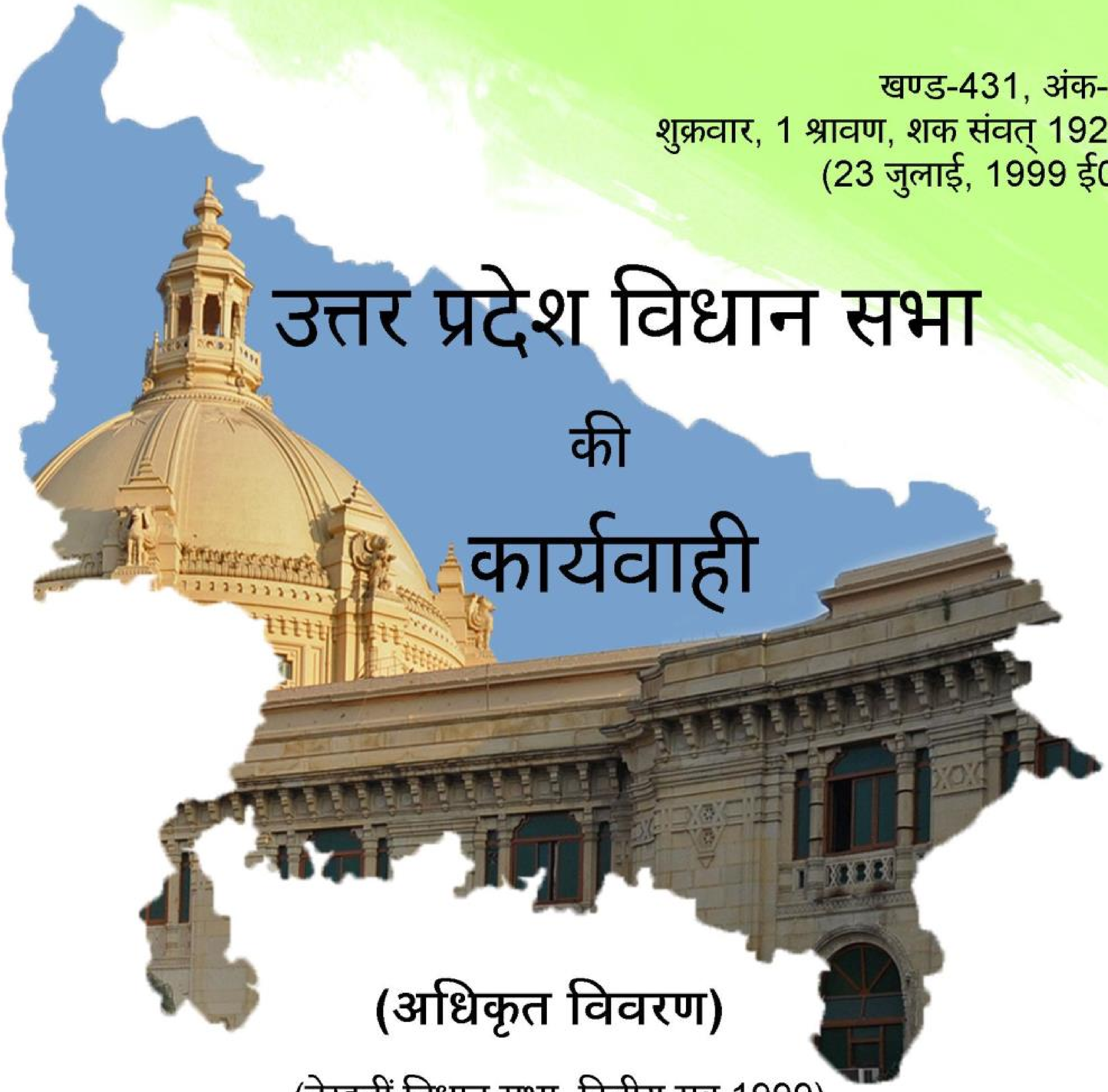

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 1999)

खण्ड 431 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1999

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
विधान सभा की भूतपूर्व सदस्य डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी तथा श्री गजराज राम के निधन पर शोकोद्गार	1–7
नियम 300 के अन्तर्गत सूचनाएं	7
निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली घोषणाओं एवं राहत आदि के नाम पर वितरित की जाने वाली धनराशियों तथा कार्यपालिका के विभिन्न कार्यों के निर्वहन पर रोक लगाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	7–16
उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 22-7-99 की कार्यसूची की मद संख्या 20 (क) को जोड़कर बिना सदन को अभिसूचित किये उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित किये जाने तथा सदन द्वारा विनिश्चित सूची में परिवर्तन एवं सामान्य सहमति लिए जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	16–18
पूर्वांचल राज्यांश, दीन दयाल योजना, ग्रामीण पेयजल सहित विभिन्न योजनाओं में सत्तारूढ़ पार्टी के निवर्तमान सांसदों एवं संभावित प्रत्याशियों द्वारा बड़े पैमाने पर स्वीकृतियां जारी कियें जाने तथा विपक्षी सदस्यों की उपेक्षा किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	18–19
कारगिल शहीदों के प्रति समुचित सम्मान न मिलने तथा उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता एवं सुरक्षा की कमी के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...	19–23
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा उपलब्ध (प्रकाशित) करायी गयी उत्तर प्रदेश वार्षिकी 1999 में जनपद सन्त कबीर नगर एवं अम्बेडकर नगर तहसीलों की संख्या सही रूप में मुद्रित न होने तथा इसमें कई त्रुटियां होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	23
मंत्रि-परिषद् के निर्णयानुसार अशासकीय विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने किन्तु पर्वतीय क्षेत्र के विद्यालयों को उससे वंचित रखे जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	23–24
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	24
वाराणसी में भेलूपुर स्थित पावर हाउस की भूमि पर एक 132 के०वी०ए० सब स्टेशन का अविलम्ब निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	25
लखनऊ नगर निगम के पूरे क्षेत्र से पशुओं को बाहर किये जाने संबंधी मा० उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के आदेशों का कार्यान्वयन कराये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	25

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद पौड़ी गढ़वाल के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ताओं एवं अध्यापकों की शीघ्र नियुक्ति किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	25–26
कन्या जूनियर हाई स्कूल मनकापुर, गोण्डा को गलत तरीके से नीलाम किये जाने की जांच कराने तथा विद्यालय के भवन का निर्माण कराये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	26
सुरेश कुमार निवासी ग्राम कटुवा नाला थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के पैतृक मकान के निर्माण में उसी गांव के कुछ दबंग व्यक्तियों एवं पुलिस द्वारा उत्पीड़न के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	26–27
लखनऊ माल एवेन्यू स्थित इस्लामियां कब्रिस्तान की सुरक्षा कराने की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	27
बाबा राघवदास मेडिकल कालेज, गोरखपुर में भर्ती हुए विधायक श्री दीपलाल भारती के उपचार में शिथिलता बरते जाने तथा अस्पताल की दुर्व्यवस्थाओं की शिकायत के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना... ...	27–28
जनपद कुशीनगर के निर्वाचन क्षेत्र बेलवा रजवाहा में जीर्ण-शीर्ण सिंचाई नहर को सड़क के रूप में परिवर्तित किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	28
न्यायालय मुंसिफ हवाली जूनियर डिवीजन, लखनऊ में लिपिक के पद पर कार्य करने वाले श्री दीवानी राम आर्य के खो जाने तथा उनका पता लगाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	28–29
जनपद बदायूं के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् बिल्सी के मु० नं०–5 पर पालिका की भूमि पर अवैध कब्जा को हटाने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	29
जनपद कुशीनगर के उत्तर नगर पंचायत खड्डा के अध्यक्ष द्वारा पिछड़ी जाति का फर्जी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर कार्यवाही की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	29–30
अहिबरनपुर, सीतापुर रोड, लखनऊ स्थित तपस्वीनगर मुहल्ले में लगे विद्युत पोलों पर थ्री फेस लाइन शीघ्र कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	30
सरकारी सेवकों के गैर सरकारी संस्थाओं में कार्यरत पत्नियों/पतियों के उपचार में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	30
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित विषाक्त खतरनाक बी०एच०सी० लिण्डेन, बेनजीक्लोर, गैमक्सी तथा हैक्साफ्लोर आदि प्रतिबन्धित रसायनों के खुले बाजार में उपलब्ध होने से जनजीवन को खतरा उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	30–31

विषय	पृष्ठ-संख्या
आजमगढ़ के फूलपुर क्षेत्र में विद्युत निर्माण कार्य के रुक जाने से जनता में असंतोष व्याप्त होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	31
जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में चन्दावारा सबादा मार्ग का शीघ्र डामरीकरण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	31–32
आगरा शहर में भारी गन्दगी, जल भराव तथा बीमारी फैलने आदि की समस्या के शीघ्र निदान कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	32
वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा बुनकरों और बुनकर समितियों का माल न खरीदे जाने से बुनकरों में असन्तोष व्याप्त होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	32
महानिदेशालय, स्वास्थ्य विभाग, लखनऊ द्वारा प्रतिनियुक्ति पर तैनात रहे परिवहन अभियन्ताओं के उत्पीड़न के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	32–33
कुमायूं मण्डल के स्थायी निवासी फार्मासिस्टों को कुमायूं मण्डल में ही स्थानान्तरित किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	33
दारुलशफा, लखनऊ में कोठी नं०–6 जमादारी लेन के आस-पास बनी अवैध झोपड़ियों, होटल आदि को हटा कर वहां साफ-सुथरा किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	34
जनपद जौनपुर में हिन्द इण्टर कालेज, तेजीबाजार में इण्टर में कृषि वर्ग की मान्यता दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	34
उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रशासन विभाग के व्यवस्थाधिकारी नवीन भवन के स्टाफ में चतुर्थ श्रेणी दैनिक वेतन भोगी पद पर कार्य किये हुए श्री इन्द्रजीत को सेवायोजित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	34–35
उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम, लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी पद पर कार्यरत श्री रामजी सिंह के लम्बित देयकों का भुगतान कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	35-36
विद्युत उपकेन्द्र मौरावां (उन्नाव) के अन्तर्गत विद्युत तार कटिंग की घटनाओं से विद्युत आपूर्ति ठप्प होने तथा आवश्यक कार्यवाही की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	36
श्री ओम प्रकाश के मकान नं० 567/99 आनन्द बरहा रोड थाना आलमबाग, लखनऊ की दुकानों एवं मकान पर पुलिस उप निरीक्षक द्वारा अवैध कब्जा कराये जाने की शिकायत के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	36
जनपद चित्रकूट में ब्लाक पहाड़ी के ग्राम कपना के पास गेड़वा नाले पर रुके कार्य को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	37

विषय	पृष्ठ-संख्या
मुरादाबाद महानगर के नालों की सफाई कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	37
अधीक्षण अभियन्ता विद्युत नगरीय वितरण मण्डल प्रथम. (लेसा) द्वारा मनमानी एवं भ्रष्टाचार की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	37–38
जनपद हरदोई के कस्बा शाहाबाद में लगातार बन्द रहे कृषक कन्या पाठशाला हायर सेकेन्ड्री स्कूल को शीघ्र खोले जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	38
उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	39
जालौन में आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सालय के ध्वस्त भवन निर्माण तथा मरीजों का उचित उपचार कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	39
आजमगढ़ के मंझारी बाजार के पास एक विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	39-40
जौनपुर शहर के उत्तरी क्षेत्र में पेयजल संकट उत्पन्न होने तथा वहां एक ओवर हेड टैंक बनाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	40
जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में बाढ़ राहत में की गयी धांधली की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	40-41
उत्तरांचल संवर्ग की तरह बुन्देलखण्ड संवर्ग पृथक सृजित किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	41
भेषजिक (होम्योपैथी) पद हेतु होम्योपैथी निदेशालय द्वारा आयोजित परीक्षा में धांधली होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	41-42
विद्युत भण्डार केन्द्र सुल्तानपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार व घपला होने तथा भण्डार नायक का स्थानान्तरण स्थगित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	42
जनपद एटा में थाना गंजडुडवारा पुलिस द्वारा ग्राम सिरसौल के निर्दोष व्यक्तियों का उत्पीड़न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	43
जनपद हरदोई में अम्बेडकर ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	43–44

सत्यमेव जयते संसद

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मैनपुरी के ग्राम उसनीधा में श्री ओंकारेश्वर संस्कृत विद्यालय संकीर्तन के शिक्षकों के बकाये वेतन के भुगतान की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	44-45
जनपद बागपत के कतिपय गांवों में लम्बित चकबन्दी कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	45
जनपद आगरा में थाना निबोहरा के अन्तर्गत वन रक्षक श्री ईश्वरी प्रसाद आदि का उत्पीड़न होने तथा धनौला कलां में पुलिस चौकी की स्थापना की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	45
रेशम निदेशालय में व्याप्त अराजकता तथा भ्रष्टाचार होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	46
एल०डी०ए० कालोनी, कानपुर रोड योजना सेक्टर एच के अन्तर्गत एम०आई०जी० के मकानों में सीवर और पानी की व्यवस्था कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	46
मिर्जापुर में स्थित टाण्डा फाल जलाशय की मरम्मत हेतु शासन से धन उपलब्ध कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	46-47
अधिशासी अभियन्ता जल निगम, फतेहपुर तथा इलाहाबाद मण्डल में सेवारत अधीक्षण अभियन्ता द्वारा कराये गये फर्जी भुगतान की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	47
जनपद रायबरेली के थाना महराजगंज की पुलिस द्वारा जनता पर अत्याचार किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	47-48
लखनऊ के मोहल्ला खुर्रमनगर स्थित कब्रिस्तान की भूमि पर अनधिकृत कब्जे को हटाने और रास्ता दिलाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	48
जौनपुर में क्षेत्र बयालसी के तहसील सदर के अन्तर्गत ग्राम इजरी के गायब हुए सम्पूर्ण रेवन्यू रिकार्ड को शीघ्र तैयार कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	49
फैजाबाद से स्थानान्तरित किये गये विभिन्न विभागों को पुनः वापस लाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	49
आबकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	49-50
प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग तथा आबकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टचार एवं अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	50
फैजाबाद में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में लापरवाही बरते जाने हेतु कार्यवाही की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	51

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद इटावा में थाना चौबिया के अन्तर्गत हुए कत्ल के मुकदमों के अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	51
विष्णुपुरी कालोनी, अलीगंज, लखनऊ में पेयजल व्यवस्था एवं सफाई व्यवस्था ठीक करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	51
जनपद फतेहपुर के क्षेत्र जहानाबाद अन्तर्गत थाना जाफरगंज के ब्रह्मनपुर मजरे बरहट में श्री इश्तियाक अहमद द्वारा आतंक मचाने एवं अनुसूचित जातियों पर अत्याचार किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	52
हरदोई के विधान सभा क्षेत्र 88 पिहानी में विद्युत व्यवस्था ठीक कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	52
जनपद हरदोई की नगरपालिका हमीरपुर व नगर पंचायत कुरारा व सुमेरपुर में व्याप्त गन्दगी को दूर किये जाने तथा सड़कों एवं नालियों के निर्माण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	52
जनपद मैनपुरी के ब्लाक बेवर में कतिपय सड़कों के निर्माण कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	53
जनपद मथुरा स्थित गोवर्धन नगर पंचायत द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	54
मथुरा जनपद में पुलिस विभाग द्वारा जनता का उत्पीड़न किये जाने की रोकथाम की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	54-55
मथुरा जनपद में भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने तथा सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत फर्जी भुगतान आदि के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	55
श्री रामचन्द्र यादव सदस्य विधान सभा पर प्राणघातक हमला होने तथा उनकी सुरक्षा किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	55–56
परम्परानुसार आज उपवेशन के अन्तिम दिन की नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सभी सूचनाओं को स्वीकार किये जाने की मांग	56
उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 ..... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	56-57
जनपद सन्त रविदासनगर (भदोही) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ज्ञानपुर के अन्तर्गत कोनिया क्षेत्र में धन तुलसी डेंगुरपुर घाट के पास गंगा नदी पर पीपे का पुल बनाये जाने के संबंध में श्री देबी शंकर तिवारी आदि की हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित की गई)	57
जनपद लखनऊ में हरदोई रोड से त्रिलोकी सिंह हायर सेकेन्ड्री स्कूल बरावन कलां तक सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के संबंध में श्री अशोक कुमार आदि की हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित की गई)	57

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत नवसृजित तहसील मिल्कीपुर का भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री शकील खां आदि की हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित की गई)	57
जनपद लखनऊ के खरिका वार्ड के अन्तर्गत रायबरेली मुख्य मार्ग से लिंक रोड सुभानी खेड़ा से मोहरी बाग होते हुए राजीव नगर घुसियाना तक के मार्ग को डामरीकृत कराये जाने के संबंध में श्री के० एस० रावत आदि की हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित की गई)	57
जनपद कन्नौज में असेवित विकास खण्ड योजनान्तर्गत कन्या विद्यालय स्वीकृत कराये जाने के संबंध में श्री शिव कुमार यादव आदि की हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित की गई)...	58
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	58-60
कार्य-सूची की मद संख्या 12, 13 एवं 14 को मद संख्या–27 के बाद लिये जाने का अनुरोध	60
उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 ..... (जारी) ...	60-83
उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार के प्रस्ताव पर चर्चा पूर्ण होने तक समय बढ़ाने का प्रस्ताव..... (स्वीकृत) ...	84
उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 ..... (पारित) ...	84-126
उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अध्यादेश, 1999 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति विधेयक, 1999 ..... (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित)	126-141
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1999 जैसा विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ..... (पारित) ...	142-144
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 ..... (पारित)	144-146
उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 ..... (पारित)	146-150
आज की कार्य-सूची के विभिन्न प्रस्तावों एवं चर्चाओं को आगामी सत्र तक के लिए यथावत रूप में स्थगित किये जाने का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत) ...	150-152
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	152-155
विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	155
श्री हरदेव सिंह द्वारा ऊर्जा मंत्री के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	155-156

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री धनीराम वर्मा आदि द्वारा संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	156–158
श्री हरदेव सिंह द्वारा श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, ऊर्जा मंत्री, सचिव ऊर्जा, अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद् मुख्य अभियन्ता, वितरण मध्यांचल श्री ए० के० हंगल एवं मुख्य अभियन्ता लेसू के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	158-159
श्री सरवर अली खां द्वारा शहर कोतवाल, बाराबंकी के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन के अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	159-160
श्री बद्रीनाथ एवं केदारनाथ मन्दिर समिति में कार्य करने के लिए विधान सभा के सदस्यों द्वारा दो हिन्दू सदस्यों के निर्वाचन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	160-161
जनपद जालौन के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के लोगों की निरन्तर हो रही हत्याओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री श्रीराम पाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	161-162
जनपद आजमगढ़ में मेंहनगर–डीहा मार्ग पर स्थित डीहा बाजार के पास मगई नदी पर पुल निर्माण कार्यों के संबंध में श्री रामजग द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	163
प्रदेश में निरन्तर भू-गर्भ का जल स्तर नीचे गिरने से पेयजल की विकराल समस्या के संबंध में डा० रामबाबू हरित द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	163-164
प्रदेश के टेन्ट व्यवसायियों पर व्यापार-कर में एक मुश्त पंजीयन करके स्थायी रूप से समाधान योजना लागू किये जाने के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	164-165
प्रदेश के निवर्तमान सांसद श्री पारस नाथ यादव को समुचित सुरक्षा दिये जाने के संबंध में श्री अफजाल अहमद आदि द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	165
जनपद गाजियाबाद के जनता इन्टर कालेज छज्जूपुर दहाना में शिक्षा आयोग द्वारा चयनित प्रधानाचार्य की अर्हता का शासनादेशों के तहत अवलोकन न किये जाने के संबंध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	166

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बहराइच के महाजनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राइमरी अनुभाग की शिक्षिकाओं को अप्रैल, 1993 से वेतन का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० वकार अहमद शाह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	166-167
प्रदेश की मध्य प्रदेश से लगने वाली सीमा के जनपदों का सीमांकन कर दस्यु प्रभावी क्षेत्र घोषित करके विशेष दस्यु उन्मूलन अभियान चलाये जाने के संबंध में श्री सन्तराम सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	167-168
सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	168-169
राष्ट्रगान	169

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा पुस्तकालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

शुक्रवार, दिनांक 23 जुलाई, 1999

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	बंश नारायण सिंह, श्री	भदोही
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर	बचनूराम पटेल, श्री	वाराणसी
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फर नगर	बिजेन्द्र आर्य, श्री	मुजफ्फरनगर
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	मंगल सिंह सैनी, श्री	मुरादाबाद
ओइम्वेश, स्वामी	बिजनौर	महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
ओम प्रकाश गुप्त, श्री	सीतापुर	महेन्द्र कुमार, श्री	सीतापुर
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर	महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
काजिम अली खां,		यशवंत, श्री	आजमगढ़
उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर	रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
के०सी० सिंह "बाबा', श्री	उधमसिंह नगर	राज राय सिंह, श्रीमती	पीलीभीत
कौशल किशोर, डा०	खीरी	राजेन्द्र, श्री	गाजीपुर
गंगा बख्श सिंह, श्री	उन्नाव	राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
चन्द्रपाल सिंह यादव, श्री	झांसी	राम अवतार मिश्रा, श्री	शाहजहांपुर
चौधरी बाबूलाल, श्री	आगरा	राम नक्षत्र, श्री	पडरौना
छोटे सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद	राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती	रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर	राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
जय नारायन तिवारी, श्री	सुल्तानपुर	राम लखन, श्री	सुल्तानपुर
जितेन्द्र कुमार जायसवाल	गोरखपुर	रामवीर उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
उर्फ पप्पू भइया, श्री		राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री	मैनपुरी
देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा	लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा०	इलाहाबाद	विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री	कानपुर देहात	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
नारायण राम दास, श्री	अल्मोड़ा	विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	एटा
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर	शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर	श्रीनिवास मणि, श्री	देवरिया
प्रेम प्रकाश सिंह, श्री	देवरिया	हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र

अविकल पाठ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 23 जुलाई, 1999

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

विधान सभा की भूतपूर्व सदस्य डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी तथा श्री गजराज राम के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, मुझे सदन को अत्यन्त वेदना के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि इस माननीय सदन के दो भूतपूर्व सदस्य अब हमारे बीच में नहीं रहें । उनमें से एक भूतपूर्व सदस्य आदरणीया डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी हमारे बीच से उठ गई हैं । उनका निधन 17 जुलाई, 1999 को इलाहाबाद में हुआ । उनका जन्म 8 फरवरी, 1925 को बिहार में हुआ था उन्होंने शिक्षा में एम० ए०, डि० फिल० तक की शिक्षा प्राप्त की थी । वे चार बार इस सम्मानित सदन की सदस्य रहीं वर्ष 1962, 1967, 1969 व 1974 में । तीन बार वे लोक सभा की सदस्या रहीं सम्भवतः आठवीं तथा नवीं लोकसभा में । छात्र जीवन से ही विभिन्न आन्दोलनों में भाग लिया । वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहीं व कई, शिक्षण संस्थाओं से जुड़ी रहीं । वे उत्तर प्रदेश में बहुत लम्बे समय तक मंत्रिमण्डल में रहीं । पाण्डिचेरी की वे उप राज्यपाल रहीं । केन्द्र में राज्य मंत्री रहीं । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लम्बे समय तक जुड़ी रहीं । उनमें संगठन की एक अद्भुत क्षमता थी । बहुत ही धीर, गम्भीर उनका व्यक्तित्व था । उनके निधन से हमने एक प्रमुख समाज सेवी कुशल राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खो दिया है । मान्यवर, मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे और सद्गति प्रदान करें और आप से प्रार्थना करता हूं कि उनके शोकाकुल परिवार तक संवेदनाओं की हमारी भावनाएं पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्रीमन्, दूसरे भूतपूर्व सदस्य श्री गजराज राम जी का निधन 18 जून, 1999 को हो गया । उनका जन्म 4 जनवरी, 1941 को जनपद जौनपुर में हुआ था । 1985 में वे इस सदन के सम्मानित सदस्य निर्वाचित होकर आये थे । उन्होंने कई आन्दोलनों में भाग लिया और अनेक शिक्षण संस्थाओं से वे जुड़े रहें । वें अध्यापक भी रहे उनके निधन से जनपद जौनपुर में एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाजसेवी खो दिया है । मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शान्ति और सद्गति प्रदान करें । श्रीमन्, आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके शोकाकुल परिवार तक हमारी संवेदनाएं पहुंचाने का कष्ट करें ।

नेता विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)–

श्रीमन्, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे इस माननीय सदन के दो माननीय सदस्य अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं और वह स्वर्गवासी हो गये हैं । श्रीमन्, इस संबंध में माननीय नेता सदन ने जो शोकोद्गार प्रकट किये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी एक लम्बे अर्से तक समाज सेवा करती रहीं देश और प्रदेश की सेवा करती रहीं, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती रहीं । वह इस माननीय सदन की चार बार सदस्य रहीं और तीन बार लोकसभा की भी सदस्य रहीं, उप राज्यपाल भी रहीं और इलाहाबाद के एक विद्यालय की प्रधानाचार्य भी रहीं । इन सारी चीजों से प्रकट होता है कि उनका सारा जीवन समाज और देश की सेवा में व्यतीत हुआ ।

स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने जब वे स्टूडेन्ट लाइफ में थी, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा योगदान किया । आज जो हमारे बीच में नहीं हैं । यह निश्चित है कि जो

इस पृथ्वी पर आता है निश्चित तरीके से उसका जाना ही है लेकिन कुछ विभूतियां विशेष गुण लेकर इस धरा पर आती हैं और विशेष छाप छोड़कर चली जाती हैं । उनकी जगह की भरपाई एक लम्बे समय तक बमुश्किल तमाम हो पाती हैं और कभी-कभी तो ऐसी विभूतियां हमारे बीच से जाती हैं जिनकी भरपाई सैकड़ों वर्षों तक नहीं हो पाती है । श्रीमती बाजपेयी जी ऐसी ही विभूति थीं जिनकी भरपाई निकट भविष्य में होना सम्भव नहीं प्रतीत होता है । मैं अपने दल की ओर से अपनी ओर से उनके शोक-संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि उनकी स्वर्गीय आत्मा को शाश्वत शांति और उनके परिवार जनों को धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करे और आपसे प्रार्थना है कि हमारी शोक-संवेदनाएं उनके परिवार जनों तक पहुंचाने की कृपा करें । दूसरे हमारे माननीय सदस्य श्री गजराज राम, जो जौनपुर के थे, वह भी हमारे बीच में नहीं रहे । इस माननीय सदन के वह एक बार सदस्य रहे । अपने जीवनकाल में उन्होंने अनेक तरह से समाज की सेवा की और इस सामाजिक सेवा के नाते वह इस विधान सभा में चुनकर आये और यहां अपने क्षेत्र और प्रदेश की ज्वलन्त समस्याओं को उठाते रहे और हमेशा गरीबों, दलितों, पिछड़े, कमजोर वर्गों के लोगों के दिलों की बात उठाते रहे । मैं उनके परिवारजनों तक अपनी शोक-संवेदना भेजने के लिये आपसे अनुरोध करता हूं तथा प्रार्थना करता हूं कि मेरे दल की भी शोक-संवेदना उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी स्वर्गीय आत्मा को शाश्वत शान्ति और परिवारजन को धैर्य धारण करने की क्षमता प्रदान करें ।

* श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी तथा श्री गजराज राम के बारे में जो शोक-संवेदना नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष ने व्यक्त की है, मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं । डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी अनेक सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़ी रहीं । उनका लम्बा राजनैतिक जीवन रहा । वह चार बार इस आदरणीय सदन की सदस्य रहीं, मंत्री भी रहीं । केन्द्र में भी लोकसभा की वह तीन बार सदस्य रहीं और केन्द्रीय मंत्रि-परिषद् का भी सदस्य रहने का उनको मौका मिला । इन तमाम पदों पर रहकर उन्हें देश व प्रदेश की विशेष सेवा करने का मौका मिला । मान्यवर, आज उनके निधन से जो अपूर्णनीय क्षति कांग्रेस की हुई है, उसकी भरपाई करना काफी मुश्किल है, परन्तु उसके साथ ही, पूरे देश और प्रदेश ने खासतौर से एक ऐसी कुशल महिला राजनीतिज्ञ को खोया है, जिनसे प्रदेश को बहुत कुछ मिला है और आगे भी बहुत कुछ मिल सकता था ।

मान्यवर, दूसरे माननीय सदस्य 1985 में इस आदरणीय सदन के सदस्य रहे थे, श्री गजराज राम जनपद जौनपुर के केराकत विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर आये थे । यह भी एक शिक्षण संस्था से जुड़े थे, अध्यापक थे । उनकी जनपद जौनपुर के सामाजिक, राजनैतिक और शैक्षणिक कार्यों में विशेष अभिरुचि थी । आज उनके निधन से, जहां जौनपुर जनपद ने समाजसेवी को खोया है, वहीं इस प्रदेश में एक कुशल राजनीतिज्ञ की क्षति हुई है । मैं मान्यवर, इन दोनों लोगों के प्रति अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और इस दुख को सहन करने की शक्ति परिवार को मिले, इसकी कामना करता हूं । मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि दोनों परिवारों को मेरी तथा मेरे दल की शोक-संवेदना पहुंचाने का कष्ट करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लघु सिंचाई ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द)–

मान्यवर, इस सदन की भूतपूर्व सदस्य डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी के निधन पर माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय नेता बी०एस० पी० ने जो शोक-संवेदना व्यक्त की है, उससे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी का निधन 17 जुलाई, 1999 को हो गया। डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी का जन्म 8 फरवरी, 1925 को हुआ था, उनका निधन 17 जुलाई, 1999 को हो गया। डा० बाजपेयी ने वाराणसी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एम० ए० और डी० फिल० की उपाधियां प्राप्त कीं। वह 1942 में जेल गयीं। डा० बाजपेयी, आर्य कन्या इण्डर कालेज इलाहाबाद की प्रधानाचार्या रहीं हैं। उनका सारा जीवन सामाजिक और राजनैतिक सेवा से जुड़ा रहा। वह तीन बार इस सम्मानित सदन की सदस्य रह चुकी हैं और इसी के साथ ही साथ वह सातवीं, आठवीं और नवीं लोक सभा की सीतापुर से सदस्य रह चुकी हैं। वह किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी, श्री कमलापति त्रिपाठी, श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा और श्री नारायण दत्त तिवारी के मत्रि-मंडल में मंत्री रह चुकी हैं और उन्होंने महत्वपूर्ण विभागों को संभाला है तथा उनको सफलता से संम्पन्न किया है। केन्द्र में वह मंत्री रही हैं। अपने अंतिम समय में वह पांडिचेरी की उप-राज्यपाल भी रही हैं।

उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने हर क्षेत्र की लगन और परिश्रम के साथ सेवा की है। आज वह इस संसार में नहीं हैं, उनके निधन से राजनैतिक क्षेत्र में अपूर्णनीय क्षति हुई है और उस क्षति को पूरा करना कठिन है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शान्ति दे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरी और मेरे दल की शोक-संवेदनायें उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

मान्यवर, इसी प्रकार से श्री गजराज राम का निधन हो गया है, वह जौनपुर के थे और वर्ष 1985 में एक बार इस सदन के सदस्य रहे। वह सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े रहे, आज वह हमारे बीच में नहीं हैं। उनके प्रति माननीय नेता सदन, माननीय नेता विपक्ष और माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी ने भी विचार व्यक्त किये हैं, मैं और मेरा दल उनसे अपने को सम्बद्ध करता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी और मेरे दल की शोक-संवेदनायें उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

* ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी और श्री गजराज राम हमारे बीच नहीं रहे, उनके प्रति जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी और माननीय नेता जनतांत्रिक बहुजन समाज पार्टी ने व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी प्रदेश में मंत्री रहीं और केन्द्र में भी मंत्री रहीं। वहां पाण्डिचेरी की गर्वनर रहीं। कांग्रेस के संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर रहीं। उनके पुत्र श्री अशोक बाजपेयी, 1980 में इस सदन के सदस्य थे और हम लोगों के मित्र है। हमारा उनका घरेलू संबंध था, उनके निधन से मुझे व्यक्तिगत क्षति भी हुई है। वह एक क्रान्तिकारी विचारधारा की थीं और उन्होंने समाज के सभी वर्गों को प्रेरणा दी है। डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी के निधन से केवल इलाहाबाद को ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश और राष्ट्र को क्षति हुई है। इसी के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री गजराज राम जी जो 1985 में इसी सदन के सदस्य थे, जिनका हृदय गति रुक जाने के कारण निधन हो गया, वह हमारे ही साथ थे । गजराज राम जी एक शिक्षक थे, वह पूरे समाज को शिक्षित करना चाहते थे, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कार्य किये और वह शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रुचि रखते थे, उन्होंने अनेक आंदोलनों में भाग लिया, ये सामाजिक कार्य और जनसेवा में भी रुचि रखते थे । ऐसे महान और कुशल राजनीतिज्ञ, समाजसेवी को हम सभी ने खो दिया । इनके निधन से जौनपुर जनपद को एक भारी क्षति उठानी पड़ेगी । मान्यवर, आपसे निवेदन है कि मेरी और मेरे दल की ओर से शोक-संवेदनाएं उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी और श्री गजराज राम के लिये जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं, उससे मैं अपने आपको और अपने दल को संबद्ध करता हूं और ऐसे महान राजनीतिज्ञों के प्रति मैं श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूं । मान्यवर, प्रत्येक मनुष्य इस संसार में आता है और आकर उसे जाना पड़ता है । मान्यवर, ऐसा हमारे परमात्मा परमेश्वर का नियम है और जब मनुष्य यह जीवन जो अत्यंत संघर्षपूर्ण होता है, जी लेता है तो उसे यह संसार छोड़ कर जाना पड़ता है, जब मनुष्य इस संसार से जाता है तो उसके निकट के नाते-रिश्तेदारों को अत्यन्त दुःख होता है, ऐसे ही हमारे महान नेता डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी और श्री गजराज राम हमें छोड़ कर चले गये जिससे हमें बहुत दुःख है । डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी का व्यक्तित्व अत्यन्त प्रभावशाली था । उनके निधन के पश्चात आज तक उनके व्यक्तित्व की चमक धूमिल नहीं हुई है ।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी राजनीति से संबंधित अनेक समस्याओं को हल किया है । उन्होंने राजनीति को कभी कलंकित नहीं होने दिया है और राजनीति में जो कड़वाहट थी उसे उन्होंने दूर किया । ऐसी महान राजनीतिज्ञ का निधन 17 जुलाई, 1999 को हो गया । डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी के निधन से इलाहाबाद को क्षति पहुंची है, उनकी चिता के समय वहां उपस्थित लोगों का कहना था कि उनका जीवन निष्कलंकित था इससे देश को भी बहुत क्षति हुई है । जब हम महिला आरक्षण की बात करते हैं, समाज में आगे आने की बात करते हैं, उस युग में महिलाओं का घर से निकल पाना बहुत मुश्किल होता था, ऐसे समय में मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री पं० रविशंकर के परिवार में ऐसी साहसी महिला का जन्म हुआ था । महात्मा गांधी से प्रभावित होकर डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी ने यूनियन जैक को जलाया था । डा० राजेन्द्र कुमारी 19 महीने के लिये जेल भी गई थीं, उनके इरादे बहुत मजबूत थे । ऐसे महान नेता के प्रति मैं श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूं । मान्यवर, वह केन्द्रीय मंत्रि-मण्डल तक गयीं, वह उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहीं और डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी सर्वप्रथम वर्ष 1962 में निर्वाचन क्षेत्र इलाहाबाद (उत्तरी) से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुई थी और उत्तर प्रदेश विधान सभा क्षेत्र से लगभग चार बार सदस्य सन् 1962, 1967, 1969 और 1974 में कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुई । वे सातवीं, आठवीं और नवीं लोकसभा की सीतापुर से सदस्य भी रह चुकी हैं और कांग्रेस अध्यक्ष के रुप में संगठन की पहचान बनाई थी और पं० नेहरु जी के परिवार का उन पर अटूट विश्वास था, डा० राजेन्द्र कुमारी ने अपने राजनीतिक कौशल और संगठन के प्रति समर्पण के चलते राजयोग के तमाम प्रतिमान कायम किये । इन्दिरा गांधी ने जब सक्रिय राजनीति में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गांधी ने चिकमंगलूर में अपने चुनाव का प्रभारी बनाया । उनको श्रम अर्थशास्त्र में गहन रुचि थी और उन्होंने उद्योगों में मजदूरी की समस्या पर एक किताब भी लिखी थी । सन् 1976 में जेनेवा में हुए विश्व श्रम सम्मेलन में वह भारतीय प्रतिनिधि मण्डल की नेता थी, उसके बाद सन् 1980 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया ।

मान्यवर, इतना कह रहा हूं कि उनका इस विधान सभा से संबंध रहा है, उनके पुत्र अशोक बाजपेयी इस सदन के सदस्य रह चुके हैं, वे मेरे मित्र है । माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कोई ऐसी स्मारिका बनाई जाए जिससे उनको हमेशा-हमेशा के लिये याद किया जा सके ।

मान्यवर, श्री गजराज राम शिक्षा जगत से जुड़े रहे और वे जौनपुर से विधायक चुनकर आये थे, उनके निधन से हम सभी दुःखी हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि मेरे और मेरे दल की शोक-संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

* श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी चार बार इस सदन की सदस्य रह चुकी हैं और तीन बार लोकसभा की सदस्य रह चुकी हैं और 1942 के स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था । मान्यवर, वह पाण्डिचेरी की उप राज्यपाल भी रही हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया है । सिर्फ इलाहाबाद में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, इस पूरे देश में उनके न रहने से एक कमी हो गयी है । मान्यवर, मैं चाहूंगा कि मेरी तरफ से और मेरे दल की तरफ से शोक-संवेदनाएं उनके शोक-संतप्त परिवार तक भिजवा दिया जाय । मान्यवर, श्री गजराज राम 1985 में मेरे साथ यहां पर एम० एल० ए० थे । उनके न रहने से प्रदेश में एक कमी रह जायेगी । वह शिक्षक थे । मैं चाहूंगा कि मेरे और मेरे दल की संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

* श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी और श्री गजराज राम जी के निधन पर शोक-संवेदनायें माननीय नेता सदन और माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त की हैं मैं उसे अपने को और अपने दल को संबद्ध करता हूं । डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जिनका निधन 17 जुलाई, 1999 को हो गया वह इस सम्मानित सदन की 4 बार सदस्य रहीं । वह 3 बार जनपद सीतापुर से कांग्रेस पार्टी की लोक सभा की सदस्य रहीं । उन्होंने 1942 के राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर उसमें योगदान किया । वह पांडिचेरी की उप राज्यपाल रहीं । अब वह हमारे बीच में नहीं हैं । उनके निधन से न केवल इलाहाबाद बल्कि सम्पूर्ण प्रदेश को और विशेष रुप से कांग्रेस पार्टी को अपूर्णनीय क्षति हुई है । उनके प्रति हम और हमारा दल श्रद्धांजलि अर्पित करता है और आपसे प्रार्थना करता हूं कि शोक-संवेदनाओं को उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्रीमन् श्री गजराज राम जी जिनका निधन 18 जून, 1999 को हो गया वह इस सम्मानित सदन में 1985 में कांग्रेस (आई) के टिकट पर चुनाव जीत कर आये थे । वह एक शिक्षक थे उनकी रुचि शिक्षा में थी । वह प्राथमिक शिक्षक संघ के महामंत्री थे । उनके निधन से जौनपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश से एक कुशल राजनीतिज्ञ, समाजसेवी उठ गया । उनके निधन से हम सब दुखी हैं और उनके प्रति

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी संवेदनाओं को उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

* श्री विनोद मणि–

मान्यवर, डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी जी और श्री गजराज राम जी आज हमारे बीच में नहीं रहे । उनके निधन के संबंध में माननीय नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और नेता कांग्रेस तथा अन्य दलों के नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । इन दिवंगत नेताओं की आत्मा की शान्ति के लिये भगवान से प्रार्थना करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी और मेरे दल की भावनाओं को उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

वन मंत्री (श्री रघुवर दयाल वर्मा)–

मान्यवर, माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष और अन्य दलों के नेताओं ने इन दो दिवंगत आत्माओं के प्रति जो संवेदना व्यक्त की है मैं उससे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । श्रीमन् डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी स्वाधीनता संग्राम सेनानी रहीं और उस समय जो राजनीतिक और सामाजिक स्थिति थी उसके बावजूद भी उन्होंने देश और प्रदेश के लिये काम किया । उनके निधन से एक अपूर्णनीय क्षति हुई है ।

श्रीमन् गजराज राम जी जौनपुर के थे । उन्होंने अपनी जो सेवायें दी वह हमेशा याद रखी जायेंगी । इन शब्दों के साथ इन दोनों स्वर्गीय आत्माओं के प्रति मैं श्रद्धाजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि उनके शोकाकुल परिवार तक हमारी संवेदनाओं को भेजने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

इस सदन के दो पूर्व सदस्यों का निधन अभी हाल ही में हो गया । डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी जो इस सदन में 4 बार सदस्य थीं और तीन मंत्रि-परिषदों में वह मंत्रि-परिषद की सदस्य थीं । उनका निधन 17 जुलाई, 1999 को प्रातः लम्बी बीमारी के बाद हो गया । यद्यपि वह 74 वर्ष की थी परन्तु बीमारी के पूर्व बहुत ही सजग थी और अपने दायित्वों के निर्वहन में कोई कमी नहीं रखती थी । डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी इलाहाबाद की थी और उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इससे लग जाता है कि जब 1962, 1967, 1969 एवं 1974 के विधान सभा चुनावों में हम सभी लोग कांग्रेस विरोधी दल में थे और उनके विरुद्ध चुनाव प्रचार के लिये जाते थे तो आम जनता यह कहती थी कि श्रीमती वाजपेयी के खिलाफ हम कुछ नहीं सुनना चाहते । वह बहुत ही लोकप्रिय नेता थी । राजनीति में उन्होंने निष्कलंक और निष्कपट रास्ते पर बल दिया था । उन्होंने स्तरीय राजनीति की । कभी उनके व्यवहार एवं वाणी में हम सबको हल्कापन नहीं नजर आया । वह एक राजनीतिक परिवार से आयीं थीं । उनका परिवार अभी भी राजनीति में है ।

वर्ष 1980 में उनके पुत्र इस विधान सभा के सदस्य रहे हैं । उनकी पुत्र वधू प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं । हमने एक उत्कृष्ट कोटि की राजनीतिज्ञ को खो दिया है । उनके निधन से न केवल इलाहाबाद की क्षति हुई है बल्कि पूरे प्रदेश और देश की क्षति हुई है । उन्होंने महत्वपूर्ण पदों पर रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन किया है । वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री थी । जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा नीचे से शुरू की थी, नगर महापालिका के सभासद के रुप में । उसके पूर्व भी वह राजनीति में सक्रिय थी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में

जेल यात्रायें भी की। माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ उनकी अन्तेष्टि की गयी । उनके संबंध में जो शोक-संवेदनायें माननीय मुख्य मंत्री जी ने, माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य माननीय नेताओं ने प्रकट की है उससे मैं अपने का सम्बद्ध करता हूं । आप सबकी शोक-संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचा दूंगा । मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे तथा उनके परिवार को इस महान दुःख को सहन करने की शक्ति दे । इसी विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री गजराज राम का भी निधन 18 जून, 1999 को हो गया वह58 वर्ष के थे । वह केराकत क्षेत्र से निर्वाचित हुये थे तथा 1985 में वह इस विधान सभा के सदस्य थे । उन्होंने शिक्षक के रूप में कार्य प्रारम्भ किया था और वह प्राथमिक शिक्षक संघ के महामंत्री थे तथा राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यो में वह बहुत सक्रिय थे । उनके निधन से जौनपुर जनपद ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाजसेवी को खो दिया है । मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति दे और उनके परिवार के लोगों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे । मैं आप सबकी शोक-संवेदनायें इन दोनों के परिवार तक पहुंचा दूंगा । अब हम सब दो मिनट मौन रहकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे ।

(दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिये सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए ।)

श्री अध्यक्ष–

मैं नियम–301 के पहले नियम–300 ले रहा हूं । आज दिनांक 23-7-99 को नियम–300 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसमें पहली सूचना डा० अशोक बाजपेयी की है ।

निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली घोषणाओं एवं राहत आदि के नाम पर वितरित की जाने वाली धनराशियों तथा कार्यपालिका के विभिन्न कार्यो के निर्वहन पर रोक लगाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* डा० अशोक बाजपेयी–

अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग को यह अधिकार दिये गये हैं कि देश में चुनाव को सम्पन्न करायें । मान्यवर, संविधान की रचना के समय पूरी व्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया । कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका । तीनों के अलग-अलग अधिकार वर्णित किये गये तीनों के कार्य-क्षेत्र अलग-अलग किये गये । निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ होने के साथ ही निर्वाचन आयोग का कार्य प्रारम्भ हो जाता है लेकिन विडम्बना यह है कि अभी दो महीने से अधिक चुनाव का समय है निर्वाचन आयोग समय-समय पर ऐसे निर्देश दे रहा है जिससे जनहित के कार्य प्रभावित हो रहे हैं । कल ही निर्वाचन आयोग का निर्देश निर्गत हुआ है कि दैवी आपदा, बाढ़ आपदा में किसी प्रकार की अनुग्रह राशि सरकार द्वारा वितरित नहीं की जा सकती है । इसके साथ ही विधायिका का अपना कार्यक्षेत्र है अगर कार्यपालिका पंगु हो जाती है तो दो महीने तक निरन्तर वह ऐसी स्थिति में कोई कार्य नहीं कर सकेगी कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है तो मान्यवर विधायिका का कार्य क्या रह जायेगा इससे एक ऐसा संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है कि निर्वाचन आयोग ने पूरी विधायिका के कार्य के आगे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है । मैं इस संवैधानिक संकट की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आपकी सुनिश्चित व्यवस्था चाहता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

निर्वाचन आयोग समय-समय पर निर्देश जारी कर रहा है एवं सरकारें भी ऐसी घोषणाएं करती जा रही हैं जिन से निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अवहेलना हो रही है पूरे शासन में इस समय अफरा तफरी मची हुई है। वह निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करे या सरकार के निर्देशों का जगह-जगह पंचायत राज गोष्ठियों के नाम पर उनका राजनीतीकरण किया जा रहा है इस तरह के तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं जो राजनीतिक उद्देश्य से किये जा रहे हैं जबकि निर्वाचन आयोग ने उन पर रोक लगा रखी है। यह संवैधानिक संकट की स्थिति है विधायिका के समक्ष कि कर्तव्यविमूढ़ की स्थिति है क्योंकि जब कार्यपालिका कोई काम करेगी नहीं तो वह विधायिका के प्रति क्या जवाबदेह होगी। इस लोक महत्व और अविलम्बनीय संवैधानिक प्रश्न पर मैं चाहूंगा कि सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आप अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें।

* संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जो भाव वाजपेयी जी ने प्रकट किया है यह बहुत गम्भीर बात है। यह बात सही है कि शनैः शनैः जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको अपने दायरे में न रहने व दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण करने की आदत सी बन गई है। आज 1952 से अब तक का इतिहास देखें क्या 52 में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ क्या 1962 में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ ? विशेष रुप से 1977 का जो चुनाव हुआ पार्लियामेंट का उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कोई भी सरकार रही हो लेकिन देश की जनता ने जो चाहा वह होकर रहा और किसी प्रकार का कोई प्रशासनिक हस्तक्षेप भी देश की जनता के रास्ते को रोक नहीं पाया। यह सही है कि कार्यपालिका विधायिका एवं न्यायपालिका तीनों संवैधानिक संस्थाएं हैं इनके काम में एक अवरोध पैदा होता जा रहा है इस अवरोध को कैसे रोका जाए इस पर विचार किया जाए ? आज संसद को अनुच्छेद 324 को अच्छी प्रकार से परिभाषित करने का कानून बनाना चाहिये। कहां तक चुनाव आयोग जायेगा उसकी क्या सीमा है उस सीमा को अतिक्रमण करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को भी नहीं होना चाहिये।

अभी नोटीफिकेशन हुआ नहीं उनके अपने विवेक की बात है कब तिथि घोषित कर दें तिथि घोषित करने के बाद कब आचार संहिता लगा दें। जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं डेढ़ साल बाद दो साल बाद एक साल बाद उससे तो तीन चार महीने काम निर्वाचन आयोग कराने से रोकेगा। इससे सारे देश में उत्तर प्रदेश ही नहीं अनिश्चितता की स्थिति बनती जा रही है। अतः इस बारे में स्पष्ट कानून बनना चाहिये अगर नहीं बनेगा तो अनिश्चितता की स्थिति बनती चली जायेगी। यद्यपि वाजपेयी जी ने जो बात कही है वह नियम 300 में नहीं आती है यह सदन की कार्यवाही से संबंधित नहीं है लेकिन जो भाव हैं उस भाव का मैं आदर करता हूं। मैं भी इस बात के पक्ष में हूं कि चुनाव आयोग को अपने संवैधानिक दायित्व के तहत ही रहकर काम करना चाहिये दूसरी संस्थाओं के कार्यो में अतिक्रमण नहीं करना चाहिये।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं आपके संज्ञान में ला दूं कि जो तीन तिथियां घोषित की गई हैं जो उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित हैं। यह बिना विचार किये घोषित की गई हैं तीनों तिथियां शुक्रवार को पड़ रही हैं जिस दिन जुमे का दिन है।

श्री अध्यक्ष–

यह निर्वाचन आयोग से कहें।

श्री प्रमोद कुमार–

यह एक साजिश के तहत घोषित कराई गई हैं । एक में तो गणेश चतुर्थी भी पड़ रही है । जुमे के दिन और गणेश चतुर्दशी के दिन में चुनाव हो रहे हैं यह जानबूझ कर कोशिश की गयी है ।

श्री अध्यक्ष–

अगर ऐसा हो तो हिन्दू माइथालाजी में हर दिन पवित्र होता है, हर दिन कोई न कोई पवित्र कार्य होता है, तब तो चुनाव हो ही नहीं पायेगा । यह तो निर्वाचन आयोग का काम है ।

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

मान्यवर, माननीय अशोक वाजपेयी जी ने नियम–300 के अन्तर्गत जो औचित्य का प्रश्न उठाया है यद्यपि वह औचित्य में नहीं आता फिर भी इसका जो सार है उस पर सदन को विचार करना चाहिये । श्रीमन्, संविधान के अनुच्छेद–324 को यदि आप देखें तो उसमें कहीं भी विच्छेदन नहीं किया गया है । न कहीं केन्द्र सरकार को अलग किया गया है और न ही राज्य सरकार को । यह भी तुलना नहीं की गयी है कि दोनों सरकारों के उत्तरदायित्व क्या होंगे और उनका अधिकार क्या होगा ?

चुनाव आयोग ने एक आदेश भेज दिया जहां चुनाव हो रहे हैं परन्तु यहां तो राज्य सरकार के चुनाव भी नहीं हो रहे हैं । केन्द्र के मंत्रीगण तो सरकारी दौरे के लिये स्वतंत्र हैं परन्तु राज्य सरकार के मंत्रीगण/विधायक सरकारी कार्य में भाग नहीं ले सकते । आपने पिछली बार भी चुनाव के संबंध में रुलिंग दी थी जो आज भी मौजूद है इसलिये व्यवस्था देने से पहले आप उसे भी देख लें । बहुत सी चीजे उसमें कही गयीं हैं और इस बात को स्वीकार किया गया कि चुनाव आयोग को यह अधिकार नहीं है कि वह चुनी हुई संवैधानिक सरकार को कार्य करने से रोक सके । दो-तीन महीने तक यदि कार्यो पर रोक लग जायेगी तो इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी चुनाव आयोग तो जिम्मेदार होगा नहीं, मान्यवर, इस संबंध में अनुच्छेद 324 को विशेष रूप से देख लिया जाय । मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की बात से सहमत हूं कि भारत की पार्लियामेंट को विचार करना चाहिये और अनुच्छेद 324 को परिभाषित करना चाहिये कि किसकी कितनी सीमायें हों ।

आज चुनाव आयोग ने राज्य सरकार के सामने एक संकट खड़ा कर दिया है इसलिये इस सदन को इस पर विचार करके एक ऐसा निर्णय लेना चाहिये जिससे उत्तर प्रदेश की जनता के हितों की रक्षा हो सके और चुनी हुई सरकार के अधिकारों में कोई हस्तक्षेप न कर सके ।

श्री अध्यक्ष–

श्री अशोक वाजपेयी जी द्वारा नियम 300 की सूचना पर डा० अशोक वाजपेयी और श्री प्रमोद कुमार तथा शासन की ओर से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी एवं ऊर्जा मंत्री जी को सुना । दोनों पक्षों के तर्को को सुनने के पश्चात् यह स्पष्ट है कि निर्वाचन आयोग को 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत निर्वाचन के संचालन के लिये अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करने का अधिकार है । अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण–ये शब्द निर्वाचन आयोग को असीमित अधिकार नहीं देते । निर्वाचन आयोग को जो भी अधिकार है वह निर्वाचन सें संबंधित हैं और भारतीय संविधान में जो राज्य के अंग है चाहे वह कार्यपालिका हो, विधायिका हो या न्यायपालिका हो, सबके अधिकारों को अच्छी तरह से परिभाषित कर दिया गया है और इसलिये निर्वाचन आयोग को असीमित अधिकार अनुच्छेद 324, 325, 326 से लेकर 329 तक कहीं भी नहीं है । जो भी अधिकार हैं संविधान के दूसरे अनुच्छेदों के अन्तर्गत रहते हुए ही हैं ।

राज्य और केन्द्र की निर्वाचित सरकारें हैं और उन्हें संविधान ने स्वयं अधिकार दिये हैं। अपनी नीतियों की घोषणा कर सकती हैं, मंत्रीगण कार्यकलापों के लिये दौरा कर सकते हैं। इस पर रोक नहीं लगायी जा सकती। जैसाकि माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने भी कहा है प्रश्न केवल इतना है कि क्या मंत्रीगण अपने दौरे के समय चुनाव प्रचार करते समय सरकारी साधनों का उपयोग करते हैं कि नहीं अगर किसी माननीय मंत्री का दौरा निर्वाचन से संबंधित नहीं है तो मेरी दृष्टि में निर्वाचन आयोग उस पर रोक नहीं लगा सकता। इस संबंध में मैंने 29 जनवरी, 1998 को इस सदन में एक व्यवस्था दी थी। वह व्यवस्था विस्तृत व्यवस्था है मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन आज की व्यवस्था देते समय मैं उस व्यवस्था का भी उल्लेख करना चाहता हूं और वह आज की व्यवस्था का अंग माना जायेगा। इसी के साथ मैं इस सूचना का निस्तारण कर रहा हूं।

दिनांक 29 जनवरी, 1998 को दी गयी व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्णय निम्नलिखित है :–

मा० श्री गौरी शंकर, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–300 के अन्तर्गत दिनांक 28-1-1998 को औचित्य के प्रश्न की एक सूचना दी, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया कि सूचना में उठाये गये विषय पर सदन में विचार किया जाय तथा प्रदेश सरकार को संवैधानिक प्रक्रियाओं के अन्तर्गत कार्य करने तथा निर्वाचन आयोग द्वारा लागू चुनाव आचार संहिता के अनुपालन हेतु निर्देशित किया जाय।

मा० श्री गौरी शंकर ने अपनी सूचना में कहा कि प्रदेश सरकार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों को नकारते हुए घोषणायें कर रही है। सूचना में यह भी कहा गया कि महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 27-1-1998 को सदन के समवेत् अधिवेशन में जो अभिभाषण दिया गया, उसमें एक पार्टी विशेष को चुनाव में लाभ पहुंचाने हेतु घोषणायें की गयी हैं और उन घोषणाओं के द्वारा व्यापक रूप से जनमानस को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका लोक सभा चुनाव में मतदाताओं पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

नियम–300 के अन्तर्गत दी गयी उपर्युक्त सूचना का विरोध करते हुये संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों का विवरण देते हुये मा० मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि चुनाव आयोग को विधायिका के अधिकारों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

मा० मुख्य मंत्री जी ने उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णयों का भी उल्लेख किया। कल दिनांक 28-1-1998 को मा० श्री गौरी शंकर तथा मा० मुख्य मंत्री जी के तर्कों को सुनने के उपरान्त मैंने इस सूचना पर व्यवस्था सुरक्षित कर ली थी।

मेरी दृष्टि से मा० श्री गौरी शंकर के द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–300 में दी गयी सूचना निरस्त करने योग्य है। इसके कारण निम्नलिखित हैं :–

देश की केन्द्रीय तथा प्रादेशिक कार्यपालिकायें, विधायिकायें तथा न्यायपालिकायें भारतीय संविधान की देन है। यह संविधान ही उनका स्रोत है। राज्य के तीन प्रमुख अंग होते हैं,–कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। संविधान में राज्य के इन तीनों अंगों के अधिकार स्पष्ट रूप से चिन्हित किये गये हैं। यह भारत के संविधान की विशेषता है। इसका निर्वचन करते समय उच्चतम न्यायालय ने संविधान के कई प्राविधानों को इसका मूल ढांचा कहा है। विधि सम्मत शासन (Rule of law) भी हमारे संविधान का एक प्रमुख मूल ढांचा है और इसी के कारण कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की मर्यादायें और सीमायें निर्धारित की गयी हैं। यदि राज्य के इन तीनों अंगों में से किसी अंग के द्वारा

अपनी सीमा का उल्लेख किया जाता है तो उसका यह कार्य असंवैधानिक तथा विधि सम्मत शासन के विरुद्ध कहा जाता है ।

केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने दिसम्बर, 1997 में लोक सभा के चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा की । यद्यपि महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत घोषणायें जनवरी, 1998 के तृतीय और चतुर्थ सप्ताह में की गयी, परन्तु चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा निर्वाचन आयोग ने पहले ही कर दी थी । निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन को सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा एक आदर्श आचार संहिता भी घोषित की गयी । इसके साथ ही साथ निर्वाचन आयोग ने कुछ अन्य निदेश भी दिये । आचार संहिता/निदेशों के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग ने विभिन्न राज्य सरकारों को यह निदेश दिया कि वह चुनाव सम्पन्न होने तक किसी भी लोक हित की नीतियों की घोषणा न करें क्योंकि निर्वाचन आयोग की दृष्टि में, उनसे निर्वाचन प्रभावित हो सकता है । यह विचारणीय है कि क्या निर्वाचन आयोग की आचार संहिता और निदेश विधायिका के अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकते हैं अथवा नहीं ।

विधायिका भी भारत के संविधान की देन है । विधायिका के निर्वाचनों के लिए संविधान के द्वारा कार्यपालिका को सीधे दायित्व न देकर एक निर्वाचन आयोग की स्थापना की गयी है जिसको निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण और संचालन का दायित्व दिया गया है । निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है । संविधान के भाग–15 के अन्तर्गत अनुच्छेद 324 में इसके अधिकारों, गठन आदि का उल्लेख किया गया है । अनुच्छेद 324(1) में यह कहा गया है कि इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मण्डल के लिए कराये जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिये तथा राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और उन सभी निर्वाचनों का संचालन, अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा । यही अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के अधिकारों का स्रोत भी है और सीमा भी । इस अनुच्छेद के अन्तर्गत केवल दो विषयों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का अधिकार निर्वाचन आयोग को दिया गया है :–

(1) अनुच्छेद में वर्णित निर्वाचनों के लिये निर्वाचक नामावली तैयार करने के संबंध में, तथा

(2) उक्त सभी निर्वाचनों के संचालन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करने के संबंध में ।

अनुच्छेद 324 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जिस अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का अधिकार निर्वाचन आयोग को दिया गया है वह निर्वाचनों के संचालन से संबंधित होना चाहिए । "निर्वाचनों का संचालन" शब्द ही निर्वाचन आयोग की सीमा का निर्धारण करते हैं ।

निर्वाचन आयोग का यह अधिकार कार्यपालिका की श्रेणी में आता है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने कन्हैया लाल ओमर बनाम आर० के० त्रिवेदी आदि 1986 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ–111 के पैराग्राफ 16 में यह कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 324 (1) में दिये गये अधिकार उन्हीं क्षेत्रों में लागू होते हैं जिन क्षेत्रों के बारे में कोई विधायी प्राविधान नहीं है तथा शब्द "अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण" तथा "निर्वाचनों का संचालन" व्यापक शब्द हैं जिसमें निर्वाचन आयोग को निदेश देने का अधिकार है । इसी निर्णय के पैराग्राफ 17 में यह कहा है कि प्रत्येक मानक जो आचार के नियम रूप में है उसको विधायी प्राविधान अथवा डेलीगेटेड प्राविधान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता । इसी निर्णय से यह स्पष्ट है कि निर्वाचनों के संचालन से संबंधित किसी विषय पर यदि कोई विधायी प्राविधान है तो निर्वाचन आयोग उन प्राविधानों का उल्लंघन करके निदेश नहीं जारी कर सकता । यह निदेश केवल उन्हीं प्राविधानों के बारे में हो सकता है जिनके बारे में कोई अधिनियम अथवा नियम नहीं है । इस निर्णय से यह स्पष्ट है कि निर्वाचन आयोग का अधिकार निर्वाचन से ही संबंधित है । निर्वाचन के अतिरिक्त अन्य किसी चीज से नहीं । संविधान में विधायिका से संबंधित अनेक प्राविधान हैं ।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने एक अन्य निर्णय महेन्द्र सिंह गिल बनाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1978 सुप्रीम कोर्ट पेज 851 में यह कहा है कि जिन क्षेत्रों में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा नियम लागू नहीं होते, उन क्षेत्रों में निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के प्राविधानों का प्रयोग कर सकता है। इस निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि निर्वाचन आयोग निर्वाचन से संबंधित विषयों पर ही अपने आदेश/निर्देश दे सकता है। इस निर्णय के पैराग्राफ 119 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निर्वाचन आयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 14 में दिये गये महामहिम राष्ट्रपति के अधिकारों को कम नहीं कर सकता। परन्तु एक बार महामहिम द्वारा धारा–14 की विज्ञप्ति जारी हो जाने के बाद पूरी निर्वाचन की प्रक्रिया का भार निर्वाचन आयोग के ऊपर हो जाता है और निर्वाचनों के संचालन के संबंध में निर्वाचन आयोग पूर्णरूपेण उत्तरदायी होता है। इस पैराग्राफ के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि निर्वाचन आयोग का दायित्व निर्वाचनों के संचालन तथा निर्वाचन से संबंधित विषयों तक ही सीमित होता है।

जयन्तीलाल–अमृतलाल बनाम एफ० एन० राना, 1964 सुप्रीमकोर्ट पृष्ठ–648 के पैराग्राफ 10 तथा 11 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जो कार्य विधायी तथा न्यायिक प्रकृति का नहीं है वह सभी कार्य कार्यपालिका की प्रकृति के माने जायेंगे। यद्यपि यह संभव है कि कार्यपालिका को कुछ कार्यों में न्यायिक सिद्धान्तों का अनुपालन करना आवश्यक है। इस निर्णय में दिये सिद्धान्तों को निर्वाचन आयोग के संदर्भ में यदि देखा जाये तो यह स्पष्ट है कि निर्वाचन आयोग का कार्य भी कार्यपालिका प्रकृति का है। यहां उसको अपने दायित्वों के निर्वहन में कभी-कभी न्यायिक तथा अर्द्धन्यायिक कार्य भी करना पड़ सकता है। न्यायिक तथा अर्द्धन्यायिक कार्यों के सम्पादन के लिये निर्वाचन आयोग को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन करना होगा। निर्वाचन से संबंधित आचार संहिता लागू करना अथवा निर्देश देने के संबंध में यह सिद्धान्त लागू नहीं होता। सादिक अली बनाम इलेक्शन कमीशन आफ इण्डिया, 1972 सुप्रीमकोर्ट पेज–187 के पैराग्राफ 37 के अन्त में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि निर्वाचन आयोग को अपने अधिकारों का प्रयोग निष्पक्ष और युक्ति-युक्त प्रकार (फेयर एण्ड रीजनेबुल मैनर) से करना चाहिये। इसका अर्थ यह हुआ है कि यदि निर्वाचन आयोग का कोई भी आदेश अयुक्ति-युक्त है अथवा उसकी परिधि के बाहर है तो निश्चित ही वह असंवैधानिक अथवा अवैधानिक होगा।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने ए० सी० जोशी बनाम सीवन पिल्लई 1984 सुप्रीम कोर्ट पेज 921 के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है जिसका उल्लेख करना यहां आवश्यक प्रतीत होता है। यह निर्णय इलेक्शन कमीशन के उस आदेश से संबंधित है जहां मशीन के द्वारा मतदान करने के निर्देश दिये गये थे।

इस निर्देश को माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवैधानिक इसलिये माना क्योंकि नियमों के अन्तर्गत बिना मशीन के वोट डालने का प्राविधान है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि चूंकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत बने नियमों में किसी भी मशीनी प्रक्रिया के द्वारा वोट डालने का प्राविधान नहीं है इसलिये चुनाव आयोग का मशीनों के द्वारा वोट डालने का निर्देश अवैधानिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अधिनियमों के निर्वचन के लिये शब्दों और वाक्यों आदि का इस प्रकार से निर्वचन किया जाना चाहिये ताकि वह शब्द, वाक्य आदि अपनी प्राकृतिक सामान्य, लोकप्रिय अर्थ में समझे जायं। इस दृष्टि से भी यदि अनुच्छेद 324 का निर्वचन किया जाय तो यह स्पष्ट है कि निर्वाचन आयोग का अधिकार केवल निर्वाचन से ही संबंधित है। इस निर्णय में एक और सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि जिन विषयों पर स्पष्ट रूप में अधिनियम/नियम हैं, निर्वाचन आयोग उन अधिनियमों अथवा नियमावली के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई निर्देश नहीं दे सकता है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्णयों के संदर्भ तथा संविधान तथा विधायिका के संबंध में संविधान के प्राविधानों की पृष्ठभूमि में माननीय श्री गौरी शंकर एडवोकेट द्वारा दी गयी सूचना पर विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है ।

भारत के संविधान के भाग–6 अध्याय–2 के अन्तर्गत अनुच्छेद–154 में यह कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद–163 में दिया गया है । अनुच्छेद–163(1) के अनुसार जिन बातों में संविधान द्वारा या संविधान के अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कर्तव्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करेगा, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कर्तव्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिये एक मंत्रि-परिषद् होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा । अनुच्छेद 163(3) में यह कहा गया है कि इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जायेगी और क्या मंत्रि-परिषद् ने राज्यपाल को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी ? अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मंत्रि-परिषद् विधायिका के प्रति उत्तरदायी है ।

उच्चतम न्यायालय ने शमशेर सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब ए० आई० आर० 1974 एस० सी० 2192 के पैराग्राफ 88 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने अधिकारों का प्रयोग मंत्रि-परिषद् की सहायता और सलाह से करते हैं, केवल उन विषयों को छोड़कर जिसमें वह बिना ऐसी सलाह और सहायता के कार्य कर सकते हैं । इससे यह स्पष्ट है कि प्रदेश के राज्यपाल अपने सभी कर्तव्यों में, जहां उन्हें स्वविवेक से काम करना है उसे छोड़कर, प्रदेश की मंत्रि-परिषद् की राय, सहायता और सलाह से ही कार्य करेंगे । राज्यपाल को क्या सलाह दी गयी और यदि दी गयी तो क्या दी गयी, इसकी जांच किसी भी न्यायालय में नहीं हो सकती है ।

वर्तमान विवाद इस कारण उठा कि प्रदेश के महामहिम राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 176 के अन्तर्गत वर्ष 1998 के प्रथम सत्र में, विधान सभा तथा विधान परिषद् के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण करते हुये वर्तमान सरकार की कुछ उपलब्धियों का उल्लेख किया और भविष्य में कार्यान्वित होने वाली घोषणाओं का भी । माननीय सदस्य श्री गौरी शंकर जी एडवोकेट के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता और निर्देशों के अनुसार उपरोक्त उपलब्धियों और घोषणाओं का उल्लेख महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं किया जा सकता था और ऐसा करके उन्होंने (सरकार ने) आचार संहिता का उल्लंघन किया । क्योंकि महामहिम राज्यपाल सरकार के द्वारा बनाये गये अभिभाषण को ही पढ़ते हैं । अनुच्छेद 163 (3) से स्पष्ट है कि राज्यपाल को दी गयी सलाह, कोई सलाह दी गयी अथवा नहीं दी गयी, अथवा दी गयी तो क्या दी गयी, इसकी जांच किसी न्यायालय में नहीं की जा सकती । महामहिम राज्यपाल ने अनुच्छेद 176 के अन्तर्गत बुलाये गये विधान सभा तथा विधान परिषद् के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण करके अपने संवैधानिक दायित्व का ही निर्वहन किया है ।

निर्वाचन आयोग की उत्पत्ति का स्रोत संविधान है । महामहिम राज्यपाल में ही संविधान के द्वारा कार्यपालिका की शक्ति निहित की गयी है । इस कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा ही करते हैं । मंत्रि-परिषद् महामहिम के अधीनस्थ अधिकारियों की श्रेणी में नहीं आती ।

महामहिम राज्यपाल भी एक संवैधानिक पद के धारक हैं । प्रदेश की विधान सभा का गठन भी संविधान के अनुच्छेद 168 के द्वारा हुआ है । विधान सभा तथा विधान परिषद् भी संवैधानिक संस्थायें हैं, उनके कार्य संचालन के लिये अलग से नियमावली है और उनके अन्य विधिक प्राविधान भी हैं । निर्वाचन आयोग को अनुच्छेद 324 के द्वारा राज्य के किसी भी दूसरे संवैधानिक अंग के अधिकारों

को सीमित करने अथवा उनके अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं दिया गया है । निर्वाचन आयोग के अधिकारों की सीमा निर्वाचन से सम्बद्ध है, जबकि विधायिका की सीमा उससे कहीं अधिक है । उसके कार्यपालिका संबंधित कार्यों और विधायिका संबंधित कार्यों का संविधान में स्पष्ट उल्लेख है । अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होता है जिसके संबंध में उस राज्य के विधान मण्डल को विधि बनाने की शक्ति है । जिन विषयों के बारे में राज्य के विधान मण्डल को विधि बनाने की शक्ति है उनका उल्लेख संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–2 और 3 में है । इस प्रकार विधायिका के अधिकार निर्वाचन आयोग के अधिकारों की सीमा से कहीं अधिक हैं । निर्वाचन आयोग स्वयं में एक संवैधानिक संस्था होने के बाद भी दूसरी संवैधानिक संस्था के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकती । इस संबंध में दो उदाहरण देना पर्याप्त है । प्रदेश में राज्य सम्पत्ति अथवा मार्गों से अतिक्रमण हटाने के संबंध में अधिनियम है । उस पर अतिक्रमण संज्ञेय अपराध है । आदर्श आचार संहिता के नाम पर निर्वाचन आयोग इस अधिनियम के क्रियान्वयन को, भले ही अल्पकालीन समय के लिए ही क्यों न हो, निलम्बित नहीं कर सकता । इसी प्रकार शासन को इस बात का अधिकार है कि वह मामलों में परीक्षण करके, यदि किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा है तो उसे वापस ले सकता है । यह सरकार की नीति अथवा व्यक्तिगत मामले में परिस्थितियों पर विचारोपरान्त लिये गये निर्णय से संबंधित है, जिसका निर्वाचन आयोग से कोई संबंध नहीं है । प्रश्न यह है कि क्या निर्वाचन आयोग सरकार के इस कार्य पर अंकुश लगा सकता है । स्पष्ट रूप से यह कार्य निर्वाचन से संबंधित नहीं है और निर्वाचन आयोग के द्वारा इस प्रकार की रोक लगाना उसकी परिधि के बाहर का कृत्य है । इसी प्रकार राज्यपाल के ऊपर यह संवैधानिक दायित्व है कि वह विधायिका का समवेत सदन आह्वान करने का कारण बताये । महामहिम राज्यपाल चूंकि मंत्रि-परिषद् की सलाह और सहायता से कार्य करते हैं और अनुच्छेद 164 (2) के अन्तर्गत मंत्रिपरिषद् विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, इसलिये सरकार की नीतियां महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में उल्लिखित होती हैं । उसमें सरकार की उपलब्धियों की चर्चा और भविष्य के कार्यों की घोषणा करना एक प्रकार से महामहिम राज्यपाल का संवैधानिक दायित्व है क्योंकि वह मंत्रिपरिषद् की राय से कार्य करने के लिए बाध्य हैं । निर्वाचन आयोग इस संवैधानिक दायित्व के निर्वहन पर रोक नहीं लगा सकता । इस समस्या को दूसरी दृष्टि से भी देखा जा सकता है । प्रदेश की विधान सभा और विधान परिषद् दोनों संवैधानिक संस्था है । उनका और उसके सदस्यों और उसकी समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 194 में दिया गया है । यह दोनों संवैधानिक संस्थायें अपने कार्यों के संचालन के लिये अनुच्छेद 208 के अन्तर्गत प्रक्रिया नियमावली बनाने के लिए स्वतंत्र है । प्रक्रिया नियमावली में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा कराने का प्राविधान है, अर्थात् जिस भी विषय का उल्लेख महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में होगा, उस विषय पर विधान सभा/विधान परिषद् के प्रत्येक सदस्य को अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है । यह विचार सरकार के पक्ष में भी हो सकता है और उसके विरोध में भी । यदि निर्वाचन आयोग राज्यपाल की घोषणाओं पर अथवा विधायिका के क्रिया-कलाप पर और उसके सदस्यों के विचारों की अभिव्यक्ति और प्रश्न करने पर, जानकारी मांगने पर और सरकार के द्वारा नीतियों के बारे में जिज्ञासा का समाधान करने तथा शासन की नीतियों व कार्यक्रमों की जानकारी देने पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार निर्वाचन आयोग को दे दिया गया तो इसका सीधा यह अर्थ होगा कि निर्वाचन आयोग विधायिका तथा उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों में रोक लगा रहा है तथा अनुच्छेद 164(2) के प्राविधानों को नकार रहा है । यह विशेषाधिकार भंग करने का भी प्रकरण विशेष परिस्थितियों में बन सकता है ।

1965 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 745 इन रि-अंडर आर्टिकल 143 कांस्टीट्यूशन आफ इण्डिया के प्रकरण में अपना निर्णय देते समय माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 61 में यह कहा कि अनुच्छेद 208 के अन्तर्गत बनायी गयी प्रक्रिया नियमावली किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकती है। परन्तु यह प्रश्न यहां नहीं उठता क्योंकि निर्वाचन में भाग लेना किसी व्यक्ति का मूल अधिकार नहीं है वरन् यह विधि प्रदत्त अधिकार है जो विधायिका द्वारा दिया जा सकता है और सीमित और संशोधित भी किया जा सकता है।

निर्वाचन आयोग के कार्यों की विधायिका में चर्चा भी हो सकती है। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 211 का उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है। अनुच्छेद 211 के अन्तर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किये गये आचरण के विषय में, राज्य के किसी भी विधान मण्डल में कोई चर्चा करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। यदि संविधान के निर्माताओं की यह इच्छा होती है कि निर्वाचन आयोग के भी किसी आचरण के बारे में राज्य के किसी विधान मण्डल में कोई चर्चा न हो तो इस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का भी उल्लेख किया जा सकता था। निर्वाचन आयोग का उल्लेख न करना इस बात का द्योतक है कि निर्वाचन आयोग के क्रिया-कलापों की चर्चा राज्य के किसी भी विधान मण्डल में हो सकती है। अर्थात् इसका अर्थ यह होगा कि निर्वाचन आयोग अगर अपनी सीमा का उल्लंघन करके कोई काम करता है तो राज्य के किसी भी विधान मण्डल में उस पर चर्चा की जा सकती है।

इसके विपरीत संविधान के अनुच्छेद 212 में न्यायालय के द्वारा विधान मण्डल की कार्यवाही की जांच करना निषिद्ध है।

उपरोक्त संवैधानिक प्राविधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विधायिका अपने क्षेत्र में सर्वोपरि है तथा संविधान के अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग को, विधायिका अथवा महामहिम राज्यपाल के संवैधानिक दायित्व के निर्वहन में हस्तक्षेप करने का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। चूंकि विधान सभा अथवा विधान परिषद् निर्वाचन आयोग के अधीनस्थ नहीं है बल्कि स्वतंत्र संवैधानिक संस्थायें हैं, इसलिये विधान सभा के अथवा विधान परिषद् के सदस्यों को भी इस बात का अधिकार है कि वह सरकार की उपलब्धियों के बारे में तथा सरकार की भावी नीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।

वर्तमान प्रकरण पर एक अन्य दृष्टि से भी विचार किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग निर्वाचन से संबंधित विषयों पर निश्चित ही निर्देश दे सकता है, परन्तु यदि उसके निर्देशों/आदेशों की अवहेलना होती है तो उसका परिणाम क्या होगा? इस संबंध में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में पर्याप्त प्राविधान है। यदि निर्वाचन में कोई उम्मीदवार निर्वाचन आयोग के आदेशों/निर्देशों की अवहेलना करता है और उससे उसका चुनाव सारवान दृष्टि से प्रभावित होता (मैटीयरिली अफेक्ट) है तो उसका चुनाव रद्द किये जाने का प्राविधान है। इसके लिये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100(1)(घ) (चार) का उल्लेख करना आवश्यक है। इसी प्रकार यदि कोई उम्मीदवार भ्रष्ट आचरण के आधार पर चुनाव में सफल होता है तो उसका चुनाव भी रद्द होने योग्य है। भ्रष्ट आचरण के संबंध में धारा 123 में उल्लेख किया गया है, जिसमें "रिश्वत" तथा "अनुचित दबाव" डालना भी है। किसी भी निर्वाचन में सरकार उम्मीदवार नहीं होती है बल्कि व्यक्ति उम्मीदवार होता है। कानून की दृष्टि में "सरकार", "राजनीतिक दल" तथा "उम्मीदवार" भिन्न-भिन्न चीजें हैं। सरकार की जो भी नीतियां होती हैं वह सामान्य रूप से सभी नागरिकों के लिये होती है। उन नीतियों के क्रियान्वयन का लाभ और हानि का प्रभाव सभी पर पड़ता है। सरकार के द्वारा की गयी घोषणायें कदाचित् जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(1)(2) में नहीं आती। उक्त धारा में उल्लिखित शब्द "रिश्वत" तथा

"अनुचित दबाव" के संदर्भ में इस बात के न्यायिक निर्णय हैं कि सरकार की नीतियों के बारे में घोषणा प्रतिबन्धित नहीं है । वह "अनुचित दबाव" या "रिश्वत" की श्रेणी में नहीं आती ।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की नीतियों का उल्लेख हुआ है जो समान रूप से सभी दलों तथा सभी नागरिकों से सबंधित है । यदि इन नीतियों के कारण किसी उम्मीदवार विशेष का चुनाव सारवान ढंग से प्रभावित होता है और यदि यह सिद्ध हो जाता है, तब उक्त अधिनियम की धारा 100(1) (घ) (चार) तथा धारा 123 (1) (2) आकर्षित होगी । उस चुनाव की वैधानिकता पर निर्णय के लिये अलग से प्राविधान किया गया है ।

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि महामहिम राज्यपाल के द्वारा अपने भाषण में सरकार की उपलब्धियों तथा भविष्य के कार्यक्रमों का उल्लेख निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की गयी आचार संहिता अथवा निदेश के विरुद्ध नहीं है । इसलिये मैं श्री गौरी शंकर जी एडवोकेट की इस सूचना को निरस्त करता हूं ।"]

उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 22-7-99 की कार्यसूची की मद संख्या 20 (क) को जो बिना सदन को अभिसूचित किये उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित किये जाने तथा सदन द्वारा विनिश्चित समय सूची में परिवर्तन एवं सामान्य सहमति लिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना श्री लालजी वर्मा और राम औतार शाक्य की है ।

* श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 का नियम–228 देखें–'समय के बंटवारे में परिवर्तन'– सदन द्वारा विनिश्चित समय सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा ।

मान्यवर, कल जो कार्य सूची छपी थी उसमें 20(क) का कोई उल्लेख नहीं था । लेकिन मान्यवर, बीच में जब मद संख्या–20 चल रही थी उसके बीच एक अतिरिक्त कार्य-सूची बांटी गई जिसमें 20(क) का उल्लेख था और उस 20 (क) को शामिल करके मान्यवर, जो जिला नियोजन से सबंधित विधेयक है उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने के संबंध में है । मान्यवर, नियम–228 में दिया गया है कि सदन द्वारा विनिश्चित समय सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक कि सदन नेता द्वारा प्रार्थना न की जाय । मान्यवर, विशेष जोर दिया गया है कि वह मौखिक रूप से सदन को अभिसूचित करेंगे कि ऐसे परिवर्तन के लिये सामान्य सहमति है और अध्यक्ष सदन का अभिप्राय जानकर उस परिवर्तन को प्रवर्तित करेंगे ।

मान्यवर, इसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है कि कोई मंत्री अलग से आपसे अनुमति ले ले और उसके बाद सदन में प्रस्तुत कर दे । इसमें दिया है कि नेता सदन प्रार्थना करें और इस बात का भी उल्लेख करें कि सामान्य सहमति है, इसलिये इसको परिवर्तित किया जाय । इसके बाद सदन का अभिप्राय जानने के बाद ही वह परिवर्तन शमिल किया जायेगा । कल 20(क) का जो परिवर्तन किया गया वह न तो नेता सदन ने मौखिक रूप से इस बात की घोषणा की कि आम सहमति है, न कोई प्रार्थना ही की गई और न ही माननीय पीठ द्वारा उसकी आम सहमति प्राप्त की गई । इसमें सदन का अभिप्राय जाने बिना उसको रखने का काम किया गया जोकि निश्चित रूप से नियमों के विपरीत है और नियमों में जो परिवर्तन के संबंध में दिया गया है वह प्रभावित हुआ है । इस तरह से निश्चित रूप से यह औचित्य का प्रश्न बनता है । मेरा निवेदन है कि नियमों के विपरीत जो कल यहां पर कार्य किया गया है, उस पूरी कार्यवाही को जो नियमों के विपरीत है कल की कार्यवाही से निकालकर इस औचित्य के प्रश्न को स्वीकार करते हुए अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, हम सब लोग पीठ का आदर करते हैं और मान्यवर, आप हम लोगों के अधिकारों के संरक्षक हैं । जैसा कि आदरणीय लाल जी वर्मा ने कहा मैं उन सब चीजों को दोहराना नहीं चाहता । उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 की धारा 228 में नेता शब्द का प्रयोग किया गया है । नेता शब्द का प्रयोग जानबूझकर किया गया । अगर इसका प्रयोग नहीं किया जाता तो नेता के स्थान पर कोई भी मंत्री परिषद् का सदस्य माननीय पीठ से अनुज्ञा प्राप्त करने की याचिका कर सकता था । इसलिये जानबूझकर नेता शब्द का प्रयोग किया गया है । इस बात का अभिप्राय है कि जिस वक्त भी कार्य-सूची से अलग हटकर कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो निश्चित रूप से माननीय सदन में नेता सदन को मौजूद रहना चाहिये और माननीय नेता सदन को माननीय पीठ से याचना करनी चाहिये थी कि कार्य-सूची में रद्दो-बदल करे क्योंकि नये विधेयक प्रस्तुत किये जा रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं आदरणीय पीठ से जो निर्णय होते हैं नियम और संविधान के अनुरूप होते हैं । हिटलर का नाम लेना चाहता हूं उसने पहले कानून का उल्लंघन कर डिक्टेटरशिप कायम की उसी तरह से यह सरकार कानून को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है सही चीज का अनुसरण नहीं कर रही है । सही परम्पराओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है इसलिये यह निश्चित रूप से 228 का उल्लंघन है जहां तक अन्य का सवाल है कल आपने यह रूलिंग दी कि किसी विधेयक को प्रस्तुत करने के पहले प्रतियां बांटी जानी चाहिये लेकिन मेरी निश्चित जानकारी है कि जब यह विधेयक प्रस्तुत किया गया विधेयक का नाम है "उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति विधेयक, 1999" इसको आपाधापी में सदन में प्रस्तुत किया गया, जिसके द्वारा प्रदेश की करोड़ों जनता के भाग्य का फैसला होना था । पिजन होल में भी प्रतियां नहीं थीं ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक को इस तरह से प्रस्तुत किया जाना गलत है । इसमें 122, 123 और 114 का भी उल्लंघन हुआ है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण औचित्य का प्रश्न है सारा प्रकरण माननीय पीठ के संज्ञान में है इसलिये मैं आदरणीय पीठ से औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था चाहता हूं ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

यह दोनों प्रश्न कल भी उठाये गये थे । दोनों प्रश्नों को सुनने के उपरान्त माननीय पीठ से कुछ निश्चय किया गया जब पीठ की तरफ से कुछ निश्चय होता है, आदेश होते हैं तो उसको मानना उसको सम्मान देना हम सभी का कर्तव्य है । कल के निश्चय पर कोई टिप्पणी करना उचित प्रतीत नहीं होता है किसी प्रश्न की अनुज्ञा के बारे में अध्यक्ष जी के विनिश्चय पर आपत्ति नहीं की जानी चाहिये कल विनिश्चय हो गया आज आपत्ति कर रहे हैं । इन्टरपिटेशन का अधिकार अध्यक्ष को है हम लोगों को इसमें कोई अधिकार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

कल दिनांक 22-7-99 को उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-सूची में मद संख्या–20(क) के द्वारा उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित किया गया था । इस संबंध में मुझे एक लिखित अनुरोध प्राप्त हुआ था और जिस पर जो टिप्पणी थी वह इस प्रकार थी–"उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति विधेयक, 1999 के विधेयक की प्रतियां प्राप्त करने तथा संगत नियमों को शिथिल करते हुए आप अनुपूरक कार्य-सूची पर कृपया माननीय अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त करने का कष्ट करें" इस पर सचिव ने टिप्पणी लिखी थी मेरे लिये कि–संभवतः उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदित करना चाहें, और मैंने अनुमति दे दी थी । यह बात सत्य है कि नियम–228 में मौखिक रूप से अनुमति मांगनी चाहिये थी लेकिन इस प्रकरण में लिखित रूप से अनुमति मांगी गयी थी और जिसको मैंने दे दिया था । जहां तक शाक्य जी द्वारा यह आपत्ति उठायी गयी कि यह अनुमति नेता सदन द्वारा ली जाती है इस संबंध में विचारणीय है, विधेयकों का पुरःस्थापन मंत्रि परिषद् का कोई भी माननीय सदस्य कर सकता है । पुरःस्थापन माननीय मंत्री जी द्वारा किया गया और उसके पहले लिखित सूचना आयी थी । उसके

प्रारम्भ में यह कहा गया था कि सदन के नेता के द्वारा मुझे आपको यह सूचित करने के लिये कहा गया था । तो यह लिखित अनुमति मांगी गयी थी और वह नेता के अनुरोध द्वारा ली गयी थी । विधेयकों की प्रतियां माननीय सदस्यों के उपयोग के लिये रख दी गयी थीं । इसके पूर्व अनेकों अवसरों पर सदन के नेता द्वारा कार्य-सूची में अनुपूरक कार्यसूची में उसी दिन विधेयक प्रस्तुत किये जाने के दृष्टान्त उपलब्ध हैं । इस विधेयक में भी लिखित प्रार्थना आयी थी जो स्वीकार कर ली गयी थी । 8 मार्च, 99 को उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार विधेयक, 1999 पुरःस्थापित किया गया था । इसलिये मैं इस सूचना को उपरोक्त आधार पर निरस्त करता हूं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, चैम्बर में क्या हुआ इसकी नोटिस माननीय सदस्यों को नहीं है । लिखित सूचना का प्राविधान प्रक्रिया नियमावली में होना चाहिये । इसमें आदरणीय सदन की स्वीकृति लेनी चाहिये । यह स्पष्ट होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शाक्य जी ने यह भी आपत्ति की है कि मौखिक रूप से सदन को अभिसूचित किया जाना चाहिये जब ऐसी कोई प्रार्थना होती है तो उस पर सामान्य सहमति की भी आवश्यकता है और सदन का अभिप्राय भी जाना जाता है । यह बात सही है कि शाब्दिक दृष्टि से देखें तो नियम–228 में इसकी आवश्यकता है परन्तु व्यवहारिक दृष्टिकोण से यदि लिखित अनुमति मांगी गयी और वह स्वीकार कर ली गयी और वह सदन में पुरःस्थापित हो गया तो आज यह आपत्ति की गयी है वह उचित नहीं है । अतः इस सभी आधार पर मैं उपरोक्त सूचना को निरस्त करता हूं ।

अगली सूचना श्री श्रीराम पाल जी की ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में है । कल यह प्रश्न आया था और माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने भी कहा था । यदि घोषणा के अनुरूप विधायकों के प्रस्ताव पर कार्य नहीं हो रहा है तो इसको संज्ञान में लायें । आप इसको माननीय ऊर्जा मंत्री जी के संज्ञान में ले आयें । यह नियम–300 में नहीं आती है ।

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश अग्रवाल)–

मान्यवर, जो गांव दिये थे उसको सी० ए० डी० झांसी और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को दे दिया गया है । अगर सूचना आपके पास नहीं पहुंची है तो पहुंच जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री छोटे लाल गंगवार जी की है । यह माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बारे में हैं । स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध याचिका दाखिल की गयी उत्तर नहीं लगा तो यह कहां से नियम–300 में आ जायेगा ।

पूर्वांचल राज्यांश, दीन दयाल योजना, ग्रामीण पेयजल सहित विभिन्न योजनाओं में सत्तारूढ़ पार्टी के निवर्तमान सांसदों एवं सम्भावित प्रत्याशियों द्वारा बड़े पैमाने पर स्वीकृतियां जारी किये जाने तथा विपक्षी सदस्यों की उपेक्षा किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

तीसरी सूचना श्री विनोद मणि जी की है जो स्वीकृतियां जारी करने के संबंध में हैं ।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, यह जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें हम विधायकों के अधिकारों को रोककर जो निवर्तमान सांसद हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के सम्भावित उम्मीदवार हैं उनके प्रस्ताव पर सौ-सौ हैण्ड पम्प लगाये जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम–300 में कहां आती है । आप मंत्री जी के संज्ञान में ले आयें ।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, पूर्वांचल में जो राज्यांश की योजनाएं हैं दीन दयाल योजना है उसमें सम्मानित विधायकों को अपमानित किया जा रहा है और इसे चुनावी फण्ड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं । यह नियम–300 में नहीं आती है ।

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री अजय कुमार पोइया की है अगर सत्य से परे कोई उत्तर है तो उसके लिये आप निदेश संख्या–165–66 में सूचना दें । यह नियम 300 में नहीं आती है ।

* श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, सत्य से परे और ब्यूरोक्रेसी पर आधारित है जहां पुलिस मुल्जिम है एफ० आई० आर० लगा दी गई है । पूरा का पूरा प्रश्न इसमें खाली पड़ा है कहीं उत्तर नहीं दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे निरस्त करता हूं । आप 165-166 निदेश में दें ।

अगली सूचना श्री लाल मणि प्रसाद की है । वे अनुपस्थित हैं ।

अगली सूचना श्री आर० के० सिंह पटेल की है । अब अगर लखनऊ नगर निगम में अधिशासी अधिकारी का पद नहीं है तो यह नियम 300 में कहां आती है ? मैं इसे निरस्त करता हूं ।

कारगिल शहीदों के प्रति समुचित सम्मान न मिलने तथा उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता एवं सुरक्षा की कमी के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव और यही सूचना वकार अहमद शाह जी और गोपाल कृष्ण जी की है, कारगिल के शहीदों के प्रति सम्मान नहीं हो रहा है । यह नियम–300 में नहीं आती है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह नियम–300 में आयेगी, कृपया मुझे अवसर दें । बिना सुने अस्वीकृत करने का एकतरफा विचार होगा । इसमें संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन होता है ।

श्री अध्यक्ष–

कौन से अनुच्छेद का ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इस सदन में कोई संकल्प या प्रस्ताव आता है तो आपकी अनुमति से नेता सदन या कोई सदस्य उसे रख सकता है । माननीय नेता सदन ने कारगिल के शहीदों के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनकी शौर्य गाथाओं का उल्लेख करते हुए एक प्रस्ताव रखा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, वह प्रस्ताव सदन की भावनाओं के अनुरूप था और उस पर हम सभी ने अपने विचार व्यक्त किये थे और एक संकल्प लिया था कि जिन्होंने अपने कल को, अपने आज को हमारे कल के लिए कुर्बान किया जिन्होंने अपनी शहादत हमारे जीवन के लिए दी है उनके लिए पूरी प्रदेश सरकार एक मत से ऐसा कार्य करेगी और उनके शौर्य को हम समुचित रूप से सम्मान दे सकेंगे यह एक संकल्प था ।

श्री अध्यक्ष–

यह नियमावली के कौन से नियम में है जिससे सदन की कार्यवाही विनियमित होती हो ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह कार्यवाही का अंग है ।

श्री अध्यक्ष–

कार्यवाही का अंग होना और कार्यवाही का विनियमित होना दोनों अलग चीज है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, संविधान का अनुच्छेद 164(2) देख लें ।

श्री अध्यक्ष–

164(2) तो विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी होगा । इससे इस सदन की कार्यवाही विनियमित नहीं होती है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप अनुमति दे दें अगर नियम 300 में नहीं आयेगा तो ग्राह्य नहीं करियेगा ।

मान्यवर, भारत के संविधान के अनुसार सरकार घोषणा करती है तो उसके लिए मानकर चला जाता है कि विधान सभा के अन्दर जिससे सदन का कार्य विनियमित होता है आपने उसे स्वीकार कर लिया है और तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे । यह हुआ था कि शहीदों को सम्मान दिया जायेगा । शहीदों के शव आ रहे हैं और वहां कोई नहीं जा रहा है । यहां पर 100 से ज्यादा लोगों ने शहादत दी है किन-किन स्थानों पर मुख्यमंत्री जी गये हैं । मेरी जानकारी है कि एक दो स्थानों को छोड़कर कहीं नहीं गये हैं । राजस्थान, मध्यप्रदेश आदि प्रदेशों में मुख्यमंत्री गये हैं । मान्यवर, बहुत जगह तो शहीदों की अन्त्येष्टि हो गई और जिला स्तर का कोई अधिकारी तक नहीं उपस्थित रहा । यह निर्देशों का खुला उल्लंघन हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

आप दृष्टांत लाइये, शासन उस पर कार्यवाही करेगा । यह नियम 300 के अन्दर नहीं आता है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह सरकार कारगिल के वीरों को अपमानित करने का कार्य कर रही है ।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम–300 में नहीं आता है ।

विधान सभा

* श्री गोपाल कृष्ण–

मान्यवर, यह सर्वविदित है कि कारगिल, द्रास और बटालिक सीमा पर युद्ध में पाकिस्तानी घुसपैठियों को निकालने में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के ही जवान शहीद हुए हैं। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रदेश सरकार ने शहीदों की विधवाओं, बच्चों व अन्य आश्रितों को देश के अन्य प्रदेशों के समान सहायता नहीं प्रदान की है। भूमि आवंटन के नाम पर तालाबों को अथवा विवादित भूमि को आवंटित किया गया है जैसे उदाहरण के रूप में बहराइच जनपद में किया गया है। इससे उनके परिवारीय जनों के साथ सीमा पर लड़ रहे जवानों में तीव्र आक्रोश है प्रदेश की जनता जो जवानों को हर तरह से प्रोत्साहित कर रही है उसमें भी तीव्र रोष है।

मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के हवलदार श्री सुरेन्द्र सिंह की चिता के लिए वन विभाग ने लकड़ी तक नहीं दी और कोई मंत्री नहीं वहां पहुंचा।

श्री अध्यक्ष–

श्री प्रमोद कुमार और गोपाल कृष्ण को सुनने के पश्चात् इन दोनों सूचनाओं को मैं निरस्त करता हूं।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा सुने जाने का आग्रह किये जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

यह विषय सदन में पहले भी आ चुका है। माननीय प्रमोद कुमार जी तथा गोपाल कृष्ण जी ने आग्रह किया था, मुझे सदन में सुन लें, वरना मैं इसे कक्ष में ही निरस्त कर देता, यह नियम 300 में नहीं आती।

(श्री लालमणि प्रसाद के खड़े होने पर)

मैंने आपका नाम पुकारा था, उस समय आप थे नहीं।

(कई अन्य सदस्यों के खड़े होने पर)

कभी हमारे अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया कीजिये। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैंने एक बार अपनी व्यवस्था दे दी।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

आपकी बड़ी कृपा होगी, मुझे एक मिनट का समय दे दें। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस चालू सत्र के पहले उपवेशन में माननीय मुख्यमंत्री का प्रस्ताव आया था। प्रस्ताव की भावना और भाषा यह थी सरहद के इलाके से...

श्री अध्यक्ष–

आप यह बताइये, इससे इस सदन की कार्यवाही का विनियमन कैसे होता है।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, यदि प्रस्ताव के अनुरूप कार्य नहीं होगा तो सदन का औचित्य ही क्या रह जायेगा ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

बहुत सी चीजें प्रस्ताव के माध्यम से आती हैं, लेकिन उससे विनियमन नहीं होता है।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, सदन कोई संकल्प पारित करता है और यदि सरकार का उसके विपरीत आचरण होता है, तब हम इसकी याचना कहां करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

बहुत से दूसरे नियम हैं, उनमें आप सूचना दीजिये, लेकिन यह नियम–300 में नहीं आती ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

महाराजगंज के शहीद थापा का निधन हुआ, कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां नहीं गया ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने सुन लिया और सूचना को निरस्त भी कर दिया है । मैंने अपनी राय प्रकट कर दी, आपने जितनी बातें कहीं, उससे सदन की कार्यवाही का कहीं विनियमन नहीं होता है ।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव के पुनः खड़े होने पर)

माननीय नेता विपक्ष खड़े हुये हैं, आप उनकी भी बात नहीं सुनना चाहते हैं ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

यह सही है कि यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है लेकिन जिस तरीके से प्रस्ताव माननीय नेता सदन ने किया था, हम सब लोगों ने उसका जोरदार समर्थन किया था और उसी भावना को लेकर आज हमारे माननीय सदस्यों ने नियम–300 के अन्तर्गत यह प्रश्न रखा है और इसलिये रखा है कि उस भावना की पूरी-पूरी तरह से कद्र हो, जो माननीय नेता सदन ने उस दिन कहा था । बार्डर पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को भगाने में जो हमारे सैनिक शहीद हुये, उनके आश्रितों, उनकी विधवाओं को भरपूर सहायता दी जायेगी । मैं एक ही आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सरकार को निर्देश दें जो लोग कारगिल में शहीद हुए हैं, उनकी ससम्मान अन्त्येष्टि की जाय । मैं इटावा की बात बताना चाहता हूं, वहां पर एक शव आने वाला था, लेकिन उस दिन नहीं आया था, उसकी अन्त्येष्टि के समय कोई मंत्री मौजूद नहीं था, कोई अधिकारी मौजूद नहीं था तो निश्चित रुप से उसका अपमान होता है, शहीदों का अपमान होता है, जिन्होंने अपने जीवन को हमारे लिये न्योछावर कर दिया है, उनको जमीन आदि दी जा रही है वह बेकार किस्म की दी जा रही है, तालाबों की जमीन दी जा रही है, बंजर जमीन दी जा रही है, तो मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार से इस प्रकार के निर्देश जारी करा दें, जो उनको सहायता दी जाये, वह ठीक प्रकार से दी जाये और मैं चाहता हूं कि जो हमको वेतन मिलता है वह एक महीने का उन्हें देने की घोषणा करता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विपक्ष ने अनुरोध किया है कि शहीदों के लिए जो भावनायें हैं, जो व्यक्त की गयी हैं, उनके अनुरुप शासन के अधिकारी या मंत्री शहीदों की अन्त्येष्टि में नहीं जाते हैं, तो कृपया आप इसको देख लें, इस मामले में संवेदनशील रहें और जो कार्यवाही आप को करनी हो वह कर लें ।

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)-

श्रीमन्, कारगिल में जो जवान शहीद हुये हैं उनके प्रति हम नतमस्तक हैं हमारे मन में उनके प्रति सम्मान है, हमारी रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके परिवार वालों के लिये जो कुछ किया है वह श्रद्धा का प्रतीक है, वतन के लिये उन्होंने अपने प्राण दिये हैं, देश की रक्षा को लेकर उन्हें प्रेरणा मिली है कि वह दुश्मन से लड़े । मैं बताना चाहता हूं कि शहीदों

की विधवाओं के लिये 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया है और अगर उनकी विधवा नौकरी करना चाहती है तो नौकरी दी जायेगी और अगर नहीं करना चाहती है तो 5000 रुपये मासिक पेंशन देने का निर्णय लिया गया है और उनके माता पिता को 2500 रुपये मासिक पेंशन स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं और माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि सरकार के जितने भी देय हैं शहीदों के परिवारों के, श्रीमन् उनको माफ कर दिया गया है और जहां तक कारगिल में शहीद हुये जवानों के सम्मान का प्रश्न है, उनके सम्मान के प्रदर्शन की बात है, जहां कहीं पर सम्मान का प्रदर्शन नहीं किया गया है उसको देख लिया जायेगा। सरकार का शहीदों के प्रति पूरा-पूरा सम्मान है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा उपलब्ध (प्रकाशित) करायी गयी उत्तर प्रदेश वार्षिकी 1999 में जनपद संत कबीर नगर एवं अम्बेडकर नगर तहसीलों की संख्या सही रूप में मुद्रित न होने तथा उसमें कई त्रुटियां होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

जो वार्षिकी प्रतियां माननीय सदस्यों को दी गयी हैं, यदि उनमें किसी प्रकार की कोई गलत बात छपी है तो उसका इस सदन की कार्यवाही के संचालन से किस प्रकार से सम्बन्ध है, यह नियम 300 में कैसे आयेगा ? मैंने इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आप मेरी बात को सुन लें। जो सूचनायें वार्षिकी में दी गयी हैं, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा जो सूचना इस वार्षिकी में छपी है, वह गलत है, इसका असर हम पर पड़ेगा और जनता पर पड़ेगा, जनता को तो पता नहीं है कि सूचना गलत छप गयी है, वह तो उस पर विश्वास कर लेगी, ऐसी दशा में यदि इस प्रश्न को हम यहां पर नहीं उठायेंगे, तो और कहां पर उठायेंगे ? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, जनपद सन्त कबीर नगर में केवल एक ही तहसील को दिखाया गया है, वहां पर तीन तहसीलें हैं, इस तरह से इसमें तमाम गलतियां हैं, विधान सभा के सदस्यों को तमाम गलत सूचनायें दी गयी हैं। आप इसको सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 में कैसे आयेगा। आप ही बता दें। मैं इसको निरस्त करता हूं और शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूं।

मंत्रि परिषद् के निर्णयानुसार अशासकीय विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने किन्तु पर्वतीय क्षेत्र के विद्यालयों को उससे वंचित रखे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मेरी बात को सुन लिया जाये, मैं नियम 300 के अन्तर्गत आपका संरक्षण चाहता हूं। वहां पर बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एक ही फैसला है.....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मैंने इस ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । मान्यवर, मेरी बात को सुन लिया जाय । मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 162(2) देखें तो उसके अन्दर इस बात की व्यवस्था है । मान्यवर, राज्य की मंत्रि परिषद् होगी, वह संयुक्त रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होगी । मान्यवर, मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश की मंत्रि परिषद् ने जो फैसला लिया है, कि जो अशासकीय विद्यालय हैं, उनको अनुदान सूची में रखा जाएगा, लेकिन इस फैसले का उत्तराखण्ड में पालन नहीं किया जा रहा है । उनको अनुदान सूची में नहीं रखा जा रहा है, जिससे वहां के स्कूलों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने इस सूचना को नियम 51 में परिवर्तित कर दिया है ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । मान्यवर, कानून सबके लिए बराबर है, मान्यवर, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है । मैं कह रहा था कि जो विधि है, उसके सामने सभी को समानता मिलनी चाहिए, सभी को समान अधिकार है, सभी को बराबर का माना जाएगा । दूसरी जगह जूनियर हाई स्कूलों को लिया जा रहा है, लेकिन उत्तराखण्ड में नहीं लिया जा रहा है । आपका निर्देश हो जाए, सरकार का बयान आ जाए । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । अगर इस प्रकार के महत्वपूर्ण सवाल को यहां पर नहीं उठायेंगे तो हम कहां जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

इसको महत्वपूर्ण समझकर ही मैंने नियम 51 में परिवर्तित कर दिया है ।

श्री मुन्ना चौहान–

मैं कह रहा था, सभी को समान अधिकार है, सभी को समान माना जायेगा लेकिन उत्तराखण्ड में ऐसा नहीं किया जा रहा है इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहां पर उठाया है, आपका संरक्षण चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 की सूचना को नियम 51 में परिवर्तित करके शासन का ध्यान आकृष्ट करा रहा हूं और यदि कोई विभेद उत्पन्न हो रहा है तो वह समाप्त हो जायेगा । शासन द्वारा हैण्ड पम्पों को लगाने की घोषणा किये जाने के बावजूद बजट में प्राविधान न किये जाने सम्बन्धी श्री मुन्ना चौहान एवं श्री अम्बरीष कुमार के औचित्य के प्रश्न की सूचना को यथोचित कार्यवाही हेतु शासन को भेज दिया जायेगा ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 23 जुलाई, 1999 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 80 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 65 माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की जाती हैं ।

वाराणसी में भेलूपुर स्थित पावर हाउस की भूमि पर एक 132 के०वी०ए० सब स्टेशन का अविलम्ब निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

[मान्यवर, वाराणसी नगर की आबादी, औद्योगिक आवश्यकता एवं सामान्य वर्ग के लोगों हेतु घरेलू उपयोग के लिए बिजली की आवश्यकता की दृष्टि से आपूर्ति हेतु वर्तमान में स्थापित सब-स्टेशनों की क्षमता अपर्याप्त है । भेलूपुर स्थित पावर हाउस की अपनी बहुत बड़ी जमीन उपलब्ध है जहां पर नगर की आवश्यकता को देखते हुए एक 132 के०वी०ए० सब स्टेशन के निर्माण हेतु मैंने ऊर्जा मंत्री एवं मा० मुख्य मंत्री जी को पत्र द्वारा अनुरोध किया है । इस सम्बन्ध में अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद्, सदस्य, वितरण तथा वाराणसी के क्षेत्रीय अभियन्ताओं से भी बात की है और सभी लोगों ने आवश्यकता की दृष्टि से सब स्टेशन के निर्माण में अपनी सहमति व्यक्त की है । लेकिन सब स्टेशन के निर्माण की दिशा में तकनीकी टीम भेजकर सर्वे आदि सम्बन्धी कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है जो अति आवश्यक है । यदि अविलम्ब उक्त सब स्टेशन के निर्माण हेतु आवश्यक कदम तत्काल नहीं उठाये गये तो आने वाली गर्मी में वाराणसी नगर की विद्युत आपूर्ति की स्थिति बिल्कुल चरमरा जायेगी ।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मा० सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए वाराणसी में भेलूपुर स्थित पावर हाउस की जमीन पर एक 132 के०वी०ए० सब स्टेशन के निर्माण कार्य को अविलम्ब कराये जाने हेतु उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को निर्देश दिये जाने की मांग करता हूं ।]

लखनऊ नगर निगम के पूरे क्षेत्र से पशुओं को बाहर किये जाने सम्बन्धी मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ के आदेशों का कार्यान्वयन कराये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मस्तराम–

[मान्यवर, आपके माध्यम से लोकहित के अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे को शासन के संज्ञान में लाते हुए त्वरित कार्यवाही की मांग करता हूं । मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ द्वारा दिनांक 27-5-99 को एक पशुपालकों की रिट याचिका में आदेश किया है कि लखनऊ नगर निगम के पूरे क्षेत्र से पशु एक माह के भीतर दी गयी जगहों पर अथवा अन्य जगहों पर चले जायें अन्यथा लखनऊ के जिलाधिकारी एवं मुख्य पुलिस अधीक्षक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि पशु दि० 27-7-99 तक शहर सीमा से बाहर कर दिये जायें । इसकी रिपोर्ट दि० 27-7-99 को उच्च न्यायालय को देनी हैं इसमें लखनऊ नगर के मुख्य नगर अधिकारी सहयोग करेंगे ।

अतः प्रश्नगत मामले में शासन से मा० उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ताओं एवं अध्यापकों की शीघ्र नियुक्त किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री भारत सिंह रावत-

[मान्यवर, जनपद पौड़ी गढ़वाल में कई वर्षों से राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक, प्रवक्ता व प्रधानाचार्य नहीं हैं जिससे शिक्षण कार्य बाधित हो रहे है । 80 प्रतिशत

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इण्टरमीडिएट कालेजों में विज्ञान / जीव विज्ञान, वाणिज्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों में प्रवक्ता वर्षो से नहीं हैं । इन विषयों को पढ़ाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है । सारी शिक्षण व्यवस्था ठप्प पड़ गयी है । इन विषयों के प्रवक्ता न होने से छात्र छात्राओं एवं जनता में भयंकर रोष व्याप्त है । कई विद्यालय बन्द होने की स्थिति में हैं । छात्र/छात्राओं को इस महत्वपूर्ण विषय में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है जिससे अभिभावक एवं छात्र/छात्रायें चिन्तित हैं ।

अतः आपसे निवेदन है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन को अविलम्ब प्रवक्ताओं एवं अध्यापकों की नियुक्ति देनेहेतु निर्देश देने की कृपा करें ।

कन्या जूनियर हाईस्कूल मनकापुर, गोण्डा के परिसर को गलत तरीके से नीलाम किये जाने की जांच कराने तथा विद्यालय के भवन का निर्माण कराये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम विशुन आजाद-

[मान्यवर , आपको अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के नगर पंचायत मनकापुर में एक कन्या जू० हा० 1952 से चल रहा है । क्षेत्र का एकमात्र जूनियर हाईस्कूल है परन्तु किन्हीं कारणोंवश जिला पंचायत गोण्डा द्वारा बहुत ही कम दामों में जूनियर हाईस्कूल के परिसर को नीलाम कर दिया । एक तरफ जहां सरकार लड़कियों के लिए शिक्षा देने की बात करती हैं वहीं दूसरी तरफ शिक्षा परिसर को जिला पंचायत द्वारा ढहाया जा रहा है । इस सत्र में लड़कियों के पढ़ने के लिए न भवन ही है और न ही स्कूल । क्षेत्रीय जनता में इन स्थितियों को देखकर काफी तनाव हैं ।

मैं आपके माध्यम से सदन से मांग करता हूं कि कन्या जूनियर हाईस्कूल मनकापुर जो गलत तरीके से नीलाम किया गया है उसकी जांच करवाई जाये और ईंटों को उखाड़ा जा रहा है उन्हें तत्काल रोक दिया जाये और पुनः उक्त स्थान पर कन्या जूनियर हाईस्कूल का भवन निर्माण कराया जाये ।]

श्री सुरेश कुमार निवासी ग्राम कटुवा नाला थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के पैतृक मकान के निर्माण में उसी गांव के कुछ दबंग व्यक्तियों एवं पुलिस द्वारा उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम स्वरूप सिंह–

[मान्यवर, दिनांक 20 जून, 1999 को श्री सुरेश कुमार एवं श्री दिनेश कुमार पुत्रगण श्री अयोध्या प्रसाद अपने मूल निवास ग्राम व पो० कटुवा नाला थाना कौड़िया जनपद गोण्डा में अपने पैतृक मकान का निर्माण शान्ति प्रिय ढंग से करा रहे थे चूंकि इन लोगों के पिता जो कि श्री अयोध्या प्रसाद चपरासी जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी विधान मण्डल दल में कार्यरत हैं उनकी पत्नी श्रीमती पुष्पा तथा पुत्री कु० ममता तथा उपरोक्त दोनों पुत्र मिलकर मकान का निर्माण करा रहे थे । मकान की बैठक का निर्माण चल रहा था, उसी समय गांव के ही श्री वंशराज सिंह, सुखराज सिंह, पुत्रगण स्व० भभूती सिंह एवं साधू सिंह व बजरंग सिंह पुत्रगण श्री वंशराज सिंह, हुकुम सिंह, हाकिम सिंह पुत्र सुखराज सिंह प्रातः सात बजे के लगभग घर में घुस आये ।

घर में घुसने के बाद इन लोगों ने श्री अयोध्या प्रसाद के दोनों पुत्रों, पत्नी व लड़की को लाठी व डण्डों से बुरी तरह से मारा पीटा और इतना मारा कि श्रीमती पुष्पा के मुंह से खून गिरने लगा । सर में भी काफी चोटें आयी हैं । उसके पश्चात् वह लोग घर से निकल गये और उन्हें उल्टे थाने पर जाकर मनगढ़न्त रिपोर्ट दर्ज करायी चूंकि श्री अयोध्या प्रसाद वहां मौजूद नहीं थे । जिसके कारण घायलों को ले जाकर कोई रिपोर्ट लिखाने वाला भी नहीं था उसी दिन इन दबंग व्यक्तियों की शह पर शाम पांच बजे थाना कौड़िया की पुलिस आयी जिसको इन लोगों द्वारा अपनी चोटें दिखायी । पुलिस श्री अयोध्या प्रसाद के दोनों लड़कों को पकड़कर थाने ले गयी तथा पत्नी को सैकड़ों गाली दी तथा धमकाकर/डराकर गयी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

और दोनों पुत्रों को पुलिस ने अत्यधिक मारा पीटा एवं धारा 107/16 में लाकअप में बन्द कर दिया। मालूम होने पर इस प्रकरण में श्री अयोध्या प्रसाद द्वारा लिखित प्रार्थना-पत्र दिनांक 21 जून, 1999 को मा० राजकुमार अग्रवाल, एम०एल०सी० द्वारा प्रमुख सचिव गृह को भेजा गया तथा दिनांक 21 जून, 1999 को ही डी०जी०पी०, उ० प्र० एवं पुलिस अधीक्षक, गोण्डा, थानाध्यक्ष, कौड़िया गोण्डा को एक पत्र मा० राम सुमेर यादव एम०एल०सी० द्वारा भी मामले की जांच के लिए भेजा गया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। उपरोक्त मा० सदस्यों द्वारा तथा अन्य सभी प्रार्थना-पत्र, थानाध्यक्ष, कौड़िया द्वारा दबा दिया गया है।

महोदय, मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के माध्यम से ध्यान आकर्षित कराकर तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं जिससे दोषी थानाध्यक्ष एवं अन्य के खिलाफ कार्यवाही कर दण्डित करने की भी मांग करता हूं।]

लखनऊ माल एवेन्यू स्थित इस्लामिया कब्रिस्तान की सुरक्षा कराने की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कौकब हमीद–

[मान्यवर, आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार एवं सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। लखनऊ माल एवेन्यू स्थित इस्लामिया कब्रिस्तान (वक्फ 83) में मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद भी ट्यूबवेल का निर्माण कार्य कराया गया जब कि मौजूदा मा० मुख्य मंत्री जी ने उक्त कब्रिस्तान के सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्य मंत्री कु० मायावती को दिनांक 13 जुलाई, 1995 को एक पत्र लिखा था कि मा० उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाये और यह भी लिखा था कि इस्लामिया कब्रिस्तान एक वक्फ सम्पत्ति है, नगर निगम के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है इसलिए नगर निगम द्वारा इसके कुछ भाग का किया गया कर निर्धारण व नामान्तरण रद्द किया जाये और भविष्य में नगर निगम द्वारा इस कब्रिस्तान में बेजा हस्तक्षेप न किया जाये। कमेटी के सदस्यों व परिवार वालों पर इस कब्रिस्तान के सम्बन्ध में थाना हुसैनगंज व थाना कैण्ट में जो मुकदमें दर्ज हैं उन्हें वापस लिया जाये तथा कब्रिस्तान की जमीन पर से तत्कालीन अतिक्रमण हटाया जाये और उसकी सुरक्षा के लिए सरकार चहारदीवारी बनवाने में कमेटी की सहायता करें परन्तु वर्तमान में मा० मुख्य मंत्री जी जब स्वयं कुर्सी पर बैठे फिर भी उक्त कब्रिस्तान पर अतिक्रमण बरकरार है।

अतः आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार उक्त मामले में शीघ्र प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।]

बाबा राघव दास मेडिकल कालेज गोरखपुर में भर्ती हुए विधायक श्री दीप लाल भारती के उपचार में शिथिलता बरते जाने तथा अस्पताल की दुर्व्यवस्थाओं की शिकायत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिव पूजन राम–

[मान्यवर, प्रदेश के पूर्वांचल गोरखपुर कमिश्नरी में एक मात्र मेडिकल कालेज हैं, जिसका पूरा नाम बाबा राघव दास मेडिकल कालेज, गोरखपुर है जो क्षेत्रीय जनता की सेवा के लिए है परन्तु एक दो वर्ष से लगातार अपनी दुर्व्यवस्थाओं के कारण बदनाम हो चुका है इसका खुलासा तब हुआ है जब कुशीनगर

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद के नेबुआ नौवरंगिया क्षेत्र के मा० विधायक श्री दीप लाल भारती जो 13-4-99 को अचानक बीमार (गम्भीर रूप) से हो गये और प्रा० स्वा० केन्द्र खंड्डा के प्राथमिक उपचार केन्द्र जिला चिकित्सालय पडरौना में उपचार कराने गये तो वहां आवश्यक सुविधा उपलब्ध न होने तथा वी०आई०पी० कमरे न होने के कारण उनके एम्बुलेंस से मेडिकल कालेज गोरखपुर के लिए रिफर किया गया। पडरौना के चिकित्सकों के दल एवं सहयोगी पार्टीजनों के साथ मेडिकल कालेज गोरखपुर पहुंचाया गया तो इमरजेंसी में दाखिला बड़ी मुश्किल से होने के बाद दो घण्टे तक उन्हें फर्श पर लिटाये रखा गया तथा देख-रेख करने वाला कोई डाक्टर या कर्मचारी नहीं आया जब कि जिलाधिकारी, कुशीनगर ने उक्त मा० विधायक के बारे में मा० मुख्य मंत्री जी को अवगत कराया था। मा० विधायक दीपलाल भारती की हालत बिगड़ती चली गयी तो वहां से डिस्चार्ज कराकर शहर के ही गर्ग नर्सिंग होम गोरखपुर में कमरा नं० 13 में भर्ती कराया गया जहां एक सप्ताह तक भर्ती होकर इलाज कराने के बाद स्वास्थ्य लाभ हुआ।

अस्तु जनहित में ऐसे ज्वलन्त प्रकरण को सरकार के संज्ञान में पहुंचाकर आशा किया जाता है कि ऐसे जनप्रिय मा० विधायक के जान के साथ खिलवाड़ करने वाले दोषी चिकित्सक एवं कर्मचारियों को कठोर दण्ड दिया जाये ताकि भविष्य में आम जनता के साथ इसकी पुनरावृत्ति न हो सके।]

जनपद कुशीनगर के निर्वाचन क्षेत्र बेलवा रजबहा में जीर्ण-शीर्ण सिंचाई नहर को सड़क के रूप में परिवर्तित किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री दीपलाल भारती–

[मान्यवर, नेपाल बिहार से निकलने वाली बड़ी गण्डक नदी से बड़ी गण्डक सिंचाई नहर निकलती है जिससे हजारों एकड़ कृषि भूमि सिंचित होती हैं। वहीं मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बेलवा रजबहा में विगत 3-4 वर्षों से पानी नहीं चढ़ता है जिसके कारण विकास खण्ड नेबुआ नौरंगिया अन्तर्गत ग्राम बलुही देवतहां, रामपुर, बरईपट्टी जाने वाली सिंचाई नहर बेलवां रजबहा में पानी नहीं पहुंचता और सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि असिंचित रह जाती है और कृषि उत्पादन घटता जा रहा है तथा कृषक आन्दोलित हैं। वहीं अन्य सिंचाई नहरों में 15–20 वर्ष से पानी नहीं चढ़ता अर्थात् काफी ऊंची हो गयी हैं और टूटकर सड़क के रूप में परिवर्तित होती जा रही है। उदाहरण के लिए ग्राम मड़ार विन्दवलिया, क्रान्तिकारी चौराहे से दक्षिण कुर्मी पट्टी की ओर से जाने वाली जीर्ण-शीर्ण सिंचाई नहर को देखा जा सकता है। जनता ने मांग की है कि अगर सरकार कृषकों को उपज बढ़ाने के लिए नहर से पानी नहीं दे पा रही है तो उक्त अनुपयुक्त सिंचाई नहर को सड़क के रूप में परिवर्तित कर जनहित में सरकार यथोचित निर्देश जारी करें।]

न्यायालय मुंसिफ हवाली जूनियर डिवीजन लखनऊ में लिपिक के पद पर कार्य करने वाले श्री दीवानी राम आर्य के खो जाने तथा उनका पता लगाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री छोटे लाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन के संज्ञान में यह महत्वपूर्ण सूचना नियम 301 के अन्तर्गत लाना चाहता हूं। श्री दीवानी राम आर्य, आर-एस–11/321 एल०डी०ए० कालोनी टिकैतराय, लखनऊ जो न्यायालय मुन्सिफ हवाली जूनियर डिवीजन लखनऊ में लिपिक के पद पर कार्यरत थे जो कि दिनांक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

7-6-99 को कार्यालय गये परन्तु उसके बाद से घर नहीं पहुंचे इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना खालाबाजार लखनऊ में रिपोर्ट संख्या 195/99, दिनांक 14-6-99 को अंकित करा दी गयी हैं । इसी सम्बन्ध में दूरदर्शन केन्द्र में फोटो प्रकाशित हेतु भी दे चुके हैं किन्तु अभी तक श्री दीवानी राम आर्य का कोई पता नही चल सका है जब कि इनकी पत्नी एवं छोटे-छोटे बच्चे काफी परेशान हैं ।

अतः मैं आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करता हूं कि श्री दीवानी राम आर्य का पता लगाने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारी को देकर सम्पूर्ण विवरण इस सदन के पटल पर रखने हेतु अनुरोध करता हूं ।]

जनपद बदायूं के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् बिल्सी के मु० नं० 5 पर पालिका की भूमि पर अवैध कब्जों को छुड़ाने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भोला शंकर मौर्य–

[मान्यवर, बिल्सी विधान सभा जनपद बदायूं के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् बिल्सी के मु०नं०–5 पर पालिका की भूमि के ऊपर जिस पर की खड़ण्जा लगा हुआ था तथा नाला भी बना था नाला पाटकर तथा खड़ण्जा उखाड़कर उसका जल निकास बन्द होने के कारण जल भराव की समस्या भी उत्पन्न हो गयी हैं इस पर भी इसी मुहल्ले के सर्वश्री चरन सिंह व श्री तेजेन्द्र पाल सिंह ने माह अप्रैल-मई, 1999 में अवैधानिक रूप से पालिका बिल्सी की अध्यक्ष से मिलीभगत करके उक्त लाखों रुपये की मूल्यवान भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया और उस पर अवैधानिक रुप से निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिसके कारण सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर कब्जा होने के कारण जल भराव तथा वहां के निवासियों को जन सुविधाओं से वंचित होने के कारण नगर के निवासियों में गहरा रोष एवं आक्रोश व्याप्त है । स्थिति किसी भी समय विस्फोटक हो सकती है जिसके कारण नगर में तनाव उत्पन्न हो सकता है । मामला तात्कालिक है तथा सार्वजनिक एवं लोक महत्व का होने के कारण इस प्रकरण पर चर्चा कराना आवश्यक है तथा अवैधानिक कब्जा हटाना भी लोकहित में होगा ।

अतः मांग करता हूं कि इस लोक महत्व एवं अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन में चर्चा करायी जाये तथा नगर पालिका बिल्सी जनपद बदायूं के मु०नं०-5 पर अवैधानिक कब्जे को तत्काल हटाया जाये तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये जिससे कि सरकारी भूमि पर कब्जा न हो सके तथा जलभराव की समस्या उत्पन्न न हो सके ।

जनपद कुशीनगर के उत्तर नगर पंचायत खड्डा के अध्यक्ष द्वारा पिछड़ी जाति का फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर कार्यवाही की मांग के संबंध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना

श्री पूर्णमासी पंकज--

[मान्यवर, जनपद कुशीनगर के उत्तरनगर पंचायत खड्डा (कुशीनगर) बड़ी गण्डक नदी के किनारे दलित बाहुल्य क्षेत्र में स्थित हैं । जहां के अध्यक्ष पद के आरक्षित पिछड़ी जाति सीट पर फर्जी पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर निर्वाचन हुआ है तथा जांचोपरान्त जाति प्रमाण पत्र फर्जी साबित हो चुका है तथा फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने वाले दोषी राजस्व कर्मी दण्डित भी हो चुके हैं । उक्त निर्वाचित अध्यक्ष श्री राजकुमार डालमियां द्वारा अनेक अनियमिततायें कर सरकारी नियमों का उल्लंघन कर सरकारी धन का लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है । मैनुस्पल्टीज ऐक्ट 1994 के विरुद्ध भी उक्त अध्यक्ष ने जिलाधिकारी कुशीनगर के दिनांक 8/2/99 पत्रांक सं० 6594/एल०बी०सी०-99 द्वारा ज्ञात हुआ है कि क्रमांक 4 में अध्यक्ष ने सितम्बर, 1998 त० मू० 65,618-00 (पैंसठ हजार छः सौ अट्ठारह

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

रुपये) यात्रा भत्ता के नाम पर गलत तरीके से भुगतान लिया गया है । इस प्रकार उक्त नगर पंचायत के दोषी अध्यक्ष को तत्काल पद्च्युत कर हड़पे हुए सरकारी धन की वसूली किये जाने का उचित निर्देश मा० नगर विकास मंत्री ने दिया है ।

इस प्रकार के जनहित के प्रकरण को सरकार के संज्ञान में पहुंचाकर पिछड़ी जाति के आरक्षित अध्यक्ष पद पर गैर पिछड़ी जाति के व्यक्ति द्वारा हथियाये जाने तथा वित्तीय अपराध करने के व्यक्ति को कठोर दण्ड दिया जाये ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो सके ।

अहिबरनपुर सीतापुर रोड, लखनऊ स्थित तपस्वीनगर मुहल्ले में लगे विद्युत पोलों पर थ्री फेस लाइन शीघ्र कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गणेश राजभर-

महोदय आपको अवगत कराना है कि तपस्वीनगर (देवकी नर्सिंग होम के पीछे) अहिबरनपुर, सीतापुर रोड, लखनऊ स्थित मुहल्ले में लगे उन पोलों पर मात्र एक फेस की लाइन दौड़ाई गयी है । परिणामस्वरूप रात्रि में प्रकाश नहीं के बराबर हो जाता है जिससे रोशनी की कमी के साथ-साथ अवांछनीय तत्वों को बढ़ावा मिलता है और मकानों में आये दिन चोरियां होती रहती हैं । इसके संबंध में थ्री फेस करने हेतु उच्चादेश भी स्थानीय अधिकारियों के पास दो वर्ष पूर्व ही जा चुका है ।

अतः विनम्र अनुरोध है कि उक्त जनहित के कार्य को सदन के संज्ञान में लाकर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये उक्त विद्युत पोलों पर थ्री फेस कराने संबंधी आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र किये जाने की मांग करता हूं ।]

सरकारी सेवकों के गैर सरकारी संस्थाओं में कार्यरत पतियों/पत्नियों के उपचार में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने की मांग के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अखिलेश सिंह –

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार एवं सदन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि उ०प्र० सरकार द्वारा शासनादेश सं० 2428/5-7-97-299/960 दिनांक 25 जुलाई, 1999 चिकित्सा अनुभाग -7 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी सेवकों एवं सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रितों को उनके उपचार हेतु होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु प्राविधान है परन्तु जिन सरकारी सेवकों की पत्नियां अथवा पति सरकारी सेवक न होकर किसी गैर सरकारी सेवा में कार्यरत है उनके उपचार पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने का प्राविधान शासनादेश में नहीं हैं जब कि सरकारी सेवकों के गैर सरकारी संस्थाओं में कार्यरत पत्नियों/पतियों के उपचार पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति का प्राविधान भी सरकार को करना चाहिये ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर उपरोक्त समस्या के समाधान हेतु प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित विषाक्त खतरनाक जी०एच०सी० लिण्डेन, बेन्जीक्लोर, गैमक्सीन तथा हैक्साफ्लोर आदि प्रतिबन्धित रसायनों के खुले बाजार में उपलब्ध होने से जन-जीवन को खतरा उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय गर्ग–

[मान्यवर, इस सदन के माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर आपका ध्यान उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान ने गन्ना किसानों की अधिकारियों और कर्मचारियों ने गन्ना उत्पादन की बेहतर

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पैदावार से सम्बन्धित नई-नई जानकारियां उपलब्ध कराने के इरादे से प्रकाशित होने वाले अपने त्रैमासिक प्रकाशन गन्ना समाचार के मात्र 1998 विशेषांक में कीट नियंत्रक के लिए बी०एच०सी० नामक उस रसायन की सलाह दी है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू०एच०ओ०) द्वारा घोषित विषाक्त खतरनाक रसायनों में क्लास–2 श्रेणी के रसायन के रूप में सूचीबद्ध किया है तथा जिस पर केन्द्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 1997 से ही पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जा चुका है । बाजार में यह दवा बी०एच०सी० लिण्डेन, वेन्जीक्लोर, गैमक्सीन तथा हैक्साफ्लोर आदि नामों से उपलब्ध है । इस रसायन को कैंसरजनक, प्रजनन प्रणाली को नुकसान पहुंचाने वाले तथा यकृत को क्षति पहुंचाने वाले रसायन के रूप में जाना जाता है । इसके अलावा यह रक्ताल्पता (एनीमियां) वीनमेरी संक्रमण के लिए भी जिम्मेदार हैं । प्रतिबन्धन के बावजूद भी इस दवा का धड़ल्ले से आज भी बाजार में उपलब्ध होना तथा सरकार समाचार-पत्रों द्वारा इसका प्रचार-प्रसार करने के कारण किसानों द्वारा कीट नाशक नियंत्रण, दीमकों से छुटकारा पाने, अंकु बेधक सूटबरेर काला निकट (ब्लैक बग टिड्डा) गास हायर तथा पायरिला रोगों की रोकथाम के लिए इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कई जानलेवा हृदयविदारक घटनायें घटी हैं तथा इसे इस्तेमाल करने वाले आम किसानों की जान को खतरा बना हुआ है पिछले सप्ताह जनपद सहारनपुर में इसके इस्तेमाल के कारण ही एक खेतिहर को अपनी जान गवांनी पड़ी ।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं ।]

आजमगढ़ के फूलपुर क्षेत्र में विद्युत निर्माण कार्य के रुक जाने से जनता में असन्तोष व्याप्त होने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम नरेश यादव–

[मान्यवर, सन् 1993 में घोषित विद्युत योजना अधर में इस समय लटक गयी है क्योंकि चहारदीवारी बनने तथा मशीनों के रखने के स्थान के निर्माणों के पश्चात् कार्य रोक दिया गया है । खर्च बढ़ता चला जा रहा है इसे पूरा नहीं किया जा रहा है एवं 132 के०वी० की दूसरी परियोजना सस्ती लोकप्रियता के लिए आसन्न चुनाव को ध्यान में रखकर अभी हाल में ही शिलान्यास भी कर दिया गया है । फूलपुर के इस विद्युत निर्माण कार्य के रुक जाने से जनता में असन्तोष व्याप्त है । कई बार धरना प्रदर्शन भी जनता ने करके मा० मुख्य मंत्री एवं ऊर्जा मंत्री को ज्ञापन भी दिया है । यह निर्माण कार्य मेरे विधान सभा क्षेत्र का है इसके निर्माण कार्य के सम्पन्न होने पर पास पड़ोस के सभी गांवों को बिजली मिल सकेगी जिससे इस समय लोग वंचित हो रहे हैं ।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर आपका एवं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देशित करें कि वह अधूरे निर्माण को जल्द ही सम्पन्न करे ।]

जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में चन्दाबारा सबादा मार्ग का शीघ्र डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना है कि जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में चन्दावारा सबादा मार्ग जो लगभग 18 वर्षों से मात्र सोलिंग से बिछा हुआ पड़ा है इस मार्ग से एक दर्जन ग्राम जैसे इद्दावर, जिउलांडेग, धरीखेड़ा, पिपरवाडेरागडौली, सबादा महबग, हरीडेग, खेवनदेरा रामदयाल डेरा के लोगों का आवागमन रहता है साथ ही यह मार्ग फतेहपुर की प्रमुख बाजार बिन्दकी व

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

कटरा जाफरगंज को जोड़ने का एक मात्र माध्यम है किन्तु इस मार्ग का अभी तक डामरीकरण नहीं कराया गया । 18 वर्ष पूर्व बिछायी गयी सोलिंग फैल गयी है जिससे इस मार्ग पर वाहन तो दूर पैदल चलना मुश्किल हो गया है ।

अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कि चन्दवारा सबादा मार्ग का शीघ्र डामरीकरण कराये जाने हेतु सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें ।]

आगरा शहर में भारी गन्दगी, जल भराव तथा बीमारी फैलने आदि की समस्या का शीघ्र निदान कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगन प्रसाद गर्ग–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार एवं सम्मानित सदन के सम्मान में भारत के ऐतिहासक शहर आगरा में भारी गन्दगी, जल भराव, उफनते हुए नाले, खुले हुए मेनहोल, पड़े हुए कूड़े और गन्दगी के ढेर और उनको कुरेदते हुए सुअर, गड्ढायुक्त सड़कें, बल्ब रहित खम्भे आदि की समस्या से अवगत कराना चाहता हूं । मोहल्ला नुनहाई, बल्केश्वर, नूरी दरवाजा, कमलानगर, न्यू आगरा आदि सफाई एवं उक्त समस्याओं से ग्रस्त हैं । कमलानगर में आज तक नई डामर सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है । मच्छर, मक्खियों के कारण अनेक संक्रामक रोगों का प्रकोप है । स्वयं जिलाधिकारी, आगरा एवं उनका परिवार चेचक रोग की गिरफ्त में है इसी से गम्भीरता का आभास हो सकता है ।

अतः मैं इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से उक्त समस्या का निदान शीघ्र कराने की मांग करता हूं ।]

बस्त्रोद्योग विभाग द्वारा बुनकरों और बुनकर समितियों का माल न खरीदे जाने से बुनकरों में असन्तोष व्याप्त होने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लाल सिंह वर्मा–

[मान्यवर, आपके माध्यम से सभापति सदन और सरकार का ध्यान एक समस्या की ओर आकर्षित करते हुए समाधान की मांग करता हूं । वस्त्रोद्योग विभाग प्रदेश में रह रहे 8 लाख बुनकरों की खुशहाली के लिए बना था कि बुनकरों द्वारा बनाया माल खरीदकर यूपिका हैण्डलूम व यू० पी० हैण्डलूम अपने पूरे देश में फैले लगभग 310 शोरूमों के माध्यम से विक्रय करेंगे । सरकार ने भी इसी उद्देश्य से सरकारी खरीद इन्हीं से अनिवार्य कर दी थी लगभग 9 करोड़ का माल खरीदा गया किन्तु खेद है कि प्रबन्ध निदेशक ने यह माल बुनकर व बुनकर समितियों से न लेकर बड़े-बड़े व्यापारियों से खरीदा है इस कारण प्रदेश के 8 लाख बुनकरों में भारी असन्तोष व्याप्त है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न के सम्बन्ध में सरकार से उचित कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

महानिदेशालय स्वास्थ्य विभाग, लखनऊ द्वारा प्रतिनियुक्ति पर तैनात रहे परिवहन अभियन्ताओं के उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री बनारसी दास चांदना–

[मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त अव्यवस्था एवं अभियन्ताओं के उत्पीड़न के विषय में नियम–301 में मा० सदन के माध्यम से तात्कालिक कार्यवाही की मांग करता हूं । महानिदेशालय, स्वास्थ्य द्वारा लखनऊ में प्रतिनियुक्ति पर तैनात रहे परिवहन अभियन्ताओं का दुर्भावनावश एक वर्ष का वेतन रोक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

दिया गया और बार-बार वेतन की मांग करने पर तथ्यों की अनदेखी करके उन्हें एकतरफा ड्यूटी से फरार घोषित कर दिया गया । उक्त अभियन्ताओं को वेतन रोकने का कोई आदेश एवं सूचना भी नहीं दी गयी और न कभी कोई स्पष्टीकरण मांगा गया । निदेशालय में सम्बन्धित अवधि की पत्रावलियों को गायब करके तथा अभियन्ताओं द्वारा शासन/स्वास्थ्य निदेशालय में प्रश्नगत अवधि में प्रस्तुत डेढ़-दो दर्जन प्रतिवेदनों के तथ्यों को दुर्भावना एवं निहित कारणों से दबाया जा रहा है । मजबूर होकर अभियन्ताओं द्वारा वर्ष 1999 में शासन को दो शपथ-पत्र दिनांक 1-4-99 एवं 19-2-99 दिये गये जिनको देखा तक नहीं जा रहा है । विशेष सचिव, चिकित्सा अनुभाग–8 द्वारा अभियन्ताओं की सुनवायी का अवसर देकर जांच हेतु पत्रांक 623, दिनांक 26-2-99 द्वारा पारित आदेशों तक को दबा दिया गया । स्वास्थ्य मंत्री तक के उनके कार्यालय पत्रांक 7653, दिनांक 4-7-99 द्वारा पारित एक सप्ताह में जांच कराकर तुरन्त भुगतान करने के आदेश भी दबाये जा रहे हैं कोई भी कार्यवाही उन आदेशों पर शुरू तक नहीं की गयी है ।

अतः इस प्रकरण में मंत्री जी के आदेशानुसार तात्कालिक जांच कराकर एवं न्याय विभाग से राय लेकर अविलम्बनीय निर्णय कराना जनहित में अति आवश्यक है ।]

कुमायूं मण्डल के स्थायी निवासी फार्मासिस्टों को कुमायूं मण्डल में ही स्थानान्तरित किये जाने की मांग के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री विरेन्द्र सिंह–

[मान्यवर, निवेदन है कि मैं आपके माध्यम से नियम 301 के अन्तर्गत यह महत्वपूर्ण सूचना इस सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । वर्ष 1997 में कुछ फार्मासिस्टों की नियुक्ति हुई थी । नियुक्ति के समय कुछ अभ्यर्थी कुमायूं मण्डल के हैं जिनकी नियुक्ति उस समय कुमायूं मण्डल में जगह खाली न होने के कारण शहरी इलाके में कर दी गयी है । यह भी उन अभ्यर्थियों से कह दिया गया था कि विकल्प भर कर दें तत्काल शहरी इलाकों में से जो लोग कुमायूं मण्डल के स्थायी निवासी फार्मासिस्टों को विशेष प्राथमिकता के आधार पर कुमायूं मण्डल में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा । जब कि उपरोक्त विषय के संबंध में कई मा० सदस्यों एवं मंत्रियों ने अपनी संस्तुति पत्र भी कई चार लिख चुके हैं किन्तु मेरे संज्ञान में लाया गया है यहां के अधिकारी उसी अभ्यर्थी का स्थानान्तरण कर रहे हैं जो अधिक से अधिक प्रभावशाली हो या प्रलोभन अधिक दे रहे हों जो नियमों को ताक पर रखा है जो नियमों के विरुद्ध हैं । यह सरकार की नीतियों तथा नियमों का खुला उल्लंघन है ।

अतः मैं चाहूंगा कि कुमायूं मण्डल के स्थायी निवासी जो शहरी इलाकों में तैनात हैं तत्काल उन फार्मासिस्टों को कुमायूं मण्डल में निष्पक्ष स्थानान्तरित करने के आदेश देने की कृपा करें तथा किसी उच्चाधिकारी के निर्देश पर समस्त स्थानान्तरण हों जो शहरी इलाके के स्थायी निवासी कुमायूं मण्डल में फार्मासिस्ट कार्यरत हैं उन्हें तत्काल शहरी इलाकों में बुलाया जाये जिससे समायोजन में कोई कठिनाई उत्पन्न न हों गांव के विकास एवं जनता के हित के लिये यह अनिवार्य हैं ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

दारुलशफा लखनऊ में कोठी न०-6 जमादारी लेन के आस पास बनी अवैध झोपड़ियों के सम्बन्ध में होटल आदि को हटाकर वहां साफ सुथरा किये जाने की मांग नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री बिजेद्र आर्य-

[मान्यवर, निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपके माध्यम से नियम–301 के अन्तर्गत यह महत्वपूर्ण सूचना इस सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । कोठी नं० 6 जमादारी लेन दारुलशफा लखनऊ में कुछ चतुर्थ श्रेणी के कमरे सरकार द्वारा बने है । उनके अलग वगल अनेक झोपड़ियां अवैध रुप से बनाकर लोग रह रहे हैं तथा अनेक प्रकार के जानवर भी पाले हैं जिससे सदैव उस कालोनी में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को परेशानी हो रही है । प्रदूषण से भयंकर बीमारी का भय बना रहता है । कुछ राज्य सम्पत्ति विभाग में कार्यरत कर्मचारी अवैध रुप से होटल बनाकर दिन भर चाय आदि की बिक्री करते रहते है अपनी ड्यूटी पर नहीं जाते है जैसे अवैध रुप से रहने वाले अवैध धंधे करने वाले श्री टिकूरी सिंह, श्री तेजयी, श्री अब्दुल इस्लाम, श्री रिंकू, श्री संसेवक, श्री बेचा लाल, श्री तेज बहादुर सिंह आदि लोग यहां अवैध रूप से कार्य करने वाले सदैव मारपीट करते रहते हैं जिसकी कई बार रिपोर्ट थाना दारुलशफा में दर्ज हैं । इस कालोनी में रह रहे आवंटित कर्मचारियो को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जो बच्चों समेत रहते है बच्चों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता हैं जो सरकारी कर्मचारी अपने अवैध धन्धे करते हैं वे उच्चाधिकारी से सांठ गांठ से ही करते है ।

अतः मेरा आपसे अनुरोध हैं कि उपरोक्त मामले की किसी उच्चाधिकारी से जांच कराकर वहां के अनेक अवैध बने झोपड़ियों तथा होटल आदि तोड़वाकर वहां साफ सुथरा तथा वहां की सदैव के प्रदूषण से होने वाली बीमारी से वहां के लोगों को बचाया जा सके तथा सुन्दरीकरण सरकार के नीति के अनुरूप हो सकें ।]

जनपद जौनपुर में हिन्द इण्टर कालेज तेजी बाजार में इण्टर मे कृषि वर्ग की मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बांके लाल सोनकर-

[मै आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक लोकमहत्व का प्रश्न लाना चाहता हूं । जनपद जौनपुर में हिन्द इण्टर कालेज तेजीबाजार में इण्टर में कृषि वर्ग की मान्यता हेतु शासन स्तर पर मण्डल स्तर पर तथा जिला स्तर पर सभी औपचारिकतायें पूर्ण होने के बावजूद अभी तक उसे मान्यता नहीं मिल सकी हैं । हाई स्कूल में कृषि वर्ग की मान्यता है लेकिन इण्टर वर्ग में मान्यता न होने के कारण छात्रों को वहां से 15 से 20 कि०मी० दूर जाकर शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है जिससे छात्रों को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और जिसके फलस्वरूप छात्रों एवं अभिभावकों में रोष व्याप्त है ।

अतः आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रशासन विभाग के व्यवस्थाधिकारी नवीन भवन के स्टाफ में चतुर्थ श्रेणी दैनिक वेतन भोगी पद पर कार्य किये हुए श्री इन्द्रजीत को सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सन्त प्रसाद –

[मान्यवर, कृपया लोक महत्व पर आपका तथा सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि भूमिहीन पीड़ित प्रार्थी श्री इन्द्रजीत पुत्र श्री राम जी सिंह ने वर्ष 1991 में उ०प्र० सचिवालय प्रशासन विभाग के व्यवस्थाधिकारी नवीन भवन के स्टाफ में चतुर्थ श्रेणी दैनिक वेतन भोगी के पद पर कार्यरत थे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इस पीड़ित प्रार्थी को निष्कासित कर दिया गया था तभी से मा० मुख्य मंत्री जी तथा सचिव, सचिवालय, प्रशासन विभाग की सेवा में पीड़ित प्रार्थी ने अपनी नितान्त दयनीय विषम पारिवारिक परिस्थितियों को दर्शाते हुए लगातार प्रार्थनापत्र देकर पुनः रोजी रोटी के लिए प्रार्थनापत्र देता/करता चला आ रहा है। इनकी नितान्त बदतर स्थिति पर मैंने तथा मा० विधायकगणों ने संस्तुति सहित मा० मुख्य मंत्री जी, सचिव सचिवालय प्रशासन की सेवा में कईयों पत्र लिखे जा चुके हैं जो पत्रावली सचिवालय प्रशासन (अधि०)अनुभाग-4 में 8 वर्ष से लम्बित चल रही है परन्तु 8 वर्ष का दिन व्यतीत हो गया। इस पीड़ित प्रार्थी को अभी तक सेवायोजित नहीं किया गया, जिससे आर्थिक दयनीय विषम बदतर स्थिति में पीड़ित प्रार्थी वृद्ध माता-पिता, परिवार सहित भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। पीड़ित प्रार्थी का छोटा भाई जो उक्त नितान्त दयनीय विषम स्थिति में मौत का शिकार भी हो गया हैं। पीड़ित प्रार्थी अब ओवर ऐज भी होने जा रहा है। पीड़ित प्रार्थी ग्राम करहकोल, पो० सिघरा खैरवा, तहसील रुद्रपुर, जनपद देवरिया के पिछड़ी जाति कुर्मी, भूमिहीन, बाढ़ग्रस्त, तबाहीत गोर्रा नदी व राप्ती नदी के बीच दोआबा का है जो अभी तक वर्ष 1998 में आयी भयंकर चक्रवात एवं भीषण प्रलयकारी बाढ़ से पूर्णरूप से प्रकोपित्त हो गया है। मान्यवर, पीड़ित प्रार्थी से कब तक प्रार्थनापत्र लेकर संतोष दिलाया जायेगा। इतने लम्बे समय 8 वर्ष से चले आ रहे इस पीड़ित प्रार्थी की दयनीय विषम जटिल प्रकरण की स्थिति पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके रोजी रोटी में सेवायोजित उपकार किये जाने की कार्यवाही अमल में लाया जाना परम अति आवश्यक हैं। कृपया मानवीय दृष्टि रखते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग-4 में वर्ष 1991 आठ (8) वर्ष से लम्बित पत्रावली पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इस पीड़ित प्रार्थी को चतुर्थ श्रेणी के पद पर मानवीय अनुकम्पा के आधार पर रोजी-रोटी में समायोजित, सेवायोजित किये जाने हेतु सदन में चर्चा कराने की मांग करता हूं।]

उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी पद पर कार्यरत श्रीराम जी सिंह के लम्बित देयकों का भुगतान कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम सिंह–

[मान्यवर, कृपया आपका तथा सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि श्री राम जी सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उ० प्र० राज्य खनिज विकास निगम लखनऊ में कार्यरत हैं। श्री राम जी सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को वर्ष 1986 से लम्बित अब तक विभिन्न मद के देयकों का भुगतान कराये जाने के बाबत में मा० श्री बेचनराम विधायक द्वारा नियम–301 के अन्तर्गत दिनांक 24-3-1999 को सदन में सूचना दी गयी थी व मा० श्री सुखदेव राजभर, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 18-2-99 को नियम 115 के अन्तर्गत सूचना दी गयी थी, जिस पर औद्योगिक विकास अनुभाग–5अ०शा०प०सं०–334711/(1)/77-5-99-27/99, दिनांक 27 जून, 1999 को अवगत कराया गया है कि जून, 1989 से जून, 1991 की अवधि के बीच स्वीकृत अवकाश (102 दिन) के वेतन का भुगतान दिनांक 15 अप्रैल, 1999 को कर दिया है परन्तु वर्ष 1986 से लम्बित वार्षिक वेतनवृद्धि अभी तक लगातार उनका ऐरियर साथ ही दिनांक 5-7-1990 को गोरखपुर से ललितपुर स्थानान्तरण के समय का बोनस, लेब्रीज उक्त स्वीकृत अवकाशों का वेतन दिनांक 19-12-1987 को लखनऊ से गोरखपुर स्थानान्तरण किराया भत्ता उक्त लम्बित समय के विभिन्न मद के देयकों का भुगतान करने का जिक्र नहीं किया गया है और अभी तक

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भुगतान भी नहीं कराया गया है। आर्थिक स्थिति एकदम दयनीय होने के कारण इनकी लड़की की शादी नहीं हो पा रही है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन में चर्चा कराने की मांग करता हूं।]

विद्युत उपकेन्द्र मौरावां उन्नाव के अन्तर्गत विद्युत तार कटिग की घटनाओं से विद्युत आपूर्ति ठप्प होने तथा आवश्यक कार्यवाही की मांग के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री उदयराज यादव–

[मान्यवर, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 33/11 के०वी०ए० उपकेन्द्र मौरावां से सम्बन्धित 11000 पिहरों पर तथा 33000 लाइन पर दिनांक 27 व 28 मार्च, 1999 से दिनांक 17-7-99 तक चोरों द्वारा थाना मौरावां के अन्तर्गत 13 स्थानों पर तार कटिग थाना असोहा के अन्तर्गत 6 स्थानों पर तार कटिंग, थाना पुरवा के अन्तर्गत 4 स्थानों पर तार कटिंग तथा थाना बिहार जनपद उन्नाव में एक स्थान पर तार कटिंग तथा थाना मोहनलालगंज, लखनऊ के अन्तर्गत एक स्थान पर तार कटिंग की घटनायें हुई हैं जिसकी प्राथमिकी दर्ज करने हेतु समय-समय पर विद्युत उपकेन्द्र, मौरावां के अवर अभियन्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं लेकिन किसी भी थानाध्यक्ष द्वारा तार कटिंग की घटना की प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी है जिसके कारण जिन विद्युत लाइनों पर चोरों द्वारा तार कटिंग की गयी है। वह लाइनें बन्द पड़ी हुई हैं जिससे पूरे क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति ठप्प होने से किसानों के सामने गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर आपसे अनुरोध है कि उक्त मामले की गम्भीरता को देखते हुए सरकार को निर्देश दें कि दोषी थानाध्यक्षों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें।]

श्री ओम प्रकाश के मकान नं० 567/99 आनन्द नगर, बरहा रोड़ थाना आलमबाग, लखनऊ की दुकानों एवं मकान पर पुलिस उप निरीक्षक द्वारा अवैध कब्जा कराये जाने की शिकायत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सरवर अली खां–

[मान्यवर, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री भोला नाथ लोधी मकान नं० 567/99 आनन्द नगर, बरहा रोड थाना आलमबाग, लखनऊ की तीन दुकानों एवं पूरे मकान पर पुलिस उप निरीक्षक श्री सरनाम सिंह के शह पर कब्जा वर्ष 1996 में करवा दिया गया है। श्री ओम प्रकाश अपने परिवार के साथ मारा-मारा फिर रहा है। इस सम्बन्ध में वर्ष 1999 में जांच भी हुई किन्तु एक किराये की दुकान को पूरे मकान के निचले हिस्से को किराये पर दर्शा दिया गया है जब कि एक दुकान का किराया 50/- रुपया प्रतिमाह न्यायालय में जमा हो रहा है। साथ ही जांच में उस मकान में रह रही महिला के साथ उप निरीक्षक के सम्बन्धों की बात जांच के आधार पर ही उजागर होती है फिर भी प्रकरण को टाला जा रहा है।

अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण को नियम 301 के अन्तर्गत उठाने हेतु स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें ताकि दोषियों को दण्डित कर मकान मालिक को उसका मकान मिल सके एवं उसके साथ न्याय हो सके।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद चित्रकूट में ब्लाक पहाड़ी के ग्राम कपना के पास गेड़वा नाले पर रुके कार्य को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आर० के० सिंह पटेल–

[मान्यवर, आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर कराना चाहूंगा जनपद चित्रकूट में ब्लाक पहाड़ी के ग्राम कपना के पास गेड़वा नाले पर विगत तीन वर्षों से लघु सिंचाई विभाग बांदा द्वारा रपटाचेक ड्रेन का निर्माण कराया जा रहा है चूंकि उक्त रपट के पास ही में इण्टर कालेज है जहां बरसात में नाले को पार करके बच्चे स्कूल आते-जाते हैं। मार्ग के बीच में विगत तीन वर्षों से लघु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता की तानाशाही के चलते कार्य अधूरा पड़ा है जब कि कार्य के आगणन के अनुसार विभाग को धन दिया जा चुका है। उक्त कार्य के अपूर्ण होने से इण्टर कालेज कपना तक आने-जाने वाले बच्चों को बरसात के महीनों में नाले पर बाढ़ के समय जान का खतरा है जिससे क्षेत्रीय जनता में आक्रोश एवं असन्तोष व्याप्त है। कार्य जल्दी न पूरा होने से जनता आन्दोलित हो सकती है।

अस्तु इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए तत्काल कार्य को पूर्ण करने की मांग करता हूं।]

मुरादाबाद महानगर के नालों की सफाई कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

मेजर जगतपाल सिंह–

[मुरादाबाद महानगर में 19 नये गांव शामिल कर लिए गये हैं तथा 200 मलिन बस्तियां व उच्च श्रेणी की बस्तियां हैं जिसकी अधिकाधिक संख्या मुरादाबाद की पश्चिमी क्षेत्र की हैं। अधिकतर गरीब श्रेणी के लोग भी नालों के किनारे या नगर के बाहरी क्षेत्र में बसे हैं। छोटे नाला के अतिरिक्त मुख्य करुला नाला है जो मुरादाबाद पश्चिम का हर्थला कालोनी चन्द्रनगर पी०ए०सी० लाइनपार, बुद्धि विहार, मझौला का बरसात का जल निकासी करता है। उक्त नाला लगभग 10–12 फिट गहरा है जिसका राष्ट्रीय राज मार्ग–24 से मझौला मार्ग तक कर दिया गया है परन्तु मझौला मार्ग के आगे पुलिया से ह्यूम पाइप बन्द है। जल निकासी अवरूद्ध है। नवीन निर्मित करुला नाला का जल उल्टा बह रहा है तथा आगे शिल्ट की तहत से भरा हुआ है। बरसात के पानी की निकासी न होने के कारण आसपास क्षेत्रों में जल पलायन की स्थिति आ गयी है। पिछले वर्ष 2 माह तक उक्त क्षेत्रों में जल भरा था जिससे क्षेत्रवासियों ने दीपावली का त्योहार छतों में मनाया था। उक्त जल भराव के कारण मक्खी व मच्छर व भयानक बीमारी का प्रकोप फैल सकता है। दुर्गन्ध व कीचड़ से वातावरण दूषित है। इसके अतिरिक्त कई छोटे नाले शिवपुरी हरपालनगर रेलवे से सम्बन्धित ही शिल्ट की तह तक भरे हैं जिनकी सफाई अभी तक नहीं की गयी है।

मान्यवर से प्रार्थना है कि उक्त नालों की सफाई कराकर महामारी से बचाव कराने का कष्ट करें तथा आपके माध्यम से मांग करता हूं कि लोक महत्व या जनहित में मुरादाबाद महानगर की नालों की सफाई कराकर जनता की समस्या का निराकरण अतिशीघ्र करने का कष्ट करें।]

अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल प्रथम (लेसा) द्वारा मनमानी एवं भ्रष्टाचार की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती माया प्रसाद–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक लोक महत्व की सूचना लाना चाहता हूं। प्रदेश की विद्युत विभाग में लापरवाही तथा मनमानी यूं तो सर्वविदित हैं किन्तु विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा विभाग के ही कनिष्ठ अधिकारियों का उत्पीड़न एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों के क्रियान्वयन में

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमों एवं मानवीय दृष्टिकोण को बलाये ताक पर रखकर खुली मनमानी एवं भ्रष्टाचार का जबरदस्त बोलबाला हैं । उच्चाधिकारियों को जांच आख्या हेतु दसों अनुस्मारक भेजने के बावजूद जांच कार्यो को पूरा कर आख्या न देना तथा संबंधित व्यक्ति का मानसिक उत्पीड़न करने की घटना का एक स्वयं उदाहरण सुरेश बहादुर सिंह, अवर अभियन्ता, लखनऊ सम्पूर्ति प्रशासन लखनऊ का हैं । अधीक्षण अभियन्ता विद्युत नगरीय वितरण मण्डल प्रथम (लेसा) की मनमानी के चलते उक्त अवर अभियन्ता के संबंध में महाप्रबन्धक (लेसा) के सारे विभागीय आदेश रद्दी की टोकरी में जा रहे हैं । इससे संबंधित व्यक्ति एवं उसके परिवार को अत्यन्त मानसिक क्लेश के साथ ही सामाजिक हीनता की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है साथ ही प्रशासनिक प्रक्रिया की पोल यहां भी खुल रही हैं । इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जांच कार्य में उदासीनता बरतने के कारण विभागीय मंत्री द्वारा उनके निलम्बन के आदेश भी दिये गये हैं इसके बावजूद भी स्थिति यथावत् बनी है ।

अस्तु आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण में शीघ्र जांच पूरी कराये जाने तथा जांच प्रक्रिया में निजी स्वार्थों के चलते बाधा उत्पन्न कर आवश्यक विलम्ब करने वाले दोषीजनों को दण्डित करने हेतु शासन को निर्देशित करने का कष्ट करें ।]

जनपद हरदोई के कस्बा शाहाबाद में लगातार बन्द रहे कृषक कन्या पाठशाला हायर सेकेन्ड्री स्कूल को शीघ्र खोले जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अशोक कुमार सिंह–

[मान्यवर, आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना लाना चाहता हूं । प्रदेश में बालिका विद्यालयों की हर स्तर पर प्राथमिकता तथा संरक्षण देने की शासन की नीति की धज्जियां जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा ही उड़ाई जा रही हैं । अधिकारियों की अदूरदर्शी नीति तथा मनमानी में बाधा पड़ने पर पूरे संस्थान को तबाह करने की नियति का शिकार होकर प्रदेश के जनपदों में बालिका शिक्षा की प्रभावी योजनायें दम तोड़ रही हैं । ऐसे ऐसे उदाहरण प्रदेश के प्रत्येक जनपद से लगातार सदन में आ रहे हैं किन्तु जनपद हरदोई इसमें अग्रणी हैं । कस्बा शाहाबाद में संचालित कृषक कन्या पाठशाला हायर सेकेन्ड्री स्कूल जो कि विधिमान्य मानकों के अनुरूप पंजीकृत तथा निर्धारित संचालन समिति द्वारा संचालित किया जा रहा है को कुछ स्वार्थी तथा शासकीय नीतियों के विरोधी तत्वों द्वारा एक साजिश के तहत संचालन समिति को प्रश्नगत करते हुये प्रलोभनों के साथ भ्रष्ट अधिकारियों के सहयोग से विद्यालय पर नाजायज कब्जेदारी का काम किया गया है । विद्यालय की नाम पट्टिका की पुताई करके या नाम देकर संबंधित अधिकारियों को दिग्भ्रमित करते हुये सैकड़ों बालिकाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है । विद्यालय की बन्दी से जुलाई माह में होने वाले प्रवेश, स्थानान्तरण सर्टीफिकेट तथा अंकपत्रों के निर्गमन का कार्य न हो पाने से अभिभावकों में हाहाकार मचा है । विद्यालय का खुलना नहीं हो रहा है जिससे अनिश्चिय के कारण अभिभावकों का आक्रामक रुख किसी भी अनहोनी का कारण बन सकता है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया विद्यालय को तत्काल खोले जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा सम्पूर्ण प्रकरण के दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु शिक्षा विभाग के संबंधित उच्चाधिकारियों/स्थानीय अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उबैदुर्रहमान–

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ द्वारा जन कल्याण नेत्र चिकित्सालय लखनऊ, को फैक्टरी के पदेन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रशिक्षण निदेशक ने आपटोमिट्री स्कूल चलाने की अनुमति नियमों के विपरीत दे रखी है जब कि सचिव द्वारा अवगत कराया गया था उक्त चिकित्सालय (अवैध संस्था) को हर तरीके से संरक्षण भी दिया जा रहा है । यह नहीं इन्स्टीट्यूट साफ पालिक हेल्थ एण्ड हाईजिन उत्तरौटिया रायबरेली रोड, लखनऊ एक अमान्य संस्था है के निदेशक की रिट पिटीशन नं० 425/(एम०बी०)/1996 भी डिसमिस हो चुकी है स्टेट मेडिकल फैकल्टी के उपाध्यक्ष वहां के प्रिंसिपल रह चुके हैं नियम विपरीत 6 मई, 1998 की फैकल्टी की बैठक में उक्त संस्था को कोर्स चलाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत कर दिया है जो फैकल्टी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है ।

अतः आपसे निवेदन है कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ में नियम विपरीत संस्थाओं को प्रमाण-पत्र देने संरक्षण देने के कार्यों पर दोषियों का दायित्व निर्धारण कर कार्यवाही की जा सके । इसलिये उक्त प्रकरण को नियम 301 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें ।]

जालौन में आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सालय के ध्वस्त भवन का निर्माण तथा मरीजों का उचित उपचार कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्रीराम पाल–

[मान्यवर, जनपद जालौन की तहसील जालौन में वर्षों से आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सालय संचालित हैं तथा अब तक भवन का निर्माण नहीं कराया गया है । कई वर्षों से उक्त चिकित्सालय बहुउद्देशीय भवन में चल रहा है । उक्त भवन दिनांक 21-7-79 को गिरकर धराशायी हो गया जिसके कारण औषधियों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कर्मी के बैठने की कोई जगह न होने से मरीजों को भी परेशानी हो रही है जबकि क्षेत्र में खसरा, मलेरिया, आंत्रशोध की भयंकर बीमारियां फैली होने से मरीजों का उचित उपचार नहीं हो पा रहा है ।

अतः उक्त प्रश्न को सदन में उठाने की अनुमति प्रदान करने व उचित व्यवस्था देने का कष्ट करें ।]

आजमगढ़ के मंझारी बाजार के पास एक विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

[मान्यवर, आपका ध्यान इस लोक महत्व के प्रश्न की तरफ दिलाते हुये यह बताना चाहता हूं कि आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मंझारी बाजार के आसपास के लगभग पचास गांव ऐसे हैं जहां विद्युत वोल्टेज बहुत ही कम है क्योंकि वहां बीस कि०मी० के अन्तर्गत कोई भी विद्युत सब स्टेशन नहीं है । पुरानी बिजली की लाइनें हैं प्रायः अत्यधिक विद्युत भार के कारण लाइनें क्षतिग्रस्त रहती हैं, सांफीपुर विद्युत सब-स्टेशन उक्त स्थान से 20 कि०मी० एवं फूलपुर विद्युत सब-स्टेशन लगभग 25 कि०मी० है । दूरी अत्यधिक होने के कारण प्रायः विद्युत अवरोध हुआ करता है जिससे कृषि कार्य प्रभावित होता

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

रहता है । मंझारी बाजार के पास एक विद्युत सब-स्टेशन के बन जाने से उक्त क्षेत्र के पचासों गांव विद्युत की समस्या से उबर सकेंगे । तथा पिछड़ी एवं गरीब जनता भी अपना कृषि कार्य एवं दैनिक दिन चर्या सुचारु रूप से चला सकेगी ।

अतः मा० अध्यक्ष जी से मांग करता हूं कि इस आजमगढ़ विधान सभा मंझारी बाजार के पास एक विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराया जाये । ।

जौनपुर शहर के उत्तरी क्षेत्र में पेयजल संकट उत्पन्न होने तथा वहां एक ओवर हेड टैंक बनाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अफजाल अहमद –

[मान्यवर, जनपद जौनपुर हमारे शहर विधान सभा क्षेत्र में पानी का संकट जबरदस्त है । शुद्ध पानी जनता को नहीं मिल पा रहा है । दिन प्रतिदिन नगर की आबादी बढ़ती जा रही है नगर क्षेत्र के बीचो-बीच गोमती नदी बहती है जो दो भागों में विभाजित है । शहर के दक्षिणी ओर शहर के उत्तरी के नाम से जाना जाता है । उत्तरी क्षेत्र की आबादी जिधर गरीब मजदूर मध्यम क्षेत्र के लोग अधिक निवास करते हैं पचास वर्षों से उत्तरी क्षेत्र का विकास आज तक नहीं हुआ । पूर्ण नगर क्षेत्र की आबादी 2 लाख 55 हजार जिसमें 1 लाख 55 हजार उत्तरी शहर की है इस तरफ एक ओवर हेड टैक बनना आवश्यक है । जिससे पानी का प्रेशर ऊंचा होगा और लोगों को पानी मिलने में सुविधा भी होगी । जनता को पानी न मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिससे जनता में रोष व्याप्त है जनता को स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता है उत्तरी क्षेत्र में किसी भी स्थान पर ओवर हेड टैंक बनाया जाना आवश्यक है इस गम्भीर समस्या पर विचार करते हुए किसी भी समय भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है ।

अतः मा० अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि सदन में एक घण्टे की चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं जिससे जनता को पानी की सुविधा उपलब्ध हो सके ।]

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में बाढ़ राहत में की गयी धांधली की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सुचना

श्री उमाकान्त यादव–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत ग्राम सभा भदौरा तरछापार व ग्राम सभा बहुता चक उपाध्याय में बाढ़ राहत में की गयी धांधली की तरफ दिलाना चाहता हूं । उक्त दोनों गांवों में पात्र लोगों को सही सामग्री नहीं दी गयी थी और बहुता चक उपाध्याय में एक परिवार के कई-कई सदस्यों के नाम से फर्जी चेक वितरण किया गया है और उसमें सजातीय अधिकारी की भूमिका संदिग्ध रही है । ग्राम सभा बहुता चक उपाध्याय के लोगों द्वारा इसकी शिकायत जिलाधिकारी बलिया व उच्चस्तरीय अधिकारियों से भी की गयी थी परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । ग्रामसभा भदौरा तरछापार में उक्त बाढ़ के समय कोई राहत सामग्री नहीं दी गयी थी जिनकी ज्यादा फसल नष्ट हुई थी उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया है और विधान सभा में प्रश्न के माध्यम से यह सूचना दी गई थी जिसके उत्तर में कहा गया है कि चेक भुगतान किया गया है परन्तु चेक भुगतान किस-किस को किया गया था इसका लेखा-जोखा नहीं है । लाखों रुपया फर्जी भुगतान उच्चाधिकारी कर लिये है और चेक भुगतान के नाम दर्शाया गया है इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिये । 292 परिवार प्रभावित होने की बात कही गयी है परन्तु इसमें कौन प्रभावित हुआ है और किसको चेंक दिया गया है । इसका लेखा जोखा नहीं हैं । मैं इस गम्भीर प्रकरण पर सदन का ध्यान

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

आकृष्ट करते हुए इसकी जांच कराने एवं वितरण चेक के लेखा-जोखा की प्रति सदन के पटल पर रखने की मांग करता हूं ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय पर सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल जांच कराने एवं जांच से सदन को अवगत कराने की मांग करता हूं ।]

उत्तरांचल संवर्ग की तरह बुन्देलखण्ड संवर्ग पृथक सृजित किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सन्तराम सिंह--

[मान्यवर, समूचे बुन्देलखण्ड में प्रत्येक विभाग तथा प्रत्येक वर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भारी कमी है और स्थानान्तरण के बवजूद भी स्थिति ज्यों की त्यों है । कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है । सी०ओ०, निरीक्षक, उप निरीक्षक, सिपाही काफी कम हैं । विकास कार्य अवरुद्ध हो रहा है । ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों के अभाव में लोग इलाज न होने से पीड़ित हैं । इस समस्या का तत्काल समाधान मात्र बुन्देलखण्ड क्षेत्र को उत्तरांचल संवर्ग की तरह पृथक सृजित कर बुन्देलखण्ड की जनता के साथ न्याय की अपेक्षा है ।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन में समुचित कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

भेषजिक (होम्यौपैथी) पद हेतु होम्योपैथी निदेशालय द्वारा आयोजित परीक्षा में धांधली होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश एवं श्री गोपाल कृष्ण--

[मान्यवर, निवेदन है कि होम्योपैथी निदेशालय, उ० प्र० द्वारा भेषजिक (होम्योपैथी) पद हेतु निदेशालय को प्राप्त आवेदन-पत्रों की जांच, छटनी विज्ञापित शर्तों के अधीन न कर कम्प्यूटर के नाम पर मनमानी की गयी है । एक ही आधार, कारण होने के बाद भी निदेशालय द्वारा भिन्न निर्णय लिए गये हैं । निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा धारण न करने वाले आवेदकों, अनुभव प्रमाण-पत्र न दाखिल करने वाले आवेदकों को भी परीक्षा में बैठाया गया है । प्रवेश-पत्र साधारण डाक से भेजे गये थे । भारी संख्या में आवेदकों को उनके प्रवेश-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं । परीक्षा तिथि दिनांक 9-7-99 को दिन के 2 बजे तक प्रवेश-पत्र दिये गये व नया परीक्षा केन्द्र नेशनल डिग्री कालेज, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ अन्तिम क्षणों में बनाया गया । पर्यवेक्षकों को उन्हीं परीक्षा केन्द्रों का दायित्व सौंपा गया था जहां उनके परिवारजन, रिश्तेदार नातेदार, परीक्षार्थी थे । इन पर्यवेक्षकों को अपने परीक्षार्थियों के साथ पैसा देने वाले परीक्षार्थियों की खुलकर मदद करने के लिए निर्देश थे । विभागीय परीक्षार्थियों के साथ-साथ पैसा देने वाले परीक्षार्थियों के सहायतार्थ होम्योपैथी निदेशालय द्वारा मन पसन्द अधिकांश लखनऊ के बाहर के विभागीय अधिकारियों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था ।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

परीक्षा केन्द्रों पर सादी उत्तर पुस्तिकायें भी जमा की गयीं हैं व पर्यवेक्षकों द्वारा इन्हें हल कर काफी देर बाद "इनडप" में जमा किया गया है । राजकीय पं० जवाहर लाल नेहरू होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर के प्राचार्य को नेशनल इण्टर कालेज, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था । इस परीक्षा केन्द्र पर पर्यवेक्षक का पुत्र व भांजी परीक्षार्थी थे । अन्य विभागीय अधिकारियों से जुड़े व पैसा देने वाले अभ्यर्थी परीक्षार्थी थे । निदेशक (होम्योपैथी) सहायक निदेशक (होम्योपैथी-उपचार) प्राचार्यों, जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों व जिला होम्योपैथी प्रभारियों, होम्योपैथिक-चिकित्साधिकारियों, होम्योपैथिक-भेषजिकों से जुड़े व इन्हें पैसा देने वाले आवेदक भारी संख्या में परीक्षा में बैठे हैं । इन्हें 75 अंक का पेपर परीक्षा से पहले ही बता दिया गया है । सदस्यों द्वारा सदन में व सदन के बाहर यह आशंका परीक्षा से पूर्व व्यक्त करते हुए चयन प्रक्रिया से निदेशक (होम्योपैथी) व सहायक निदेशक (होम्योपैथी-उपचार) को पृथक रखने का अनुरोध किया गया था, किन्तु ऐसा न कर परीक्षा/चयन/नियुक्ति प्रक्रिया को कलंकित किया गया है । उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में भेषजिक (होम्योपैथी) लिखित परीक्षा दिनांक 9-7-99 को निष्पक्षता, स्वच्छता एवं पारदर्शिता पूरी तरह संदिग्ध है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस मामले को आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए स्वच्छ प्रशासन एवं जनहित में भेषजिक (होम्योपैथी) परीक्षा दिनांक 9-7-99 को निष्पक्षता, स्वच्छता रद्द किये जाने, परीक्षा ड्यूटी में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़े व्यक्तियों को दण्डित किये जाने, विस्तृत चर्चा एवं वक्तव्य की मांग करता हूं ।]

विद्युत भण्डार केन्द्र सुल्तानपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार व घपला होने तथा भण्डार नायक का स्थानान्तरण स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

राम प्रसाद चौधरी–

[महोदय, विद्युत भण्डार केन्द्र सुल्तानपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता व घपले का मामला आप के माध्यम से सदन व सरकार के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं । विद्युत भण्डार केन्द्र सुल्तानपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार व घपले को उच्च अधिकारियों द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है । उक्त केन्द्र में गम्भीर अनियमितता तथा वित्तीय घपले की शिकायत मिलने पर विद्युत भण्डार केन्द्र फैजाबाद के अधिशासी अभियन्ता ने वहां के भण्डार नायक को गत वर्ष मई, 1998 में अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया, किन्तु अधीक्षण अभियन्ता विद्युत भण्डार, मण्डल लखनऊ ने बिना जांच कराये उसका स्थानान्तरण स्थगित कर दिया । पुनः शिकायत मिलने पर अधिशासी अभियन्ता विद्युत भण्डार खण्ड फैजाबाद ने जांच समिति गठित कर जांच कराया । मात्र एक वर्ष की जांच में गंभीर आर्थिक अनियमितता व भ्रष्टाचार सिद्ध पाये जाने पर अधिशासी अभियन्ता ने मई, 99 में उक्त भण्डार नायक को स्थानान्तरित कर निलम्बित करने की संस्तुति की, लेकिन अधीक्षण अभियन्ता ने जांच रिपोर्ट की अनदेखी कर उसका स्थानान्तरण निरस्त कर दिया । इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद एटा में थाना गंजडुंडवारा पुलिस द्वारा ग्राम सिरसौल के निर्दोष व्यक्तियों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

[महोदय, दिनांक 12-5-99 को थाना गंजडुंडवारा पुलिस द्वारा ग्राम–सिरसौल में निर्दोष व्यक्तियों के घर में घुसकर एक दरोगा एवं तीन सिपाहियों ने तलाशी लेने के बहाने घर से एक टार्च, हाथ की घड़ी एवं जेब में रखा 164 रुपये रखे हुए पर्स उठा ले गये । साथ में एक निर्दोष व्यक्ति को पकड़कर ले गये तथा कुछ कारतूस लगाकर चालान कर दिया । इसी प्रकार दूसरे ग्राम-मठिया सनौठ में जाकर एक अल्पसंख्यक लड़के को पकड़कर उसकी भी टार्च छीन ली तथा जेब में रखा 80 रुपये से भरा पर्स छीन लिया । विरोध करने पर उस लड़के का चालान कर दिया । इन पुलिस उत्पीड़न की घटनाओं से क्षेत्र में व्यापक जन असंतोष तथा आक्रोश एवं तनाव व्याप्त है । पुलिस इस प्रकार की अन्य घटनायें कर सकती है ।

अतः आपसे निवेदन है कि इस लोक महत्व तथा अविलम्बनीय घटनाओं को सदन के संज्ञान में लाकर दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद हरदोई में अम्बेडकर ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[मान्यवर, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार (अम्बेदकर ग्राम वि०उ० प्र० के पत्रांक 2474/310 ग्रा०वि०विद्युतीकरण/99 के शासनादेश संख्या 6019 रेस्यो ग्रा०वि०परि० दिनांक 17 जून , 1999 में शासन का स्पष्ट आदेश है कि अम्बेडकर ग्रामों के मजरों (पुरवों) में विद्युतीकरण किया जाए एवं समस्त मजरों को संतृप्त कर दिया जाए उसके पश्चात् ही जनपद हरदोई के 91 मल्लावां क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित ग्रामों का जो अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत चयनित हैं उनके मजरों को अभी तक संतृप्त नहीं किया गया है और न ही शासन द्वारा संतृप्तीकरण हेतु धन ही आवंटित किया गया है शासन की लचर नीति के कारण ही अम्बेडकर ग्रामों की जनता को विद्युतीकरण के अभाव में जीवन बिताना पड़ रहा है अनुसूचित जाति, जनजाति को विशेष रूप से संतृप्तीकरण का लाभ उक्त शासनादेश के अन्तर्गत मिलना चाहिए, उसे ध्यान में रखते हुए विद्युतीकरण हेनु पर्याप्त मात्रा में धन आवंटित करने हेतु तत्काल विद्युतीकरण करने हेतु निर्देशित किया जाए, क्योंकि मौजूदा सरकार के अधिकारीगण आदेश का पालन नहीं करते हैं, जनहित में तत्काल विद्युतीकरण किया जाए, जिसका लाभ उक्त अम्बेडकर ग्रामों, पुरवों, वार्डों की जनता को मिल सके । वर्ष 1995-96 में दौलतपारपुर का पुरवा लालपुर 2 रड़ेना हवीवनगर पुरवा अहमदपुर, हवीवनगर 3 राजेपुर सहाबुद्दीनपुर दिलदार पुरवा गठखरिया 4 गुरौली पुसेड़ा 5 बसहस कुतुलपुर पुरवा पुरवा अहहोपुरवा, नन्हूपुरवा मुर्सफ़ावा खरैला पुरवा ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

वर्ष 1996-97 में शुक्लापुर भगत सियरहना, हरिचन्दापुर, कौड़यापुर, वलीपुरवा पिलरक्खा, हरिहरपुर तकिया, अरहा, चप्पापुरवां, हेमउआपुर, कहियनपुरवा, करोधियाई, शिवनीपुरवा, अटियाबाजार, दानेपुरवा मुड़ेला इन्दापुरवा 2–परचल रसूलपुर मेलापुरवा, दुधेला, छुलासीपुरवा ससेड़ा, पाथीपानी, वाडीपुरझूली 3–हथोरा, सिंधारा फूरपुर, मौसमपुर, मड़िया, अटवा, भिखरियनपुरवा, टेड़वा, दुर्जनपुरवा, 4-डाभा, कोड़इ 5–गुजरई वंथरिया, भगरोली, ऊंचीनीची धौतलिया । वर्ष 1997-98 में सेउढ़उ लरवाही देवीदीनपुरवा, धर्न्दीपुरवा, नन्दापुरवा, ओयलापुरवा गोंसाई मढ़िया 2–रुइया मितानपुरवा, 3 मढ़इयाखेरा, जूरा तकिया,चौखेपुरवाधनीगंज कमालगंज, 4 कुरसठ बुजुर्ग, मिर्जागंज वरौली देवियापुर टेढ़ईपुरवा, रुद्रपुरवा, तकिया रुथौली, वेनीपुरवा, 5 वरौना, सुल्तानपुर, नटपुरवा, तेजापुर पट्टी, कवीरपुरवा, सवेया, 6 माजिया जफरपुर जमालपुर, तरहटिया, भुलभुलिया खेड़ा, 8 परानामऊ कोसियापन्नपुरवा, 9 कुतुवापुर सेमरीपुरवा,चकपुरवा, कलेनापुर ।

वर्ष 1998–99 में रुदामऊ, छेंदापुरवा, पुरनिया भूलपुरवा, 2 बावरमऊ, भुप्पापुरवाधनी गंज, लक्ष्मणपुरवा, मढ़िया, राघवपुरवा, जरेरा, शोकलावाद, भुजवापुर, लसगरीपुर, खालेपुरवा, दुर्जनपुरवा, रमपुरवा, तकिया, बुढ़मढैंया, वहसनपुरवा, अरवाअली, वरदानपुर, तकिया भैनामऊ मढ़िया, जाहिदपुर, जियालालपुरवा, फतेहपुर, नरायनमऊ, 5–इक्सइया, 6 सहसदा भमकरा, रुद्दीखेड़ा, वरवरापुर, माधापुरवा, वसन्तपुरवा, नरायनपुरवा, 7 इस्लामपुर जगाही गोपलिया, 8 काधरी मढ़िया, नेवादा ठकुरीखेड़ा, 9 पुरवावां रौंसा, 10 वांसा मढ़िया, महातनवली, लल्लाखेड़ा नेवादा मढ़िया, गंगाचरन ।

वर्ष 1999–2001 1–गौरा, विहार, करवा, दुर्गापुरवा मढ़िया, लोनार, 3–सोनहार, महुआपुरवा, 4–खदेरिया, खंजारपुरवा, पटियनपुरवा, 5–तेरवा कुल्ली, चपरतला, नरवा देवापुरवा, गुलाबपुरवा, जसरापुर, सुल्तानपुरवा, छोट्टापुरवा, डफलई, बंदरिया तेरिया, भवानीपुर, 7 नेवादा परस, दीनाखेड़ा, जरौती- शेरपुर ।

अम्बेडकर गांवों में विद्युतीकरण न कराना यह खुले रूप में गरीबों, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का शोषण किया जाना प्रतीत हो रहा है चूंकि यह मामला बड़ा ही गम्भीर और अनुसूचित जन जाति से जुड़ा हुआ है इसलिये इस लोकमहत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना जरुरी है जिससे शासन के आदेशों का पालन हो सके और इन ग्रामों में विद्युतीकरण कराया जा सके जिससे विद्युतीय प्रकाश जनता को प्राप्त हो सके ।]

जनपद मैनपुरी के ग्राम उसनौधा में श्री ओंकारेश्वर संस्कृत विद्यालय संकीर्तन के शिक्षकों के बकाये वेतन के भुगतान की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिवसिंह चक–

[महोदय, उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहना है कि उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में मा० माध्यमिक शिक्षा मंत्री द्वारा श्री ओंकारेश्वर संस्कृत विद्यालय संकीर्तन ग्राम पोस्ट उसनौधा जनपद मैनपुरी में अध्यापकों का वेतन वर्ष 1981–82 से अवरुद्ध के साथ विद्यालय का अनुदान भी रुका हुआ है कि प्रकरण में प्राप्त आख्या का परीक्षण कर निस्तारण कर दिया गया है स्वीकार किया

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

है किन्तु इस संबंध में आज तक न तो कोई पत्र ही न ही धनराशि विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई है। शिक्षकों को वर्ष 1981–82 से भुगतान न होने की दशा में आर्थिक तंगी के कारण उनकी स्थिति दयनीय है।

अतः मैं उपरोक्त प्रकरण में विलम्ब किस स्तर पर हो रहा है अथवा रुका हुआ है के निस्तारण के लिये इसे नियम 301 में उठाने हेतु आपकी अनुमति चाहता हूं ताकि शिक्षकों के वेतन का भुगतान एवं विद्यालय को अनुदान मिलने के साथ प्रकरण में न्याय मिल सके।]

जनपद बागपत के कतिपय गांवों के लम्बित चकबन्दी कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री समरपाल सिंह–

[जनपद बागपत के दाहा, दोघट, टीकरी, निरपुड़ा, बामनौली, सिस्सली, रठाड़, सिरसनगढ़ मवीकला आदि गांवों में विगत लगभग 20 वर्षों से चकबन्दी का कार्य लम्बित है ; इतने अधिक समय से चकबन्दी लम्बित रहने के कारण एक तरफ तो किसानों को परेशानी हो रही है, दूसरी तरफ इस क्षेत्र में अनेक कल्याणकारी योजनायें लम्बित हैं।

मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का लोकमहत्व के इस विषय की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये सरकार के द्वारा तत्काल प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग करता है।]

जनपद आगरा में थाना निबोहरा के अन्तर्गत वन रक्षक श्री ईश्वरी प्रसाद आदि का उत्पीड़न होने तथा धनौला कला में पुलिस चौकी स्थापना की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजयपाल सिंह–

[मान्यवर, जनपद आगरा थाना निबोहरा के अन्तर्गत फरवरी माह में दो हत्यायें हुई थीं। जिनमें वन रक्षक श्री ईश्वरी प्रसाद व अन्य तीन के नाम नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जबकि उक्त के नाम पहली बार रिपोर्ट दर्ज हुई है। संबंधित जांचकर्ता द्वारा उक्त कथित अभियुक्तों से धनराशि की मांग की जाती रही परन्तु निर्दोष होने के कारण कथित अभियुक्तों ने धनराशि देने से इंकार कर दिया, जिस पर संबंधित जांचकर्ता ने उक्त कथित अभियुक्तों पर रासुका की प्रक्रिया जारी की है। जबकि प्रथम बार रिपोर्ट दर्ज होने पर रासुका की कार्यवाही नियमतः गलत है।

मान्यवर, कथित अभियुक्तों की संबंधित जांचकर्ता द्वारा कुर्की की गई जिनमें अनाज आदि जांचकर्ता ने आधे से ज्यादा बेंचकर धन अपनी जेब में रख लिया है और उस अनाज को अभिलेखों में कम दर्शाया गया है। यह भी जांच का विषय है।

मान्यवर, उक्त घटनायें जहां घटित हुई हैं वहीं धनौला कलां देवी का मंदिर के नाम से पुलिस चौकी प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत है मगर अभी तक चौकी स्थापित न किये जाने से अपहरण कांड व हत्यायें होना आम बात है।

अतः मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन में चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रेशम निदेशालय में व्याप्त अराजकता तथा भ्रष्टाचार होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० राम बाबू हरित–

[रेशम निदेशालय अनावश्यक रूप से किराये की इमारत में चल रहा है जबकि नई इमारत साज-सज्जा के साथ तैयार है । निदेशालय में अराजकता, भ्रष्टाचार अनुशासनहीनता एवं लूट खसोट का माहौल है । पूर्व सचिव पत्रावलियों के साथ कहीं अन्यत्र चले गये हैं । समूह "ग" का परीक्षाफल अभी तक घोषित नहीं हो सका है क्योंकि पूर्व निदेशक बिना हस्ताक्षर किये परीक्षा पत्रावली को छोड़ गये हैं । जानकारी में आया है कि माह फरवरी/मार्च में हुई खरीददारी में भारी भ्रष्टाचार हुआ है । पूर्व निदेशक/अपर निदेशक/संयुक्त सचिव ने विभाग के बाहर के लोगों को जातीय उन्माद में आकर निदेशालय के वाहन व कर्मचारीगण तैनात करने के साथ-साथ उनके दौरों एवं खानपान पर भारी फिजूल खर्ची की है उत्पादन न के बराबर है । नवीन भवन की साज-सज्जा में हुए घोटाले की जांच सचिव रेशम के कार्यालय में लम्बित है ।

अतः आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं ।]

एल० डी० ए० कालोनी, कानपुर रोड योजना सेक्टर एच के अन्तर्गत एम० आई० जी के मकानों में सीवर और पानी की व्यवस्था कराये जाने के संबंध नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि एल० डी० ए० कालोनी कानपुर रोड योजना सेक्टर–एच के अन्तर्गत एस० एस० ई–3 के भूखण्डों पर विगत 7-8 वर्षों से लोग आवास बनाकर रह रहे हैं । उक्त भूखण्ड के चारों तरफ एम० आई० जी० के मकान हैं तथा उनमें सीवर व पानी की व्यवस्था की गयी है लेकिन उक्त भूखण्डों में न तो पीने के पानी की व्यवस्था है न ही सीवर की सुविधा दी गयी है । जिससे लोगों में काफी रोष है ।

यहां यह भी अवगत कराना है कि सीवर व पानी की सुविधा दिये जाने के बारे में यहां के निवासियों ने कई बार लिखा परन्तु आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई । सीवर न होने से यहां के निवासियों को काफी असुविधा हो रही है ।

अतएव यहां के निवासियों की परेशानियों को देखते हुए एस० एस० ई–3 के भूखण्डों में (सं० एस० एस०–ई-3/754, 755, 761, 762, 763, 735, 736 आदि) सीवर व पानी की सुविधा उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे वहां के निवासियों की समस्याओं का समाधान हो सके ।]

मिर्जापुर में स्थित टाण्डा फाल जलाशय की मरम्मत हेतु शासन से धन उपलब्ध कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० सरजीत सिंह डंग–

[मिर्जापुर नगर क्षेत्र में पहले केवल टाण्डा जलाशय जो सिटी ब्लाक में स्थित है, से पूरे मिर्जापुर नगर को ग्रेविटी सिस्टम से पेयजल की आपूर्ति की जाती थी । कालान्तर में इसकी जलाधरण क्षमता उत्तरोत्तर कम होने एवं जीर्णशीर्ण स्थिति में हो जाने के कारण ट्यूबवेल खोदने की आवश्यकता पड़ी जिससे बहुमूल्य भूगर्भ जल का दोहन किया गया । यह जलाशय 1912 में ब्रिटिश राज्य में बना था, उसके बाद इसकी मरम्मत, रख-रखाव न होने के कारण आज यह जीर्णशीर्ण अवस्था में है और इसकी जलाधरण क्षमता लगातार सिल्टिंग के कारण घट जा रही है । स्थान-स्थान पर यह जलाशय क्षतिग्रस्त हो

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

गया है और बड़ी मात्रा में सीपेज हो रहा है, अभियन्ताओं की आशंका है कि यदि इस जलाशय पर और अधिक दबाव बढ़ा तो यह टूट भी सकता है जिसके फलस्वरूप सिटी ब्लाक के लगभग 24-25 गांव तथा नगर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जलप्लावित हो जायेगा और धन-जन हानि की अपूर्णनीय क्षति संभावित है । 54 लाख रुपये का प्राक्कलन जलकल विभाग के अभियन्ता नगर पालिका परिषद्, मिर्जापुर द्वारा इस संदर्भ में शासन को प्रेषित किया गया है तथा इसमें भी यह उल्लिखित है कि इसकी तत्काल आवश्यकता उपरोक्त कारणों से अनिवार्य है । ऐसी स्थिति में जहां एक ट्यूबवेल लगाने में लगभग 15 लाख रुपये खर्च होंगे और बहुमूल्य भूगर्भ जल का क्षरण होता है । ग्रेविटी सिस्टम पर आधारित इसे सुदृढ़ करने की महती आवश्यकता है । इससे जहां मिर्जापुर नगर को पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ होगी वहीं जिन ग्रामों एवं नगर के क्षेत्र में जन-धन हानि संभावित है, वह भी समाप्त हो जायेगी ।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए टाण्डा फाल जलाशय की मरम्मत हेतु वांछित धनराशि शीघ्र संबंधित विभाग को प्रेषित करने की सरकार से मांग करता हूं ।]

अधिशासी अभियन्ता जल निगम फतेहपुर तथा इलाहाबाद मण्डल में सेवारत अधीक्षण अभियन्ता द्वारा कराये गये फर्जी भुगतान की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुरलीधर–

[मान्यवर, जनपद फतेहपुर में सेवारत अधिशासी अभियन्ता जल निगम एवं इलाहाबाद मण्डल में सेवारत अधीक्षण अभियन्ता दोनों मिलकर फर्जी बाउचर लगाकर बिना सामान परचेज किये अपने अपने रिश्तेदारों के द्वारा निर्मित फर्जी फर्मों से लाखों रुपये के भुगतान कराये हैं । रिश्ते में भान्जे, मेसर्स प्रतीक मशीनरी एण्ड इन्जीनियरिंग इन्टरप्राइसेज 102 नया ममफोर्डगंज इलाहाबाद व मेसर्स चन्द्रमा इन्जीनियरिंग 87–ए–गणेशनगर न्यौरा इलाहाबाद के नाम 13 लाख रुपये का ठेका पी० सी० सी० स्पेशन का दिया गया है । एक ही व्यक्ति द्वारा बैंक आफ बड़ौदा नूरउल्लाह रोड इलाहाबाद में एकाउन्ट नं०–617, 618, 619 सीरियल में धन जमा किया गया है तथा हैण्ड पम्प में लगने वाली घटिया सामग्री इन्हीं फर्मों से खरीदकर 20 प्रतिशत अधिक दर पर भुगतान किया गया है । जिसमें विभाग को 6 लाख का भुगतान हुआ है । फतेहपुर में हफ्तों में एक दिन आते हैं, जे० ई० मलवां द्वारा धाता किशनपुर अहमदगंज, कुसम्भा, खाना मोहम्मदपुर, गौती, कटोंधन, कासिमपुर, हथगांव, जल योजनाओं में पाइप लाइन चोक दिखाकर मिट्टी का भरना फर्जी मास्टर रोल से 4 लाख रुपये निकालना । अधिशासी अभियन्ता जल निगम फतेहपुर के समस्त कार्यों की जांच उच्चस्तरीय अथवा टी० ए० सी० के कराई जाए एवं इनका स्थानान्तरण जांच दौरान सुदूर कर दिया जाए, जिससे जनता की गाढ़ी कमाई के धन का दुरुपयोग न हो सके ।]

जनपद रायबरेली के थाना महराजगंज की पुलिस द्वारा जनता पर अत्याचार किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तेजभान सिंह–

[मान्यवर, जनपद रायबरेली के थाना महराजगंज के पुलिस द्वारा ग्राम मऊ में राम बक्श अनुसूचित के यहां चोरी की रिपोर्ट दर्ज न करना इस प्रकरण की जांच मुख्य मंत्री को पत्र दिये जाने के बाद कार्यवाही न करना । इसी गांव को भगवती पासी की दिनांक 30-5-99 को इसी गांव के सरंग अपराधी मुन्ना मिश्र आदि ने घरों में घुसकर राइफल, बन्दूक लेकर गाली गलौज की गई । [illegible] रिपोर्ट तक नहीं लिखी गयी । इसके पूर्व यही आततायी बीबी मोहम्मद गांव बाजार दुबे तथा [illegible] हारजन

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

राम आधार व भगवती की हत्या कर चुके हैं । इनके आतंक से हरिजनों ने गवाही देने की हिम्मत नहीं की क्योंकि इस थाने में तैनात पाण्डेय दरोगा इन अपराधियों से मेल जोल कर रहा है । इनकी थाने से साजिश के कारण गजनाथ सिंह, मुरैनी को रात में उठा ले गये तथा धारा 151 में बन्द कर दिया, श्रीमान, इसी गांव के एक रघुराज सिंह आदि ने आम रास्ता रोक लेने के कारण नरेन्द्र बहादुर सिंह उर्फ गोकुल सिंह के प्रार्थना-पत्र पर जिलाधिकारी के आदेश पर नायब तहसील नापने गये जिन्हें मारपीट कर भगा दिया गया । किसी तरह से शिकायतकर्ता गोकुल सिंह उन्हें तहसील ले आये तहसीलदार तथा महराजगंज के दरोगा जीतराम, वहीं बैठे ही थे कि उक्त गोकुल आदि के विरुद्ध 323, 504, 506 के मुकदमा थाने में साजिशन कायम कराया गया ।

श्री गोकुल सिंह उक्त अधिकारियों के समक्ष बैठे थे । उसी समय मुकदमा लिखे जाने के बाद भी उन्हें थाने जाने पर बन्द कर गुण्डा ऐक्ट लगा दिया गया । श्रीमन्, मात्र एक 323, 504, 506 के मुकदमें के कारण किसी सम्भ्रान्त के विरुद्ध गुण्डा ऐक्ट लगाना पुलिस की कार्यवाही किसी भी तरह न्याय संगत नहीं है । इससे क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है ।

अतः लोक महत्व के इस प्रश्न को माननीय सदन के माध्यम से उठाकर अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा सम्भ्रान्त लोगों के विरुद्ध कार्यवाही रोकने की मांग करता हूं ।]

लखनऊ के मोहल्ला खुर्रमनगर स्थित कब्रिस्तान की भूमि अनधिकृत कब्जे को हटाने और रास्ता दिलाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आलम बदी–

[महोदय, विकास नगर योजना लखनऊ के, से०–8 में योजना में समाविष्ट ग्राम खुर्रमनगर के खसरा सं०–170 व 171 पर कब्रिस्तान स्थित है अंजुमन कब्रिस्तान जीनपिरन कमेटी ने कब्रिस्तान की जमीन पर अनाधिकृत कब्जों व रास्ता दिलाने हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् लखनऊ के समक्ष आवेदन-पत्र वर्ष 1995 में प्रस्तुत किये । काफी प्रयासों के बाद आवास आयुक्त ने 26-7-98 को इस मामले के संबंध में एक समिति का गठन किया । इस समिति द्वारा 5-8-97 को मौके पर निरीक्षण करके कब्रिस्तान की सीमा को चिन्हित किया गया । इसी से संबंधित मामले में परिषद् बन्धु के बैठक में दिनांक 27-4-96 को निर्णय लिया गया कि अधीक्षण अभियन्ता कब्रिस्तान के रास्ते की समस्या के निराकरण हेतु जिलाधिकारी लखनऊ से अनुरोध करें । उपरोक्त के अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता ने जिलाधिकारी लखनऊ को दिनांक 6-6-98 को पत्र लिखकर पुलिस बल उपलब्ध कराने एवं किसी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हेतु आदेश दिये जाने का अनुरोध किया । इसके उपरान्त रास्ता दिलाये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही न होने पर माननीय नगर विकास मंत्री को दिया । दि० 23-9-98 को प्रार्थना-पत्र देकर रास्ता दिलाने की मांग की गई । माननीय मंत्री जी के निजी सचिव को अपर आवास आयुक्त एवं सचिव ने दिनांक 16-11-98 को पत्र लिखकर सूचित किया कि अंजुमन कब्रिस्तान जीनपिरन स्वयं जिलाधिकारी लखनऊ से मिलकर कार्यवाही कराने का अनुरोध करें, परिषद् केवल अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में मात्र सहयोग कर सकती है । आज तक एक अल्पसंख्यक सम्प्रदाय से संबंधित मामला रुका पड़ा है जनता में घोर असंतोष व्याप्त हो गया है । किसी समय वह मामला साम्प्रदायिक रूप ले सकता है ।

अतः इस गम्भीर समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से तत्काल कार्यवाही कर रास्ता दिलाये जाने की मांग करता हूं ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ-माना गया ।

जौनपुर में क्षेत्र बयालसी के तहसील सदर के अन्तर्गत ग्राम इजरी के गायब हुए सम्पूर्ण रेवन्यू रिकार्ड को शीघ्र तैयार कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय–

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बयालसी के तहसील सदर जौनपुर अन्तर्गत ग्राम इजरी का सम्पूर्ण रेवन्यू रिकार्ड कई वर्षों से गायब हो गया है । फलस्वरूप उस ग्राम का भूमि संबंधी कोई रिकार्ड नहीं होने से अराजकता व्याप्त है, कोई मेड़ नहीं है । चक मार्ग ठीक से नहीं है । वहां चकबन्दी कार्य होना है ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए इजरी ग्राम तहसील सदर का सम्पूर्ण रेवेन्यू रिकार्ड मौके पर युद्धस्तर से कार्य करके तैयार कराया जाए, ताकि वहां पर अराजकता रोकी जाए और प्रत्येक व्यक्ति का अपना खसरा खतौनी हो ।]

फैजाबाद से स्थानान्तरित किये गये विभिन्न विभागों को पुनः वापस लाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवधेश प्रसाद–

[महोदय, जबसे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ हुई है प्रदेश का हर व्यक्ति उसके जनविरोधी निर्णयों से दुखित है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र सोहावल में सिंचाई विभाग नलकूप का कार्यालय फैजावाद में था अब उसे हटाकर जनपद बाराबंकी में कर दिया गया । किसानों के सामने घोर संकट पैदा हो गया । इसी प्रकार सी० ओ० सर्किल (पुलिस विभाग) जो पहले सदर में था अब रौनाही थाना को रुदौली में कर दिया गया है । लोगों के सामने संकट पैदा हो गया है ।

महोदय, इसी प्रकार जब प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और भाजपा की सरकार प्रदेश में थी सुश्री मायावती मुख्यमंत्री थीं वर्ष 1997 में जाते-जाते मसौधा ब्लाक के लगभग 60 गांव जिसमें भदरसा टाउन एरिया भी शामिल है उसे नवनिर्मित सोहावल तहसील में कर दिया जिससे यहां के लोगों को घोर संकट पैदा हो गया । क्योंकि यह गांव सदर तहसील के समीप पड़ते थे आवागमन में सुविधा थी ।

महोदय, उपरोक्त सरकारों की जन विरोधी और किसान विरोधी निर्णयों के खिलाफ समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है । लोगों के सामने घोर संकट पैदा है । सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि उपरोक्त निर्णय को तत्काल वापस लिया जाए ।]

आबकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लाल मणि प्रसाद–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन में नियम–301 के अन्तर्गत मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । आबकारी विभाग में घोर अनियमिततायें एवं भ्रष्टाचार व्याप्त होने के कारण योग्य, सक्षम एव विधिवत चयनित अभ्यर्थियों की अनदेखी कर वर्ष 1990-91 में अनियमित नियुक्तियां उप-आबकारी निरीक्षक के पद पर की गयी है । जिससे उपयुक्त पात्रों के साथ घोर अन्याय हुआ है ।

आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा उप आबकारी निरीक्षक पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से राज्यस्तरीय प्रतियोगिता द्वारा चयनित किये जाने हेतु 34 पदों के विज्ञापनोंपरान्त 30 पदों पर ही नियुक्तियां की गयीं तथा 4 पद मृतक आश्रितों द्वारा भर लिये गये । उक्त परीक्षा की प्रतीक्षा सूची को

नोट :–[ ] यह अंश पढा हुआ माना गया ।

भी गोपनीय रखा गया था और चयनित अभ्यर्थियों में से 7 व्यक्तियों के त्याग पत्रों के उपरान्त मात्र एक रिक्त स्थान उक्त प्रतीक्षा सूची को तीसरे क्रमांक के अभ्यर्थी द्वारा भरा गया । अन्य लोगों को स्थान समय व आधार नियमानुकूल होते हुए भी नियुक्ति नहीं प्रदान की गयी । आज तक उक्त पद की अन्य कोई भी परीक्षा सम्पन्न कराकर किसी भी व्यक्ति को पदभार नहीं ग्रहण कराया गया अपितु उक्त सीधी भर्ती के पदों पर लगातार मृतक आश्रितों को पद भार ग्रहण कराया जा रहा है । वर्तमान में स्वीकृत पदों के लगभग आधे (50 प्रतिशत) पद मृतक आश्रितों द्वारा भरा जा चुका है । जबकि विभिन्न वर्गों हेतु आरक्षित पदों को भरने में उदासीनता बरती गयी है ।

वर्ष 1991 में गोपनीय प्रतीक्षा सूची से पद भार ग्रहण कराये जाने में हुए भ्रष्टाचार की जांच के आदेश जनवरी, 1999 में अनेकानेक दबावों के कारण शासन ने जिलाधिकारी, इलाहाबाद को जारी किये थे उक्त संदर्भ में जांच आख्या मार्च, 1999 में शासन को प्राप्त हो चुकी है । परन्तु खेद है कि जांचोपरान्त दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध अभी तक कोई भी दण्डात्मक कार्यवाही नहीं गयी है । परिणामस्वरूप भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलन्द हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है ।

अतः मैं जनहित में इस गम्भीर विषय पर जांचोपरान्त दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध अविलम्ब दण्डात्मक कार्यवाही करने एवं उनकी चल/अचल सम्पत्ति की गोपनीय जांच कराये जाने के लिये मांग करता हूं ।]

प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग तथा आबकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जोखूलाल यादव–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नियम 301 के अन्तर्गत अत्यन्त ज्वलन्त विषय की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । श्रीमान जी प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में घोर अनियमिततायें एवं भ्रष्टाचार व्याप्त होने के कारण योग्य सक्षम अभ्यर्थियों का चयन और आबकारी विभाग में आबकारी कान्स्टेबिल (सिपाही) के पदों पर न हो सका ।

विभाग में आबकारी सिपाहियों के चयन हेतु वर्ष 1997 में प्रदेश के विभिन्न मण्डलों में चयन की प्रक्रिया सम्पन्न कराये जाने हेतु पदों को विज्ञापित कराया गया था । उक्त पद हेतु वे ही अभ्यर्थी अर्ह रहते हैं जो शासन द्वारा आबकारी सिपाही हेतु निर्धारित शारीरिक अर्हता पूरी करते हों, के अन्तर्गत प्राथमिक तौर पर शारीरिक ऊंचाई एवं सीना का मापदण्ड निर्धारित किया गया है ।

उक्त पद हेतु शारीरिक मापदण्ड का मापन जिले के मुख्य-चिकित्साधिकारी द्वारा कराये जाने का प्राविधान है । जिले के मुख्य-चिकित्साधिकारियों के कार्यालयों में उक्त कार्य हेतु जिन-जिन व्यक्तियों की समिति मापन हेतु गठित की गयी थी उनमें से प्रदेश के अनेकों जिलों की चयन समिति (शारीरिक परीक्षण) द्वारा शारीरिक रूप से अयोग्य अभ्यर्थियों को उक्त पद हेतु योग्य घोषित किया गया जिससे प्रदेश की जनता एवं प्रतियोगी परीक्षार्थियों विशेषकर नवयुवकों में भयंकर असन्तोष व्याप्त है और धांधली की चर्चा प्रदेश के कोने-कोने में हो रही है । अन्तिम रूप से उक्त पद हेतु चयनित व्यक्तियों में से 32 अभ्यर्थी प्रशासन/शासन द्वारा मेडिकल परीक्षण में अयोग्य पाये गये हैं । विभाग द्वारा मण्डलों में बनायी गयी चयन समिति में नामित अधिकारियों ने भी आयोग्य अभ्यर्थियों के चयन में बढ़-चढ़कर भूमिका निभायी है । अतः मैं जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व के इस गम्भीर विषय पर जांचोपरान्त दोषी पाये गये चिकित्सा एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध समयबद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश देने की मांग करता हूं ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

फैजाबाद में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में लापरवाही बरते जाने हेतु कार्यवाही की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र यादव–

[मान्यवर, दिनांक 4-5-99 को जिलाधिकारी फैजाबाद की अध्यक्षता में एक आवश्यक माननीय जन प्रतिनिधियों एवं उच्च विभागीय अधिकारियों की बैठक हुई । जिसमें विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने को कहा गया परन्तु अभी तक उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है । मुख्य विकास अधिकारी फैजाबाद के पत्रांक 807/बैठक/कार्य० सं०/जि०यो०/99-2000 दिनांक 17 मई, 1999 द्वारा समस्त कार्यदायी संस्थाओं एवं अधिकारियों को निर्देशित किया गया था परन्तु अभी तक कोई कार्य नहीं हो रहा है और कार्यों में काफी लापरवाही की जा रही है । धन का अभाव व जहां धन है वहां पर भी निष्क्रियता आगे आ रही है ।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद इटावा में थाना चौथिया के अन्तर्गत हुए कत्ल के मुकदमों के अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिवपाल सिंह यादव–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान थाना चौबिया, जनपद इटावा में घटित कत्ल के मुकदमों, जिसकी विवेचना सी० बी० सी० आई० डी० द्वारा सी० बी० नं० 14/98 एवं सी० बी० जे० 181/97 द्वारा की जा रही है, जिसमें तीन बार चार्जशीट लगने के बाद नामजद/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, की तरफ आकर्षित कर रहा हूं । उक्त दोनों मामलों में अजीत व महेन्द्र पुत्रगण टैनीराम निवासी ग्राम गंगापुर, थाना चौबिया, इटावा में दोनों भाइयों की अलग तारीखों में हत्या की गई थी तथा अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी से बचाने के लिये शासन ने विवेचना सी० बी० सी० आई० डी० को सौंप दी थी; जिसमें शिथिलता की जा रही है । अभियुक्तगण भय व आतंक पैदा कर रहे हैं । इसी तरह से प्रदेश के अन्य भागों में हालत है । अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर उक्त केसों में अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी की मांग करता हूं ।]

विष्णुपुरी कालोनी, अलीगंज, लखनऊ में पेयजल व्यवस्था एवं सफाई व्यवस्था ठीक कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मानिक चन्द्र यादव–

[मान्यवर, चर्च रोड स्थित विष्णुपुरी कालोनी, अलीगंज, लखनऊ के आवास संख्या 52 से 56 तथा 66 से 71 तक के मकान ऊंचाई पर स्थित हैं, जिस कारणवश यहां के निवासियों को पिछले तीन महीनों से पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है । अनेकों प्रयासों के बाद भी अभी तक उक्त समस्या का समाधान नहीं हो पाया है तथा पानी का घोर संकट व्याप्त है । इसी प्रकार सीवर की व्यवस्था एवं सफाई कर्मचारी की नियुक्ति न होने के कारण अत्यधिक गन्दगी व्याप्त है । यहां पर स्थित प्रतिष्ठित सेंट फिदेलिस इन्टर कालेज के हजारों बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए अनुरोध करता हूं कि इन समस्याओं का स्थायी समाधान कराने की कृपा करें ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद फतेहपुर के क्षेत्र जहानाबाद अन्तर्गत थाना जाफर गंज के ब्रह्मनपुर मजरे बरहट में श्री इश्तियाक अहमद द्वारा आतंक मचाने एवं अनुसूचित जातियों पर अत्याचार किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अयोध्या प्रसाद पाल–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के थाना जाफरगंज के ब्रह्मनपुर मजरे बरहट में श्री इश्तियाक अहमद जो प्रधान के पति हैं, दंगाई तथा गुण्डा व शातिर अपराधी हैं । उसने दिनांक 28-6-99 को 8-10 आदमी मय असलहा के लैस होकर ब्रह्मनपुर के किशनलाल सोनकर पुत्र दुलीचन्द्र का सुअरबाड़ा व मकान जबरदस्ती गिरा दिया तथा उस अनुसूचित जाति (खटिक) के औरतों को मारा पीटा तथा सभी को गांव से बाहर खदेड़कर भगा दिया । उक्त गांव में भय का वातावरण पैदा हो गया है ।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि उक्त घटना से उत्पन्न गांव में दहशत को खत्म किया जाये तथा उक्त दोषी व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करने के लिये जिला प्रशासन को निर्देशित किया जाये तथा प्रभावी कार्यवाही कराई जायें ।]

हरदोई के विधान सभा क्षेत्र 88–पिहानी में विद्युत व्यवस्था ठीक कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० अशोक बाजपेयी–

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र 88–पिहानी, हरदोई के विद्युत वितरण के संबंध में गम्भीर कठिनाई बनी हुई है । पूरे विधान सभा क्षेत्र में 132 के०वी० का मात्र एक सर्विस स्टेशन है । इतने बड़े क्षेत्र में ग्राम सभा रैनाई, आलमनगर एवं अयारी में 132 के०वी० के सब स्टेशन की महती आवश्यकता है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में विद्युत वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 132 के०वी० के तीन सव स्टेशन को स्थापित करने हेतु निर्देश देने का कष्ट करें ।]

जनपद हरदोई की नगरपालिका हमीरपुर व नगर पंचायत कुरारा व सुमेरपुर में व्याप्त गन्दगी को दूर किये जाने तथा सड़कों एवं नालियों को निर्माण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिवचरन प्रजापति–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान हमीरपुर जनपद के जिला मुख्यालय हमीरपुर, विधान सभा क्षेत्र हमीरपुर तथा क्षेत्र में स्थित दो नगर पंचायतों क्रमशः कुरारा व सुमेरपुर की दशा व दुर्दशा की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं । नगरपालिका हमीरपुर तहसील एवं जिला मुख्यालय भी है, उच्च शिक्षा संस्थाएं भी संचालित हैं, विकास खण्ड मुख्यालय भी है दोनों नगरों की सड़कें नालियों की हालत खराब है, नालियां टूट गई हैं, सड़कों में जगह जगह गड्ढे हो गये हैं वहां गन्दगी का साम्राज्य है, पानी भरा है जिससे जनता में आक्रोश व्याप्त है ।

यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है अतः उक्त विषय पर माननीय नगर विकास मंत्री का वक्तव्य दिला कर नगरपालिका हमीरपुर व नगर पंचायत कुरारा व सुमेरपुर की सड़कें व नालियों का निर्माण करा कर गन्दगी को दूर कराने का कष्ट करें ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद मैनपुरी के ब्लाक बेवर में कतिपय सड़कों के निर्माण कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम औतार शाक्य-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से चालित परियोजना डायवर्सोफायड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, जिसकी विकास की गति बहुत धीमी है तथा जिस उद्देश्य की प्रति हेतु यह परियोजना प्रदेश के जिन चयनित जनपदों में प्रारम्भ की गई है, उसमें कृषि से सम्बद्ध विकास न होने और मुख्य रूप से पक्की सड़कों को न बनाये जाने की तरफ चिन्ता जाहिर करता हूं। मैं जनपद–मैनपुरी के ब्लाक बेवर का उल्लेख करना चाहता हूं मैंने कृषकों के विकास के लिए प्रदत्त पत्र जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, मैनपुरी पत्रांक क–2 नं० 0099057 दिनांक 1-5-99 को उद्धरित कर रहा हूं जिसमें –

1–बेवर–मोटर मार्ग से नगला परम (मौजा-रामनगर) वाया बम्बा से होकर गढ़िया के किनारे से होकर लम्बाई करीब 2 कि०मी० मय पुलियां।

2–बेवर–मोटर मार्ग हजारा से अकवरपुर वाया जुड़ेला (मानपुर बिकू),

3–बेवर–फर्रूखाबाद रोड, गाजियापुर से मिर्जापुर वाया मछापुर लम्बाई 4 कि०मी०।

4–कमाल पुर यह मुदिया से तिलियानी रोड तक वाया कौसेपुर नीलपुर लम्बाई 3 कि०मी० मय पुलिया।

5–ग्राम अठलखड़ा से शेरपुर चूहरपुर वाया नं०, पैठ चन्दनपुर लम्बाई 3 कि०मी०।

6–जी०टी० मार्ग बेवर ब्रांच पुल से लालापुर वाया गग्गरपुर लम्बाई–3 कि०मी०।

7–परौखा से जगतपुर वाया लायनपुर मय पुलियां।

8–जल्लापुर खद्दइया से गैंगरवाला लम्बाई 5 कि०मी०।

9–बेवर–इटावा मार्ग फतेहपुर गनी से दौलतपुर वाया खजुरिया लम्बाई 3 कि०मी०।

10–गैंगरवाला से प्रागपुर वाया से छटी लम्बाई–2 कि०मी०।

11–जी०जी० मार्ग से लक्ष्मणपुर लम्बाई 2 कि०मी०।

12–जी०टी० मार्ग यहां से छबीलेपुर लम्बाई–2 कि०मी०।

13–मानपुर हरी से जलालपुर मार्ग मऊशाहा तक वाया भूड़पटिया–भूड़हार लम्बाई– 4 कि०मी०।

14–चन्दुली से मानपुर पुल तक वाया बाजपुर लम्बाई–3 कि०मी०।

उक्त सड़कें न बनने से किसान अपनी उपज का मूल्य प्राप्त नहीं कर पाता और न बाजार तक ला पाता जिससे भारी असंतोष है।

अतः अविलम्बनीय इस लोकमहत्व के प्रश्न पर मैं उक्त सड़कें पेष्टिक स्तर तक बनाये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मथुरा स्थित गोवर्धन नगर पंचायत द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रणधीर सिंह–

[महोदय, आपके माध्यम से लोकहित के महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित सदन का कर रहा हूं ।

मथुरा जनपद स्थित गोवर्धन नगर पंचायत द्वारा खुलकर भ्रष्टाचार एवं अनियमितताएं की जा रही हैं तथा जिला प्रशासन मौन धारण किया हुआ है । उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों एवं अवशेषों का परीक्षण अधिनियम 1956 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए सरकारी अधिसूचना 2395/चार–10(50)/81 दिनांक 31 दिसम्बर, 1984 में निम्नलिखित संशोधन करके अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्या 9 पर मथुरा गोवर्धन सकोतरा में छतरी गोवर्धन (5.15) 515 एकड़ भूमि पर अवैध निर्माण भूमि माफियों से मिलकर नगर पंचायत गोवर्धन द्वारा भी नक्शा पास कराकर कर रहे हैं तथा ऐतिहासिक चीजों को खुर्दबुर्द करा दिया है प्रशासन मौन है इस सम्बन्ध में मुझ विधायक द्वारा पूर्व में भी पत्र लिखा गया अब पुनः 17-7-99 निदेशक पुरातत्व उत्तर प्रदेश को लिखा है परन्तु अब भी कार्य प्रारम्भ है तथा दुकानों का निर्माण हो रहा है । यहीं नहीं, जिलाधिकारी मथुरा द्वारा सचिव नगर विकास अनुभाग–1 को पत्रांक 747/21-13/टी०एच० सी०/99 दिनांक 21-4-99 द्वारा अपने पत्र में गम्भीर अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है जिसमें हो रही ठेका वसूली, यात्री कर का वसूली आदि का उल्लेख है, यही नहीं जिलाधिकारी को भ्रमित करके अड्डा पार्किंग जहां पर वसूली से पूर्व कार्य होकर यात्रियों की सुविधा शासनादेशों के अनुरूप अभी तक नहीं करता उसको अड्डा पार्किंग का देना अनुमति देता चिन्ता का विषय है । यहीं नहीं नगर पंचायत गोवर्धन में अधिशासी अधिकारी के स्थान पर लेखाकार द्वारा कार्य को कराना, चेक पर हस्ताक्षर करके तथा पूर्व में सभासदों द्वारा दिये गये लिखित शिकायतों को जो कि शासन पत्र में दिखलाया जाना तथा उस पर कार्यवाही नहीं होता जो चिन्ता का विषय ही नहीं शासन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किये हुए है ।

अतः लोक महत्व के विषय पर शासन से कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं ।]

मथुरा जनपद में पुलिस विभाग द्वारा जनता का उत्पीड़न किये जाने की रोकथाम की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल–

[मान्यवर, आपके माध्यम से लोकमहत्व के प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

मथुरा जनपद में पुलिस विभाग द्वारा आतंक कायम कर रखा है, निर्दोष जनता एवं आवाज उठाने वालों को बक्सा नहीं जा रहा है, दिनांक 13-6-99 को रात्रि में भारतीय जनता पार्टी गोवर्धन मण्डल के उपाध्यक्ष जनार्दन तिवारी को दुकान से घसीट कर सरे आम घसीट कर थाने मारते-पीटते लाठी डन्डों से ले जाया गया तथा भारी कार्यकर्ताओं के दबाव से कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त छोड़ा गया । तत्काल क्षेत्रीय विधायक अजय कुमार पोइया द्वारा थानाध्यक्ष सहित दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की अपेक्षा की गयी । आज तक कोई भी संबंधित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी । यहीं नहीं गोवर्धन गुरु पूर्णिमा के मेले से पूर्व गोवर्धन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ समाज के सभ्य लोगों को जाब्ता फौजदारी की धारा 107, 116 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये जो कि आजादी पर पाबंदी है जिसके कारण आक्रोश है जब कि आज तक के इतिहास में

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अभी तक इस प्रक्रिया को अपनाया नहीं गया है । यहीं नहीं जिन लोगों पर आपसी झगड़े के मामूली वाद एफ० आई० आर० कायम हुये दो-तीन का गुण्डा ऐक्ट में चालान किये गये हैं तथा किये जा रहे हैं जबकि अपराधी खुलकर पुलिस के संरक्षण में अपराध कर रहे हैं, अपराधों पर अंकुश नहीं लग सके हैं । जनता भयभीत है, आतंक कायम है, क्षेत्रों में दलालों के माध्यम से थाने चल रहे हैं, अपराध घटने की चेकिंग थानों में नहीं की जा रही है ।

अतः आपके माध्यम से तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

मथुरा जनपद में भूमि संरक्षण अदिकारी द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने तथा सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत फर्जी भुगतान आदि के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार पोइया–

[महोदय, आपके माध्यम से लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

मथुरा जनपद में भूमि संरक्षण अधिकारी मथुरा द्वारा खुलकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, विकास खण्ड फरह के खैरट ग्राम सभा में सुनिश्चित रोजगार योजना में विगत वर्ष में लगभग 14 लाख रुपये का कार्य किया गया है, यह कार्य जनपद फतेहपुर के मजदूरों द्वारा निजी ट्रैक्टर द्वारा कराया गया है जबकि सुनिश्चित रोजगार योजना में स्थानीय मजदूरों द्वारा कार्य होना चाहिये । मात्र उनके फर्जी चिट्ठे भरे गये हैं और फर्जी नामों से धन आहरण किया गया है । फर्जी आंकड़े तैयार कर काम से अधिक धन निकाला गया है । इसका प्रमाण आगड़न की एक प्रति भूमि संरक्षण कार्यालय में होती है जिसमें हेराफेरी की गयी है तथा दूसरी प्रति डी० आर० डी० ए० में होती है, उसमें हेरा-फेरी नहीं की गयी है, यही नहीं भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय में जाति वाद अपनाया जा रहा है इसीलिये अपनी स्वजाति के लोगों को कार्य एवं धन दिया है यह खैरट परियोजना से सिद्ध होता है तथा जीप का फर्जी भुगतान किया गया है जबकि यात्रा अपने अधिकारियों द्वारा साथ में मोटर साइकिल से की गयी है । सादाबाद विकास खण्ड में भी सुनिश्चित रोजगार एवं दस लाख कूप योजना के अन्तर्गत कार्य किया है, दस लाख कूप योजना में ग्राम में 70 प्रतिशत अनुसूचित जाति के किसानों के यहां कार्य किया जाता है जबकि सवर्णों को अनुसूचित जाति दर्शा कर उनके यहां फर्जी तरीके से कार्य कराया गया है जबकि यह योजना पूर्ण रूपेण अनुसूचितों के लिये ही है क्षेत्र में मेड़बन्दी का कार्य किया गया है जबकि मस्टररोल एवं अन्य पुस्तिका पर अधिक कार्य दर्शा कर फर्जी भुगतान किया गया है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप प्रभावशाली कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये सरकारी धन की वसूली हेतु कार्यवाही भी कराये जाने की मांग करता हूं ।]

श्री राम चन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा पर प्राणघातक हमला होने तथा उनकी सुरक्षा किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सीताराम निषाद–

[मान्यवर, इस सदन के सदस्य माननीय श्री राम चन्द्र यादव विधायक विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर जनपद–फैजाबाद के ऊपर दिनांक 10 जनवरी, 1997 को शातिर अपराधियों द्वारा रायफल से प्राणघातक हमला हुआ था जिससे इन्हें गम्भीर चोटें आयी थीं । हमलावर जेल से बाहर है माननीय विधायक के जान-माल को बराबर खतरा बना हुआ है । माननीय विधायक ने अपने जान-माल की सुरक्षा के लिये रायफल के लाइसेंस हेतु जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन-पत्र दिया था । जांचोपरान्त लाइसेंस दिया जाना जिला मजिस्ट्रेट के यहां अंकित है । माननीय विधायक ने अतिरिक्त सुरक्षा की भी मांग माननीय मुख्य मंत्री से की है किन्तु अभी तक सुरक्षा अतिरिक्त सुरक्षा नहीं दी गयी । मान्यवर, माननीय सदस्य विधान

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सभा की सुरक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न है किन्तु शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा मा० सदस्य की सुरक्षा के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैये से इनकी जिन्दगी को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है क्योंकि फैजाबाद जनपद अपराधियों का अड्डा है जहां पर आये दिन गम्भीर घटनायें हो रही हैं ।

अतएव माननीय सदस्य विधान सभा की सुरक्षा का अति महत्वपूर्ण विषय सदन के संज्ञान में माननीय अध्यक्ष जी से इस प्रश्न को उठाने की अनुज्ञा चाहता हूं ।]

श्री अध्यक्ष–

शेष सूचनायें अस्वीकृत की जाती हैं ।

परम्परानुसार आज उपवेशन के अन्तिम दिन की नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सभी सूचनाओं को स्वीकार किये जाने की मांग

* श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इस सम्मानित सदन की यह परम्परा रही है कि उपवेशन के आखिरी दिन को नियम 301 के अन्तर्गत जितनी सूचनायें दी जाती रही हैं वह सभी सूचनायें ले ली जाती थीं और शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया जाता था । आज उपवेशन का अन्तिम दिन है, मेरा अनुरोध है कि सभी सूचनायें जो नियम 301 की हैं उनको स्वीकार कर लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपके अनुरोध पर विचार कर लूंगा ।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, मैंने एक सूचना माननीय सदस्य की सुरक्षा के संबंध में दी थी । उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गयी है ।

श्री अध्यक्ष–

श्री राम चन्द्र यादव की सुरक्षा के संबंध में जो सूचना है उसकी प्रति मैं शासन को भेज दूंगा और अपेक्षा करूंगा कि उस पर कार्यवाही हो जाय ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, अभी नियम 301 के बारे में जो भावना व्यक्त की गयी है उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । परम्परा के अनुसार आपकी कृपा हो जाय और सारी सूचनाओं को आप स्वीकार कर लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं विचार कर लूंगा ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, उपवेशन के आखिरी दिन सभी 301 की सूचनाओं को हमेशा स्वीकार कर लिया जाता था । यही मेरी व्यवस्था का प्रश्न है कि आप आज सभी 301 की सूचनाओं को स्वीकार कर लें ।

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 15 जुलाई, 1999 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 15 जुलाई, 1999 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 22 जुलाई, 1999 को वापस प्राप्त हो गया ।

जनपद संत रविदास नगर (भदोही) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ज्ञानपुर के अन्तर्गत कोनिया क्षेत्र में धन तुलसी डेंगुरपुर घाट के पास गंगा नदी पर पीपे का पुल बनाये जाने के संबंध में श्री देवी शंकर तिवारी आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मैं आपकी आज्ञा से जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ज्ञानपुर के अन्तर्गत कोनिया क्षेत्र में धनतुलसी डेंगुरपुर घाट के पास गंगा नदी पर पीपे का पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री देवी शंकर तिवारी तथा श्री बंशीधर तिवारी, निवासीगण जनपद सन्त रविदास नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं ।

जनपद लखनऊ में हरदोई रोड से त्रिलोकी सिंह हायर सेकेन्ड्री स्कूल, बरावन कलां तक सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के संबंध में श्री अशोक कुमार आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री राजधारी–

मैं आपकी आज्ञा से जनपद लखनऊ में हरदोई रोड से त्रिलोकी सिंह हायर सेकेन्ड्री स्कूल, बरावन कलां तक सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार तथा श्री कमलेश कुमार निवासीगण–जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं ।

जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत नवसृजित तहसील मिल्कीपुर का भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री शकील खां आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री राम चन्द्र यादव–

मैं आपकी आज्ञा से जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत नवसृजित तहसील–मिल्कीपुर के भवन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शकील खां तथा श्री भोला नाथ भारती, निवासीगण–जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद लखनऊ के खरिका वार्ड के अन्तर्गत रायबरेली मुख्य मार्ग से लिंक रोड सुभानी खेड़ा से मोहरी बाग होते हुए राजीव नगर घुसियाना तक मार्ग के डामरीकृत कराये जाने के संबंध में श्री के० एस० रावत आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री श्याम किशोर यादव–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद लखनऊ के खरिका वार्ड के अन्तर्गत रायबरेली मुख्य मार्ग से लिंक रोड सुभानी खेड़ा से मोहरीबाग होते हुए राजीव नगर घुसियाना तक के मार्ग को डामरीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री के० एस० रावत तथा श्री आर० पी० डिमरी निवासीगण–जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

---

† छापी नहीं गयी ।

नोटः–नियम 301 के अन्तर्गत नियमानुसार प्राप्त सभी सूचनाएं यथास्थान स्वीकार कर ली गई ।

जनपद कन्नौज में असेवित विकास खण्ड योजनान्तर्गत कन्या विद्यालय स्वीकृत कराये जाने के संबंध में श्री शिव कुमार यादव आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री श्याम किशोर यादव–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद कन्नौज में असेवित विकास खण्ड योजनान्तर्गत कन्या विद्यालय स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव कुमार यादव, निवासी जनपद–कन्नौज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 22 जुलाई, 1999 की बैठक में सदन के दिनांक 23 जुलाई, 1999 के उपवेशन के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

1–सदन का दिनांक 23 जुलाई, 1999 के उपवेशन के कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय :–

जुलाई, 1999

23 शुक्रवार

(1) निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना ।

(2) असरकारी कार्य ।

(3) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :–

(क) उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1999

–दो घण्टा ।

(ख) उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति विधेयक, 1999

–आधा घण्टा ।

(ग) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1999 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ

–आधा घण्टा ।

(घ) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय) (संशोधन) विधेयक, 1999

–आधा घण्टा ।

(ङ) उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 1999

–आधा घण्टा ।

(4) डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :–

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों (एन०जी०ओ०)

† छापी नहीं गई ।

की कार्य प्रणाली को पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वच्छ एवं उत्तरदायी बनाये जाने हेतु शासन द्वारा सामान्य नीति बनायी जाय ।''

(5) श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उसपर एक घण्टे की चर्चा :–

''इस सदन का यह निश्चित मत है कि सरकार प्रदेश के किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु गन्ने के रस के शीतल पेय की भांति विक्रय हेतु नीति निर्धारित की जाय ।''

(6) श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा :–

''यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु ''भारत का संविधान के अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) के अन्तिम पंक्ति के प्रारम्भ में प्रयुक्त शब्द 'साहित्य' से पूर्व शब्द और चिह्न 'विधि,' रख दिया जाय ।''

(7) डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :–

''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि वह पेटेन्ट सम्बन्धी विधि में इस आशय का संशोधन करे कि भारतीय जड़ी-बूटियों के उत्पादन, उपयोग तथा विपणन आदि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।''

(8) प्रदेश में माध्यमिक शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता न दिये जाने के कारण माध्यमिक शिक्षकों द्वारा किये जा रहे आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय, श्री नरेन्द्र सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ।

(9) ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पंचायतों एवं नगर निगमों को संविधान के 73वें, 74वें संशोधन के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति'' के सम्बन्ध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय तथा डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर दो घण्टे की चर्चा ।

(10) प्रदेश में राशन की दुकानों पर भारत सरकार से प्राप्त कोटे के अनुरूप कम चीनी, मिट्टी का तेल, गेहूं, चावल आदि उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति'' के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ।

(11) प्रदेश में बढ़ती हुई पेयजल समस्या और गिरते हुए जल स्तर से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया, सदस्य, विधान

सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ।

(12) जनपद रामपुर में शुगर कारपोरेशन की चीनी मिल के बन्द होने से किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान न होने तथा मिल के कर्मचारियों के वेतन भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति'' के सम्बन्ध में श्री शिव बहादुर सक्सेना, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ।

(13) उत्तर प्रदेश में खाद्य, रसद एवं पेयजल पदार्थों में व्यापक स्तर पर मिलावट से जन-जीवन प्रभावित होने से उत्पन्न स्थिति'' के सम्बन्ध में श्री राजधारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ।

2—दिनांक 23 जुलाई, 1999 को प्रश्नकाल न रखा जाय तथा नियम 56 और नियम 311 की सूचनायें न ली जायं ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना आज अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने रखा है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ)

आज की कार्य सूची की मद संख्या 12, 13 एवं 14 को मद संख्या 27 के बाद लिये जाने का अनुरोध (मद संख्या–12 पुकारे जाने पर)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मेरा आग्रह है कि मद संख्या 12, 13 एवं 14 को मद संख्या 27 के बाद ले लिया जाय। मद संख्या 15 से 27 तक पहले ले लें । इतना संशोधन कार्य-सूची में कर लिया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है मद संख्या 12, 13, 14 को मद संख्या 27 के बाद में ले लिया जाएगा ।

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक 1999

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और अनुमति से उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन), विधेयक, 1999 पर विचार किया जाए यह प्रस्ताव करता हूं ।

श्रीमन् मैं पहले एक भ्रम का निवारण करना उचित समझता हूं । आज के समाचार पत्रों में बड़ी भ्रमपूर्ण खबरें छपी हैं । माननीय विधायकों को कहीं न कहीं से गुमराह करने की कोशिश की गई है ।

श्री अध्यक्ष–

समाचार-पत्रों का तो हम संज्ञान नहीं लेते ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है । मुख्य मंत्री जी ने प्रस्ताव नहीं किया है । जब तक प्रस्ताव न किया जाय तब तक विचार नहीं किया जा सकता है ।

श्री कल्याण सिंह–

मैंने प्रस्ताव पहले कर दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रस्ताव हो गया है ।

श्री कल्याण सिंह–

मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में अनिश्चितता का वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है । यह भारी चर्चा का विषय बना दिया गया है कि आज के बाद विधान सभा भंग हो जाएगी । एवं लोक सभा के साथ विधान सभा के चुनाव हो जाएंगे । मैं पूरे विश्वास और दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूरी मजबूती के साथ चल रही है एवं यह सरकार अपना शेष कार्यकाल उत्तर प्रदेश की महान जनता की सेवा में पूरा करेगी । उत्तर प्रदेश विधान सभा को भंग करने का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता और न ही उत्तर प्रदेश में मध्यावधि चुनाव कराने की आवश्यकता है। श्रीमन् मैंने यह बात इसलिये कहना उचित समझा कि आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा बहुत उन्मुक्त मन से हो अगर अफवाहें जारी रहतीं तो इससे माननीय सदस्यों के मन में तनाव पैदा हो सकता है । अतः तनाव मुक्त चर्चा हो उन्मुक्त मन से चर्चा हो इसलिये मैंने जो अनिश्चितता, अस्थिरता का वायुमण्डल पैदा किया गया जो गलत अफवाहें फैलाई गई, उसका खण्डन किया है और जोरदार और स्पष्ट शब्दों में खण्डन किया । यह जो पंचायत-राज संशोधन विधेयक हम लाए हैं, यह सत्ता के विकेन्द्रीकरण, विकास कार्यों में जनसहभागिता यह क्यों लाना पड़ा यह इसलिए लाना पड़ा कि संविधान की अपेक्षा है संविधान के अनुच्छेद 40 में साफ कहा गया है सरकार ग्राम पंचायतों को संगठित करने का उपाय करेगी तथा उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकारों से परिपूर्णित करेगी जो उन्हें स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की इकाई के रूप में सम्बद्ध बनाने हेतु आवश्यक है संविधान के अन्दर अधिकारों और कार्यों का वर्गीकरण किया गया है । तीन सूचियों की चर्चायें उसमें है । पहली–केन्द्रीय सूची, दूसरी राज्य सूची तथा तीसरी समवर्ती सूची । काश, उस समय स्वायत्तशासी शासन के संबंध में अधिकारों की सूची भी लगा दी गई होती तो सत्ता का विकेन्द्रीकरण पहले ही हो गया होता परन्तु राज्य सरकार पर यह छोड़ दिया गया कि इसे राज्य सरकारें करें । मान्यवर, दुख इस बात का है कि संविधान की इस मूल भावना के अनुरूप सत्ता का विकेन्द्रीकरण राज्य सरकार के द्वारा उठाया जाना चाहिये था, वह उसे नहीं उठा पाये । आज तो राज्य सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिये कि इस सरकार ने संविधान की उस मूल भावना के अनुरूप सत्ता का विकेन्द्रीकरण और विकास के कार्यों में सहभागिता के लिये कदम उठाया ।

श्रीमन्, कई कोनों से आलोचनायें हो रही हैं । मान्यवर, ग्राम पंचायत व्यवस्था के संबंध में कुछ महापुरुषों और विचारकों के चिन्तन को मैं यहां पर उध्दृत करना चाहता हूं । श्रीमन्, पूज्य महात्मा गांधी जी के जो विचार हैं, उसे मैं उदधृत करना चाहता हूं–पुस्तक का नाम है गांधी विचार–दर्शन धर्म राजनीति और अर्थनीति पृष्ठ–79, जिसमें कहा गया है "आजादी नीचे से शुरू होनी चाहिये । हर गांव में जम्हूरी सल्तनत या पंचायत का राज्य होगा । उनके पास पूरी सत्ता और ताकत होगी, ऐसा समाज अनगिनत गांवों को बनाना होगा ।" आगे पृष्ठ–80 पर कहा गया है सच्चा भारत उसके सात लाख गांवों में बसता है और भारत का भविष्य तब तक उज्ज्वल नहीं होगा, जब तक यह सात लाख गांव उसके जीवन में उचित भाग नहीं लेंगे । पंचायती राज इन इण्डिया–रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चैप्टर नेशनल परसपेक्टिव, पेज–6 पर कहा गया है–पंचायत जितनी ही ज्यादा शक्तिशाली होगी उतना ही

नेशनल परसपेक्टिव, पेज–6 पर कहा गया है–पंचायत जितनी ही ज्यादा शक्तिशाली होगी उतना ही लोगों के लिये बेहतर होगा क्योंकि सच्चे लोकतंत्र को प्रत्येक गांव के लोगों से, निचले स्तर से क्रियाशील होना होगा ।''

श्रीमन्, इसी प्रकार संत विनोबा भावे जी के जो विचार थे, उसे उद्धृत करना चाहता हूं । वह तो एक निष्पृह, निर्लिप्त व्यक्ति थे और वस्तुपरक उनकी सोच थी । उन्होंने कहा, पुस्तक का नाम है–पौलिटिकल थिंकर्स आफ मार्डन इण्डिया, अध्याय–प्लानिंग फार विलेज पृष्ठ–445–''ग्राम स्तर पर ग्राम विकास की योजना स्वयं ग्रामवासियों द्वारा बनायी जानी चाहिए और ग्राम सभा .... प्रेम और दयालुता से प्रेरित होनी चाहिये । आज पंचायतों के पास पूरी शक्ति नहीं है, इसलिये अपने मसलों को निपटाने में वे समर्थ नहीं है । मेरी योजना के अन्तर्गत ग्रामवासी स्वतः शक्ति सम्पन्न होकर अपनी दशा में पूर्ण परिवर्तन लायेंगे.... टीम भावना जगेगी । गरीबों को रोजगार देने के लिये पूरा गांव जिम्मेवार होगा । एक जिला पंचायत होगी और ग्राम विकास की योजना स्वयं गांव वाले तैयार करेंगे ।

श्रीमन्, समाजवादी दर्शन के महान विचारक डा० राम मनोहर लोहिया के विचारों को मैं यहां पर उद्धृत करना चाहता हूं । पुस्तक का नाम है समाजवादी दर्शन और डा० लोहिया पृष्ठ 145–विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त जनतांत्रिक शक्तियों को पतनशीलता और ठहराव से मुक्त करने के लिये है, ताकि स्रोत और प्रवाह कहीं एक स्थान पर पहुंच कर गढ़ और अवरुद्ध न होने पायें । आगे फिर कहा है–''विकेन्द्रीकरण का अर्थ है शक्ति, क्षमता और प्रतिभा का विकास ऊर्ध्वमुखी हो अर्थात् नीचे से ऊपर की और निरन्तर बढ़ने वाली हो, शक्ति नीचे से मिले । ऊपर से ऊंडेली न जाय । शक्ति जब नीचे से प्रस्फुटित होकर दर्जा-ब-दर्जा ऊपर की ओर उठेगी तो बुनियादी इकाई (गांव) और केन्द्र के बीच एक अन्योन्याश्रित सम्बन्ध होगा । विकास प्राकृतिक और स्वाभाविक होगा ।'' आगे फिर कहा गया है–''स्वायत्तता पूर्ण स्वावलम्बी गांवों के माध्यम से ही सत्ता ऊर्ध्वमुखी होकर प्रदेश और केन्द्र को शक्ति प्रदान कर सकती हैं । आर्थिक विकेन्द्रीकरण उस सम्पूर्ण योजना का एक निर्णायक अंग है ।'' मान्यवर, आदरणीय जय प्रकाश नारायण जी ने कहा–गांव केवल आर्थिक दृष्टि से ही एक ऐसी इकाई नहीं बनेगा बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी वह एक इकाई बने । अगर हमें अपने राजनैतिक जीवन को सुस्थिर बनाना हो तो हमें एक बार फिर गांव को सच्चे अर्थ में स्वायत्त शासन इकाई का रूप देना है । सच तो यह है कि जब तक राजनैतिक क्षेत्र में हम ऐसी व्यवस्था खड़ी नहीं करेंगे तब तक गांव उस तरह की आर्थिक इकाई का स्वरूप नहीं ले सकेगा, जो हमें इष्ट हैं ।

मान्यवर, इसी तरह से स्वर्गीय राजीव गांधी जी के विचार हैं–पुस्तक है 'डे बाई डे एकाउन्ट आफ राजीव गांधी' पृष्ठ–683 पंचायती राज को मजबूत बनाने की दिशा में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति निधियों को और अधिक सत्ता तथा उत्तरदायित्व सौंपना बहुत उपयोगी होगा । इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के निर्धारण और कार्यान्वियन में भी मदद मिलेगी ।

श्रीमन्, मैंने इन महा मनीषियों और विद्वानों के विचार इसीलिये उद्धृत किये हैं ताकि हम इस पर समझ लें कि जो कुछ सरकार करने जा रही है वह संवैधानिक सम्मत तो है ही लोकतंत्र के अनुकूल तो है ही । इन महापुरुषों मनीषियों और विद्वानों ने दिशा निर्देशन दिया है । हम कोई नई बात नहीं करने जा रहे हैं । हम उन्हीं दिशा निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं । श्रीमन् सत्ता के विकेन्द्रीकरण और विकास में जनता की सहभागिता का जो अधिकार है वह अपने में एक ऐतिहासिक कदम है, अपने में एक क्रांतिकारी कदम है, एक युगान्तकारी कदम है और एक ऐसा कदम है कि जिनको अधिकारों से वंचित रखा गया था । जो जड़ हैं, जो मूल हैं राष्ट्रीयता की, लोकतंत्र की उनको अधिकार देने का यह प्रयास है ।

श्रीमन्, मुझे विश्वास है कि इस व्यवस्था के बाद गांव की तस्वीर बदलेगी और गरीब ग्रामवासियों की तकदीर भी बदलेगी । हम 58,620 ग्राम पंचायतों को अधिकार देने जा रहे हैं । उसे कुछ लोगों के बीच में केन्द्रित कर लेना लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है । जो व्यवस्था हम करने जा रहे हैं सत्ता का

विकेन्द्रीकरण उससे 58,620 ग्राम पंचायतों को अधिकार मिलेगा । श्रीमन्, हम सब प्रतिनिधि जो जन प्रतिनिधि हैं अपनी ही क्यों सोचते हैं । मैं आगे बताऊंगा कि जो कह रहे हैं कि हमारे अधिकार छिन रहे हैं । किसी विधायक के कोई अधिकार नहीं छिन रहे हैं । 9 लाख 55 हजार 504 इस प्रदेश में निर्वाचित प्रतिनिधि हैं गांव के रहने वाले हैं । गांव की समस्याओं को जानते हैं, उनके सवालों को जानते हैं, उनके समाधान को जानते हैं, भरती से जुड़े हुए हैं । हम तो सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके 9,55,504 जन प्रतिनिधियों को अधिकार सौंपने जा रहे हैं । इतनी तो उदारता दिखानी चाहिए लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों को कि जब सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है, उसका फैलाव इस सीमा तक किया जा रहा है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, प्रशंसा की जानी चाहिए, उसका समर्थन किया जाना चाहिए श्रीमन्, हम जानते हैं देश और प्रदेश की जो प्रारम्भिक इकाई है वह गांव है हमारे राज्य का वह मूल है, गांव वह जगह है जहां गांव से नगर, नगर से प्रदेश, प्रदेश से देश और देश से राष्ट्र तक पहुंचते हैं । यहां अब तक की दोषपूर्ण व्यवस्था में या तो गांव या फिर गांववासी गौण होते चले गए या उपेक्षा के हाशिए पर बहुत दूर ले जाकर खड़े कर दिए गए । इनकी भागीदारी, इनकी सक्रियता और इनकी साझेदारी नहीं रही । इसी दोषपूर्ण व्यवस्था को बदलने का नाम है सत्ता विकेन्द्रीकरण और विकास में जनता की सहभागिता, लोकतंत्र का सही मतलब है विकेन्द्रीकरण, विकेन्द्रीकरण लोकतंत्र का प्राणतत्व है चाहे सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो, चाहे अर्थ का विकेन्द्रीकरण हो, चाहे अधिकार का विकेन्द्रीकरण हो, जब यह एक जगह केन्द्रित होगा तो लोकतंत्र बीमार हो जाएगा जहां देश के अन्दर सारी शक्तियां केन्द्रित होंगी आप उनका इतिहास देख लें वह बरबाद हो गये ।

श्रीमन् लोकतंत्र में, लोक पहला शब्द है तंत्र दूसरा शब्द है, लोक का मतलब है प्रस्थापित होना चाहिए, लोकतंत्र का मतलब है लोक राज, लोक राज आएगा तो पंचायती राज के रास्ते से, पंचायती राज के रास्ते से ग्राम विकास आएगा, इस प्रक्रिया को बढ़ाते चलें तो फिर लाया जा सकता है "राम राज्य" लोकतंत्र मायने लोक राज, लोकतंत्र से पंचायती राज, पंचायती राज से ग्राम्यराज ग्राम्य, राज के रास्ते से राम राज्य, यह है सत्ता का विकेन्द्रीकरण और विकास में जनता की सहभागिता का विचार । विकेन्द्रीकरण हमारा नारा नहीं है, विकेन्द्रीकरण हमारी निष्ठा का विषय है विकेन्द्रीकरण का अर्थ है सत्ता का विकेन्द्रीकरण, विकेन्द्रीकरण के मायने है व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण, विकेन्द्रीकरण के मायने हैं वित्त का विकेन्द्रीकरण, विकेन्द्रीकरण, विकेन्द्रीकरण के मायने हैं विकास का विकेन्द्रीकरण, जनता का विकास, जनता के द्वारा, विकास की प्रक्रिया संस्थापक है । विकेन्द्रीकरण के मायने हैं अधिकार का विकेन्द्रीकरण, विकेन्द्रीकरण के मायने हैं सत्ता जनता के हाथ, विकेन्द्रीकरण के मायने हैं सत्ता जनता के द्वारा, विकेन्द्रीकरण के मायने हैं नियोजन का विकेन्द्रीकरण, विकेन्द्रीकरण के मायने हैं नियंत्रण का विकेन्द्रीकरण, यह व्यवस्था की जाएगी, यह जनहित का सवाल है ।

हम जानते हैं यह देश और प्रदेश गांव का देश है इसकी तीन चौथाई जन संख्या गांव में निवास करती है । इस तीन चौथाई जन संख्या को अधिकार नहीं है तो प्रदेश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं । इस तीन चौथाई जनता को भूखा, नंगा रखकर देश और प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है । इस तीन चौथाई जनसंख्या के भाई-बहनों को हाशिये पर डालकर, भिखारी की तरह कार्य करवाते रहें अगर यही स्थिति रहेगी तो प्रदेश और देश का भला नहीं होगा । यह मान्यता नहीं होगी । हम चाहते हैं कि जनता की सहभागिता हो और इसलिये आपने पढ़ा कि हमने विकास की मूल इकाई गांव माना । नियोजन नीचे से ऊपर की ओर चलेगा । अब तक ऊपर से नीचे को चलता था । पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जी के भी यही विचार थे । आर्थिक योजना एवं आर्थिक प्रगति का माप समाज के ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे व्यक्ति से नहीं नीचे स्तर पर विद्यमान व्यक्ति से होगा ।" इसलिए गांव के विकास को हमने मूल इकाई माना । यह केवल शब्दावली नहीं है बल्कि हमने इसके लिए धन की भी व्यवस्था की । योजना परिव्यय का 70 प्रतिशत हमने ग्रामीण निकायों के लिये ग्रामीण विकास के लिये स्वीकार किया । जो ग्रामीण

निकायों को धनराशि मिलती है उसमें वृद्धि हो रही है । वर्ष 1996-97 में उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निकायों के लिये मात्र 20 करोड़ रुपया मिलता था । जब हम सत्ता में आये तो हमने संविधान के 73वें, 74वें संशोधन की आत्मा के अनुरूप कार्य किया और इसको बढ़ाकर 97-98 में 255 करोड़ किया ।

तीसरे वर्ष 98-99 में 300 करोड़ किया और 1999-2000 में जो बजट है उसमें 328 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है और, इस तरह से 1999-2000 में ग्रामीण निकायों के लिये ग्रामीण विकास के लिये सीधे-सीधे धनराशि मिलेगी, तो 328 करोड़ रुपया हस्तान्तरण से 583 करोड़ रुपया ग्रामीण विकास योजना के तहत और 180 करोड़ रुपया दसम् वित्त आयोग से इस तरह से कुल मिलाकर एक वर्ष 1999-2000 में ग्रामीण निकायों के लिये ग्यारह सौ करोड़ रुपया दिया जायेगा । यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहला अवसर है जब इतनी बड़ी धनराशि एक वर्ष में दी जा रही है । अभी एक महत्वपूर्ण विषय विचाराधीन है । शासन उसमें गम्भीरता से विचार कर रहा है तो छोटे-छोटे मामलों को लेकर गांवों की गरीब जनता कोर्ट के चक्कर लगा रही है, वकीलों की चराई हो रही है, दलालों की चराई हो रही है, एक व्यवस्था चली थी न्याय पंचायत व्यवस्था । वह एक्ट मौजूद है लेकिन निष्प्रभावी हो गया है । यह सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है, जो नये-नये संशोधन हैं जनहितकारी हैं, उन संशोधनों के साथ अभियोजन आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश में न्याय पंचायत का गठन कर रही है श्रीमन्, हमारी कल्पना तो यह है कि लखनऊ के सचिवालय तक लोग क्यों भागें ? हमारी अवधारणा में तो ग्राम सचिवालय है इसलिये जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी नियुक्ति होगा जिसे अभी तक बहुउद्देश्यीय कर्मचारी कहा गया है जिसकी ह्युमनोलाजी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी है । हम उसे अच्छा खासा आवास बनाकर देंगे । स्नानागार, शौचालय उसके साथ सम्बद्ध करेंगे । बिजली देंगे । लोहे की अच्छी आलमारी देंगे रसोईघर देंगे । लेकिन वहां पर उसका रहना अनिवार्य किया जायेगा वह सारे अभिलेखों की देखभाल करेगा अभी हम प्रारम्भ में ग्राम सचिवालय की इस कल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं । हम व्यवस्था क्या कर रहे हैं–पारदर्शिता की । यह सब एक बुनियादी बिन्दु है । हम अधिकारी किसी एक व्यक्ति में नहीं दे रहे हैं मैं सभी प्रयासों को नहीं मानता हूं कि गलत काम करते हैं जब अधिकार किसी एक के हाथ सिमट जाता है तो अनियमितता की गुंजाइश बढ़ जाती है ; हम संस्थापरक व्यवस्था अर्थात कमेटी सिस्टम ला रहे हैं । हमने कई राज्यों के विकेन्द्रीकरण के माडल को देखा है । यह उत्तर प्रदेश का जो माडल है मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इसमें यह प्राविधान जो किया गया है यह अपने में अनोखा है । बाकी जगह कमेटी सिस्टम लागू नहीं किया गया है । ग्राम पंचायतों को अधिकार हस्तान्तरित करने के बावजूद ।

श्रीमन्, इसमें 6 समितियां बनाई हैं । नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति और जल प्रबन्धन समिति । इसमें नियोजन एवं विकास समिति के अध्यक्ष होंगे प्रधान और उसमें 6 सदस्य हैं, एक एस० सी० का, एक पिछड़े वर्ग का और एक सदस्य महिला के रूप में अनिवार्य है । इसमें सामाजिक दृष्टि से किसी को कहने का अवसर नहीं होगा कि हमारी कोई आवाज नहीं है । शिक्षा समिति का अध्यक्ष उप प्रधान को बनाया जा रहा है ।

श्री बाबूराम यादव–अल्पसंख्यक भी तो इस प्रदेश का निवासी है ।

श्री कल्याण सिंह–

विचार कर लेंगे ।

श्रीमन्, क्योंकि उप प्रधान भी इलेक्टेड आदमी है, उसमें 6 अन्य सदस्य होंगे, 6 की संख्या वैसी ही रहेगी जैसा मैंने उल्लेख किया है इसमें प्रधानाध्यापक को भी काप्ट कर लिया जायेगा, 3 अभिभावक काप्ट कर लिये जायेंगे वे विभिन्न वर्गों के हो सकते हैं अल्पसंख्यक भी हो सकते हैं उसमें दिक्कत नहीं है । स्वास्थ्य और कल्याण समिति इसमें ग्राम पंचायत द्वारा नामित व्यक्ति होगा उसके बाद फिर 6 सदस्य प्रशासनिक समिति इसका सभापति ग्राम प्रधान और अन्य सदस्य 6 होंगे उसी प्रक्रिया से जैसा कि ऊपर

चर्चा कर चुका हूं । जल प्रबन्धन समिति–ग्राम पंचायत द्वारा कोई सभापति निर्वाचित किया जायेगा 6 अन्य सदस्य होंगे उसमें भी अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिला–सदस्य रखे गये हैं, इसमें राजकीय नलकूप के कमाण्ड एरिया से दो उपभोक्ता भी रहेंगे इसकी व्यवस्था इसमें की गयी है ।

मान्यवर, जहां तक शिक्षकों की भर्ती का सवाल है जो शिक्षक सेवानिवृत्ति होंगे और उसके बाद जो रिक्ति होंगी वह नियुक्ति करने का अधिकार ग्राम पंचायत को दिया गया है मानदेय 2.250 रु० मासिक फिर मेरिट यहां से बनकर जायेगी । उसमें हाईस्कूल इन्टर में जिसके सबसे ज्यादा अंक होंगे वह सेलेक्ट हो जायेगा इसमें कोई छूट नहीं दी गयी है । शिक्षक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी, आरक्षित वर्गों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जायेगी । इन शिक्षकों को पहले एक माह का प्रशिक्षण देंगे और उसके पश्चात् में रिफ्रेशर कोर्स यानि 15 दिन की ट्रेनिंग देने की कोशिश की जायेगी । बी० टी० सी० ट्रेण्ड और अनट्रेण्ड इनका अनुपात 3:2 किया जायेगा । प्रथम चरण में 3 बी० टी० सी० रखेंगे और इसके पश्चात् 2 शिक्षक नियुक्त किये जायेंगे जो अनट्रेण्ड रहेंगे उनकी भी ट्रेनिंग कराकर उनके काम को पूरा करने की कोशिश की जायेगी । श्रीमन्, पंचायत लेखे के आडिट की भी व्यवस्था की है, कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो कार्रवाई होगी ।

अब श्रीमन् मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं जिसकी बहुत चर्चा हुई । मैं विस्तार से इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि बिल के अन्दर बहुत कुछ डिटेल्स दिया जा चुका है । डी०आर०डी०ए० के सदस्य लोक सभा, राज्यसभा और विधान सभा तथा विधान परिषद के सदस्य पूर्व की भांति डी०आर०डी०ए० के सदस्य बने रहेंगे जैसा अब तक था । जिला पंचायत के सदस्य लोक सभा, राज्यसभा, विधान सभा तथा विधान परिषद् के सदस्य पूर्व की भांति जिला पंचायत का सदस्य बना रहेगा, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा और कार्यवाहियों में मत देने का भी अधिकार होगा, कोई कटौती नहीं है । श्रीमन्, क्षेत्र पंचायत के सदस्य लोकसभा, राज्यसभा, विधान सभा तथा विधान परिषद् के सदस्य पूर्व की भांति क्षेत्र समिति, क्षेत्र पंचायत के सदस्य बने रहेंगे, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार ज्यों का त्यों और कार्यवाही में मतदान की स्थिति आती है तो मतदान में भाग लेने का अधिकार ज्यों का त्यों ।

श्रीमन्, अभी एक प्रश्न आया विधान सभा के सदस्यों का विधान सभा के सदस्यों, सांसदों को जिला पंचायतों के अध्यक्षों को चुनने में या अविश्वास के द्वारा उनको हटाने में अधिकार मिलना चाहिए, एक और प्रश्न आया था कि सभी माननीय विधायक और माननीय सांसदों को क्षेत्र समिति के अध्यक्ष को चुनने में और अविश्वास प्रस्ताव आये तो उसको हटाने में भी मतदान का अधिकार मिलना चाहिए । अब श्रीमन्, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि संविधान के संशोधन 1993 की ओर । क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत 1994 में संशोधन करके यह व्यवस्था की गयी है, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1994 में संशोधन जो किया गया है वह इस प्रकार से है–

क्षेत्र पंचायत के प्रमुख के सम्बन्ध में, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख उप प्रमुख की व्यवस्था है वह यह है कि प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अपने में से ही एक प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और एक कनिष्ठ उप प्रमुख चुना जायेगा, 1994 से पहले यह व्यवस्था थी लेकिन 1993 में संविधान में संशोधन हो गया और उसके पंचायत राज एक्ट में संशोधन हुआ । 94 के उक्त संशोधन के बाद अब किया है । श्रीमन्, धारा 15(11) इसमें प्रमुख या उप प्रमुख के अविश्वास में क्या स्थिति होगी ? यदि प्रस्ताव क्षेत्र पंचायत के तत्कालीन निर्वाचित सदस्यों के कुल संख्या के आधे से अधिक, 2/3 से अधिक यह किया है होगा, तो वह अपने पद पर नहीं रहेगा । कौन लायेगा निर्वाचित सदस्य, सांसद या विधायक ? श्रीमन्, जिला पंचायत के अध्यक्ष के संबंध में धारा 19(1) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसके बारे में चुनाव कैसे होगा ? प्रत्येक जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जायेगा । धारा 28(11) यह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बोलता है । यदि प्रस्ताव तत्कालीन निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक, जिसे अब

दो तिहाई से अधिक कर दिया गया है । तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पद पर नहीं रहेंगे, यह 1994 में हुआ है और आपको सबको पता होगा कि यह पंचायती राज अधिनियम 1994 में हुआ था, लेकिन फिर भी याद ताजा करने के लिये बता रहा हूं जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मिलीजुली सरकार थी । यह कल्याण सिंह की इस संयुक्त सरकार का संशोधन नहीं है, इस नाते से मैंने स्पष्ट कर दिया है । श्रीमन्, मैं सारी बातें तर्कों के साथ रखना चाहता हूं, यदि फिर भी आपको आपत्ति है तो विचार व्यक्त करना चाहें । यह संविधान में संशोधन जो हुआ है, यह राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ था, उस समय की सपा-बसपा की सरकार का किया हुआ है, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं ।

श्रीमन् जिला योजना समिति में लोकसभा, राज्यसभा, विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्य आमंत्रित सदस्य क्यों हैं, यह सवाल है.....

कुंवर रेवती रमण सिंह–

जिला योजना समिति का बिल अभी आपने पेश नहीं किया है ।

श्री कल्याण सिंह–

पंचायती राज ऐक्ट के अधीन जो चर्चा है, उसको तो बता दूं । श्रीमन्, मैं यह कह रहा हूं कि इसी से रिलीवेंट जो चीजें हैं, जिला योजना समिति भी विकेन्द्रीकरण का अंग है, अब बोलूं या तब बोलूं, बात एक ही है ।

श्री राम औतार शाक्य–

यह कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है । जो विधेयक पेश किया है, माननीय मुख्य मंत्री जी को उतना ही बोलना चाहिये ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मुझे श्री राम औतार शाक्य के कमेन्ट पर कुछ नहीं कहना है । जब उन्होंने भोगांव कह दिया तो वह तो अक्लमंदी के लिये, बुद्धिमता के लिये मशहूर है । इसलिये हम इस पर क्या टिप्पणी करें ।

संविधान का अनुच्छेद 243 जेड बी, इसमें जो प्रसांगिक प्राविधान हैं, वह इस प्रकार हैं । मैं उद्धृत कर रहा हूं "परन्तु ऐसी समिति के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 4/5 सदस्य जिला स्तर पर पंचायत के और जिले में नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुसार निर्वाचित किये जायेंगे । 4/5 की संख्या संविधान ने तय कर दी है और अब 1/5 बचे । सदस्यों की संख्या 20 हो सकती है और 40 हो सकती है, जिला पंचायत अध्यक्ष को सदस्य बनाया गया है, जिलाधिकारी को पदेन सदस्य बनाया गया है, तो इस प्रकार से 4 लोग निकल गये । आप देखें कि अगर 20 की संख्या है तो 4 ही को नामित हम कर सकते हैं, अगर 30 की संख्या है तो हम 6 को नामित कर सकते हैं, 35 की संख्या है तो 7 को नामित कर सकते हैं और 40 की संख्या है तो हम 8 को नामित कर सकते हैं, और आप मान्यवर, सांसदों, विधायकों और विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या को देख लें, तो यह तय किया गया है कि सभी सांसदों को और सभी विधान सभा के सदस्यों को और विधान परिषद् के सदस्यों को स्थायी आमंत्रित किया जाय ।

अब आप दूसरे राज्यों को देख लें, एम० पी० में डी०आर०डी०ए० का अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष को बनाया गया है, पश्चिम बंगाल में जिला पंचायत अध्यक्ष को डी०आर०डी०ए० का अध्यक्ष बनाया गया है, यही चीज हमारे यहां पर भी है । कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यवस्था दूसरे राज्यों में है, उसी प्रकार की ही व्यवस्था हमने भी की है, तो यह जिला पंचायत सदस्यों के बारे में है, जिला पंचायत की बात को बता ही दिया है, डी०आर०डी०ए० में सभी सांसदों, विधान परिषद् के सदस्यों और

विधान सभा के सदस्यों को विशेष आमंत्रित बनाया गया है और उनको मतदान देने का भी अधिकार दे दिया है।

मान्यवर; एक भ्रम फैलाया जा रहा है, सरकारी कर्मचारियों के बारे में एक भ्रम फैलाया जा रहा है, उसको भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, उनको गुमराह किया जा रहा है, ऐसे लोगों को जानकारी नहीं है कि व्यवस्था क्या है मैं उसको बताना चाहता हूं–पहली व्यवस्था है कि वह कर्मचारी आज की ही तरह ही सरकारी कर्मचारी रहेंगे, उनको वेतन भुगतान आज की ही तरह किया जायेगा, उनका वेतन मान आज ही की तरह बना रहेगा, जो वेतन वितरण होगा वह भी आज की ही तरह होगा, उनको आज की ही वार्षिक वेतन वृद्धि भी दी जायेगी, प्रोन्नति के जो अवसर हैं वह भी उनको आज की ही तरह दिये जायेंगे, उनकी सेवा निवृत्ति के बाद जो व्यवस्था आज लागू है, वही व्यवस्था लागू रहेगी, मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं की जायेगी और सभी प्रकार का आरक्षण दिया जायेगा। मान्यवर इसमें केवल एक अन्तर है, वह अन्तर केवल बुनियादी अंतर है। अब ये सरकारी कर्मचारी सीधे-सीधे ग्राम पंचायत के अण्डर में काम करेंगे। आज जो भी कर्मचारी है वह इस व्यवस्था का विरोध कर रहा है, मेरी दृष्टि में ये वहीं कर्मचारी होंगे जो कामचोर होंगे, जो सरकारी पैसा तो प्राप्त करना चाहते हैं, किन्तु काम करना नहीं चाहते हैं। श्रीमन् इन कर्मचारियों को जो पैसा या वेतन दिया जाता है वह सरकारी राज कोष का होता है, मैं इस तरह के कामचोर कर्मचारियों को कतई बर्दास्त नहीं करूंगा। ये कर्मचारी जो वेतन पाते हैं वह जनता के खजाना से पाते हैं, जिसके लिए वह पैसा प्राप्त करते हैं तो वह बिना काम के दाम वाली बात है। बिना काम के दाम यह बात नहीं चलेगी, अब यह कर्मचारी तो ग्राम पंचायत के सीधे नियंत्रण में ही होंगे इस व्यवस्था को तो अच्छा माना जाना चाहिए। श्रीमन्, आरक्षण का प्रश्न है तो ग्राम में मंचायतों में रिक्त पदों पर अनुसूचित जाति के लिए 21 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिए 2 प्रतिशत और पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू रहेगी इसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी।

(मेजों की थपथपाहट)

एक सदस्य–

मान्यवर, पदोन्नति में क्या होगा ?

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, आज उनको क्या तकलीफ है ? दो हजार दो सौ पचास रुपये का वेतन दिया है, क्या कम है, इसके लिए आज उनके पेट में कोई दर्द क्यों उठ रहा है, उनके पेट में दर्द उठ रहा है तभी तो वे नारे बाजी करते हैं। वह सोच रहे हैं कि अब उनका सम्मान कौन करेगा, इस लिए वह इस व्यवस्था को नकार रहे हैं। श्रीमन् शिक्षा के क्षेत्र की बात करें। उसमें भी दो हजार दो सौ पचास रुपये का वेतन देकर ग्राम पंचायतों के अण्डर में कर दिया है अब प्रधानाचार्य ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत ही कार्य करेंगे। जहां एक किलोमीटर तक में विद्यालय नहीं है, जहां पर केवल 30 बच्चे ही पढ़ने के लिए मौजूद है वहां पर हमने एक हजार रुपये मासिक के हिसाब से, वहां पर प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिए दिये हैं। दो हजार दो सौ रुपये की बात करते हैं क्या कम हैं, आज प्रमोद कुमार ने इसे दो हजार से बढ़ाया है, किन्तु मैंने इसे पहले से ही दो हजार दो सौ शुरू कर दिया है। मान्यवर, जो हाईकोर्ट में इसको चुनौती दी है उसको अवैध करार दिया। देश की सरकार ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण और विकास में जनता की सहभागिता से अच्छे कदम उठाये गये हैं, इस बात की पूरी मीडिया तारीफ कर रहा है। मान्यवर, मैं समझता हूं कि इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। आइये, हम सब उत्तर प्रदेश का नक्शा बदलें, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े, मार्ग निर्देशानुसार आइये, हम सत्ता के विकेन्द्रीकरण में योगदान दें इसमें राजनीति आड़े नहीं आना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करता हूं।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष–

संशोधन का प्रस्ताव कौन कर रहा है ?

* कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन), विधेयक, 1999 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

श्री अध्यक्ष–

समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मुख्य मंत्री को बड़े गौर से सुना । माननीय मुख्य मंत्री जी विधान सभा में ऐसा भाषण विधेयक पर दे रहे थे कि राजनीति से प्रेरित होकर सीधे जनता को संदेश दे रहे थे । माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बातें कहीं, उस पर स्मरण दिलाना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने 1922 में यह बातें कहीं थी और डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने राज्य का कल्याण किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कभी भी यह विचार धारा नहीं रही है । जैसा कि उन्होंने जो विधेयक प्रस्तुत किया और बहुत बड़ा काम इस सदन में किया है ।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में यह पहले ही हो चुका है, कोई बड़ी चीज इन्होंने नहीं की है । यह मेरे संविधान की बाध्यता थी कि जिसकी वजह से यह लाना पड़ा है, 1994 में माननीय मंत्री जी ने यह संशोधन प्रस्तुत किया था, जिसको आपने उल्लेख किया है, उसी के अनुरूप यह कार्यवाही कर रहे हैं । मान्यवर, हम सभी चाहते हैं कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो, लेकिन इस मंशा से सत्ता का विकेन्द्रीकरण का मतलब है कि वह सीधे जनता के बीच में जाए, जिसमें कोई रूकावट न हो और आने वाले दिनों में फ़ायदा पहुंच सकें । मान्यवर, आज मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आज की घोषणा के बाद मैं चाहता हूं कि जिला पंचायतों को अधिकार दें । अगर आपकी मन्शा सही है । मान्यवर, मैं एक बात और जानना चाहता हूं कि सी०डी०ओ० को अधिक अधिकार दिये जा रहे हैं । मान्यवर, आज से 10 साल पहले बी०डी०ओ० की चरित्र पंजिका में इन्ट्री ब्लाक प्रमुख करता था । वह अधिकार आपने समाप्त कर दिया आज ब्लाक प्रमुख को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह बी०डी०ओ० की चरित्र पंजिका में प्रवृष्टि कर सके । इसके साथ-साथ आपने इस बात की कहीं व्यवस्था नहीं की कि जो कर्मचारी थें वह कर्मचारी रहेंगे एक तरह से आपने डांइग कैडर डिक्लेयर कर दिया और यह व्यवस्था भी की कि उनकी जगह पुनः भर्ती नहीं होगी । आप कर्मचारियों का यह जो विश्लेषण कर रहे हैं कि आप कर्मचारियों के खिलाफ नहीं हैं यह सही नहीं है आप साफ-साफ कर्मचारियों के खिलाफ हैं और गांव के भी खिलाफ हैं आपने कहा कि अध्यापक रखे जायेंगे । सरकार की व्यवस्था चली आ रही कि ट्रेन्ड टीचर रखे जाते हैं परन्तु आपने यह व्यवस्था की कि अनट्रेन्ड टीचर भी रखे जायेंगे । चाहे बी०टी०सी० हों या बी०एड० हों, यही लोग रखे जाते थे लेकिन आपने अनट्रेन्ड टीचर्स की व्यवस्था करके शिक्षा के निजीकरण को प्रोत्साहन देने का काम किया है यह एक ऐसी बिडम्बना आपने पैदा कर दी है जिसका प्रभाव शिक्षा पर पड़ेगा । जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है उसको आपने समाप्त करने का काम किया है । आप ने बड़ी सफाई से संवैधानिक बाध्यता की बात कहते हुए यह कहा कि हमें इसके चलते यह करना पड़ रहा है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, हम सब चाहते हैं कि इसको करें आज नहीं बल्कि बहुत पहले इसको लाना चाहिए था। आप ने जिला योजना में 4/5 सदस्य जिला पंचायत और नगर महापालिका से लेने कि बात कही 1/5 आपने नामित करने का अधिकार अपने पास क्यों रख लिया ? अगर आपकी मंशा साफ है तो फिर आप 1/5 सदस्य क्यों नामित करेंगे ? यह मैं जानना चाहता हूं। आपने कहीं साफ नहीं किया है कि 1/5 सदस्य क्यों नामित करेंगे, अपने मनचाहे लोगों को क्यों नामित करेंगे ? विधायक और विधान परिषद् के सदस्य को आपने स्थाई सदस्य बना दिया। मान्यवर, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि बहुत सी ऐसी योजनायें हैं जो एक गांव से 10 अन्य गांवों को लिंक करती हैं। मसलन नाले की खुदाई, 10 कि०मी० सड़क बनाने का काम है। यह काम कैसे होगा। किसी गांव में नलकूप लगाना है उसके पास पैसा नहीं है वह कैसे लगेगा, उसे कौन लगवायेगा। आपने जो बहुउद्देशीय कर्मी बनाया है हम आज तक समझ नहीं पाये कि विधेयक के हिसाब से बहुउद्देशीय कर्मी सभी काम कर लेगा। मान्यवर, अभी 4 महीने पहले से जो नलकूप खराब हैं उन्हें बनाने वाला कोई नहीं है उसे कौन बनायेगा। ट्यूबवेल आपरेटर हैं ही नहीं। ऐसी चीज लागू करें जिससे सीधे-सीधे गांव सभा को फायदा हो। आपने कुछ चीजें लागू की, कुछ चीजें लागू नहीं की। आप 1000 रुपये में आचार्य बना देंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि आचार्य का मतलब क्या है। उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, वह बी० टी० सी०, बी० एड० होगा या नहीं होगा यह आपने कहीं नहीं लिखा।

आज गांवों में मिनिमम मजदूरी 35 और 40 रुपये है आप आचार्य को उससे भी कम तनख्वाह दे रहे हो। आचार्य पंडित होगा और गांव सभा के 30 लड़कों की पढ़ाई लिखाई करायेगा। मान्यवर, ऐसी व्यवस्था न करिये जिससे बनी बनायी व्यवस्था खत्म हो जाये। जिला परिषद् में आपने स्थायी सदस्य बना दिया लेकिन उनको वोटिंग का अधिकार नहीं है। मंत्री के बजाय अगर यह व्यवस्था करते कि कभी विधायक, कभी जिला पंचायत अध्यक्ष, कभी नगरपालिका का अध्यक्ष इसमें रहते। लेकिन आपने एक मंत्री को उसका अध्यक्ष बनाया। यह बनाने की क्या आवश्यकता थी ?

अगर आप पंचायतराज को उसी रूप में लागू करना चाहते हैं तो जो उसकी मूल भावना है उसमें मंत्री को नहीं लाना चाहिये था। पश्चिम बंगाल में यह व्यवस्था है कि जिला पंचायत अध्यक्ष को ही उसका अध्यक्ष रखा गया है फिर उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था लागू करने में दिक्कत कहां से आ गयी ? विधायकों का प्रश्न आया तो आपने साफ-साफ कह दिया कि यह मूल भावना के अनुरूप नहीं है। हम अपने अधिकार के लिये चिन्तित नहीं है।

माननीय मुख्य मंत्री जी आप अपना भाषण शुरू करते हुये पता नहीं क्यों यह कह दिया कि सरकार स्थिर है, जाने वाली नहीं है। हम लोगों ने कोई बयान नहीं दिया था, हम लोगों ने यह सवाल विधान सभा के अन्दर नहीं उठाया। पता नहीं आप और आपके सहयोगी दलों के बीच में क्या मनमुटाव हो गया है, यह आप बेहतर जानते होंगे। यह कहा गया कि 24 तारीख को, 26 तारीख को सरकार गिरेगी। लेकिन विरोध पक्ष के किसी भी माननीय सदस्य ने यह बात नहीं कही। आपने पता नहीं कैसे यह बात कही और हमारे प्रेस के भाइयों का उल्लेख आपने कर दिया। प्रेस के किसी संवाददाता ने यह बात नहीं कही। फिर आपके मन में यह भय कहां से आ गयी। वैसे आपके मन में भय बना रहता है कि कब आपके सहयोगी इधर से उधर चले जायं लेकिन हमारी यह इच्छा नहीं है। हम तो चाहते हैं कि यह सरकार चले। हमारी शुभकामनाएं हैं।

(इस समय 1 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मुन्ना चौहान पीठासीन हुए।)

आपके सहयोगी आपको कितना सहयोग देते हैं यह आप जानें । इसमें जो विसंगतियां हैं उसको बताना चाहता हूं । जिला योजना की तब्दीली कमिश्नर कर सकेगा क्यों कमिश्नर को यह अधिकार दिया गया यह समझ में नहीं आता एक तरफ आप ग्राम्य स्वशासन की बात करते हैं चौखम्भा राज की बात करते हैं दूसरी तरफ कमिश्नर को यह अधिकार दे रहे हैं कि वह जिला पंचायत के बजट में संशोधन व परिवर्तन कर सके । कर्मचारियों को आप डाइंग कैडर डिक्लेयर कर रहे हैं दूसरी तरफ अधिकारियों पर इन पंचायतों चाहे ब्लाक पंचायत हो या जिला पंचायत उन पर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा ।

आप एक भी अधिकारी का नाम बता दें कि वह ग्राम सभा के अण्डर में हो या ब्लाक के अण्डर में हो या जिला पंचायत के अण्डर में हो यह कौन सी व्यवस्था कर रहे हैं जिला पंचायत के पास आपके नियत अधिकारी होंगे वही अधिकारी ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे । अगर ग्राम सभा के अध्यक्ष ने किसी का ट्रांसफर किया तो कमिश्नर उस आदेश को निरस्त कर सकते हैं यह दोहरी व्यवस्था आपने क्यों रखी है ? आप अपनी नीयत साफ करके इस व्यवस्था को लागू करें । अगर पूर्ण ग्राम्य स्वराज देना चाहते हैं । वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार आधे अधूरे मत करें पूरे लागू करें हम लोग व्यवस्था के पूर्ण रूप से लागू करने के पक्ष में हैं । हम लोग इसके विरोध में नहीं है । जहां तक विधायकों के अधिकार की बात है उनका भी ध्यान रखना चाहिए । यह विधायक के अधिकार पूरे विधान सभा क्षेत्र के हैं विधायकों का क्या कर्तव्य होगा यह भी आपको बताना चाहिए । मान लीजिए पेयजल की कोई योजना लागू करनी है तो उसको एक दो या चार ग्राम सभाएं कैसे मिलकर लागू करेंगी ? इसी तरह से नाले की खुदाई नलकूप के छिद्रण का कार्य कैसे किया जाएगा ? इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इसको आप एक प्रवर समिति को सौंप दें जो एक माह के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे जिसमें दोनों तरफ के लोग होंगे उसके बाद ही इसको पास करने का कष्ट करें यह मेरा सुझाव है ।

* श्री लालजी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । मा० मुख्य मंत्री जी द्वारा जो उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक, 1999 प्रस्तुत किया गया है निश्चित रूप से मेरा यह मानना है कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए पंचायतों को मजबूत करना होगा एवं पंचायत राज को कायम करना आवश्यक है । अगर सही दृष्टि से इसके बारे में कदम उठाया गया होता तो निश्चित रूप से हम उसका स्वागत करते ।जो हमारा संविधान संशोधन हुआ है और जिसके तहत ग्राम पंचायतों को अधिकार दिया गया है उसके तहत विभागों को उसमें शामिल करते हुए प्रत्येक ग्राम स्तर पर एक पंचायत सचिव जिसका नाम ग्राम्य पंचायत विकास अधिकारी के नाम पर पोस्टिंग करने की बात है ।

उक्त ग्राम विकास अधिकारी सामान्य रूप से उसी गांव का होगा । यह भी कहा गया है कि वह ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत के नियंत्रण में कार्य करेगा लेकिन ग्राम पंचायत को उसके खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार नहीं दिया गया है । विभिन्न विभागों से ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को पंचायत विभाग में नियुक्त करने का काम किया गया है । वह अपने मूल विभागों में बने रहेंगे, जिससे उनके कार्य करने की क्षमता में निश्चित ही कमी आयेगी । इस तरह से जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी नियुक्त किये गये हैं, मैं भी इस पक्ष का हूं और इस मामले को बार-बार उठाता रहा हूं कि पंचायत राज को मजबूत करने की दिशा में प्रदेश स्तर पर जो हमारे संविधान की मूल भावना है उसके अनुसार ग्राम पंचायतों को जो क्षेत्र का निर्धारण है वह यथासाध्य एक होना चाहिये । आज पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायतों के आकार में विभिन्नता है । यदि कोई एक हजार की आबादी का है तो कोई 10 हजार की आबादी का है । इस विभिन्नता के कारण ग्राम पंचायतों के अन्दर जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बहुउद्देशीय कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं या फिर नियुक्त करने का काम किया जायेगा, उसमें पूरी तरह से एकरूपता नहीं आ पायेगी ।

मान्यवर, मेरा सुझाव है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद–243–ग में कहा भी गया है "परन्तु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या का ऐसा पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो ।" इसके बाद भी अलग-अलग है । कर्मी उसी गांव का होगा, अध्यक्ष भी उसी गांव का होगा और गांव की विभिन्न समितियां होगी । उनका एक दूसरे के साथ रिश्ता होगा या विरोध होगा, जिसके कारण इसके चलते गांव के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । मैं चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों को आप अधिकार दें तो पहले यह काम होना चाहिये कि पूरे प्रदेश में ग्रामों की जनसंख्या का जो अधिकार है उसमें एकरूपता होनी चाहिये । कम से कम 5 हजार की जनसंख्या पर ग्राम्य पंचायतों के आकार को निश्चित किया जाना चाहिये । साथ ही साथ जिसे आपने ग्राम पंचायत सचिव कहा है कहीं पर बहुउद्देशीय कर्मचारी कहा है और कहीं पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कहा है, इन सभी कर्मचारियों को पहले उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग में समायोजित करके इन्हें इस विभाग का कर्मचारी बनाया जाना चाहिये । जिस प्रकार नगरपालिकाओं में अधिशासी अधिकारी, नगर विकास विभाग द्वारा संचालित किया जाता है । उसकी नियुक्ति, पोस्टिंग और स्थानान्तरण नगर विकास विभाग द्वारा की जाती है, उसी तरह से ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की नियुक्ति, प्रमोशन और स्थानान्तरण शासन के पंचायती राज विभाग द्वारा की जानी चाहिये । जिससे इसमें किसी तरह से अन्तर न आने पावे और उसमें जहां एक तरफ राज्य सरकार का भी नियंत्रण रहे वहीं ग्राम पंचायत पूरी तरह से उसमें कार्यवाही करने के लिये ग्राम पंचायतों को अधिकृत किया जाना चाहिए । इसी तरह से क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य चुने जाते हैं मध्यवर्ती जो हमारी इकाई है क्षेत्र पंचायत ।

जिला पंचायत के सदस्य को जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य के रूप में पदेन सदस्य है उसको अस्थाई आमंत्रिती सदस्य बनाने का काम किया है, लेकिन जो क्षेत्र पंचायत का सदस्य है उसको ग्राम पंचायत अस्थाई आमंत्रित सदस्य बनाने का काम नहीं किया गया है । जो 2 हजार की आबादी द्वारा चुना हुआ सदस्य है ग्राम पंचायत की मामूली सी बैठक में भाग नहीं ले सकेगा इसलिये इस संशोधन में इस बात का भी उल्लेख होना चाहिए कि क्षेत्र पंचायत का सदस्य ग्राम पंचायत का अस्थाई आमंत्रित सदस्य होगा ।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज स्थापित होगा । पंचायती राज से लोकतंत्र मजबूत होगा और उससे राम राज्य स्थापित होगा । जब राम राज्य की कल्पना की जा रही है तो उससे इनकी मानसिकता का परिचय होता है । राम राज्य में भेदभाव बहुत था । राम राज्य में शम्बूक का वध होता था । मुख्य मंत्री जी का राम राज्य भेद-भाव पर आधारित राज्य होगा । राम राज्य में शम्बूक का वध होता था इनके राम राज्य में गरीबों का होगा । यह राम राज्य की कल्पना इस संशोधन के द्वारा करना चाहते हैं इसलिये कि इनकी मानसिकता दूषित है उसको हम और आप बदल नहीं सकते । यह चाहते हैं कि शम्बूक का वध होता रहे जो गरीब, निर्बल, पिछड़े हैं वह इन चन्द लोगों के हाथों मरते रहें और एकलव्य का अंगूठा कटता रहे । इसीलिए राम राज्य पर आधारित राज्य की कल्पना कर रहे हैं । राम राज्य पूरी तरह से भेदभाव पर आधारित राज था । मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इससे छटपटाहट हो रही है वकीलों को और दलालों को । बड़े शर्म की बात है कि पूरे प्रदेश के वकीलों को माननीय मुख्य मंत्री जी ने दलाल कह दिया । जो विधि का राज स्थापित करते हैं, विधि के अनुसार शासन व्यवस्था चले, इसके लिये जो पैरोकारी करते हैं उसको एक दलाल की संज्ञा दी गई ।

श्री कल्याण सिंह–

मैं इसको यहीं करेक्ट कर दूं । मैंने वकील शब्द का प्रयोग ही नहीं किया । आपने पता नहीं कहां से सुन लिया ?

श्री लालजी वर्मा-

मुख्य मंत्री जी ने ग्राम पंचायत, जिला पंचायत के बारे में कहा है लेकिन इस प्रदेश के विकास का जो आधार है विकास खण्ड, जिसकी यूनिट क्षेत्र पंचायत है, उस क्षेत्र पंचायत के बारे में, उसको अधिकार सम्पन्न बनाने में इस पूरे अधिनियम में जो कुछ लिखा गया है उसमें एक शब्द के अलावा कि क्षेत्र पंचायत निधि से धन का आहरण और वितरण प्रमुख और खण्ड विकास अधिकारी के द्वारा किया जायेगा। इतना ही लिखा गया है। इसके अतिरिक्त और कुछ जिक्र उसके बारे में नहीं किया गया है। खण्ड विकास अधिकारी की चरित्र पंजिका प्रमुख नहीं लिख सकेगा। मुख्य विकास अधिकारी की चरित्र पंजिका जिला पंचायत का अध्यक्ष नहीं लिख सकेगा।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की चरित्र पंजिका को ग्राम पंचायत का अध्यक्ष नहीं लिख सकेगा। उनके खिलाफ कोई लघु दण्ड भी वह नहीं कर सकेगा। उसके लिये संबंधित विभाग को लिखेगा। अधिकार सम्पन्न बनाने की कोरी कल्पना और कोरी बकवास के अलावा कुछ भी इसमें नहीं दिखता। इसी के साथ-साथ क्षेत्र पंचायत के बारे में, उसकी निधि के बारे में, कि उसको कहां से वित्तीय संसाधन प्राप्त होंगे। आज तक क्षेत्र पंचायत के अन्दर कोई निधि नहीं है। 1999-2000 में क्षेत्र पंचायत को कोई संसाधन नहीं दिये गये। जे०आर०वाई० के अन्तर्गत जो 15 प्रतिशत पैसा आता था उसकी भी कटौती कर दी गई। अब वह पैसा भी क्षेत्र पंचायत को नहीं दिया गया।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

जिससे एक समाधान आ सके। मैं केवल उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक पर बोल रहा हूं। जिला योजना समिति विधेयक बाद में आएगा। माननीय मंत्री जी या मुख्य मंत्री जी जवाब दें तो बता दें-किसी भी प्रदेश और किसी भी जिले में, किसी भी क्षेत्र पंचायत में प्रमुख के हस्ताक्षर के कोई एकाउन्ट नहीं खोला गया है। 1999-2000 में वित्तीय संसाधन क्षेत्रीय पंचायत को नहीं दिए गये हैं अगर दिए गये हैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में बता दें। मेरी सोच है व्यक्तिगत राय है इस प्रदेश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, ग्राम्य स्वराज का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए, ग्राम्य पंचायतों को अधिकार सम्पन्न बनाया जाए, लेकिन क्या इस तरह से अधिकार सम्पन्न बनाया जाएगा जिसमें मातहत अधिकारियों और कर्मचारियों की चरित्र पंजिका में वह कुछ नहीं लिख सकते हैं।

श्रीमन् जब से यह चर्चा शुरू हुई है ग्रामीण विकास के सारे कार्य ठप्प हो गए हैं। पुराने एकाउन्ट संचालित नहीं हुए हैं और नये एकाउन्ट खुले नहीं हैं इससे पूरे प्रदेश का जो विकास होना चाहिए, ग्राम्य पंचायत द्वारा जो धन खर्चा करना चाहिए वह नहीं हुआ है। इन 6 महीनों के अन्दर समस्त ग्राम्य पंचायत के खाते एक तरह से सीज हैं जिसके कारण विकास का कार्य अवरुद्ध हो गया है। मान्यवर, कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसमें विसंगतियां हैं वह संविधान की मूल भावना के अनुकूल नहीं है और इसलिए मैं यह चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए, प्रवर समिति के सामने प्रस्तुत किया जाए प्रवर समिति जो रिपोर्ट देगी उसके आधार पर एक बढ़िया ढंग से संशोधन आएगा जिसके कारण जो ग्राम्य पंचायत की स्थापना का सपना है, वह पूरा हो जाएगा।

श्री अधिष्ठाता-

मैं यह समझ रहा था कि एक सदस्य इधर से और एक सदस्य उधर से बोलेंगे, लेकिन माननीय ऊर्जा मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, वैसे यहां पंचायती राज्य मंत्री जी भी हैं वह अगर बाद में बोलेंगे तो ठीक रहेगा।

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

श्रीमन् मुख्य मंत्री जी द्वारा इस सदन में रखे गए उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक, 1999 के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और कुंवर रेवती रमण सिंह जी द्वारा जो संशोधन प्रस्ताव रखा गया है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए इसका मैं विरोध करता हूं।

श्रीमन्, यह विचार करना होगा कि क्या हम अपने विचार, अपनी नीतियों, अपनी सोच को राजनीतिक दलों के साथ जोड़ेंगे या सत्ता में हों पक्ष या ना पक्ष में बैठकर अपने विचारों को रखेंगे या फिर स्वतंत्र होंगे। सदन में बोलते वक्त कोई अलग से विचार धारा हमारे समक्ष रखता तो वह स्वयं में उलझ जायेगा। जो विचार कुंवर रेवती रमण सिंह जी और लालजी वर्मा जी ने रखे हैं वह स्वतंत्र रूप से नहीं प्रस्तुत कर सके और अगर स्वतंत्र रूप से विचार देते तो शायद सरकार को और उत्तर प्रदेश की जनता को सुझाव मिलता। लेकिन विपक्ष में बैठकर सरकार की नीतियों का विरोध करना, अगर यह उचित है तो इस पर भी विचार कर लेना चाहिए।

मान्यवर, 1994 में इसी विधान सभा का मैं सदस्य था और पीठासीन अधिकारी था। जिस समय उत्तर प्रदेश का 73वां और 74वां संशोधन लागू किया गया, स्वीकार किया गया, माननीय वर्मा जी पंचायती राज मंत्री थे। जब इधर से पेश हो रहा था सदन में हल्ला गुल्ला मच रहा था। मैं पीठ में बैठकर इस बात को कह रहा था कि इसको पेश करने से पहले इसमें विचार कर लिया जाय। लेकिन एक भी विचार नहीं किया गया। एक मिनट में हल्ला गुल्ला में पास कर दिया गया। तो उसको पास करने के बाद क्यों नहीं लागू किया गया। हम कोई दोषारोपण नहीं कर रहे हैं। आज इस सरकार ने लागू किया तो राजनीतिक मुद्दा कह रहे हैं ...

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय अग्रवाल जी ने बात उठायी है तो मैं उनको स्मरण दिलाना चाहता हूं। हम भी उस समय इस विधान सभा के सदस्य थे। एक दिन हल्ला-गुल्ला में वह स्थगित हो गया। अगले दिन कार्य सूची में फिर उसको शामिल किया गया। अगले दिन भी वह लोग, जो आज इसको लागू करने के हामी हैं, इस पर विचार नहीं होने दिया तो आप निष्पक्ष होइये।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, हम उस दिन भी निष्पक्ष थे और आज भी निष्पक्ष हैं। हम दिल से यह विचार रख रहे हैं और यह केवल विरोध करने के लिए कर रहे हैं। यह अपने स्वतंत्र विचार रख रहे हैं इस मुद्दे पर वाकई में सोचना चाहिए। आज हम सक्षम हैं और जो सक्षम होता है उसका दिल भी बड़ा होता है और वह देता भी है। देने वाले से सब मांगते हैं न देने वाले से कोई नहीं मांगता है। आज हमको अधिकार है कि हम अपने नीचे चुने हुए साथियों को कोई अधिकार दे सकते हैं तो उसको देना चाहिए। किस बात का विरोध। 425 विधान सभा के सदस्य मात्र यही विश्वास कर लें कि हर अधिकार हममें निहित हो जाय तो नीचे 9 लाख 55 हजार 504 चुने हुए प्रतिनिधियों का क्या दोष होगा? आखिर उनको भी जनता ने चुना है। हम उनको अधिकार दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो सुझाव आते हैं, ब्यूरोक्रेसी हावी रहती है उसकी कोई जवाबदेही नहीं रहती है। कोई भी सत्ता में रहे जो यह कहा जाता है कि राज्य नौकरशाही का रहता है उसको तोड़ने के लिए पंचायत राज सिस्टम को लागू किया है। अगर हमने कर्मचारियों की जवाबदेही उस गांव तक सीमित कर दी है तो कौन सा दोष कर दिया है। इस गांव में ही वह रहेगा तो कौन सा दोष कर दिया। अगर हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर नीचे जो चुने हुए लोग हैं उनको अधिकार दे रहे हैं तो कौन सा दोष कर दिया है। अगर आज गांव में सही मायने में रामराज्य नहीं आया है तो उसका कारण है केन्द्रीकरण किया गया, सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं किया गया।

हम उनको सही लाभ देना चाहते हैं । सारे चुने हुए सिस्टम को अधिकार सम्पन्न करने की व्यवस्था उसमें की गई है । इसमें सभी वर्गों की समानता का ध्यान रखा गया है और इस तरह से इसमें असली स्वरूप निकल कर आया है । प्रमोद जी यहां नहीं है मैं कुछ कहना चाहता हूं मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं । उत्तर प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू करते समय इन राज्यों के सिस्टम को देखा जिन राज्यों में यह पंचायती राज विधेयक लागू किया गया है । माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक कहीं कहीं तो अधिकारों को सीमित भी किया गया है । पश्चिम बंगाल में तो माननीय विधायकों को समिति का सदस्य भी नहीं बनाया गया है । मध्य प्रदेश में अधिकारों को सीमित रखा गया है वहां अध्यक्ष दूसरे को बनाया गया है । जो हम उत्तर प्रदेश में व्यवस्था को लागू कर रहे है ऊपर से नीचे तक बराबर अधिकार देकर व्यवस्था को एक माले में पिरो रहे हैं ।

मान्यवर, इसमें कर्मचारियों के सभी हितों का ध्यान रखा गया है मात्र राजनीतिक उद्देश्य से कर्मचारियों को भड़काया जाए यह बात ठीक नहीं है । चुनाव में जीत-हार कर्मचारियों से नहीं होती है अगर कोई ऐसा मानता है तो वह राजनीतिक व्यक्ति कायर है । उनकी जीत को जनता के विचारों से होती है ।

मान्यवर, हमने गांवों के विकास के लिए एक मुश्त 11 सौ करोड़ की रकम जारी की है । दशम् वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पहली बार उत्तर प्रदेश शासन ने 4 प्रतिशत अपने राजस्व का गांव के विकास के लिए दिया । आज हम जिस सोच को लागू करने जा रहे हैं उनको अधिकार सम्पन्न बनाया है । जिला प्लान को बदलने का अधिकार कमीश्नर को है ऐसा अभी कुंवर साहब ने कहा । मान्यवर, पहले तो स्वीकार करने का अधिकार उनको था हमने उसे बदल दिया है उनसे स्वीकृत कराने की जरूरत नहीं है ।

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह–

जिलाधिकारी को वित्तीय स्वीकृति का अधिकार दिया है और योजना में रद्दोबदल का अधिकार कमीश्नर को दिया है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जिला नियोजन समिति जिसको फाईनल कर देगा । वह अन्तिम है और उसी स्वरूप में पास हो जायेगा । पैसा जारी करने का एक सिस्टम बनाया है लालजी वर्मा जी ने कहा कि संयुक्त खाते को लागू नहीं किया है । तो आप विधेयक को तो पास होने दें ।

श्रीमन्, आप संकेत कर रहे हैं मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कुंवर साहब इधर-उधर मत करिये कि यह सरकार नहीं चलेगी सहयोगियों के ऊपर भी शंका मत कीजिए । इधर सहयोगी लोग पवित्रता से साथ हैं । आप आपने भ्रमित साथियों से पूछ लीजियेगा । हम सरकार 5 साल चलायेंगे । हम सही में राम राज्य और ग्राम राज्य की व्यवस्था लागू करना चाहते हैं मेरा अनुरोध है कुंवर साहब से कि प्रवर समिति के अपने संशोधन को प्रदेश के हित में गांव के हित और नीचे चुने हुए लोगों के हित में वापस लेने का कष्ट करें ।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूं । पंचायत राज संशोधन विधेयक पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम ग्राम पंचायतों को, क्षेत्र पंचायतों को, जिला पंचायतों को पूरे अधिकार देना चाहते हैं । मान्यवर, हम भी और हमारा दल भी इस बात का पूर्ण समर्थक है कि ग्राम पंचायतों को पूरे अधिकार दिये जायं । लेकिन यह जो विधेयक लाया गया है इसमें पंचायतों को पूरे अधिकार नहीं दिये गये हैं । इसमें मैं अपनी बात रखना चाहता हूं । मान्यवर, गांव में प्रधानों को वित्तीय अधिकार नहीं है, ब्लाक प्रमुख को कोई अधिकार नहीं है बी०डी०ओ० की सहमति

से रुपया खर्च हो सकता है । जिला पंचायत पर प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति सी०डी०ओ० के माध्यम से कराई जाय तो यह कैसे अधिकार हैं । मान्यवर, हमारा कहना है कि यह पूरा पंचायत राज विधेयक ब्यूरोक्रेसी के द्वारा बनाया गया है जब तक सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं होगा तब तक ब्यूरोक्रेट इस तरह के विधेयक बनाते रहेंगे । मेरी राय तो यह है कि राज्य सत्ता का भी विकेन्द्रीकरण होना चाहिए । आप पंचायतों के विकेन्द्रीकरण की बात कर रहे हैं ।

मैं मान्यवर, जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के पास कितने विभाग हैं और तमाम माननीय मंत्रियों के पास कितने हैं किसी को खेल दे दिया किसी को लम्बी दौड़ दे दिया किसी को कुछ किसी को कुछ और ये सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात कर रहे हैं । मान्यवर, अगर सही में यह सरकार सत्ता का विकेन्द्रीकरण चाहती है अगर मुख्य मंत्री जी ग्राम पंचायतों को अधिकार देना चाहते हैं तो ग्राम पंचायतों से लेकर जिला पंचायतों तक प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार उनको दिये जाएं । मुझे लगता है कि वोट के राजनीति के लिए यह विधेयक पेश किया गया है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में जिला योजना के बारे में कहा था और बड़ी ईमानदारी के साथ कहा था उनके भाषण से ऐसा लगा जैसे चुनाव में किसी जनसभा में बोल रहे हों । मान्यवर, जिला योजनाओं में 4/5 और 1/5 सदस्यों के नामित होने से दिक्कत पैदा हो रही है । कोई भी विधायक जिला योजना में रहकर अपने क्षेत्र के विकास की बात करता है और यही उसका उद्देश्य है ।

माननीय मुख्य मंत्री जी इस विधेयक के जरिये विधायकों के अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं, तो मुझे कोई एतराज नहीं है । यहां सत्ता पक्ष के विधायक बैठे हैं, जब जिला योजना की बैठक में बैठेंगे तो पता चल जायेगा । मैं बताना चाहता हूं कि जनता का सबसे ज्यादा दबाव विकास कार्यों के लिये विधायकों पर होता है, हमको तो जिला योजना समिति में गेस्ट बना दिया गया, मेरा तो यह भी प्रस्ताव है कि जिला योजना से विधायकों को निकाल दिया जाय और विधायक निधि का पैसा भी ले लिया जाय ताकि हम अपने क्षेत्र में जनता से यह साफ-साफ कह सकें कि हमको विकास कार्यों से अलग कर दिया गया है और हमारे ऊपर जनता का कोई दबाव न रहे ।

आज यह सरकार विधायकों के अधिकारों को समाप्त करने की संरचना इस विधेयक के रूप में लाई है, इसमें सुधार होना चाहिये । माननीय मुख्य मंत्री जी बहुउद्देशीय कर्मियों की बात कह रहे थे, अध्यापकों की नियुक्ति की बात भी हुई । अब अध्यापकों के ट्रांसफर जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं कर पायेगा, यह अधिकार भी अब मुख्य विकास अधिकारी को दे दिया गया है । कुल मिलाकर सारे अधिकार घुमाफिरा कर इस प्रदेश के अधिकारियों के हाथों में रहेंगे और वह सारे काम अपने हिसाब से करेंगे । हम चाहते हैं कि यह संशोधन विधेयक मुख्य मंत्री जी बनाये होते, इस सदन के सदस्य बनाये होते तो अच्छा होता और यह खामियां न होती । लेकिन यह विधेयक तो ब्यूरोक्रेट्स ने बनाया है और यह लोग चुने गये प्रतिनिधियों को कोई अधिकार नहीं देना चाहते ।

* श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं । सबसे पहले तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना डर, भय कह दिया, लेकिन उसका इस विधेयक से कुछ लेना-देना नहीं है। उनके सहयोगी बात तो बहुत अच्छी-अच्छी करते हैं लेकिन करते क्या हैं, यह वह जानें, मुझे इससे कुछ लेना-देना नहीं है, यह उनका अपना मुद्दा है, उनको ही निपटना है । यह जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यदि यह बड़ी पाक साफ होती और इसके विचार बड़े स्पष्ट होते तो यह कोई आज की बनी सरकार नहीं है, यदि इसे पंचायती राज वास्तव में लागू करना था तो जब 1994 में माननीय मुलायम सिंह यादव इस प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा था

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शोरगुल किया था, अड़ंगेबाजी की थी, क्या उस समय यह राम राज नहीं चाहते थे ।

मैं भी चाहता हूं, यह होना चाहिये, समय की मांग है । आप तो संसदीय कार्य मंत्री हर जगह सिक्के की तरह फिट बैठते हैं, आपको तो किसी चीज से मतलब है नहीं । आप लोग राम राज्य की बात करते हो, राम राज्य की तो वास्तव में कल्पना पूज्य बापू ने की थी, [× × ×] जब एक बार राम राज्य की कल्पना को हम लोगों ने रख दिया, विचार आ गया, तब तो किया नहीं, आज दो-ढाई साल बीत गया और आज तक कोई व्यवस्था नहीं बन पाई ।

श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, बापू के संबंध में जो टिप्पणी इन्होंने की है, उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

यह शब्द जो प्रयुक्त हुआ है, उसे कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, आप गांव स्तर पर कार्य करवाना चाहते हैं, तो कैसे होगा, आप ही बता दें, कौन चिन्ता करेगा, उसे पता ही नहीं है ।

(कई सदस्यों द्वारा टोका-टाकी किये जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

बीच में टोका-टोकी न करें ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

आप गांव की तरक्की करना चाहते हैं । वह सड़क कहां जायेगी, वह प्रधान तय करेगा, अगर उनकी मंशा के अनुरूप नहीं होगा, तो वह काम ठप्प हो जायेगा । मान्यवर, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि सी०डी०ओ० बड़ा हो गया है और जिलाधिकारी बौना हो गया है, सी०डी०ओ० को अधिक अधिकार मिल गये हैं, जिलाधिकारी क्या करेगा, शांति व्यवस्था को देखेगा । दुग्ध मंत्री जब वहां पर जायेंगे तो उनके लिये चुसनी लायेगा, और क्या करेगा, सारे अधिकार तो आपने सी०डी०ओ० को दे दिये हैं, आप के मन में जो बात है वह आज उजागर हो रही है । विपक्ष के ही विधायक चिन्तित नहीं हैं, पक्ष के भी विधायक सचिंतित हैं, उनको कल इधर आना है । गांव में आप जायें, तो वहां के लोग यह चाहते हैं कि विधायक जी बिजली ला देंगे, बेटा पढ़ रहा है, उसकी नौकरी लगवा देंगे । आज अध्यापक बेकार हो गये हैं, आपने कहा कि अध्यापक देंगे, मैं जानना चाहता हूं कि वह कितने पढ़े लिखे होंगे, चार हजार रुपया देकर बी०टी०सी० को रखा जा रहा है, सरकार कहती है कि अब नारे बाजी नहीं होगी, इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं हैं, अगर होते तो मैं उनसे कहता, यह लोक तंत्र है, आप किसी की जबान को बन्द नहीं कर सकते हैं, किसी संगठन पर पाबन्दी नहीं लगा सकते हैं, यह उनका अधिकार है, अगर किसी को निलम्बित किया जाता है तो उसको अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, आप उसे कैसे समाप्त कर सकेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के अनुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मुझे थोड़ा समय और दे दें। मैं कहना चाहता हूं कि प्रधान बहुउद्देशीय का झोला ढोयेगा।

(व्यवधान)

अभी आपने कहा कि कारगिल के मुद्दे का लेकर वहां पर पंचायतों की बैठकें की जा रही हैं। मैं जिला बहराइच की बात बताना चाहता हूं, वहां पर चुनाव से संबंधित बातें की जा रही हैं, राजनीति से संबंधित बातें की जा रही हैं।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप सभी लोग शांत रहिये।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, कारगिल शहीदों के नाम पर यह लोग पंचायतों की बैठकें कर रहे हैं और उसमें चुनाव संबंधी बातें कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें, आप बैठ जाइये।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पंचायती राज की व्यवस्था सहयोगी दल लागू नहीं कर सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जाये, दूसरों को भी अवसर दें।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिये मैं आभार प्रकट करता हूं। आपने इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, यह हमारा सौभाग्य है। मान्यवर, यह सत्य है कि भारत के संविधान में जनता को ही सत्ता का असली स्वामी बताया गया है। आप जानते हैं कि भारत की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और आज जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसमें सच में भारत के राम राज और ग्राम राज की बात है। ब्रिटिश राज्य आने के पूर्व इस देश में ग्राम पंचायतों की ही व्यवस्था थी, सभी लोग स्वतंत्र थे और सुखी थे, इसी दृष्टिकोण के कारण हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, यहां की अर्थ व्यवस्था बहुत मजबूत थी। मिस्टर डब्लू एडम ने 1835-1938 के बीच में ब्रिटिश प्रशासन को रिपोर्ट भेजी थी और स्वीकार किया था कि बंगाल और बिहार में एक लाख अट्ठावन हजार गांव हैं, जहां पर लगभग एक लाख विद्यालय स्थापित हैं।

ब्रिटिश राज्य आने से पूर्व पंजाब के अन्दर 30 लाख 30 हजार हुआ थे। इसके अतिरिक्त हमारी ग्राम व्यवस्था को जिसे महात्मा गांधी ने राम राज कहा है, 20 अक्टूबर, 1931 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गोल सम्मेलन के समय रायल इस्टीट्यूट आफ इण्टर नेशनल अफेयर्स कहा था, जो कि लन्दन शहर में था, हमारे देश की शक्ति ग्राम व्यवस्था में बसती है। जिसकी जड़ों को अनावृत्त कर दिया गया है, और उसे सूखने के लिये छोड़ दिया गया है। मान्यवर, जब ग्राम व्यवस्था अच्छी होगी। तभी इस देश की जनता खुशहाल होगी। मद्रास प्रेसीडेंसी में खालसा लैण्ड के नाम से जिसमें 35 प्रतिशत हिस्सा ग्राम में यामतका हुआ करता था, ग्राम पंचायत ही वहां पर सारे कार्य करवाती थी, चाहे शिक्षा से संबंधी हो, या अन्य किसी चीज से संबंधित हो, चाहे तालाबों की मरम्मत की बात हो, चाहे पानी की व्यवस्था की बात हो, सभी कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से हुआ करते थे।

मान्यवर, गांवों में बेरोजगारों को काम दिया जाता था । आज वर्तमान परिस्थितियों में गांवों को हम परोक्ष रूप से हथियार दे रहे हैं कि वह अपना विकास स्वयं कर सकें । मान्यवर, दूसरी बात को जोड़ना चाहता हूं । कि जमींदारी उन्मूलन एक ऐसा विधेयक था जोकि ऐतिहासिक है । बाद 1994 में 73वां और 74वां संशोधन विधेयक पारित किया गया था, जो सत्ता के विकेन्द्रीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम था । तो मान्यवर, इसी प्रकार का वातावरण हमने बनाया है । मैं कहना चाहता हूं कि गांवों के लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने का मौका दीजिए । तभी उनका विकास होगा, तभी उनकी उन्नति होगी । यह मानता हूं कि लोकतंत्र में हम कदम से कदम मिलाकर चलते हैं ।

मान्यवर, हम कानून को बनाते हैं, कानून का उपयोग करते हैं, समय के साथ-साथ परिस्थितियां बदलती हैं, कानून बदलते हैं, हो सकता है कि हमारे अधिकार कम किये जा रहे हों, हो सकता है कि हमें कोई और परिवर्तन करना पड़े तो परिवर्तन करेंगे । पहली बार गांवों के लोग जो निर्माण कार्य करना चाहेंगे, वह निर्माण कार्य करेंगे । मान्यवर, 50 वर्षों का इतिहास देख लीजिए । पहले योजनाएं दिल्ली में बना करती थी ।

आज पटना में बना करती हैं चेन्नई में बना करती हैं और आज प्रदेश की राजधानी में बनाई जा रही हैं । आज लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक क्षण है । यह लोकतंत्र की दिशा में ईमानदारी के साथ बड़े दिमाग के साथ उठाया हुआ कदम है, चाहे सत्ता पक्ष के में, बैठे हुए माननीय सदस्य हों और चाहे विपक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्य हों कि समय की मांग है लोकतंत्र को मजबूत करने का भारतीय संविधान की मंशा है, उसी दिशा में यह एक प्रयास है । संभव है इस विधेयक में कई विसंगतियां हो । यह भी संभव है कि डीक्यूलराइजेशन के नाम पर रिक्यूलराइजेशन हो जाय किन्तु लोकतंत्र एक निरन्तर चलने वाली मात्रा है ।

लोकतंत्र का कथन है । मेरी जिन्दगी एक मुसलसल सफर है, जो मंजिल पे पहुंचे तो मंजिल बढ़ा दी, यह एक कदम है जिसे कल आने वाली बैठकों में अगली विधान सभा में प्रयोग के पश्चात परिवर्तित किया जा सकता है ।

हमें अंग्रेजी में लेजिस्लेचर कहा जाता है हिन्दी में विधायक कहा जाता है । हमारा पहला और अंतिम कर्तव्य कानून बनाना है । इसलिए हमें अन्य अधिकार भी अपने ही हाथ में रखने का लोक संवरण करना चाहिए । मान्यवर, प्रदेश की जनता के बीच से प्रतिनिधि चुनकर आते हैं उन्हें नये कानून बनाने का अधिकार होता है, उनकी बात लाने का अधिकार होता है । हमारे अधिकार चले गये, दूसरे के हाथों में चले गये, मैं कह रहा हूं । जो लोग गांवों में चुनाव जीत कर आते हैं, यह अधिकार इस प्रकार से बंटे कि वह गांवों की समस्या को समझें और वह अधिकार सम्पन्न हों ।

माननीय वर्मा जी ने प्रवर समिति में भेजने की बात कही है क्या प्रवर समिति में बैठे हुए लोग इस सदन से अलग होंगे । जब कोई विधेयक बनाया जाता है तो वह कितनी चिन्तन की कुठाली से निकलता है ऐसा नहीं है कि वह विधेयक यूं ही चला आता है उसके ऊपर विचार होता है । कैबिनेट विचार करती है और उसके बाद यहां आता है । आज तो उच्च न्यायालय ने हमारी बात को स्वीकार कर लिया है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में पढ़ कर भी सुनाया है । तो यह लोकतंत्र की दिशा में एक मजबूत कदम है इसलिए मैं वर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि प्रवर समिति की बात जो उन्होंने कही है, वह सच्चाई को स्वीकार करें और लोकतंत्र की दिशा में यह जो एक कदम बढ़ाया गया है उसके साथ खड़े हो जायं और अपने इस प्रस्ताव को वापस कर लें ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब अपनी तकरीर शुरू की तो उसमें विनोबा भावे जी, गांधी जी, जय प्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया जी तमाम बड़े-बड़े लोगों के नामों का जिक्र किया, उन सब लोगों के नामों का जिक्र भी करना चाहिए क्योंकि उन लोगों का विचार था कि जो सत्ता है वह

ग्रामीण स्तर पर आ जाय । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इन बड़े लोगों की जो इच्छा थी उसके अनुसार सरकार को काम करना चाहिए । उनके दिमाग में यह कभी नहीं रहा होगा कि कभी ऐसी सरकार होगी जो इस भावना का दुरुपयोग करेगी ।

(सदन में सेल्यूलर फोन की घन्टी की आवाज आने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह कृपया सेल्यूलर फोन को आफ करके रखें क्योंकि इससे कार्यवाही में अनावश्यक व्यवधान पैदा होता है ।

श्री कौकब हमीद–

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो पैसा आप बांटेंगे और वह पैसा वहां जायेगा क्या वह ठीक से वहां पहुंच पायेगा । आप पैसा म्यूनिसपैलिटीज को भेजते हैं तो क्या मालूम नहीं है कि पैसा वहां जाने के लिए यहां पर पैसा देना पड़ता है जब आप पैसा बांटेंगे और वह जिलों को जायेगा तो उसमें पैसे का दुरुपयोग होगा, प्रधान और ग्राम सभा के लोग काम करायेंगे और उसके लिए पैसा देना पड़ेगा । आपको इस संबंध में कोई व्यवस्था करनी चाहिए । इतने बड़े काम के पहले आपको सोंचना चाहिए था, काम करने का यह तरीका नहीं है । 18625 गांव हैं जिनमें से करीब 9 लाख प्रतिनिधि चुन कर आये हैं आपने यह किया है कि दो पदों को, एक तो सी०डी०ओ० जो आलरेडी मौजूद था उसको आपने शक्तिशाली बना दिया है और इतना ताकतवर कर दिया है कि वह डी०एम० के ऊपर हो गया क्योंकि सारे वित्त के मामले और जो योजनायें आयेंगी बगैर सी०डी०ओ० के वह स्वीकार नहीं हो सकती हैं ।

और यह बहुउद्देशीय अधिकारी, वह गांव में रहेगा और वह जब गांव में रहेगा तो उसका वर्चस्व बनेगा और वह भी एक केन्द्र बिन्दु बन जायेगा और वहां के प्रधान जी को, बी०डी०सी० मेम्बर्स को और वहां के लोगों को सलाम करना पड़ेगा । बगैर उसकी मर्जी के जो योजनायें बनाने जा रहे हैं या जो बन चुकी हैं उनका पैसा मिल जाये, उन पर कोई आरोप बाद में न लगे, यह हाल हो जायेगा । यह कहना कि हमने सारी ईमानदारी के साथ डी०आर०डी०ए० के अध्यक्ष हैं अर्थात जिला पंचायत अध्यक्ष को हमने सब दे दिया । अगर देना ही था तो 3 दिन तक कलेक्टर और कमिश्नर्स को बुलाकर मीटिंग क्यों कि ? एक हफ्ते तक हर जिले के अन्दर एक अजीब सा माहौल रहा । कहीं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिला पंचायत के चेयरमैन को जगह नहीं दे रहे थे और वहां पर अभी वित्तीय स्वीकृति पहुंची नहीं थी ।

शासन ने यह कहा कि एक हफ्ते के अन्दर सोच-समझकर, विचार करके भेज देंगे, जो आपने 3 दिन तक मीटिंग ली उसका नतीजा यह हुआ कि जो वित्तीय संस्तुति डी०आर०डी०ए० के चेयरमैन को देने जा रहे थे उसे आपने रोक ली । सी०डी०ओ० को एक्जीक्यूटिव आफिसर बना दिया । वह एक्जीक्यूट करेगा । जो फाईनेन्सियल पावर थे वह सी०डी०ओ० को दे दिया । आपने नाक सीधे न पकड़कर उल्टी पकड़ी । भाषण देकर, लम्बी-चौड़ी कहानी सुनाकर पकड़ी । बहुउद्देशीय कर्मी अर्थात वह व्यक्ति जो मल्टीपरपज का काम करेगा वह आपका खेत देखेगा, जमीन का नक्शा देगा, चकबन्दी का सारा काम करेगा, जब नल खराब हो जायेगा तो उसे भी ठीक करेगा । जब पानी टेल तक नहीं पहुंचेगा तो शिकायत किससे की जायेगी, क्या तरीका बनेगा ? आपने सरकारी ट्यूबवेल को भी ग्राम पंचायतों को सौंप दिये हैं । पिछले सत्र में इसी विधान सभा में माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम 100 रुपये देंगे जिससे ट्यूबवेल ठीक होंगे ।

मान्यवर, 100 रुपये में ट्यूबवेल ठीक होने वाले नहीं है । आखिर यह मजाक या दिल्लगी है, यह क्या है ? एक ही आदमी को सारे कार्य आप सौंप रहे हैं । मान्यवर, वह बहुत बड़ी चीज बन जायेगा । जो उस ग्राम सभा का प्रधान होगा, बी०डी०सी० के मेम्बर होंगे वह उसे नमस्कार करना शुरू कर देंगे और वह एक ऐसा केन्द्र बिन्दु बन जायेगा कि हम उसकी सीमा समाप्त करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, एक बात आयी कि 1400 रुपये में मास्टर रखेंगे । अभी कल शिक्षा पर चर्चा हो रही थी कि बच्चों को एडमीशन नहीं मिल रहे हैं, शिक्षक पढ़ा नहीं रहे हैं । 1400 लेने वाला क्या पढ़ायेगा । आज मजदूर 100 रुपये प्रतिदिन ले रहा है ।

इस पद पर आप अपनी पार्टी के लोगों को नियुक्त कर देंगे आप शक्ति नहीं प्रदान कर रहे हैं बल्कि अपने लोगों का बाकायदा कैडर तैयार कर रहे हैं । अपने लोगों को भरती करके ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री कौकब हमीद–

हमारा दल इसके खिलाफ नहीं है लेकिन आप इसको अपने तरह से लागू कर रहे हैं । हम एम०एल०ए० के अधिकारों में कटौती के खिलाफ हैं । हम अपने हाथों से स्वयं के पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम करने के खिलाफ हैं । सी०डी०ओ० को आप सर्वशक्ति मान बना रहे हैं अगर एम०एल०ए० होगा तो कुछ तो नियंत्रण रहेगा । इसलिए हमारा वहां होना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री कौकब हमीद–

जब आप ग्राम पंचायतों की बात करते हैं तो कोई प्रधान यही चाहेगा कि हमारे यहां काम हो लेकिन ऐसे कार्य जो दो या चार गांव से संबंधित हैं वह किस तरह से होगा । विधायक हर जगह अपनी बात कह सकेगा इसलिए मेरा ही नहीं सबका प्रस्ताव है कि डी०आर०डी०ए० में हमारा प्रस्ताव लेना चाहिए और हमें सारे अधिकार होने चाहिए मैं चाहूंगा कि इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाए जो सारे बिन्दुओं पर विचार कर सके ।

श्री बी० आर० वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे भी विचार रखने का मौका दिया इस संशोधन विधेयक पर मुख्य मंत्री जी और दूसरे माननीय सदस्यों ने जो विचार रखे हैं मैंने उनको ध्यानपूर्वक सुना है हमारे देश में ही नहीं कमोवेश पूरी दूनियां में दो तरह की व्यवस्थाएं कमोवेश चल रही हैं सेन्ट्रलाइजेशन और डिसेन्ट्रलाइजेशन यानी केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण इसी तरह से नेशनलाईजेशन और प्राइवेटाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण और निजीकरण की अवधारणा में कभी हम राष्ट्रीयकरण और कभी निजीकरण की तरफ जाते रहे । हमने उसका अनुभव सीखा आज उससे सबक लेकर विकेन्द्रीकरण और निजीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हमें आवश्यकता ऐसी महसूस हो रही है कि हमको विकास की गति देने के लिए निजीकरण की आवश्यकता है आज जिन प्रान्तों में कम्युनिस्ट हुकूमतें हैं वहां भी ऐसा महसूस किया जा रहा है एवं उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उसी एक कदम के रूप में यह विधेयक हमारे सामने हैं । जिसकी शुरूआत 73वें व 74वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत हुई उत्तर प्रदेश में इसको 1994 में लाने का काम किया गया ।

आज उसी में संशोधन करके एक दो बातें और जोड़ने का प्रयास है । मुख्य मंत्री जी जब इस पर बोल रहे थे तो उन्होंने विस्तार से अपने विचार रखे मैं जो विधेयक देख रहा था और इस विधेयक में यह जो संशोधन विधेयक है उसमें संयुक्त प्रान्त राज्य अधिनियम, 1947 का संशोधन किया गया है। और मात्र चार धाराओं में संशोधन किया गया है और अध्याय तीन जो है उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और

जिला पंचायत अधिनियम, 1961 का संशोधन किया गया है । उसमें 16 धाराओं में संशोधन किया गया है इन चार और 16 को जोड़ दें तो कुल 20 धाराओं में संशोधन किया गया है ।

इसके द्वारा एक ऐसी व्यवस्था की तरफ इंगित किया है जो न आज तक कभी हुई और न शायद कभी आगे होने वाली है । इस प्रकार का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण के दौरान किया । उन्होंने इस संबंध में कई मनीषियों की अवधारणाओं का जिक्र किया । मान्यवर, इतिहास के पन्नों में जाकर यदि हम देखें तो लार्ड बुद्धा के समय 10 गणराज्यों में इसकी अवधारणा मिलती है परन्तु उन 10 गणराज्यों में वह व्यवस्था नहीं चल पायी और समाप्त हुई । तमाम मनीषियों ने इस पर चिन्तन किया कि जनता की सहभागिता बढ़े और विकेन्द्रीकरण करके गांवों को मजबूत किया जाय । स्व० चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर जाता है, सही है, परन्तु हम क्या करने जा रहे हैं ? अभी हमने वित्तीय अधिकार दिये हैं ।

मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि 7 परसेन्ट आपने नगर निकायों को दिया है और 4 परसेन्ट ग्राम पंचायतों को दिया है । मान्यवर, आज गांवों की हालत दयनीय है और गांव में आबादी ज्यादा रहती है और शहरों में जहां पर सम्पन्न लोग रहते हैं या ऐसे लोग जो गांव में सम्पन्न होते हैं बाद में शहर में आकर बस जाते हैं और या फिर वे लोग जो रोजगार की तलाश में शहर आते हैं उनके लिए आपने 7 परसेन्ट दिया है और जहां गांवों में 80-85 प्रतिशत लोग रहते हैं वहां पर आपने 4 परसेन्ट देकर उन्हें खुशहाल बनाने तथा विकास के रास्ते पर ले जाने की परिकल्पना जो आप कर रहे हैं इस पर आपको गंभीरता पूर्वक चिन्तन करना होगा । मेरा सुझाव है, जो बटवारा हो वह पिछड़ेपन और आबादी को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, यदि हम ऐसा करेंगे तभी हम समुन्नत प्रदेश बना पायेंगे, अन्यथा जो अगड़े हैं वह विकसित होते रहेंगे और जो पिछड़े हैं जिनकी आबादी ज्यादा है वह पिछड़ते रहेंगे, इसलिए इस दिशा में आपको जरूर सोचना होगा । मान्यवर, इस विधेयक में जो आप संशोधन लाकर इस प्रदेश को देना चाहते हैं मेरा सुझाव है कि इसमें आप एक बात और जरूर करें जो बहुत ज्यादा प्रभावकारी होगी ।

जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और गांव पंचायत के अन्तर्गत जो भी अधिकार हैं उन अधिकारियों को पूर्णतः जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और गांव पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनके नियंत्रणाधीन रहने दिया जाय और उनको यह अधिकार हो कि वह उन अधिकारियों की चरित्र पंजिका लिख सके । यदि कोई बहुउद्देशीय कर्मी मनमाने ढंग से कार्य करे तो गांव पंचायत के अध्यक्ष की संस्तुति पर उसे एक क्षेत्र पंचायत में ट्रान्सफर किया जा सके और क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष की संस्तुति पर उसे जिला पंचायत में ट्रान्सफर किया जा सके । यदि ऐसी व्यवस्था इसमें समाहित हो जायेगी तो उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर अंकुश लग जायेगा । अभी आपने ज्वाइन्ट एकाउन्ट के बारे में कहा । जो क्षेत्रीय विकास निधि है । जैसा जिले की है । जिला विकास निधि है । ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायत निधि है उसमें जितना पैसा जिस-जिस मद से आता है वह जिला पंचायत निधि और ग्राम पंचायत निधि में रखा जाता है । क्षेत्र पंचायत निधि में तो कोई पैसा नहीं जाता है । तमाम शासनादेश करे गये हैं । इस ऐक्ट में व्यवस्था है कि क्षेत्र पंचायत निधि होगी और संयुक्त रूप से संचालित होगी । परन्तु क्षेत्र पंचायत निधि में पैसा ही नहीं जाता है । आवास का पैसा अलग खाते में होगा । इन्दिरा आवास हो या दूसरे आवास हों उसका पैसा उसमें जाना चाहिये । उसके लिये शासनादेश जारी करके अलग खाते में रखने का इन्तजाम होगा ।

आई०आर०डी०पी० के अन्तर्गत, अब तो यह योजना समाप्त हो गई है परन्तु जितने में जो अनुदान देने का पोर्शन है वह जायेगा । वह क्षेत्र पंचायत निधि में नहीं जायेगा, संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित नहीं होगा । तमाम ऐसे शासनादेश हैं । मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जिस तरह से जिला पंचायत निधि में ग्राम पंचायत निधि में जिस तरह की व्यवस्था है उसी तरह की व्यवस्था क्षेत्र पंचायत में

भी करें ताकि सारे का सारा पैसा जिस मद का जाय एस०आर०वाई०, जे०आर०वाई० का वह क्षेत्र पंचायत निधि में रखा जाय और वह संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित हो । अगर सिर्फ बी०डी०ओ० के हस्ताक्षर से होगा तो क्षेत्र पंचायत का उस पर कोई नियंत्रण नहीं हो पायेगा । इसी तरह से क्षेत्र पंचायत निधि में पैसा रखा जाय और वह दोनों के हस्ताक्षर से संचालित हो ।

ग्राम विकास विभाग से अलग-अलग शासनादेश जारी हो रहे हैं । बी०डी०ओ० ही उसका संचालन करेगा तो उस पर क्षेत्र पंचायत का कोई कन्ट्रोल नहीं रहेगा । इसी तरह से एक और सुझाव देना चाहता हूं । आपने कहा डी०आर०डी०ए० के बारे में कि उसकी अध्यक्षता करने का अधिकार जिला पंचायत अध्यक्ष को दे दिया । व्यक्तिगत रुप से मैं इसका स्वागत करता हूं और इसकी सराहना करता हूं क्योंकि यही एक संस्था थी जिसमें जन प्रतिनिधि भाग लेते थे और अधिकारी उसकी अध्यक्षता करता था । ऐसी कोई और संस्था नहीं है जिसमें जन प्रतिनिधि भाग लें और अधिकारी उसकी अध्यक्षता करे । यही एक संस्था थी जिसमें जन प्रतिनिधि भाग लेते थे अधिकारी उसकी अध्यक्षता करता था और उसकी अध्यक्षता में जनप्रतिनिधि को बैठना पड़ता था । आपने इसको समाप्त किया है ।

मैं इसका आदर करता हूं । इसकी सराहना करता हूं और यह एक अनुकरणीय कदम है परन्तु और अच्छा होता कि जब आपने जिला पंचायत के अध्यक्ष को डी० आर० डी० ए० का अध्यक्ष बना दिया है तो पहले जो डी०आर०डी०ए० के अध्यक्ष के अधिकार होते थे वही अधिकार उसको दे देते । आपने वित्तीय अधिकार नहीं दिये । वित्तीय अधिकार आपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को दे दिये ।

श्री अधिष्ठाता–

अब संक्षेप करें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, आप कहें तो बस यहीं समाप्त कर देता हूं । मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस बारे में विचार करें और कहीं कोई ऐसी बाधा न हो तो जिला पंचायत का अध्यक्ष जो है वह जिला पंचायत निधि को देखे उसका पैक काट सकता है और उसकी वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर सकता है । तो क्या वजह है डी० आर० डी० ए० का पैसा है उसका चेक काटने और प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृतियां को देने से क्यों बंचित रखा गया है । इस पर आप पुनः विचार करें और संभव हो सके तो अधिकार दें । जनप्रतिनिधि जो जनता द्वारा चुनकर पहुंचते हैं वह अधिकार सम्पन्न होगा । इसी तरह से मान्यवर क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष हैं, ब्लाक प्रमुख इनको मानदेय देने की व्यवस्था है यह दो सौ रुपया बहुत दिनों से है इस पर विचार कर लें बढ़ोत्तरी कर सकें तो एक सराहनीय कदम होगा । इसी तरह से मुख्य मंत्री जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा, कहीं मध्य प्रदेश, कहीं कर्नाटक और कहीं पश्चिम बंगाल का जिक्र किया और कहा कि इसका अनुसरण किया है ।

माननीय मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश गरिमामय प्रदेश रहा है, जिसने कानून बनाया है नियम बनाये हैं और उसका दूसरे प्रदेशों ने अनुसरण किया है । आप कह रहे हैं कि दूसरे प्रदेशों का अनुसरण किया है । उत्तर प्रदेश यू० पी० जेड० ए० पेश किया तो विधान सभा की कार्यवाही का दूसरे प्रदेशों को अनुसरण करना पड़ा आपको इस तरह का बनाना चाहिये था कि दूसरे प्रदेश अनुसरण करते ।

श्री कल्याण सिंह–

जब मैं बोल रहा था तो किसी और राज्य द्वारा बनाई गई स्कीम के बारे में नहीं कह रहा था मैंने केवल तुलनात्मक विवरण बताया था । अनुसरण नहीं किया है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, एक चीज और कहना चाहता हूं ।

" जिस तरह से आप तुलना कर रहे थे, जिला नियोजन समिति को मजबूत करने की बात कर रहे थे तो उसमें जिला पंचायत के अध्यक्ष और नगरीय निकाय के अध्यक्ष को वारी-बारी से अध्यक्षता के अधिकार देने चाहिये थे । आपने एक मंत्री को रखकर विकेन्द्रीकरण की दिशा में सराहनीय कदम नहीं उठाया । एक चीज और आपसे अर्ज करना चाहूंगा इस समय गांव पंचायत हैं इसमें आबादी के हिसाब से एकरूपता नहीं है । शहर निकाय देखेगें तो आबादी के हिसाब से आपने बनाये हैं टाउन एरिया जिसको आपने नगर पंचायत कहा है, दूसरा नगर पालिका परिषद्, तीसरा नगर निगम् बनाया है आबादी के हिसाब से, लेकिन जो गांव पंचायत हैं यह एक हजार की भी हैं और दस हजार की भी हैं इसम एकरूपता नहीं है ।

दस हजार की आबादी की जो पंचायत होगी वह भी बहुउद्देशीय कर्मी होगी और एक हजार वाली भी बहुउद्देशीय कर्मी होगी तो कैसे एकरुपता रहेगी ? आप एकरुपता की दिशा में भी कदम उठाए तो यह ज्यादा प्रभावशाली होंगी । इसी तरह से आपने जिक्र किया कि हमने इसका जिला स्तर पर विकेन्द्रीकरण किया है गांव पंचायत स्तर पर विकेन्द्रीकरण किया है, क्षेत्र पंचायत स्तर पर विकेन्द्रीकरण किया है और बहुत सारा बताया सत्ता का विकेन्द्रीकरण वित्तीय अधिकारों का विकेन्द्रीकरण उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1999 प्रस्तुत किया जा चुका है । अभी प्रस्तुत है उसके बारे में कहना चाहूंगा ; धारा 11(2) देखने का कष्ट करें । इसमें लिखा है कि उपधारा (1) के अधीन नियत की गयी जिला योजना परिव्यय को अधिकतम सीमा राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय पुनरीक्षित या परिवर्तित की जा सकेगी आप चेन्ज कर सकते हैं । 13(2) देखने का कष्ट करें । इसमें है कि राज्य सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, जिला मजिस्ट्रेट को धारा–12के अधीन अन्तिम रूप से स्वीकृत जिला योजना के लिये वित्तीय मंजूरी देने की शक्ति होगी ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी इस पर विचार होना शेष है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, आपका आदेश शिरोधार्य । तो इस तरह से माननीय मंत्री जी द्वारा जो पंचायती राज विधि (संशोधन) अधिनियम लाया गया है उसमें मैं कहना चाहूंगा कि इसमें बड़ा मंत्री जी कह रहे थे कि हमने कौन से अधिकारों का गठन नहीं किया है । माननीय मंत्री जी 73वां और 74वां जो संशोधन है उसमें लिखा है कि कहां किस तरह से सदस्य होंगे और उसके अधिकार क्या होंगे ? जब उसमें लिखा है तो उसके अनुरूप आप चलने के लिये बाध्य हैं और उसमें संशोधन करने का अधिकार सदन को नहीं है । पहले से यह व्यवस्था है यह कोई आज की व्यवस्था नहीं है । किसी की भी सरकार रहेगी उसको संशोधन विधि बनाने का अधिकार है उसी के अनुरूप 94 में विधि बनी थी उसके अनुरूप आज संशोधन कर रहे हैं । इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी अगर अच्छे संशोधन विधेयक के रूप में आप इसे लाना चाहते हैं और इसमें हर चीजों का समावेश हो सके, पूर्णतः विकेन्द्रीकरण हो सके तो उसके लिये क्योंकि जिला योजना नहीं बन रही तो आप उसको प्रवर समिति को सौंप दें ताकि इसमें सम्यक् विचार हो सके ।

सभी दलों के प्रतिनिधि सदस्य होंगे ओर सम्यक् विचारोपरान्त एक अच्छे अधिनियम के रूप में सर्व सम्मति से वह पास हो सके यह ज्यादा हितकर होगा और इस सदन की गरिमा के अनुरूप होगा । इसलिये मैं चाहूंगा कि इस अधिनियम को प्रवर समिति को सौंप दें और मैं माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है उस पर बल देता हूं ।

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार के प्रस्ताव पर चर्चा का समय बढ़ाने का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

इससे पहले कि कोई और वक्ता बोलें मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहूंगा कि इस विधेयक पर, चूंकि दो घण्टे का समय बीत चुका है और इतना ही समय इसके लिये निर्धारित किया गया था और अभी और भी बहुत से माननीय सदस्य शेष इसमें बोलना चाहेंगे, इसलिये समय बढ़ाने के लिये आप प्रस्ताव ले आयें ।

संसदीय कार्य पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि मद संख्या–15 पर जब तक इस पर चर्चा पूर्ण न हो जाय जारी रखी जाय ?

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि मद संख्या–15 पर जब तक चर्चा समाप्त न हो जाय तब तक उसका समय बढ़ाया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 पर चर्चा (क्रमागत)

श्री अम्बरीष कुमार--

मान्यवर, पंचायती राज की कल्पना एक बहुत विशाल कल्पना है । जब हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारी वह लड़ाई केवल इस बात के लिये नहीं लड़ी गयी थी कि भारत से अंग्रेज चले जाये । हम लोग राज सत्ता सभाल लें उसके कुछ उद्देश्य थे और वह यह थे कि इस देश के करोड़ों करोड़ लोग वह अधिकार पाना चाहते थे कि वह अपने भविष्य का रास्ता स्वयं तय कर लें । देश के नेता जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े थे, यह उनकी दूरदृष्टि का परिणाम था कि जिस समय देश आजाद हो रहा था 1947 में इस उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का कानून बना विधि बनाई गई थी । सबसे पहले यह प्रयास किया गया था कि यह सब केवल लोकसभा, राज्य सभा, विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्यों के हाथों में सत्ता न रहकर जो सही और वास्तविक प्रतिनिधि हैं उस तक यह सत्ता पहुंच जाये । हम केवल विकेन्द्रीकरण की बात नहीं करते हैं, हम तो ऐसी आदर्श व्यवस्था की कल्पना करते हैं जिसमें पूरे समाज से पूरी दुनिया से राज शब्द हट जाय । सभी काम व्यवस्थित रूप से स्वयं चलते रहें ।

मान्यवर, यह प्रचार करने की कोशिश कई दिनों से हो रही है कि सत्ता पक्ष ने इस बिल को रखा है, अगर विपक्ष के लोग विरोध करें तो यह संदेश चला जाय कि विपक्ष के लोग सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं चाहते हैं । मान्यवर, विपक्ष आपसे आगे बढ़कर सत्ता के इस विकेन्द्रीकरण में हाथ बटाना चाहता है । आप जब माननीय मुख्य मंत्री जी आम राय की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि हम विकास की राजनीति को दलगत राजनीति से अलग रखना चाहते हैं । काफी दिनों से इस बिल की चर्चा चल रही थी फिर कौन सा कारण था कि आम राय जो लोकतंत्र की आत्मा होती है उस आत्मा को आपने मानने का काम किया । सभी लोगों को बिठाकर इस प्रक्रिया को बनाया होता तो इतने बहुमूल्य सुझाव मिलते, कि जिन राज्यों का आपने जिक्र किया उनके माडलों का अध्ययन नहीं करना पड़ता और सभी राज्य और केन्द्र, उत्तर प्रदेश के विकेन्द्रीकरण के प्रस्ताव की प्रशंसा करते ।

मान्यवर, पंचायती राज की जो कल्पना है मानव विकास उसका विकास आप पंचायती राज के जरिये से करना चाहते हैं । आपने महात्मा गांधी का नाम लिया, महात्मा गांधी जी, जिनको राष्ट्रपिता के नाम से कहा जाता है जिनकी विचारधारा का विरोध भी सारा जीवन करते रहे हैं इस सदन में और इस

सदन के बाहर आप राष्ट्रपिता मानने से इन्कार करते हैं उनका नाम लेकर आपने भाषण शुरु किया, उसके लिये मैं आपको बधाई देना चाहता हूं ।

मान्यवर,जब दूसरे लोगों की सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं तो अच्छा लगता है लेकिन जब हम अपने गिरेबान में झांककर देखें तो यही आता है कि सारी शक्तियां हमारे पास केन्द्रीकृत रहनी चाहिये । जो पेम्फलेट मिला है । मान्यवर,कहें तो पढ़कर सुना दें । मान्यवर, वैसे तो आपको जानकारी है कि 100 की कैबिनेट के बाद भी 14 विभाग आपके पास हैं । मैं कह सकता हूं कि जहां मुख्यमंत्री का पद, गृह मंत्री का पद और वित्त मंत्री का पद एक ही व्यक्ति के पास हो वह उसे सफलतापूर्वक नहीं चला सकता है अगर आप सही मायने में विकेन्द्रीकरण के हिमायती हैं तो आपको यह काम स्वंय से शुरु करना चाहिये था और शायद इसका पूरे प्रदेश में ऐसा प्रभाव होता जो आप कल्पना नहीं कर सकते थे ।

आज हमारे बहुत से आलोचक जो विकेन्द्रीकरण के हैं वह इस तरह की शंकाएं व्यक्त करते हैं । प्रधान के पास पंचायत में पैसा जायेगा तो वह ठीक से व्यय नहीं कर सकेगा । जब आपने इस विकेन्द्रीकरण का नारा दिया इसे लाने का प्रयास किया और सदन में लाये तो निश्चित रुप से आपको इन शंकाओं से परे होकर जिसकी शक्ति है उसको देने में कोई कोताही नहीं करनी चाहिये थी । आपको इन प्रधानों में, विकास खण्ड में, जिला पंचायत के प्रमुखों में पूरा विश्वास होना चाहिये था लेकिन यह नहीं हुआ । अभी कुछ दिन पहले इस अधिनियम की धारा 4 में यह व्यवस्था आपने की थी कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत का एक सदस्य होगा जो एकाउन्ट को खोलेगा और जिसके हस्ताक्षरों से खाता खुलेगा फिर आपने बदल दिया कि वह सदस्य नहीं होगा जो सेकेट्री है सभा का उसके और प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से खाता संचालित होगा ।

इसी तरह से धारा 29 में देखे इसमें आपने यह प्राविधान किया है कि गांव सभाओं की बहुत सी समितियां बनाई जायेंगी लेकिन यह अधिकार ग्राम सभाओं को नहीं दिया आपने कह दिया कि समिति अभिसूचित प्रदेश सरकार करेगी उसके अलावा कोई समिति ग्राम सभा नहीं बना सकती । इसी में यह भी व्यवस्था की है कि इन समितियों का सभापति कौन होगा ? प्रधान होगा या किसी सदस्य को बनायेगें यह भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभिसूचित किया जायेगा उसके बाद भी आप दावा करते हैं कि ग्राम पंचायत को पूरी स्वायत्ता दी है, विकेन्द्रीकरण का काम किया है तो इस पर भी आपको चिन्तन करना चाहिये ।

अभी आपने कहा कि शिक्षकों को वेतन 2250 रुपया देगें । जब यह शिक्षक अवकाश प्राप्त कर लेगें या उनकी जगह पर दूसरे को रखने की आवश्यकता होगी तो 2250 देगें । आज जिस कार्य के लिये 3-4 हजार रुपया वेतन दे रहे है तो आपको 2-3 साल के बाद कोई अध्यापक जो अवकाश प्राप्त करता है या किसी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है । तो उसके स्थानापन्न को 2250 रुपया देगें । आपको सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय की जानकारी है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी कर्मचारी, अध्यापक को लीविंग वेज देगें । जिसमें वह अपना गुजर-बसर कर सके । दूसरा मैं निवेदन यह करना चाहता हूं यह संविधान के उस मौलिक अधिकार जो धारा–14 में दिया गया है जिसमें सबको समानता का अधिकार है, उतना ही काम करने वाले को उससे अधिक वेतन और उतना कही काम करने वाले को उससे कम वेतन यह निश्चित रूप से उसका उल्लंघन है । मान्यवर, आपने कहा कि यहां से मेरिट लिस्ट बनेगी । इन्टर पास आपने न्यूनतम योग्यता रखी है, आप प्रार्थना-पत्र यहां लेगें और यहां से मेरिट लिस्ट बनायेगें ।

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

मैं स्पष्ट कर दूं । ग्राम पंचायत ही बनायेगीं, यहां से केवल यह कह दिया कि हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट के अंक मिलाकर जिसके सबसे अधिक अंक होगें, उसको लिया जायेगा ।

श्री अम्बरीष कुमार–

आपने उत्तर दिया, इसके लिये मैं आभारी हूं। इस 50 साल के लोकतंत्र में जब चुनाव होते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं। यह अध्यापकों का ऐसा नेटवर्क और स्ट्रक्चर हमारे पास था, जिसके माध्यम से 16 करोड़ जनता के चुनाव सम्पन्न कराये जाते थे, जनगणना का काम कराया जाता था। अब आपने कहा कि हम इन्हें संविदा के आधार पर रखेगें, 2 साल के लिये अध्यापक रखेगें, तो उनसे क्या हम इन कार्यों का सम्पादन करा सकते हैं? यदि इनकी आवश्यकता नहीं है तो फिर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है, जिसके माध्यम से इन कामों को पूरा कर सकेगें।

आपने यह भी कहा कि वर्तमान में जो कर्मचारी हैं, उनकी सेवा शर्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके लिये साधुवाद आपको। लेकिन जब कर्मचारी अवकाश प्राप्त करेंगे, या उनकी मृत्यु होगी, उस समय पुनः 2250 पर बहुद्देशीय कर्मी की नियुक्ति ग्राम सभा के द्वारा करेंगे। आपने यह भी कहा कि आरक्षण नियमों का ध्यान भी रखा जायेगा। आपसे मेरी एक जिज्ञासा है। क्या आप ग्राम सभाओं को निर्देश देगें कि इस ग्राम सभा में इस जाति का आदमी रखेगें या इसमें सामान्य रखेगें, क्या ऐसी भी कोई नियमावली बनायेंगे। आप जिस विकेद्रीकरण की बात कर रहे हैं, ग्राम प्रधान को अधिकार देने की बात कर रहे हैं, उसमें इससे विरोधाभास स्पष्ट होता है, इस पर चिन्तन कर लें।

श्री अधिष्ठाता–

अम्बरीष जी, अब कृपया समाप्त करें।

श्री अम्बरीष कुमार–

आपने एक बात यह भी कही कि बहुद्ददेशीय कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके मृतक आश्रित को भी नौकरी देगें। मैं कहना चाहता हूं कि ग्राम सभा में नौकरी देगें नहीं और सरकार में पद खाली नहीं होगा, इसलिये इस कथन पर भी शासन को विचार करना चाहिये। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कलई तो आपकी खुल गई जिला पंचायत अध्यक्ष से ट्रांसफर का अधिकार छीनकर सी०डी०ओ० को दे दिया, अब जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं करेगा क्योंकि उसने बहुत मास स्केल पर ट्रांसफर कर दिया आपका कहना है। हमारे बहराइच, मुरादाबाद आदि बहुत से ऐसे जिले हैं, जहां जिला पंचायत के अध्यक्ष को अभी तक डी० आर० डी० ए० का अध्यक्ष नहीं बनाया गया, वित्तीय शक्ति नहीं दी।

आपने सब शक्ति तो सी०डी०ओ० को दे दी, मैं चाहता हूं कि जिला पंचायत के अध्यक्ष को अधिक शक्ति दें। साथ ही जिला पंचायत के अध्यक्ष को, प्रमुखों को, प्रधान को मानदेय देने का काम भी सरकार करे तो अच्छा होगा। मैं एक छोटा सा सुझाव और देना चाहता हूं। बेहतर होता इन कर्मचारियों की सरकार नियुक्ति करती और ब्लाक का सुपरविजन रहता, उनकी रिर्पोट के आधार पर उनके विरुद्ध कार्यवाही भी बनती। साथ ही आप सारे विभागों के समन्वय के लिये ग्राम सचिवालय की स्थापना करते तो यह सब न होता जो आज हो रहा है जैसे कहीं आपरेटर न होने की वजह से ट्यूबवेल बन्द पड़े हैं, कहीं सींचपाल की व्यवस्था न होने से नहर पटरियां काटी जा रही हैं, यह जो दिक्कतें हैं, यह समाप्त हो जातीं।

मान्यवर, धारा 44 में आपने अधिकारियों के संवर्ग बनाने की बात कही है, लेकिन अगर यह कर्मचारियों के लिये भी करते तो और अधिक साधुवाद आपको मिलता। इलेक्शन के बारे में और पुलिस के बारे में दो बातें कहना चाहता हूं। स्थानीय पुलिस पर नियंत्रण ग्राम प्रधान का या प्रमुख का, जिला पंचायत अध्यक्ष का नहीं है तो जितनी शक्ति आपने दी है, उसका उतना लाभ नहीं हो सकेगा। पुलिस विभाग को भी इस विकेन्द्रीकरण के दायरे में लाना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह के संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

श्री रघुवर दयाल वर्मा जी का नाम बहुत पहले से है । माननीय प्रमोद कुमार जी का अनुरोध है कि उनको पहले समय दे दिया जाये, उनको कहीं पर जाना है ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । मान्यवर, मैं अपने विचार रखते समय माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक के संदर्भ में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि उन्होंने इसकी मूल भावना को नहीं समझा है । जो पंचायती राज था, इसको सरकारी राज बना दिया है । पंचायत की मूल भावना के अनुसार सभी नेताओं को बुला लेते और उनसे विचार विमर्श कर लेते और जो एक राय बनती उसके अनुसार कार्य करते, तो कितना अच्छा होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया । जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, उनको बुला लेते और उनके विचार भी जान लेते और जो कर्मचारी हैं उनके नेताओं को बुला लेते और उनके भी विचार जान लेते और तब संशोधन विधेयक लाते तो इसमें कोई विरोध नहीं होता । तो मान्यवर, आपने ऐसा नहीं किया है, आपकी नीयत में खोट है ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के माध्यम से दो काम किये जा रहे हैं, एक तो यह किया जा रहा है कि कर्मचारियों से वह छुट्टी लेना चाहते हैं, निजात लेना चाहते हैं, जिन्हें आपने डाइंग कैडर डिक्लेयर कर दिया है, दूसरी चीज है कि विधायकों के जो अधिकार हैं, उनको कम करने का प्रयास किया गया है, आप कह रहे हैं इन एक्शन तब 1989 याद आ रहा था, संशोधन तो राजीव गांधी जी के समय में हुआ था और आपने इस विधेयक को पारित नहीं होने दिया था, तो मान्यवर, इनकी कथनी और करनी में अन्तर है । अगर आपने उस समय इसका विरोध न किया होता, तो आज इसका स्वरूप कुछ दूसरा ही होता । मुझे दुख है । इसमें बड़ा स्पष्ट है कि आप जो कुछ कर रहे हैं, जो संशोधन पारित है, उसकी घोषणा आप यहां पर कर रहे हैं और आप उसके अलावा कर ही क्या सकते हैं, वह संविधान का अंग बन गया है, इस सदन को यह अधिकार नहीं है, कि वह इसको पारित कर सके । इस विधेयक के जो अच्छे विन्दु है, वह उस सरकार की देन हैं । प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में बैठक बुलायी गयी थी और इस क्षेत्र के सभी लोगों से विचार विमर्श हुआ था और विचार-विमर्श के बाद ही संविधान 73वां और 74वां संशोधन विधेयक पारित हुआ था और वह संविधान का अंग बना था, आप जो संशोधन कराना चाहते हैं, उसके दूरगामी परिणाम होंगे । आप गांव में स्वराज नहीं लाना चाहते हैं । आप कर्मचारियों और अधिकारियों से मुक्ति पाना चाहते हैं , आप उनको डम्प करना चाहते हैं ।

(इस समय 3 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता श्री गौरी शंकर एडवोकेट पीठासीन हुए)

मान्यवर, 73वें संशोधन में है कि 5 हजार की आबादी वाले गांवों में एक ग्राम पंचायत का गठन किया जायेगा, तो उसके अनुसार सबसे पहले आप को गांवों का परिसीमन करना चाहिये, वह आपने नहीं किया । यह तो प्रदेश सरकार का काम था । आपको 5 हजार तक आबादी वाले गांवों का परिसीमन कराकर ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिये था । आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं । आप 2.5 लाख पदों को सामप्त कर रहे हैं, आप इन कर्मचारियों से निजात पाना चाहते हैं, 3 से 5 लाख शिक्षकों को हटाकर मानदेय के आधार पर लोगों को रख रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि आप शिक्षा के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं, आप की नियत शिक्षा देने की नहीं है और इसको पंचायत राज संशोधन से कर दिया है । मेरा आग्रह है कि आप सभी दलों के नेताओं को बुला लें, मिल बैठकर तय कर लें कि इस बारे में क्या किया जा सकता है, तो उचित होगा। आप चाहते हैं कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण के नाम पर केन्द्रीकरण करना चाहते हैं।

मान्यवर, आप संविधान के अनुच्छेद 243 (ट) को देखें, मैं इसको पढे दे रहा हूं, प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रहेगें और इस प्रकार

आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस नगर पालिका में प्रस्तुत निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस नगरपालिका के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जन जातियों की संख्या का अनुपालन उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी नगर पालिका के भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किये जा सकेंगे । तो यह व्यवस्था संविधान में है, लेकिन मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं । इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आप इस विधेयक के माध्यम से अंकुश लगाना चाहते हैं, जो कर्मचारी वर्ग के लोग हैं उन पर अंकुश लगाना चाहते हैं, मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति प्रधान चुनकर आ जाता है, तो उसको लोग अविश्वास के जरिये हटा देंगे, पंच उसको हटा देंगे और आपने व्यवस्था की है कि 6 महीने में उसके चुनाव कराये जायेंगे । तो मैं कहता हूं कि अगर एक बार अनुसूचित जाति का प्रधान हट जायेगा, तो उसको दुबारा अवसर नहीं मिल पायेगा ।

आपने 6 महीने की अवधि क्यों रखी है, आप उसको एक महीने में क्यों नहीं करा देते हैं, चुनाव में बहुत दिक्कत तो आयेगी नहीं, एक निर्वाचन अधिकारी होगा, उसकी सहायता के लिये एक सहायक होगा और 2-4 पुलिस कर्मचारी होंगे और चुनाव हो सकते हैं, तो 6 महीने की समय सीमा क्यों कर रखी है । अगर कोई उप प्रधान का स्थान पा लेगा तो वह उसको छोड़ेगा नहीं और वह अनुसूचित जाति के प्रधान को पद विहीन कर देगा । आप चुनाव 30 दिन के अन्दर करा दें तो हम कहेंगे कि आप की नीयत ठीक है । अगर आप ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं करा सकते हैं तो आपकी कोई उपलब्धता नहीं होगी, निर्वाचन उनका क्यों रोका गया है । आप इस प्रकार का प्रयास करें कि उनका अधिकार बना रहे, पंचायतों का सरकारीकरण न होने पाये । मान्यवर, एक आयोग का गठन किया गया था, आप उसके अधिकार में कटौती कर रहे हैं । आपने अभी डिप्टी मेयर के चुनाव को स्थगित कर दिया है, इससे साफ जाहिर होता है कि आप की मंशा ठीक नहीं है । आप कौन से राम राज्य की कल्पना करना चाहते हैं ।

मान्यवर, जो नलकूप चलाते हैं, वही शिक्षक होंगे, वही वसूली करेंगे यही स्थिति है, जो इस विधेयक में है । मान्यवर, आप क्या करना चाहते हैं, आपका क्या इरादा है, आप इस अव्यवहारिक काम को न कराये । मान्यवर, ग्राम पंचायतों को जो अधिकार मिले हैं, वह आप निरस्त करने जा रहे हैं, यह उचित नहीं है । माननीय मुख्य मंत्री जी के पास कितने विभाग हैं, यह देख लें और यह कह रहे हैं कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में देख लें माननीय मुख्य मंत्री जी के पास केवल एक विभाग है । मैं समझता हूं कि जनता ने उन्हें चुना है, उन्हें जनता का विश्वास प्राप्त है, लेकिन आपके पास सारे महत्वपूर्ण विभाग हैं । आप ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, माननीय कल्याण सिंह जी बजट प्रस्तुत करते हैं, यही मोटर चला लेंगे और जरूरत पड़ी तो उद्योग विभाग को भी देख लेंगे और जरूरत पड़ी तो शिक्षा विभाग को भी देखेंगे, मान्यवर राजीव गांधी के सपने को, महात्मा गांधी जी के सपनों को आप तोड़िये मत । मेरा अनुरोध है कि प्रदेश के हित को देखते हुये इसमें जल्दी न करिये । हम सबको बुला लें और हम सब बैठ जायें । सारे दलों के लोग बैठें । सारे इस विषय के ज्ञाताओं को बुला लीजिये और कर्मचारियों को बुला लीजिये और हम लोग मिल-जुल कर एक पंचायत राज विधेयक जो गांधी जी के सपनों का और पंचायत के आदर्श राम राज्य की मंशा को पूरा करे । माननीय कल्याण सिंह जी आपके आदर्शों का अगर राम राज्य होगा तो पंचायत राज का सपना पूरा नहीं होगा बल्कि वह कब्रिस्तान बन जायेगा, सारे कर्मचारियों के डाइंग कैडर का और हम विधायकों के अधिकारों का । आप अलग-अलग लोगों को बुलाकर पूंछ लें विधायकों की राय ले लें । आपके दर्शन तो हम यहां बहुत कम कर पाते हैं आज आप खुद धूनी रमा कर बैठ गये और इसको पारित कराना चाहते हैं ।

वन मंत्री (श्री रघुवर दयाल वर्मा)–

मान्यवर, आपने मुझको ....

श्री बाबू राम यादव–

माननीय वर्मा जी तो माननीय कल्याण सिंह की तारीफ ही करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

यह आपने कैसे जान लिया ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट करने के लिये और माननीय रेवती रमण सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका विरोध करने के लिये मुझे अवसर दिया । माननीय प्रमोद कुमार जी जा रहे हैं वह दो मिनट मेरी बात सुन लेते । मान्यवर इस देश में प्लान बीत गये और जैसी व्यवस्था रही उसका नतीजा है कि यह विषमता पैदा हुयी । पिछले 45 वर्षो तक निर्बाध गति से जिसकी हुकूमत रही वह प्रमोद कुमार जी की कांग्रेस है । आज जो दुनियां के सबसे बड़े विद्वान और आर्थिक विशेषज्ञ अमृत सेन जी हैं, उनका कहना है कि हिन्दुस्तान की गरीबी का कारण और अर्थव्यवस्था के कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण अशिक्षा है । अशिक्षा को किसने बढ़ाया आज नियोजन प्रणाली के कारण इतना समय बीत जाने के बाद भी गांव की उन्नति नहीं हो सकी हैं । पिछले समय में अगर गांव के ट्यूबवेल पर किसान अपने संसाधन से एक बिजली का लट्टू लगा लेता था तो पूरे गांव को विद्युतीकृत मान लिया जाता था ।

यह आपका (कांग्रेस) के नियोजन था । प्रमोद जी कहीं चले गये हैं, भाग गये हैं । पिछले समय में नियोजन व्यवस्था के कारण इस प्रदेश में गांव-गांव में आर्थिक असमानता, क्षेत्रीय विषमता ने जन्म ले लिया । इसके कारण गांवों के विकास में बाधा पड़ी । इनकी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने लोक सभा क्षेत्र को 600 करोड़ रुपया एक साल में दिया । इस असंतुलित विकास के कारण गरीबी बढ़ी ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मुझे सुन लें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं ऐसी चीज सुनाऊंगा कि उछल जाओगे ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । इसे आप स्पष्टीकरण या जो भी मान लें । मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह पंचायती राज को छोड़े । अपने विभाग की तरफ ध्यान दें और नीलगायों से मुक्ति दिला दें । सोच-समझकर मुख्य मंत्री जी ने इन्हें जंगल का महकमा दिया है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मैं अनुरोध कर रहा था । प्रमोद जी कान खोलकर सुन लीजिए । मैं विकेन्द्रीकरण के विषय पर ही बोल रहा हूं । मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आज जो देश में और हमारे प्रदेश में आर्थिक असन्तुलन, क्षेत्रीय विषमता है, यह नियोजन का ही एक रूप है । 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं का रूप है । डा० राम मनोहर लोहिया ने कहा है कि जब गांव की समस्याओं की जानकारी रखने वाला गांव का नेता किसी प्रदेश का मुख्य मंत्री बनेगा तो वह समस्या का निराकरण करेगा । आप सबको माननीय कल्याण सिंह जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने गांव की इकाई को विकास की धुरी माना । असन्तुलन क्षेत्रीय विषमता इससे दूर होगी । हमारे देश और प्रदेश में जो क्षेत्रीयता और जातिवाद विकसित हो रही है इन सब पर करारा प्रहार है । जब गांव की इकाई से ही नियोजन शुरू होगा । आपने देखा है कि दिल्ली में पंचसितारा होटलों में बैठ करके गांव के विकास को मार्गदर्शक सिद्धान्त प्लानिंग कमीशन में बनाये जाते रहते हैं । उसकी मार्गदर्शिका हर जिले में मौजूद है । जब कहीं प्रश्न उठते हैं कि सड़क की पहली प्राथमिकता है तो फौरन यह बात आती है कि मार्गदर्शन सिद्धान्त में यह देखना पड़ेगा कि इस पर पूरा धन खर्च कर सकते हैं या नहीं । यह प्रतिशत हमारे सामने है ।

श्री प्रमोद कुमार–

वर्मा जी, समता पार्टी का क्या हुआ ?

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । पहले वर्मा जी यह बतायें कि इस समय वह किस पार्टी में हैं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

रामतेज जी, इस माननीय सदन को गांव का चौपाल न समझें । इस विधान सभा में अक्ल से, बुद्धि से, नियम और कानून से बात होती है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गांव को यदि विकास की धुरी बनाना है और चाहते भी हैं तो यह इस प्रदेश में आज पहली बार हुआ है । अभी तक गांव के विकास के साथ मजाक हुआ है । ''अंधा बांटे रेवड़ी, फिर-फिर अपने को देय'' आपके सपा नेता ने जो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, गांव के नाम पर जो पैसा था वह अपने-अपने लोगों को दे करके क्षेत्रीय असन्तुलन पैदा करके प्रदेश को अति पिछड़े प्रदेशों में डालने का काम किया । श्री कल्याण सिंह जी ने माननीय विधायकों को विकास कार्य के लिए 75 लाख रुपये दिये । अब हर गांव में नियोजन की प्रक्रिया शुरू होगी गांव में प्लान बनेगा, क्षेत्र का जो प्लान बनेगा व जिला समिति जो पास करेगी उसको ही पूरा करने की जिम्मेदारी है अब इसमें आपको इस बात का डर है कि अगर गांव का आदमी प्लान बनाना शुरू करेगा, गांव का आदमी विकास कार्य करेगा और सारा ध्यान उसी पर केन्द्रित करेगा तो आपको डर दिख रहा है कि दो बार मुख्य मंत्री रहने के बाद जो मुलायम सिंह जी की तथाकथित धरती पुत्र की छबि थी उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा उसका महत्व खत्म हो जाएगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

श्री वर्मा जी को पंचायत राज पर बोलने से मतलब नहीं है वह तो स्तुति बन्दन करेंगे कल्याण सिंह जी का यह जो श्री बाबू राम यादव जी ने पूर्व में कहा था वह ठीक कहा था । धरती पुत्र के प्रताप को समझ पाना वर्मा जी के वश में नहीं है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

कड़वा सच को हर कोई नहीं सुन सकता है । इससे लोगों को परेशानी होती है रेवती रमण सिंह जी ने आधे अधूरे मन से अपना प्रस्ताव पेश किया था । अम्बरीष जी ने बहुत अच्छी बात कही बी० आर० वर्मा ने कहा कि हम स्वागत करते हैं । कुछ दिन पूर्व कांग्रेस के समय में गांव में सामुदायिक विकास केन्द्र बनाये गये थे । 1986-87 में उस समय एक भी कर्मचारी गांव में रहने नहीं गया था वह विकास केन्द्र खण्डहर हो गये उसका पैसा बरबाद हो गया इस सरकार ने व्यवस्था की है कि जो सरकारी कर्मचारी गांव में रहेंगे गांव से सरकारी कर्मचारी का बुनियादी रिश्ता जोड़ने का यह पहली बार काम हुआ है । इसके पूर्व कभी भी कोई कर्मचारी चाहे वह बी०एच०डब्लू० हो या ग्राम सेवक हो गांव में नहीं रहा । आज हमने गांव को स्वाभिमान और गांव को इज्जत दी । उनको प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार दिये हैं । हम ग्राम समिति को स्वाशासी शासन की तरफ ले जाना चाहते हैं ।

हमारे स्वतन्त्रता सेनानियों के स्वाधीनता संग्राम के समय यह विचार किया गया था कि ग्राम स्वराज होनी चाहिए, जमींदारी एवलूशन होना चाहिए जमींदारी प्रथा का विनाश तो हो गया, लेकिन ग्राम स्वराज को स्वरूप सामने नहीं आया । पुराने संकल्प को मूर्त रूप देने का काम श्री कल्याण सिंह जी ने (हमारी सरकार ने) किया है इसमें कोई सन्देह नहीं इसलिए इनको परेशानी है । डा० अमर्त्य सेन की बात भी मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि संविधान में सबको सामान्य शिक्षा अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा का संकल्प है लेकिन आज हजारों गांव हैं जहां प्राइमरी पाठशाला नहीं हैं, इस सरकार ने इस विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था द्वारा वहां की पंचायत को यह अधिकार दिया है । उस गांव के अन्दर

स्कूल नहीं है और उस उप ग्राम में 30 वच्चे हैं एक कि०मी पर है और यदि इससे अधिक वच्चे हैं तो वहां पर एक अध्यापक नियुक्त किया जायेगा । यह नियुक्ति शिक्षा समिति करेगी इसलिए अमर्त्य सेन जी ने शिक्षा के मानक वढ़ाने के वारे में जो वात कही है उसकी तरफ हम तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं और उन मनीषियों के चिन्तन को चरितार्थ कर रहे हैं । आज गांवों को प्रशासनिक अधिकार दिये गये हैं और जो गांव सभायें हैं भीख का कटोरा लिए घूमा करती थीं उन्हें हम स्वाभिमान दे रहे हैं और स्वायत्तशासी बना रहे हैं । उत्तर प्रदेश के खजाने से 4 प्रतिशत धन सीधा देकर हमने उनकी आर्थिक स्थिति को मजवूत करने का अधिकार दिया है । 1996-97 में जो धन मात्र 20करोड़ रुपया था वह कल्याण सिंह जी के आते ही 255 करोड़ रुपये फिर 328 करोड़ और उसके वाद ग्राम विकास का 585 करोड़ हो गया ।

अव दशम् वित्त आयोग ने पहली वार गांवों को रुपये दिये जिसे जोड़कर ग्यारह सौ करोड़ रुपये दिये हैं जिससे गांव पंचायतें अपना नियोजन स्वयं कर सकें और अपने विकास का रास्ता स्वयं तय कर सकें । मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ में प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं और श्री रेवती रमण सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वह ग्रामीण हित में अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

(व्यवधान)

श्री अम्विका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जो यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, इसका मैं विरोध करता हूं और श्री रेवती रमण सिंह जी ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है जिसमें उन्होंने मांग की है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दी जाय जो तीन माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, इसका मैं समर्थन करता हूं । श्रीमन्, वहुत विस्तार से कई वातें माननीय सदस्यों ने यहां पर रखी । श्रीमन्, एक वड़ी विचित्र स्थिति है, 73वें और 74वे संशोधन के अनुरूप जिस अधिनियम को लाने का काम धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार ने इसी सदन में किया आज उस अधिनियम को श्रीमन्.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया सहयोग करें । चौधरी जी अपनी बात कहें ।

श्री अम्विका चौधरी--

शोर में मैं कैसे कह पाऊंगा ।

(कई सदस्यों के एक साथ वोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्त रहें ।

श्री अम्विका चौधरी–

मान्यवर, सत्ता पक्ष के कुछ साथी जो मण्डप के वाहर दूसरी वात कर रहे थे उनमें से कई लोगों ने ऐसा इशारा किया जैसा कि हम इस विकेन्द्रीकरण की नीति के खिलाफ हैं । मैं जिम्मेदारी के साथ दोहराना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत को अधिकार दिये जाने के विरुद्ध आज की तिथि में विपक्ष का एक भी सदस्य नहीं है । यह जो संशोधन आया है मान्यवर,.....

(व्यवधान)

आपका जितना शोर होगा मुझे उतनी प्रेरणा मिलेगी । मान्यवर, यह संशोधन विधेयक इतनी हड़बड़ी में दोषपूर्ण तरीके से और सिर्फ लोक सभा के चुनाव के दृष्टिगत चुनाव की तिथि की घोषणा के बाद जिस मुफ्त की लोकप्रियता प्राप्त करने के उद्देश्य से लाया गया है वह लोकप्रियता आप किसी भी सूरत में पाने में कामयाब होने वाले नहीं हैं । मान्यवर, विकेन्द्रीकरण की बात कही जा रही है । जो संशोधन प्रस्ताव है उसको पढ़कर देखिये । 264(ख) मूल अधिनियम की धारा 264(ख) में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जायेगा । संसदीय कार्य मंत्री जी, आपने निश्चित रूप से इसको देखा होगा । संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में बोलते समय कई सदस्यों ने ख्याल नहीं किया होगा । मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने जो प्राविधान किये उसमें दो महत्वपूर्ण बातें की गयीं । एक तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन और दूसरे राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया । 264(ख)(2) आप देखें । जो पृष्ठ–7 पर दिया गया है उपधारा (4) में यथा उपबन्धित के सिवाय, राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से अधिसूचना द्वारा किसी जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्यों या किसी क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख कनिष्ठ उप प्रमुख या सदस्यों के सामान्य निर्वाचन के लिए दिनांक या दिनांकों को नियत करेगी ।

इस प्राविधान के द्वारा आप विकेन्द्रीकरण को करना चाहते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग के जो अधिकार थे उसको सरकार में सन्निहित कर देंगे ? उसको अपने अधिकार में लेना चाहते हैं । आप धारा–4 देखें । राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा किसी जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या, सदस्यों का किसी क्षेत्र पंचायत प्रमुख ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख या सदस्यों के उप निर्वाचन के लिए दिनांक या दिनांकों की नियत करेगी । मान्यवर, राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारों को सरकार में शामिल करने का जो प्रयास किया गया है उसको विकेन्द्रीकरण समझने की भूल वर्मा जी ने कर ली । आप तो इन बातों को समझते हैं आपने इसको समझने की भूल नहीं की होगी आप जब मुख्य मंत्री जी की तारीफ कर रहे थे उस समय समझने में रह गया होगा या फिर जान बूझकर इंगित नहीं किया होगा । जहां पूरी तरह से अधिकार जो राज्य निर्वाचन आयोग को है उसको भी सरकार अपने में शमिल करना चाहती है उससे आपकी मंशा पता चल रही है । कुंवर रेवती रमण जी ने आपकी मंशा पर शंका की थी ।

हम बल देना चाहते हैं कि इसको इतनी हड़बड़ी में लाने की आवश्यकता नहीं थी । इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द भेजा जाना चाहिए था । यहां पर जो तकनीकी तौर पर बहस हो रही है । गांव में इससे जो समस्यायें पैदा होंगी, हम उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी समर्थ हैं मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा लेकिन कई माननीय सदस्यों ने कहा कि 14-14 विभाग हैं अब कौन सा विभाग किसको देते हैं यह इनको अधिकार है । आप किसको कौन सा विभाग देते हैं यह आपका आंतरिक मामला है । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी सर्वज्ञ होने में समर्थ हैं यह सूबे के मुखिया हैं । प्रशासनिक तौर पर जितने विभाग हैं आप मुखिया होने के नाते जानकारी पा सकते हैं । मान्यवर, एक आई०ए०एस० नामक जन्तु होता है जिसे सभी विषयों की जानकारी होती है वह सभी चीजों का विशेषज्ञ माना जाता है ।

श्रीमन्, जिसको कट्टे पिस्तौल का भेद न मालूम हो, वह आर्म्स ऐक्ट का प्रावीजन करता है, कौन सी बन्दूक कितने गज मार करेगी वह यह चिन्हित करने का काम करता है । वह ए०के० 47 खरीदी जाय या ए०के० 56 न खरीदी जाए यह फैसला करता है । किन्तु ट्यूबवेल आपरेटर कहता है कि ट्यूबवेल ठीक करने के रिंच से जच्चा-बच्चा केन्द्र पर प्रसव का काम कराया जाए तो कैसे करेंगे । इसको कल्याण सिंह जी के आई०ए०एस० अधिकारी कर सकते हैं ट्यूबवेल आपरेटर के उस औजार से वह जच्चा-बच्चा केन्द्र का काम कर सकते हैं । आपने बहुउद्देशीय कर्म रखने का काम किया है इस पर विचार करें । बहुउद्देशीय कर्मी व प्रदेश के सामने गम्भीर कठिनाई है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, विनम्र निवेदन है आपने जो कार्य किया है इसमें व्यवहारिक कठिनाई है गांव की सच्चाई जमीन की है । आपके अधिकांश माननीय सदस्य रोते हुए मिलते हैं, अपनी कठिनाई बताते हैं जो मुख्य मंत्री सुनते नहीं । इसी प्रकार बहुउद्देशीय कर्मियों का मामला है इस पर विचार कर लें ।

(व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग ने कहा कि अंग्रेजी में मान्यवर, कहा जाता है ''लेजिसलेचर'' हिन्दी में विधायक जो विधान सभा सदस्य चुनकर आते हैं उनको अधिकारों का ज्ञान है दायित्वों का ज्ञान है । मुझे इस बात की प्रसन्नता होगी कि सचमुच में अपने दायित्वों के निर्वहन को ठीक प्रकार से कर सकें इसमें किसी सदस्य को याद दिलाया जाए कि क्या करना है इसकी जरूरत नहीं है । प्रत्येक विधायक असुविधाओं से वाकिफ है वह सिर्फ विधायन नहीं करते हैं अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जो उत्पीड़न है नौकरियों में विसंगतियां हैं सब चीजों को देखकर आते हैं आप उसके अधिकार को सीमित नहीं कर सकते हैं आप ग्राम प्रधान को अधिकार न दें यह नहीं कहना है क्षेत्र पंचायत के अधिकार दें उनके अधिकार सीमित करने की बात नहीं होनी चाहिए । उन पर नियंत्रण होना चाहिएं । आपने जिलाधिकारी के अधिकार सीमित कर दिये अब अधिकार जिले के सी०डी०ओ० को दें उसको जिले का विकेन्द्रीकरण करें मैं समझता हूं यह सही नहीं है । आप दंभ और पाखण्ड से जो भ्रम उत्पन्न करना चाहते हैं इसको जनप्रतिनिधि और जनता सब समझती है । आपका यह पाखण्ड चलने वाला नहीं है । जो आपकी मंशा है जिसकी वजह से विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है, एक स्थान पर सारे बिन्दुओं को समाहित करने का काम किया है और ब्यूरोक्रेसी को निरंकुश करने का काम किया है इसको प्रदेश की जनता समझ रही है । मान्यवर, एक प्रसंग में माननीय अग्रवाल जी ने कहा जबकि वह प्रसंग नहीं था, सरकार चलेगी और चलती रहेगी । मैं इसके लिए आपको वधाई देना चाहता हूं । लेकिन एक खतरा मंहसूस कर रहा हूं । जो सर्टिफिकेट दिया है, मेरी शुभकामना है कि वह इसमें कायम रहें । विपक्ष के किसी माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि यह सरकार गिरने वाली है । लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका । बिना यह प्रश्न किये उन्होंने स्वतः ही सर्टिफिकेट दे दिया कि यह सरकार चलेगी । उन्होंने यह भी कहा कि असन्तोष नहीं है जब कि हम लोगों ने यह बात उठायी भी नहीं थी । अगर किसी मंत्री को असन्तोष है तो वह आपका आंतरिक मामला है । अगर कोई मंत्री सर्टिफिकेट देने की गारन्टी दे रहा है तो यह प्रसन्नता की बात है । जब बिना प्रश्न पूछे इस प्रकार की सलाह आती है तो इसको गम्भीरता से लेना होगा ।

माननीय मुख्य मंत्री जी एक बात कहना चाहता हूं कि । पता नहीं यह मर्यादाओं के अनुरूप है या नहीं लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं । आपकी सत्तारूढ़ पार्टी की एक सम्मानित सदस्या ने बहुत दुखी होकर कहा कि जिसको आपने घर की पंचायत का होश नहीं है वह इस प्रदेश में पंचायत व्यवस्था को ईमानदारी से लागू करने का काम कैसे कर सकेगा । तो इन बातों को निश्चित रूप से ध्यान में रखना होगा....

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, हमने जहां जन्म से ही अपने प्रत्येक संस्कार में पंचायतों को सर्वोच्च माना है । अपने समस्त अधिकार पंचायतों के समक्ष रख कर जो पंचों का आदेश होगा वह हम करेंगे । वह अगर यह कह दें कि गांव छोड़कर चले जाओ तो वह भी हम मानेंगे, उस परम्परा को हमने सम्मान किया है और

हम उस परम्परा से आने वाले लोग हैं । हम यह चाहते हैं कि पंचायतों को सचमुच अधिकार देने का काम करें । यह कहा गया कि विधायक इससे चिन्तित हैं तो वह चिन्तित नहीं है । जो ढिढोरा वह पीट रहे हैं वह प्रकारान्तर से ब्यूरोक्रेसी को एक ऐसा औजार देना चाहते हैं जिससे मूल पंचायत का नाश हो जाय । मैं माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दी इसके लिए आपका आभारी हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने विधेयक प्रस्तुत करते समय यह कहा कि वह ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के रास्ते से राम राज स्थापित करना चाहते हैं, ग्रामीण राज स्थापित करना चाहते हैं । मैं समझता हूं कि हम में से किसी व्यक्ति को यह ऐतराज नहीं है और ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत मजबूत हों, सब चाहते हैं कि मजबूत हों । लेकिन जो यह विधेयक है इससे यह संस्थायें मजबूत नहीं हो रही हैं कुछ अधिकारी मजबूत हो रहे हैं । आपने जिला पंचायत अध्यक्ष को डी०आर०डी०ए० का अध्यक्ष बना दिया, उसको जो अधिकार थे वह पूर्ववत् रहते आपने सी०डी०ओ० को फाइनेशियल मैटर्स में सर्वेसर्वा जिले में बना दिया है । उनके अधीन जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी काम करेंगे उनकी चरित्र पंजिका लिखने का अधिकार उनको मिलता ।

ब्लाक प्रमुख को आपने बी०डी०ओ० की पंजिका लिखने का अधिकार दिया है । जिला पंचायत अध्यक्ष को अधिकार नहीं है कि वह डी०एम०और सी०डी०ओ० की पंजिका लिखे । जब तक आप उनको अधिकार नहीं देंगें तब तक सारी बात आपकी खोखली साबित हो रही है । तमाम विभागों के कर्मचारियों के कैडर को आपने डाइंग डिक्लेयर कर दिया है और उनको बहुद्देशीय कर्मचारी के रूप में स्थापित कर दिया है । आपने कहा कि निवास स्थान आदि की सुविधा उनको दे देंगे वह जो ग्राम पंचायत और विकास अधिकारी हैं वह क्या लाल बुझक्कर है जो 12 विभागों का काम अकेला देख लेगा आप उन्हें एक दिन का प्रशिक्षण दे रहे हैं और क्या वह सभी काम कुशलतापूर्वक करता रहेगा इसमें विचार करने की आवश्यकता है । एक गांव से बाहर भी कुछ ट्यूबवेल का पानी जा रहा है तो उसका लेखा जोखा कैसे रखा जायेगा । जो प्राथमिक शिक्षा है उसको समाप्त करने का काम किया जा रहा है इस विधेयक के माध्यम से । आपने प्राइमरी शिक्षकों के कैडर को डाइंग कैडर डिक्लेयर कर दिया है वे ग्राम पंचायत के अधीन चले जायेंगे । इसमें उनके रिटायर आदि पर रिक्त होने पर आप मानदेय पर नियुक्त करेंगे जिसे आपने बढ़ाकर 2250 रु० किया है ।

चार-पांच हजार रु० लेने वाला शिक्षक तो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ऐसी कौंन सी खूबी होगी जो 2250 रु० पाने वाला अच्छी शिक्षा देता रहेगा । जो गांव में खेतिहर मजदूर है उसको 100-150 रु० रोज मिल रहा है । इस तरह से वह पूर्णकालिक शिक्षक नहीं हो सकता है । आप प्राइमरी एजूकेशन पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं वह एक आध घण्टे के लिए ही आयेगा । जो गन्ना पर्यवेक्षक हैं वह सोसाइटी से खाद आदि दिलवाने का काम करते थे उनको भी आपने बहुद्देशीय कर्मचारी बना दिया है अब खाद कौन दिलायेगा । सबसे बड़ा नुकसान ट्यूबवेल का हो रहा है उसे सरकारी मशीनरी चलाने में नाकामयाब रही है । उससे भी पल्ला झाड़कर आपने उसे ग्राम पंचायत को सौंप दिया । सिंचाई विभाग के ट्यूबवेल डिवीजन को आपने काम दे रखा है वह यथावत् रहेगा या ग्राम पंचायत मेनटेन करेगी ग्राम पंचायत के बूते की बात नहीं सरकारी ट्यूबवेल तो छोटे किसान हैं वह उसका लाभ लेते हैं जो 16 लाख हेक्टेयर की जमीन की सिंचाई कर रहे हैं उनकी खेती चौपट हो जायेगी । पता नहीं क्यों आप इसमें राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारों को अतिक्रमित करने का प्रयास

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किया है । आपने इसके पृष्ठ - 7 पर क्रमांक 22 में इसका प्राविधान किया है धारा 254 ख का संशोधन रखा है । जो संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 बना था उसमें आपने संशोधन दिया है ।

राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा किसी जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्यों या किसी क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख वरिष्ठ उप प्रमुख या सदस्यों के उप निर्वाचन के लिए दिनांक या दिनांकों को नियत करेगा । तो राज्य सरकार के परामर्श की क्या आवश्यकता है राज्य सरकार लगातार चुनाव आयोग के ऊपर दबाव डालती है चुनाव टालने के लिए । मान्यवर, वह एक संवैधानिक संस्था है और राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि उनके अधिकारों का अतिक्रमण करें राज्य निर्वाचन आयोग को एक संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है और वह इस तरह से आपके दबाव में काम करेगी आपके हाथ की कठपुतली बनकर रह जायेगी । यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति होंगी । इसी तरह से आपने कहा कि 6 माह में चुनाव होंगे अगर कोई रिक्त हो जाती है तो 6 माह में चुनाव की क्या आवश्यकता है जिस जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव हो या क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव हो तो यह अनुपूरक इलेक्शन है 25-50 व्यक्ति इस चुनाव में भाग लेते हैं इसमें इतना कोई भारी इन्तजाम करने की जरूरत नहीं है मैं समझता हूं कि इसके लिए 3 माह का समय काफी है ।

मान्यवर, जिला अध्यक्ष है, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष है यह पद आरक्षित है लेकिन उप प्रधान का, उप प्रमुख का पद आरक्षित नहीं है । अब कमजोर वर्ग के लोग जो ग्राम प्रधान या ब्लाक प्रमुख बनेंगे तो उनको हटाकर या सस्पेन्ड करके उप प्रमुख वगैरा से काम करवायेंगे इससे वह आरक्षण समाप्त हो जायेगा और दूसरे लोग जो आरक्षण की सीमा में नहीं आते हैं वह उन पदों पर काबिज हो जायेंगे । इसीलिए इस अधिनियम के अन्दर बहुत सारी खामियां हैं । मैं आपसे इसलिए कहता हूं कि इसे सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह में अपना प्रतिवेदन दे दें । इसको जल्दी कराने की आवश्यकता नहीं है । मुख्य मंत्री जी आश्वस्त कर चुके हैं कि यह सरकार 5 साल चलेगी । इसलिए इसका प्रतिवेदन एक माह में आ जायेगा और उसी के अनुरूप कार्यवाई करें ।

श्री पूर्णमासी पंकज –

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक, 1999 के पक्ष में बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं इन 50 वर्षों के अन्दर इस प्रदेश में कई सरकारें आई और गयीं लेकिन किसी ने भी पंचायतों के ऊपर गांवों के ऊपर ध्यान देने का कष्ट नहीं किया । इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं जो इस विधेयक के माध्यम से गांवों को ग्राम पंचायतों को उनका हक देने का कार्य किया है । मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं ------

जनता के हक के लिए है विधेयक आज का,
चैमुखी विकास होगा अब अपने समाज का ।
कल्याण सिंह प्रदेश में हैं ऐसा कर रहे,
कल्पना साकार हुआ राम राज का ।।
जनता के द्वार जनता की सरकार जा रही,
सारी सुविधा गांवों के लिए सीधे आ रही,
जनता के हाथ सत्ता सौंप दी कल्याण ने,
जनता अब अपना है सही अधिकार पा रही ।
सरकार का अधिकार अब प्रदान पा रहे,

अपनी समस्याओं का समाधान पा रहे,
कोई भी शिकायत नहीं अब कोई करेगा,
अपने विकास का सभी सामान पा रहे ।
सत्ता विकेन्द्रीकरण का पखवारा चल रहा,
गांवों के लिए विकास का फौवारा चल रहा,
उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बनेगा,
इसीलिए अभियान यह हमारा चल रहा ।
पंचायतें अब अपना खुद विकास करेंगी,
अपने जिम्मेदारी का भी एहसास करेंगी,
आपस में मिल बैठकर यह योजना बनायेंगी,
आदर्श गांव बनाने का प्रयास करेंगी ।
आज के बाद गांवों की सब पीर बदल जायेगी,
गांव के सब लोगों की तकदीर बदल जायेगी,
अपना विकास करने का अधिकार मिल गया,
सच मानिये तो गांवों की तस्वीर बदल जायेगी ।
विरोधी हैं, इसलिए ये सब विरोध कर रहे,
हमारे हर अच्छे काम में अवरोध कर रहे,
सरकार तो अधिकार दे रही है प्यार से,
मेरे विपक्षी भाई फिर भी क्रोध कर रहे ।
हम जो भी कर रहे यहां ग्रामों के वास्ते,
ग्रामों के लिए खुले विकास के सब रास्ते,
वही विरोधी हैं, जो जनता को थे लूटते,
वह सोच रहे बन्द हो जायेंगे रास्ते,
पंचायतों पर अब तक न कोई ध्यान दिया है,
वह भी नहीं मिला जो संविधान दिया है,
आए गये बहुत से इन पचास साल में,
ऐसा न किया कोई, जो श्री कल्यान किया है ।
इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

डा० अशोक बाजपेयी -

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी द्वारा रखे संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, इसलिए मैं इस संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि यह अधिनियम इतना महत्वपूर्ण है, इतनी जल्दबाजी में इसे पास कराये जाने की मैं कोई उपयोगिता नहीं समझता, इसलिए इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाय और प्रवर समिति इस पर विचार करके 3 माह में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दें । सरकार के सामने कोई जल्दबाजी नहीं है । जब हम एक कानून बनाने जा रहे हैं तो गम्भीरतापूर्वक यह सदन इस पर विचार करे और जब वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें तब कानून बनाने का काम किया जाय, इसलिए मैं इस संशोधन प्रस्ताव का पक्षधर हूं ।

मान्यवर, पंचायती राज की व्यवस्था इस समाज के लिए नई नहीं है । वैदिक काल में भी समाज का सारा कार्य इसी माध्यम से निर्णीत होता था, जब देश गुलाम हुआ तो पंचायतों की व्यवस्था कमजोर हुई । देश की आजादी के साथ ही पंचायतों को सबल करने का काम होना चाहिए था, लेकिन संविधान निर्माताओं की दृष्टि से यह कैसे छूट गया और जो पंचायतों के गठन की जो संवैधानिक व्यवस्था होनी

चाहिये, वह नहीं हुई और इसे काफी हल्के ढंग से संविधान में लिख दिया गया कि राज्य सरकारें स्थानीय निकायों का गठन करेंगी । इसका नतीजा यह हुआ कि पंचायतों का सारा अधिकार सरकारों की कृपा पर चला गया । कभी- कभी 10 साल तक पंचायतों के चुनाव नहीं हुये, वर्षों तक जिला पंचायतें निलम्बित रहीं और ग्राम पंचायतें तथा अन्य सारी पंचायतें सरकारी अनुदानों पर सरकारों की कृपा पात्र बनी रहीं ।

मान्यवर, 1992 में जब पंचायती राज अधिनियम संसद द्वारा पारित हुआ और राज्य सरकारों की सहमति के बाद 1994 में 73वां, 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ, उस समय माननीय मुलायम सिंह की सरकार थी, उस समय तत्काल अधिनियम के बाद ग्राम पंचायतों के चुनाव करा दिये गये । दुर्भाग्य था कि 94 में जल्द ही वह सरकार चली गई और इन पंचायतों को जो अधिकार सौंपने की बात, सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात पर जो गहराई से विचार हो रहा था, वह नहीं हो पाई । पूर्ववर्ती जो सरकारें थीं, उनका पंचायतों के प्रति बड़ा उदासीनता पूर्ण व्यवहार रहा, अब 5 वर्षों बाद अधिनियम लाया गया है और पंचायतों को अधिकार हस्तान्तरण करने का कानून सरकार बनाने जा रही है । मान्यवर, इससे ज्यादा बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है कि 5 वर्षों से उनको अधिकार देने की बात है, जो पंचायतें 1994 में आयीं थीं, जिनका चुनाव हुआ था, उनका कार्यकाल समाप्त होने को है । मान्यवर, 6 महीने तक बसपा की सरकार रही, इनकी सहयोगी सरकार रही लेकिन इन्होंने इस ओर और कुछ नहीं किया । यह 1994 से लगातार किसी न किसी रूप में सत्ता में रहे हैं, लेकिन पंचायतों का अधिकार नहीं दिया है और 5 वर्षों के बाद यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है । आज जब माननीय मुख्य मंत्री जी भाषण दे रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि इनके मन में बड़ी उदारता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह उनकी कृपा पर नहीं है, यह तो उनका अधिकार है, उनको मिलना ही चाहिए । संविधान प्रदत्त अधिकार हैं कि 27 विभागों को पंचायतों को सौंपा जाना चाहिए, लेकिन अभी तक केवल 12 विभागों को सौंपने की बात है और शेष विभागों को अभी और सौंपना है, यह सरकार की अनुकम्पा नहीं है, यह तो सरकार की बाध्यता है । सरकार ने पंचायतों को वंचित करने का काम किया है, उनके अधिकारों से वंचित करने का काम किया है ।

मान्यवर, इस विधेयक को काफी पहले आ जाना चाहिए था । जब इनकी सरकार थी, दो वर्ष पहले यह अधिनियम आ सकता था, लेकिन इन्होंने इस विधेयक को लाने में देरी की, इसके पीछे इनकी मंशा ठीक नहीं जान पड़ती है । अगर दो वर्ष पहले यह विधेयक आ गया होता तो यह अधिकार उनको दो वर्ष पहले मिल गये होते । मान्यवर, जहां तक अधिकारों के विकेन्द्रीकरण की बात है, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सारे विभागों को अपने पास रखे हुए हैं और दूसरे मंत्रियों को सत्ता विहीन किये हुए हैं, वह केवल लाल बत्ती की गाड़ी को लिए हुए घूमते रहते हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं हैं, वह केवल सड़कों के यातायात को बाधित करते रहते हैं । आप अपने मंत्रियों को जब अधिकार नहीं दे सकते तो पंचायतों को कैसे दे सकते हैं ? मान्यवर; मैं कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आदि की सरकारों ने यह अधिकार पंचायतों को दो साल पहले ही दे दिया है, आपने क्यों नहीं दिया ? गांधी जी का स्वप्न था ग्राम राज्य और राम राज्य, लेकिन इस ओर आपने ध्यान नहीं दिया है । यह जरूर है कि आपने अब एक कदम इस ओर अवश्य बढ़ाया है । इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया बाजपेयी जी अब आप समाप्त करें और भी माननीय सदस्यों को बोलना है ।

(व्यवधान)

डा० अशोक वाजपेयी–

मान्यवर, थोड़ा और समय दे दें । मान्यवर, पंचायतों का स्वरूप छोटा है, वहां पर आप ग्राम सचिवालय बनाने की बात कर रहे हैं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि 5 हजार की आबादी पर एक पंचायत का गठन किया जाना चाहिए । अगर ऐसा किया गया होता तो अच्छा होता ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

डा० अशोक वाजपेयी–

मैं विधेयक पर ही बोल रहा हूं । मान्यवर, इसी प्रकार से क्षेत्र समितियों के बारे में अनुरोध करना चाहता हूं । इनमें 50-60 से अधिक ग्राम प्रधान होते हैं, इसलिए इनके स्वरूप के बारे में सरकार को विचार करना चाहिए था । मान्यवर, मैं बजट पर बोल रहा था, तो मैंने कहा था कि इस सम्बन्ध में कोई निर्णायक कार्यवाही की जानी चाहिए । जिस प्रकार से दूसरे राज्यों में व्यवस्था की गयी है, उसी प्रकार से यहां पर भी व्यवस्था की जानी चाहिए । मान्यवर, जिस प्रकार से छोटे-छोटे जनपद हैं, पंचायतों का स्वरूप छोटा है और उनकी सदस्य संख्या कम है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

डा० अशोक वाजपेयी–

मान्यवर, जहां तक अधिकारों के विकेन्द्रीकरण की बात है, मैं कहना चाहता हूं कि जो बहुउद्देशीय कर्मी हैं उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए रिफ्रेशर कोर्स चलाया जाये । एक ही व्यक्ति गन्ना पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेगा, एक ही व्यक्ति नलकूप चालक के रूप में कार्य करेगा, उसको सारे कार्य करने होंगे, तो उसे प्रशिक्षित किया जाना चाहिए । मान्यवर, जो समितियों के गठन की बात कही जा रही है, तो इन समितियों के अधिकारों को वर्णित किया जाना चाहिए, इसकी आवश्यकता है । इससे इनके अधिकारों का दुरुपयोग नहीं होगा, सारे विकास के कार्य इनके माध्यम से होंगे । जिला पंचायत बजट बनाने की बात है, इसके बारे में वह अनभिज्ञ हैं बजट कैसे तैयार होगा, इसके बारे में जो वहां के कर्मी हैं, उनको ज्ञान नहीं है, उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है । नियोजन विभाग को उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए । जिले के विकास की प्राथमिकता को निर्धारित किया जाये और इस कार्य के लिए लम्बे प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तभी कार्य ठीक से हो सकेगा । मान्यवर, हम लोग हमेशा से इसके पक्षधर हैं, इससे जनतन्त्र मजबूत नहीं होगा, पंचायतें मजबूत नहीं होंगी, पंचायत के माध्यम से जनतन्त्र मजबूत हो सकेगा, लेकिन इसका राजनीतिक कारण हो, किसी दलगत लाभ उठाने का प्रयास न हो । मान्यवर, मैं समझता हूं कि यह विधेयक.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

समय को ध्यान में रख कर बोलें ।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद, संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, विभाग के मंत्री हैं, इनको भी बोलना है, यह समय का ध्यान रखेंगे ।

श्री बाबू राम–

मान्यवर, मुझे भी समय दे दें।

श्री अधिष्ठाता–

एक ही दल से दो माननीय सदस्य हो जायेंगे, कृपया शान्त रहें।

(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सम्मानित सदन में पंचायत विधि संशोधन विधेयक, 1999 प्रस्तुत किया है और उस पर माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय नेता सदन और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि संविधान में इस बारे में व्यवस्था है। मैं संविधान का अनुच्छेद 243–छ को पढ़ना चाहता हूं संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान मण्डल, विधि द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो और ऐसी विधि में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, निम्नलिखित के सम्बन्ध में शक्तियां और उत्तरदायित्व न्यायसंगत करने के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :–

(क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनायें तैयार करना,

(ख) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों को, जो उन्हें सौंपी जाएं जिनके अन्तर्गत वे स्कीमें भी हैं जो ग्यारहवीं अनुसूची में सूची बद्ध विषयों के सम्बन्ध में हैं, कार्यान्वित करना। श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संविधान की भावना के विपरीत उस संविधानिक संशोधन को राज्य सरकार अपने अधीन बनाने की व्यवस्था विधेयक में की है। मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि बहुत शीघ्रता से यह विधेयक तैयार कराया गया है इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। पूर्व में जो अधिसूचना जारी करने का अधिकार निर्वाचन आयोग का था उस अधिकार को बहाल रखना चाहिए। इस विधेयक में यह व्यवस्था की गयी है कि ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों में जब आकस्मिक रिक्तियां होंगी तो 6 महीने के अन्दर चुनाव कराने की व्यवस्था की गयी है। अध्यक्ष के नीचे उपाध्यक्ष का जो पद होता है वह आरक्षण के जरिये नहीं भरा जा सकता। यह 6 महीने की अवधि ज्यादा है और असंवैधानिक तरीके से अनारक्षित तरीके से जो आयेंगे वह इस पद का दुरुपयोग करेंगे इसलिए मेरा सुझाव है कि इसमें संशोधन करना चाहिए और इस अवधि को 6 महीने की जगह पर 3 महीने करना चाहिए।

मुख्य मंत्री जी ने गांधी जी और डा० राम मनोहर लोहिया की बात कही। डा० राम मनोहर लोहिया कल्पना करते थे और कहते थे कि सत्ता और शक्ति का एक जगह केन्द्रीकरण नहीं होना चाहिए। केन्द्रीकरण लोकहित की मूल भावना के विपरीत है। सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए और निचली इकाइयों को अधिकार सम्पन्न होना चाहिए। इस विधेयक के जरिये मुख्य मंत्री जी ने 12 विभागों को पंचायतों के हवाले कर दिया। मुख्य मंत्री जी को इस बात की चिन्ता होनी चाहिये थी कि यह जो 12 विभागों के कर्मचारियों का केन्द्रीकरण किया गया है उससे 87 हजार कर्मचारियों का भविष्य खतरे में हो गया है। अगर वह अपने मूल विभाग में होते तो अपने सेवाकाल में वह ढाई लाख

सृजित हुये पदों पर पदोन्नति का लाभ पाते । अगर वह मूल विभाग में होते तो वह उन पदों का लाभ पाते जो पदोन्नति द्वारा सृजित होते ।

प्राथमिक शिक्षकों के प्रदेश में 6 लाख पद हैं । इस तरह से 9 लाख पदों को मृत संवर्ग घोषित कर दिया है और बार-बार आप कह रहे है कि इनकी सेवाओं को विकेन्द्रित नहीं किया है इनको पदोन्नति की सुविधा पूर्व की भांति मिलेगी । मुख्य मंत्री जी को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि इतनी बड़ी कर्मचारियों की फौज जिस दिन सेवा निवृत्त होगी उसके बाद जो रिक्तियां होंगी उन्हीं वेतनमानों में आगे नियुक्तियां कैसे होंगी ? आपने बहुउद्देशीय कर्मी बनाये हैं ऐसा सुझाव आपको किन लोगों ने दिया है । यह ज्ञान आपको आई०ए०एस० संवर्ग के लोगों ने मुख्य मंत्री को दिया है कि इनको बहुउद्देशीय कर्मी बना दो । कुछ दिन के प्रशिक्षण के बाद यह स्वास्थ्य कर्मी के रुप में काम करेंगे गांव के लोगों का ब्लड टेस्ट करेंगे कि क्या उनको मलेरिया या ट्यूबरक्लोसिस है या कौन सी बीमारी है ? इस तरह की व्यवस्था से जो गांधी जी का, डा० राम मनोहर लोहिया जी का और जय प्रकाश नारायण जी का सत्ता का विकेन्द्रीकरण का सपना था वह साकार नहीं हो पायेगा और इससे एक अराजकता जैसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी ।

मुख्य मंत्री जी ने संविधान के 73वे 74वें संशोधन की बात कही । भारत के संविधान में जब संशोधन किया गया था तो सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात को स्वीकार किया गया था उसमें यह कहीं नहीं कहा गया था कि इतने बड़े पैमाने पर ऐसे प्रदेश में जहां बेरोजगारों की संख्या सबसे ज्यादा है ऐसे प्रदेश में कार्यरत 9 लाख कर्मचारियों के संवर्ग को मृत संवर्ग घोषित कर दिया जायेगा, यह कहीं भी भावना इस संविधान संशोधन के पीछे नहीं थी । जिस तृतीय श्रेणी कर्मचारी को आप स्थानान्तरित करके पंचायतों के हवाले करने जा रहे हैं और जिन पदों को भविष्य में उनकी सेवा काल समाप्ति के बाद मृत घोषित करने जा रहे हैं । समूह "ग" में नियुक्ति ऐसे पदों की की, लेकिन चन्द महीने के बाद कौन सी ऐसी बात आ गयी जिन पदों पर नियुक्ति की उन्हीं पदों को मृत सम्वर्ग घोषित कर दिया । यहां कहा गया कि गांव पंचायत और क्षेत्र पंचायतें बहुत अधिकार सम्मत होती चली जा रही हैं ।

श्री अधिष्ठाता -

कृपया एक मिनट में समाप्त करें ।

श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, कन्कलूड कर रहा हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि सूचना का अधिकार सभी को होगा । पारदर्शिता के नाम पर ग्राम पंचायतें जिस ढंग से काम करेंगी उनके अभिलेख की प्रतिलिपि प्राप्त करने का किसी को भी अधिकार होगा । मामूली शुल्क जमा करेंगे यह भी आय का स्त्रोत होगा । भू-राजस्व पर अधिभार लगाने का अधिकार पंचायतों को होगा । पंचायत राज अधिनियम की धारा 31 से 37 तक 25 से 50 प्रतिशत तक कर आरोपण का अधिकार ग्राम पंचायतों को पहले से ही था । पहले से ही मामूली शुल्क जमा करके नकल लेने का अधिकार किसी को भी था । मान्यवर, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता राशनकार्ड की है । राशनकार्ड बनाने और उसके नवीनीकरण का अधिकार भी ग्राम पंचायतों को नहीं दिया ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि 20 हजार नलकूपों को आपने ग्राम पंचायतों को स्थानान्तरित कर दिये लेकिन उन नलकूपों के रख-रखाव के खातिर जो धनराशि निर्धारित की जायेगी वह सिंचाई विभाग को भेजी जायेगी । कहीं ऐसा नहीं लगता कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण का सपना साकार होता नजर आ रहा है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि डी०आर०डी०ए० का अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष होगा । अगर सचमुच पूरी तबियत से, अच्छे मन से इसे जमीन पर उतारना चाहते हैं तो जिला पंचायत अध्यक्ष

को जिला योजना समिति का अध्यक्ष भी बनाना चाहिए । वहां पर प्रदेश के मंत्री को नहीं बिठाना चाहिए । अगर गांधी जी और डा०लोहिया जी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो लोकशाही के चारों खम्भों को मजबूत करना होगा ।

आपको हर जिलों के जिला मैजिस्ट्रेट को जिला पंचायत के अधीन करना चाहिए और जिला पंचायत अध्यक्ष को इस बात का अधिकार मिलना चाहिए कि वह उस जिले के जिला मैजिस्ट्रेट की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल या अनुकूल टिप्पणी कर सके । तब शायद नीचे की इकाइयां ताकतवर हो सकेंगी, अधिकार सम्पन्न हो सकेंगी । इन शब्दों के साथ मैं आपके जरिये इस बात का अनुरोध करना चाहता हूं कि जो आनन फानन में विधेयक तैयार किया गया है इसे सम्यक विचार के लिए प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये और विचार करने के बाद जो आवश्यक संशोधन होने हैं वह प्रस्तुत कर सके । धन्यवाद ।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द)–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जो उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक , 1999 रखा गया है उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, आज गांधी जी की आत्मा स्वर्ग से यह देख रही होगी कि उनके सपनों के गांव के निर्माण के लिए कदम इस प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री ने उठाया है । इस देश के महान समाजवादी विचारक डा० राम मनोहर लोहिया का नाम लेकर जो समाजवादी पार्टी के लोग समाजवादी की केवल भाषा बोलते हैं । आज उस महान आत्मा को डा० लोहिया की आत्मा को शान्ति मिलती होगी कि उन्होंने जो चौखम्भा राज की कल्पना की थी समाजवादी लोग चौखम्भा राज्य की बात करते हैं उसको मूर्त रूप देने का काम इस प्रदेश के मुख्य मंत्री कर रहे हैं । आज बहुजन समाज पार्टी के लोग जो बाबा साहब भीम राव अम्बेदकर का नाम लेकर केवल दलितों, शोषितों, पीड़ितों [× × ×] की बात करते हैं आज बाबा साहब की आत्मा स्वर्ग से देख रही होगी । आज ऐसा पंचायती राज विधेयक प्रस्तुत किया गया है जिसमें सभी का ख्याल रखा गया है ।

श्री लाल मणि प्रसाद–

मान्यवर, [× × ×] शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है [× × ×] शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा ।

श्री मारकण्डेय चन्द–

श्री प्रमोद कुमार जी ने कहा है कि राजीव गांधी ने इस बिल को पास किया था लेकिन राजीव गांधी ने जो इसकी बायबिलटी का स्वरूप दिया था उसको समाजवादी पार्टी की सरकार ने 1993-94 में पास किया और पांच हजार से उसका स्वरूप दो हजार कर दिया । प्रमोद तिवारी बायबिलटी की बात करते हैं इसका दोष इस सरकार पर नहीं है पांच हजार से दो हजार तक छोटा करने का काम समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने किया । 1961 में क्षेत्रीय जिला परिषद् अधिनियम बना तो उसका जो स्वरूप था आज कोई साथी यह कहता है कि हम ग्राम प्रधानों के अधिकारों में कमी कर रहे हैं । 1961 के पंचायत राज अधिनियम में विकास खण्ड में शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति आदि का निर्माण हुआ था उस समय चार प्रतिशत हिस्सेदारी थी ।

हम गांव के लोगों के विकास के लिए 20 करोड़ से 328 करोड़ रुपए पर आ गए हैं । हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं हमने 6 समितियां बनाई हैं किसी एक को अधिकार सम्पन्न नहीं किया गया है । उन समितियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है उन समितियों को अधिकार दिए गए हैं । हमने

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

पारदर्शिता लाने के लिए समितियों का निर्माण किया है । सरकार ने सम्यक विचार करके प्रत्येक समितियों में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति के लोगों को रखा है यह सब कल्याण सिंह जी ने किया है । एक बात कही कई कि बहुउद्देश्यीय कर्मचारी सभी काम करेगा । ऐसा नहीं है । ग्राम पंचायत को राजकीय नलकूप दिया जा रहा है वह वहां अपने कर्मचारी रखेगी और आपरेटरों से चलवायेगी । इसी प्रकार शिक्षा समिति शिक्षा का प्रबन्ध करेगी । इस सरकार द्वारा शिक्षा मित्र की व्यवस्था की गई है । उसको मानदेय दिया जाएगा । वह समय की परिकल्पना की गयी है कि गांव के लोग अपनी शिक्षा और विकास के उत्तरदायित्व का निर्वहन घर पर रहकर स्वयं कर सकेंगे । श्रीमन् जहां तक अधिकारों की कटौती की बात है माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े विस्तारपूर्वक बता दिया है कि 100 करोड़ रुपये गांव के विकास के लिये दिये गये हैं परन्तु 4 हजार 470 करोड़ रुपया इस विधान सभा के पास है । सरकार उपाय कर रही है । पहले जब 20 करोड़ रुपये दिये जाते थे तो गांव सभाओं को किश्तें नहीं दी जाती थीं और विकास का कोई कार्य भी नहीं हो पाता था । जहां तक अधिकारों की बात है यह अधिकार ग्राम पंचायत का है इसमें किसी बाहर का दखल नहीं होगा । वह अपनी ग्राम निधि का संचालन स्वयं करेंगे ।

ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर से उस निधि का संचालन होगा योजनायें गांवों में बनेंगी जहां तक सड़कों की बात है, मार्ग नीति का निर्धारण कर दिया गया है । 2005 तक इस प्रदेश का एक-एक गांव मुख्य सड़क से जोड़ दिया जायेगा जहां तक विद्युतीकरण की बात है विधायक की संस्तुति पर 5 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा रहा है इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आयेगी । इस प्रकार के राम राज्य के परिकल्पना की बात कही गयी है । श्री लाल जी वर्मा ने कहा कि मा० मुख्य मंत्री जी की मस्तिष्क में अभी भी शम्बूक की हत्या करने वाले रामराज्य की परिकल्पना की बात है ।

मैं कहना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट के एक धोबी के कहने पर भगवान रामचन्द्र जी ने सीता का परित्याग कर दिया था । आपका दल भी पंचायती राज का सम्मान करता है इससे आपको ही लाभ मिलेगा लेकिन आप सोचते हैं कि बी०जे०पी० के मा० मुख्य मंत्री जी श्री कल्याण सिंह जी इसे प्रस्तुत कर रहे हैं इसलिये इसे आप चुनाव में मुद्दा नहीं बना सकते हैं, समाजवाद का खोखला नारा देने वाले इन लोगों को शर्म आनी चाहिये, लोहिया जी ने कल्पना की थी चौखम्भा राज बनाने की, उसे हम बना रहे हैं और श्री कल्याण सिंह जी उस कल्पना को आप स्थापित कर रहे हैं परन्तु आप इसे देख नहीं पा रहे हैं । डा० भीमराव अम्बेडकर साहब जी की बात करते हैं, दलित और पीड़ित लोगों की बात करते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि हर समिति में दलित पीड़ित लोग होंगे । चाहे वह गांव सभा की या जिला पंचायत की समितियां हों । सभी में दलित पीड़ित वर्ग के लोग रहेंगे । यह सही है कि राजीव गांधी जी ने यह संविधान संशोधन किया था ।

मैं कहना चाहता हूं कि कुंवर साहब जो हमारे पुराने साथी भी हैं और समाजवादी विचारधार के भी हैं और लोहिया जी के शिष्य होने के नाते आज वह इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास होने दें और अपने संशोधन के प्रस्ताव को वह वापस ले लें ताकि लोहिया जी के विचारों को धरती पर उतारा जा सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने जो यह बात कही कि एक धोबी के कहने पर सीता जी को घर से निकाल दिया । मैं समझता हूं कि नारी का यह अपमान है । इस तरह का जिक्र और इस तरह का उद्धरण सदन में नहीं होना चाहिए जिससे कि नारी समाज के ऊपर किसी प्रकार की ठेस लगे और किसी के कहने पर आज भी नारियां निकाली जाती रहेंगी । यह बहुत बड़ा नारी समाज का अपमान होगा । इसलिये मैं चाहता हूं कि ऐसे उद्धरण सदन में न प्रस्तुत किये जायं ।

श्री बाबू राम यादव–

अधिष्ठाता महोदय, आपने पंचायती राज विधि संशोधन विधेयक पर कुंवर रेवती रमण जी ने जो प्रस्ताव रखा है उस पर बोलने के लिये समय दिया, इसके लिये मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस संशोधन विधेयक पर जब हमारे सदन के नेता माननीय कल्याण सिंह जी बोलने के लिये खड़े हुए तो ऐसा लगा कि शिव जी का धनुष तोड़कर सीता स्वयंवर में जीत कर आये हो। इस तरह से बोल रहे थे। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी अन्दर से। कल्याण सिंह जी बड़े विद्वान हैं और इनकी विद्वता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वे बहुत विद्वान हैं, बड़े पार्लियामेंटेरियन हैं, प्रशासक हैं, लेकिन आज जाने कहां भूल गये यह संशोधन पेश करते हुए अपनी इतनी तारीफ कर गये।

महात्मा गांधी की भावनाओं का हमने आदर किया, राजगोपालाचार्य, लोहिया जी, सबकी भावनाओं का आदर करते हुए समाहित किया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जब यह पेश कर रहे थे कि सीता स्वयंवर जीत कर आये हों। लेकिन यह भूल गये कि यह 73वें, 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप इनकी बाध्यता है, इनकी कोई कृपा नहीं है। अगर कृपा होती तो माननीय कल्याण सिंह जी 1991 में भी मुख्य मंत्री थे। उस समय इस संशोधन को लाते तो हम उनका राजतिलक करते और जय-जय कार करते।

(व्यवधान)

फिर कर देंगे। इसमें कोई बात नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया सहयोग करें।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 73वें 74वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत यह जो प्रस्ताव लाया गया है और मौजूदा सरकार ने जो आज प्रस्तुत किया है। यह पहले हो जाना चाहिए था। इसमें विलम्ब हुआ है और इसके पेश करने में जो खामियां रखी गई हैं। एक तो दिक्कत यह है कि अभी आप लाल बत्ती जला देंगे कि बैठ जाइये। हम पूरी बात कह नहीं पायेंगे, कहने के लिये समय नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

गागर में सागर भरिये।

श्री बाबू राम यादव–

मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस सरकार की मंशा पंचायतों को अधिकार देने की न थी, न है, न आगे होगी। इसलिये कि जो चुनाव हुए पिछले टाइम और जो जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गये वह ज्यादातर माननीय कल्याण सिंह जी के दल के विपरीत चुने गये। कोई ऐसा नहीं छोड़ा जिसको मटियामेट न कर दिया हो। इन्होंने उनके सारे अधिकार छीन लिये उनकी वित्तीय स्वीकृतियां रुकी पड़ी हैं। इतनी कोशिश की गई उनको किसी तरह से वे पनप न पायें। पूरी कोशिश करके पूरी ताकत लगाकर यह इनकी भावना है इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं जो विधेयक लाए हैं उसकी मंशा साफ नहीं है। आपने कहा बहुउद्देशीय कर्मी, ट्यूबवेल के आपरेटर को पंचायत राज अधिकारी बना देंगे। माननीय कल्याण सिंह जी राजनीति में आने से पहले अध्यापक थे, सम्मानित अध्यापक थे, विद्वान थे अगर इनको बिजली के फिटिंग का काम दिया जाए तो यह कर लेंगे ? यह अच्छे अध्यापक रहे हैं क्या बिजली के फिटर भी अच्छे हो सकते हैं इन्होंने बहुउद्देशीय कर्मी कर दिए ट्यूबवेल आपरेटर कहते हैं मुझे प्रस्ताव लिखना नहीं आता है कोई कहता है मैं ट्यूबवेल आपरेटरी का काम नहीं कर सकता हूं,

मान्यवर, यह सब भागे-भागे घूम रहे हैं मीडिया ने इतना प्रचार कर दिया है । आमतौर से मीडिया सरकार के पक्ष की बात कहते हैं । जब 1991 में इन्होंने इन संस्थाओं को पनपाया नहीं, आज कैसे समझा जाए यह पंचायती राज संस्थाओं को पनपने देंगे, इससे इनकी विचाराधारा पर, इनकी भावनाओं पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है ।

(व्यवधान)

श्री. अधिष्ठाता–

कृपया सहयोग करें ।

श्री बाबू राम यादव–

क्या गांव स्तर, पंचायत स्तर के अधिकार सब गांव में होंगे जब यह मुख्य मंत्री 1991 में हुए तब आपने कहा था, बहुत अच्छी सोच थी बहुत अच्छे विचार थे हर जगह ऐसे स्थान बनवाए गए इनका कहना था कि लेखपाल आदि सब उसमें रहेंगे । सामुदायिक विकास केन्द्र पर वह रहेंगे, लेकिन इनके शासन काल में जो बनवाये गए उसमें सबकी व्यवस्था थी लेकिन उस समय के कार्यकाल में और इस समय के कार्यकाल में उन भवनों में अब तक कोई नहीं रहा उसके जंगले सब उखाड़कर ले गए । करोड़ों रुपया बेकार हो गया । उसकी धारणा गलत साबित हो गई ।

मान्यवर, तरक्की की बात की जाती है जब किसी चीज का विकास होता है तरक्की की बात चलती है तो संसाधान की बात आती है । आप देखें 75 प्रतिशत लोग ग्राम में निवास करते हैं और 4 परसेन्ट बजट ग्रामवासियों के लिए रखा है, चार प्रतिशत बजट ग्रामसभाओं के लिए रखा है शहरों के लिए सात परसेन्ट रखा है यह हृदय की जो भावना है इससे यह ध्वनित होता है कि आप गांव विरोधी और शहर पोषक हैं ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह माननीय कल्याण सिंह जी की मजबूरी है । भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए उन्हें गांव को बरबाद करना है और शहरों को आबाद करना है । लेकिन हम इसके खिलाफ है और हमारा दल तथा विपक्ष इसका विरोधी है । माननीय अधिष्ठाता जी, मैंने अभी बताया कि गांव के विकास के लिए चार प्रतिशत तथा शहरों के लिए 7 प्रतिशत का बजट है । यह गांव के लोगों के प्रति अन्याय है और यह लोकतंत्र में गलत है, निन्दनीय है और आपराधिक भी है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो समितियों की बात कही गयी, माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने कहा कि यहां समितियां नहीं बना रहे हैं बल्कि वहां पर बना रहे हैं तो उसका जवाब तक उन्होंने नहीं दिया और चुप हो गये । समितियों में भी, उनकी जो भावना है वह उजागार होती है, एक महिला, एक अनुसूचित जाति का, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति होगा । अल्पसंख्यक इस प्रदेश में 18 प्रतिशत लेकिन उनका कहीं ठिकाना नहीं है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं इस विचार की भर्त्सना करता हूं जिस विचार में मानव मानव के प्रति भेद किया गया हो । अल्पसंख्यक का इस विधेयक में कहीं नाम नहीं है । हम इसमें संशोधन चाहते हैं....

(व्यवधान)

मान्यवर, जो दुविधा है, जो मन में विचार है, जो सरकार के विचार हैं उसके बारे में कहना चाहता हूं । अध्यापकों की नियुक्ति के बारे में प्राविधान है, आपने कहा कि ग्राम प्रधान को अधिकार होगा कि जो गांव का पढ़ा लिखा लड़का होगा उसको वह रखेंगा ।.....

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, हमारे यहां जिला परिषद् अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था। इनकी कोई रिश्तेदार चुनाव लड़ रही थीं। हमारी तरफ से जो कैन्डिडेट थीं उनको बन्दूक की नोक पर उठाकर ले गये और उनको पर्चा दाखिल नहीं करने दिया और अपनी कैन्डीडेट को निर्विरोध जिता दिया। अब यह परेशान हो रहे हैं। इनका महिला उत्थान से क्या रिश्ता ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

लखनऊ में बी० एस० पी० के उम्मीदवार को भी गायब करा दिया गया था।

श्री बाबू राम यादव–

माननीय वर्मा जी हमसे बड़े हैं और उनका मैं आदर करता हूं, उनकी पूजा करता हूं। लेकिन इस तरह से इतने सम्मानित सदस्य होते हुए उनको इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए थी। मेरी कोई रिश्तेदार जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं हैं।

(शेम-शेम की आवाजें)

अध्यापकों की नियुक्ति के बारे में माननीय कल्याण सिंह जी की सोच के बारे में यह अवगत कराना चाहता हूं कि अगर गांव का अध्यापक सेवा निवृत्त होगा तो इसके स्थान पर ग्राम प्रधान अप्रशिक्षित टीचर नियुक्ति करेगा उसमें एक दिन वह आयेगा जिस दिन कोई भी प्रशिक्षित टीचर नहीं होगा। शहरों के लोग प्रशिक्षित अध्यापकों से पढ़ेगें और गांव के बच्चे अप्रशिक्षित अध्यापकों से। उसी विद्यालय में पांच हजार तनख्वाह पाने वाला अध्यापक रहेगा और उसी में ढाई हजार मानदेय पाने वाला रहेगा तो काम कैसे होगा। यह जो आप संशोधन लाये है अच्छी बात है लेकिन हृदय की विशालता देखते हुए लाते अगर आप जिलों में ब्लाक स्तर पर, विकास खण्ड स्तर पर ग्राम प्रधानों के सुझाव मानते तो कितना अच्छा होता।

आज सब जगह भ्रम की स्थिति पैदा है। हम लोग तो विपक्ष में हैं लेकिन उधर जो सत्ता पक्ष के मित्र बैठे हुये हैं उनको हैसियत पता लगेगी, इस बिल के पास हो जाने के बाद कि आपको कल्याण सिंह जी ने कहां पहुंचा दिया। इसी के साथ मैं आग्रह करता हूं कि इसे प्रवर समिति को सौंप दें जो इस पर विचार कर ले। हर विकास खण्ड में मीटिंग हो लोगों की राय ले ली जाय, तब इसे प्रस्तुत किया जाय।

पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

माननीय अध्यिठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। सरदार पटेल जैसी वीरता दिलाने वाले इस प्रदेश के मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर दिया है कि वह गांव की समस्याओं से अनभिज्ञ नहीं हैं। पंचायती राज व्यवस्था आदि काल से लेकर है। महाभारत ऋगवेद और जातक कथाओं सब में वर्णन मिलता है। पंचायती राज व्यवस्था का अर्थ है गांव के अन्तिम छोर पर खड़ा व्यक्ति जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है उसकी बात पंचायती राज व्यवस्था से सुनी जाय यही वास्तव में पंचायती राज व्यवस्था का अर्थ है। छः सौ वर्ष के इस्लामी शासन काल में और दो सौ वर्ष के ब्रितानी काल में पंचायतों का स्वरूप बदल गया है। जब पंचायत की व्यवस्था थी प्रारम्भ में उस समय गांव में सभी मिलकर अपनी योजनायें बनाते थे और प्राचीन भारत में भी पंचायती राज के अन्तर्गत समितियों का स्वरूप था। सरदार पटेल जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति वाले मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह ने सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर यह सिद्ध कर दिया है कि वह गांव में रहने वाले व्यक्तियों की समस्याओं से अनभिज्ञ नहीं हैं पंचायतों का प्रचलन आदि काल से है गांव में कुम्हार, मोची, मेहतर सबमें सामंजस्य रहता था और सब अपने अपने काम करते थे सबके साथ नाता रिश्ता था। गांव का बड़ा व्यक्ति चाहे मोची हो, मेहतर हो, कुम्हार हो, लोहार हो उनका

नाम लेकर नहीं बुलाया करते थे उसको लेकर बुलाते थे चाचा, ताऊ भाई इस तरह से बुलाते थे । उस समय गांव में सहकारिता का भाव था । उस समय दियासलाई का प्रचलन नहीं था । गांव में एक ही चूल्हे से पूरे गांव के चूल्हे जलते थे ऐसा सहकारी भाव था कि गांव के गरीब आदमी का छप्पर चढ़वाने भी गांव का बड़ा आदमी जाता था इतना प्रेम था । तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए माननीय कल्याण सिंह जी ने सत्ता को विकेन्द्रीकरण किया है ।

संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 292 के 243 (6) में व्यवस्था की गयी है पंचायतों के आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना तैयार करने का आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की स्कीमों को जो उन्हें सौंपी जांय जिसके अन्तर्गत स्कीमें भी हों, ।।वीं अनुसूची में सूचीवद्ध विषयों से सम्वद्ध कर क्रियान्वित करने का अधिकार दिया जाय । ठीक इसी तरह से संविधान की इच्छा के अनुरूप, कुछ विपक्ष के सदस्य कह रहे थे कि आपने कुछ नया नहीं कर दिया यह तो संविधान के अनुरूप किया है । मान्यवर, वास्तव में यह संविधान के अनुरूप किया गया है वर्ष 1994 में और इससे पूर्ववर्ती जो सरकारें थीं उन्होंने कुछ नहीं लागू किया । यह भी विचारणीय प्रश्न है । उस समय भी संविधान था, संविधान की मर्यादा थी ।

मान्यवर,किसी भी सरकार की एक कसौटी होती है । उसकी नीति कैसी हो, उसकी नीयत कैसी हो, उसका नियोजन कैसा हो इस सब में पूर्ववर्ती सरकारों की स्थिति सर्वविदित हो गयी है । मान्यवर कल्याण सिंह की नीति है सत्ता के विकेन्द्रीकरण की, सरकार की नीति है न्याय सबको तुष्टीकरण किसी का नहीं, विकास के काम में सबकी भागीदारी सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास, यह व्यवस्थाएं बनाई गयी और नीयत में हमारी सरकार की पारदर्शिता है । इसको कायम रखने के लिए हमने समितियों का निर्माण किया है, पंचायतों को साथ किया है । यह पंचायते समितियों के माध्यम से ही काम करेंगी और समितियों का उल्लेख पहले किया गया है इसलिए मैं उसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं ।

नियोजन हमारी सरकार का नियोजन है ऊपर से नहीं अब योजना लखनऊ में नहीं बनेगी, योजना योजना भवन में नहीं घूमती रहेगी योजना गांव में बनेगी । उसके लिए इकाई गांव माना गया उसके बाद वह ब्लाक में आयेगा और उसके बाद जिला पंचायत में पहुंच जायेगा उसके बाद जैसा है वैसा ही लागू हो जायेगा । अब ऐसा नहीं होगा कि गांव के पास लाइन निकल गयी तो पूरा गांव विद्युतीकृत मान लिया गया लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा । गांव के लोग जानते हैं कि खड़ंजा कहा लगेगा, इंडिया मार्क 2 कहां लगेगा, तो यह सब अब गांव में ही बनेगा । अभी हमारे माननीय सदस्य अम्बरीष जी की बड़ी जिज्ञासा थी, इस समय मौजूद नहीं हैं, उन्होंने एक बात कही थी, उसे मैंने बड़ी गम्भीरता से लिया है । उन्होंने कहा था कि गांव की महिला के प्रसव का और ट्यूबवेल चलाने का एक ही रिंच होगा । यह बड़े उपहास का विषय है । हमने पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत जो 12 विभाग के कर्मचारी दिये हैं, उनमें से 4 विभाग ऐसे हैं, जिन्हें हमने बहुउद्देशीय कर्मी नही बनाया है; यह चार विभाग हैं, बेसिक शिक्षा विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और पशुधन विकास विभाग । इन चारों विभागों में जो काम करने वाले लोग हैं, उनको अपना काम करने के लिए रखा गया है ।

अब दाई का काम दाई करेगी, एनम का काम एनम करेगी और शिक्षण का काम शिक्षक ही करेंगे । मान्यवर, गांव का गरीब आदमी खेत की पगडण्डी पर चलता है, जिसके पैरों में बिवाइयां फूटी होती हैं, उनके बच्चे कान्वेन्ट स्कूलों में नहीं पढ़ते बल्कि प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते हैं । अभी तक अध्यापक पढ़ाने नहीं जाते थे, अपनी जगह किसी को भेज देते थे, अब यह नहीं चलेगा । अध्यापकों को अब पढ़ाना होगा, इसके लिए पंचायतों को अधिकार रहेगा कि जो काम करेगा, उन्हीं को दाम मिलेगा, ऐसी व्यवस्था कर दी गयी है ।

मान्यवर, यह जो बहुउद्देशीय कर्मी हैं, जिसको ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का नाम दिया गया है, कुछ विरोधी लोग हैं जो वास्तव में पंचायत राज व्यवस्था के विरोधी हैं, जिनको लग रहा है, हमारी बपौती खत्म होने जा रही है, जिन्हें लग रहा है कि गांव का गरीब आदमी भी अब जागरूक हो गया है और अपने अधिकारों के प्रति वह सजग है, ऐसे लोगों को वास्तव में दर्द हो रहा है । मैं बताना चाहूंगा कि जो बहुउद्देशीय कर्मी हैं, उसकी किसी भी सुविधा में कोई कटौती नहीं की गयी है, उनको काम करने के लिए पूरा अवसर दिया गया है और वास्तव में पंचायतों के नियंत्रण में यह काम करेंगे और पंचायतों के विकास के लिए काम करेंगे ।

मान्यवर, एक बात यह भी बताना चाहूंगा कि अभी तक जो लोग महिलाओं के अधिकारों पर अतिक्रमण करते थे जो महिला प्रतिनिधि, प्रधान हैं, ब्लाक प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनको कार्यवाही में भाग नहीं लेने देते थे, उनके स्थान पर स्वयं कार्यवाही में भाग लेते थे, उसके लिए अब शासनादेश कर दिया गया है । अब किसी भी महिला का पति, भाई, देवर, लड़का उसको गन्तव्य स्थल तक पहुंचा सकता है, ला सकता है, लेकिन वह उसके स्थान पर कार्यवाही में भाग नहीं लेगा, ऐसा शासनादेश जारी कर दिया गया है । इसीलिए ब्लॉक स्तर पर रजिस्टर रखवा दिया गया है जिसमें बी०डी०ओ० इन्ट्री करेगा, इसी तरह जिला पंचायत पर भी एक रजिस्टर रखा जायेगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

इस संशोधन में है ।

श्री धर्मपाल सिंह–

मैं इसीलिए आपका ध्यान दिला रहा हूं, आप ध्यान से सुनिये । माननीय बाबूराम जी ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष जो विरोधी दल के हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, मैं बताना चाहूंगा कि इसके लिए ब्लाक स्तर पर रजिस्टर रखवा दिया गया है, जिसमें बी०डी०ओ० इन्ट्री करेगा, इसी तरह जिला पंचायत पर भी एक रजिस्टर रखा जायेगा । मैं अवगत कराना चहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय कल्याण सिंह के नेतृत्व में कोई भी ऐसा काम नहीं किया है, जो इस तरह हो जाय कि विपक्ष के लिए अलग कानून है और सत्ता पक्ष के लिए अलग कानून है । पहले पंचायत का चुनाव होने के एक वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव आता था । अब हमने कानून में परिवर्तन कर दिया है और यह व्यवस्था कर दी है कि चुनाव के दो वर्ष बाद ही अविश्वास का प्रस्ताव आ सकेगा । मान्यवर, यह सभी के लिए है, किसी एक के लिये नहीं है । हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि प्रधान को भी अविश्वास प्रस्ताव में वोट डालने का अधिकार दिया जाये, पहले यह व्यवस्था नहीं थी, प्रधान वोट नहीं डाल सकता था । इसी प्रकार से ब्लाक प्रमुख के बारे में अगर अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता था तो 50 प्रतिशत से लाया जा सकता था, लेकिन अब 2/3 कर दिया गया है, इसी प्रकार से जिला पंचायतों में भी होगा, 2/3 से अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकेगा । मान्यवर, हमने यह भी व्यवस्था की है कि अगर एक बार अविश्वास का प्रस्ताव गिर जाता है, तो वह दो वर्ष बाद ही लाया जा सकता है । इस प्रकार से उनका स्थायित्व होगा और विकास के कार्य हो सकेंगे । मान्यवर, चुनाव 6 रिक्त स्थान होने पर महीने में होंगे, यह हमने व्यवस्था कर दी है । मान्यवर, पहले बी०डी०ओ० की चरित्र पंजिका में प्रविष्टि ब्लाक प्रमुख करता था ।

(कई सदस्यों के बोलने पर)

आप मुझे अपनी बात को पूरा कर लेने दें, तब कहें । मैं आपकी बात का उत्तर दे दूंगा । मान्यवर, बी०डी०ओ० और ब्लाक प्रमुख के नाम से ज्वाइन्ट खाता खोला जायेगा । दूसरी बात यह कही गयी है कि जो प्रधान होगा, वह तो केवल गांव के ही विकास कार्य कर सकेगा और गांव के बाहर के जो काम होंगे उनको कैसे किया जायेगा । तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि गांव के बाहर के जो

कार्य हैं वह क्षेत्र समितियों के द्वारा किये जायेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण, गोदामों का निरीक्षण आदि सभी कार्य क्षेत्र समितियों द्वारा किये जायेंगे । मान्यवर, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि अभी तक 10 प्रतिशत धन क्षेत्र पंचायत को दिया जाता था, लेकिन अब क्षेत्र निधि का प्राविधान किया गया है । मान्यवर, विधायकों के अधिकारों को कम करने की बात कही गयी है, मैं कहना चाहता हूं कि उनके अधिकारों में कोई कटौती नहीं की गई है, जो अधिकार कम हुये मैं वह जिलाधिकारी के हुये है, सभी सदस्य जानकार हैं । मान्यवर, डी०आर०डी०ए० का अध्यक्ष जिला पंचायत के अध्यक्ष को बनाया गया है ।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के बोलने पर)

मान्यवर, अब हम बोल लें, इसके बाद आप बोल लीजियेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

मान्यवर, कृपया समय का ख्याल रखें ।

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, इस तरीके से यहां एक बात यह भी आयी थी कि किसान सहायक को बहुउद्देशीय बना दिया है । मान्यवर, मैं आपको अवगत करना चाहता हूं कि गांव में जो बहुउद्देशीय कार्य हैं इन गांवों में एक भी अधिकारी नहीं है खाद और बीज की व्यवस्था करने का कार्य बहुउद्देशीय कर्मी ही करेंगे । इसमें कोई अव्यवस्था नहीं आयी है । ट्यूबवेल का प्रश्न है तो जितने भी ट्यूबवेल हैं वहां पर ट्यूबवेल चालकों को नियुक्त करा दिया गया है ताकि कोई बाधा न आये । लगभग 10 हजार अधिकारी है, कोई भी विभाग इनका मन खोलकर देख लें । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके यह सिद्ध कर दिया है कि अब गांव का आदमी या व्यक्ति सरकारी अधिकारी के पीछे नहीं दौड़ेगा । अभी तक वास्तव में लोकतन्त्र, लोकतन्त्र नहीं था बल्कि तन्त्र लोक था इस लोक में लोग पीछे थे तन्त्र आगे था, पहली बार लोक आगे हुआ है तन्त्र पीछे ही रहा है । माननीय रेवती रमण सिंह जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप कर गांव के लोगों पर कुठाराघात न करें यह है तो गांव के भाग्य का निर्माण का विधेयक है, गांव के लोगों पर कुठाराघात नहीं किया गया है । इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने को कहा है, कृपया इसे आप वापस ले लें और इसे सर्वसम्मति से सदन में पास करा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

मान्यवर, मुन्ना चौहान आप अपनी बात जरा संक्षेप में रखें ।

श्री मुन्ना चौहान–

अधिष्ठाता महोदय, आज जो पंचायती राज विधेयक पर चर्चा हो रही है । श्रीमन्, पंचायती व्यवस्था आदिकाल से चली आ रही है लेकिन पंचायती व्यवस्था का जो पूर्व में जो स्वरूप था उसमें कुछ विकसित होता नजर आ रहा है, मैं बहुत पुरानी बात नहीं करूंगा । ब्रिटिश काल के प्रारम्भ में भी, जब आजादी की लड़ाई को लड़ते हमारे नेता स्वाधीनता की बात करते थे तो ब्रिटिश शासक इन लोगों का विरोध करते थे श्रीमन्, इसी क्रम में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि बंगाल में पहली दफा मान्यवर, जो संयुक्त प्रान्त है उन्हें यह अधिकार दिया जाये कि वे अपने यहां अधिनियम और परिनियम बना सके। उत्तर प्रदेश के अन्दर यह 1947 में स्थापित हुआ था और श्रीमन् हम कहना चाहते हैं कि जब संविधान बना था तब यह बात महसूस नहीं की गयी थी । अनुच्छेद–40 को जोड़कर इस बात की

व्यवस्था की गयी कि सभी प्रदेशों को अपने स्तर से प्रयास करना चाहिए पंचायतों को लागू करने के लिए जब यह विधेयक प्रस्तुत हुआ तो मुझे एक बात सुन कर प्रसन्नता हुई कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा इस विधेयक पर खुलकर विवाद होना चाहिए । श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जो विधेयक आया है, यह सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिए लाया गया है, दलगत भावनाओं की परवाह किये बगैर जो पंचायत व्यवस्था है, उसको संविधान का दर्जा दिये जाने का काम किया जाए । श्रीमन्, आप जो विधेयक लाये हैं उसमें सारी बातों का जिक्र किया गया है । इस हिसाब से यह देखा जाए तो दो परिस्थितियां सामने उभर कर आती हैं । मान्यवर, यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसकी कमियों की तरफ जिक्र करने का हमारा अधिकार बनता है । जब हम सिद्धान्तों की तरफ देखते हैं वास्तविकता यह दिखायी देती है कि हम एक छोर पर खड़े हुए हैं । व्यवस्था जो अधिनियम के करीब हो, वही हम वास्तविकता का परिपालन कर सकें । देर आये दुरुस्त आये ।

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आपने पंचायतों को अधिकार सौंपने का सिलसिला शुरू किया तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आपके शासन में यह धारणा रही होगी कि चुनावी दौर में आनन-फानन में यह सिलसिला शुरू किया गया होगा । श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि यह एक व्यक्ति का काम नहीं है । संविधान के अनुच्छेद–243 जी का अवलोकन करें, इसको पढ़ रहा हूं :–संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान मण्डल, विधि द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों और ऐसी विधि में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, निम्नलिखित के सम्बन्ध में शक्तियां और उत्तरदायित्व न्यायगत करने के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :–

(क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनायें तैयार करना,

(ख) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों को, जो उन्हें सौंपी जाएं, जिनके अन्तर्गत वे स्कीमें भी हैं जो ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के सम्बन्ध में हैं, कार्यान्वित करना । श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि यही पंचायत राज व्यवस्था की मूल भावना है । मान्यवर, पंचायत को सुदृढ़ बनाने की व्यवस्था की जाए । जहां तक ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले राजकीय कर्मचारियों को पंचायत क्षेत्र में भाग लेने, इसकी मैं प्रशंसा करता हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो बहुउद्देशीय कर्मचारियों का कांसेप्ट है वह अपने आप में दोषपूर्ण है और त्रुटिपूर्ण है उसका कारण मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप पंचायतों को अधिकार देना चाहते हैं तो जो पंचायत स्तर के कर्मचारी हैं उनका प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में रखिये । आपने जो बहुउद्देशीय कर्मचारियों का कांसेप्ट दिया है उससे काम चलने वाला नहीं है । आपनें जो कहा उसको सुन कर मुझे दुख हुआ । आपने कहा कि कुछ लोग कामचोर हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं, यूनियनबाजी करना चाहते हैं वह लोग नहीं चाहते हैं कि पंचायतों में काम करें । आपकी इस बात पर मुझे अफसोस है । श्रमिक यूनिनों का देश की आजादी में योगदान है । यह वही कर्मचारी हैं । जिन्होंने अपने खून से झण्डा रंग कर उठाने का काम किया है और समाजवादी व्यवस्था को कायम रखने में श्रमिक यूनियनों का बड़ा योगदान है लिहाजा कर्मचारियों को कामचोर और नकारा कहना ठीक नहीं है । अगर आप ऐसा कहेंगे तो कदाचित यह स्वीकार्य नहीं होना चाहिए ।

आपने पंचायतों के अन्दर अध्यापकों की नियुक्ति की बात कही, अधिकांश लोग यह कहने का साहस नहीं जुटा पाये लेकिन मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं और मैं सदन में मांग करता आया हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में दूर दराज के क्षेत्रों में जहां अध्यापक उपस्थित रह कर बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं वहां इस सम्बन्ध में व्यवस्था की जानी चाहिए । आपने पंचायतों के अन्दर स्वयं सेवी अध्यापकों को 2250 रुपये मानदेय पर नियुक्त किये जाने की व्यवस्था की है । इससे इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा और पर्वतीय क्षेत्र को भी फायदा मिलेगा । मैं साढ़े बाइस सौ रुपये पर अध्यापकों की नियुक्ति का समर्थन करता हूं और साथ ही यह कहना चाहता हूं कि आपने जो यह काम किया है, मेरे पड़ोसी प्रदेश हिमांचल प्रदेश में भी अंशकालीन अध्यापकों को रखने का काम किया गया है लेकिन उन्होंने अपने यहां यह व्यवस्था की है कि जब अंशकालीन अध्यापक 7-8 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर लेंगे तो सरकार उनको स्थायी रूप से सेवा की गारन्टी देगी । मेरा निवेदन है कि हमें अपने यहां की विधि में इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि जब यह लोग 7-8 साल की सेवा सन्तोषजनक रूप से कर लें तो इनको स्थायी रूप से अध्यापक बनाने का काम करें । सबसे बड़ी पंचायत व्यवस्था में यह खामी है कि तमाम कर्मचारियों के संवर्ग को मृत संवर्ग घोषित कर दिया है । आपने कहा कि यदि किसी कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जायेगी तो उनके आश्रित को इम्पलाइमेंट देंगे । लेकिन श्रीमन्, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब सम्वर्ग मृत घोषित हो गया तो मृतक आश्रित को कहां पर नौकरी देने का काम करेंगे । एक-एक नौकरी पर आपका विभाग कहता फिरेगा कि इसमें कैबिनेट के रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

अब मुन्ना चौहान जी समाप्त करें ।

श्री मुन्ना चौहान–

श्रीमन्, दो-चार बातें कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्रीमन्, आपका संरक्षण हमें मिलना चाहिए, आप संरक्षण दे रहे हैं मंत्रियों को ।

श्री अधिष्ठाता–

पीठ पर आक्षेप न करें । पीठ तो सभी को संरक्षण देती है ।

श्री मुन्ना चौहान–

मैं यह कहना चाहता हूं कि आज "विलेज पंचायत इन इण्डिया" जो हर्षदेव मालवीया की है और यू० घेवर साहब ने इन्टोडक्टरी नोट लिखा है । उसका प्राक्कथन पं० जवाहर लाल नेहरू जी ने लिखा है उस पुस्तक को पढ़ने का काम करें । उस पुस्तक के अंन्दर संस्मरण कराना चाहता हूं :–

"दि विलेज पंचायत इज नाट मेयरली ए डिसेन्ट्रेलाइज्ड फ्राम आफ एडमिनिस्ट्रेशन इट इज ए मीडियम थ्रू विच वी वान्ट दि इण्डियन पीपुल इन रूरल एरियाज टू एक्सप्रेस देमसेल्वज आन दि एडमिनिस्ट्रेटिव सोसल एण्ड इकोनोमिक प्रोब्लम आफ दि कन्ट्री ।"

कहने का मतलब है कि डिसेन्ट्राइलेजशन का मतलब केवल यह नहीं कि आप छुटकारा पा लें कि अब गांव पंचायत आपसे मांगने नहीं आयेंगी । डिसेन्ट्रालाइजेशन का मतलब है कि जो पलानिंग प्रासेस है उसको डिसेंट्रालाइजेशन करें । साथ ही साथ इसी बीच में एक अन्तिम सुझाव देना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया विराजें ।

श्री मुन्ना चौहान–

अन्तिम सुझाव मैं यह देना चह रहा हूं कि आप विलेज पंचायत को सशक्त करें, जिला पंचायतों को सशक्त बनाने का काम करें । लेकिन जबसे विकास की अवधारणा विकसित हुई है जो ब्लाक्स हैं जिसको हम लोग विकास खण्ड कहते हैं । उसे विकास की इकाई माना गया है । लेकिन आपको उस पूरी पंचायत व्यवस्था के अन्दर जो आपकी क्षेत्र पंचायतें हैं उसको पैरालाइज करने का काम किया गया । इस व्यवस्था के अन्तर्गत उसे सुदृढ़ बनाने का काम नहीं किया गया । जैसा कि माननीय वर्मा जी ने अपनी बात में कहा मैं कहना चाहता हूं कि इस पर पुनर्विचार कर जो क्षेत्र पंचायतें हैं उसको सुदृढ़ करने का काम करें । इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं । कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं । मेरा आग्रह है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जिससे इस पर गम्भीरता से विचार किया जा सके ।

(व्यवधान)

पशुधन एवं मत्स्य राज्य मंत्री (श्री अमरमणि)–

माननीय अधिष्ठाता जी, सारी बातें आ चुकी हैं अब आप प्रश्न उपस्थित करें ।

श्री केशो मेहरा–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद । हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह जी ने जो प्रदेश के करोड़ों किसानों के हितों के लिए यह विधेयक रखा है, उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । हमारा प्रदेश गांवों में बसता है, यदि गांवों का विकास होगा तो जिले का विकास होगा, जिले का विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा, यदि हमारे किसान, गांव में रहने वाले लोग खुश होंगे उनके गांव में धन आयेगा तो जिले में धन आयेगा, जिले में धन आयेगा तो पूरे प्रदेश में धन आयेगा । औद्योगिक विकास होगा, सभी का विकास होगा । इस देश को आजाद हुए 52 वर्ष हो गये । और इन 52 वर्षों में अधिकतम एक राजनीतिक दल, कांग्रेस का राज रहा और उसके पश्चात् यह अत्यन्त दुख की स्थिति है कि गांव में पेयजल उपलब्ध नहीं है । गांवों को मुख्य मार्गों से अब तक नहीं जोड़ा गया है । इस सदन के अन्दर विद्वान सदस्यों ने यह कहा कि यह तो अनिवार्य संवैधानिक बाध्यता थी, आपने अनुकम्पा की सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए यह काम कर दिया । तो अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि 24 अप्रैल, 1993 को 73वां संशोधन देश में प्रवृत्त हुआ और 22 अप्रैल, 1994 को इस प्रदेश में प्रवृत्त हुआ यह पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया 22-4-94 से 2 जून, 1995 तक मुख्य मंत्री थे और जिस दिन यह प्रवृत्त हुआ प्रदेश में उसके बाद से 406 दिन तक मुख्य मंत्री रहे । उस समय भी संवैधानिक बाध्यता थी हम लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए यह काम कर रहे हैं यह आरोप लगाया गया है तो आपने क्यों नहीं किया । आपकी कठिनाई यह है कि विपक्ष के मन में यह पीड़ा है पेट में दर्द हो रहा है कि कल्याण सिंह जी यह विधेयक क्यों लाये ? हम क्यों नहीं लाये ? यह लोकप्रिय नेता हो गये और हम लोकप्रिय क्यों नहीं हो पाये ? विपक्ष की काक दृष्टि है, कौवे को नजर केवल गन्दगी पर आती है । मैं श्री रेवती रमण सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें और सर्वसम्मति से इसको पारित होने दें । (धन्यवाद)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि इस विधेयक को पास कराने के लिए उनको व्हिप जारी करना पड़ा । सम्भवतः व्हिप जारी न किया होता तो इतने विधायक उपस्थित न होते ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

कुंवर साहब ने यह कहा कि व्हिप जारी करना पड़ा यह तो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया है कि व्हिप जारी होता है आपने क्यों व्हिप जारी किया और व्हिप के बाद भी क्या स्थिति है ।

वन राज्य मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र)–

उधर के लोग भैंस चराने गये हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

श्री मिश्र जी ने कहा कि भैंस चराने गये हैं पाड़ों की तरह बंधने से अच्छा है कि कहीं भैंस चराने चला जाए ।

श्री लालजी वर्मा–

अधिष्ठाता महोदय, यहां पर हम विधायक लोग चुनकर आते हैं विधान बनाने के लिए । किसी मंत्री द्वारा सदस्यों को यह कहना कि भैंस चराने गये हैं यह संसदीय परम्परा और संसदीय मर्यादा का उल्लंघन है कृपया इसको सदन की कार्यवाही से निकलवा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें कोई बात गैर संसदीय नहीं है । इसमें कुछ भी असंसदीय नहीं है । भैंस चराना कोई असंसदीय नहीं है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इस माननीय सदन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब कुछ कमेंट्स होते हैं और थोड़ा वातावरण दूसरी तरह का बदल जाता है परन्तु जिस मंशा से श्री मिश्रा जी ने शब्दों का इस्तेमाल किया है उन्हें कार्यवाही से निकाल दें ।

श्री अधिष्ठाता–

व्यवस्था मैं पहले दे चुका हूं । इसमें कुछ भी असंसदीय नहीं है, जहां तक श्री वर्मा जी ने अशोभनीय वाली बात का जिक्र किया है मैं सन्दर्भ को दिखवा लूंगा यदि किसी प्रकार की कदाशयता की दृष्टि से वह बात कही गयी है तो उसे निकलवा दिया जायेगा बशर्ते की कदाशयता प्रमाणित होनी चाहिए ।

(व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग-

किसानों से संबंधित है। अगर किसी माननीय सदस्य की भैंस दूध न दे रही हो तो उसे भेज दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

डा० डंग साहब ने हास-परिहास के माध्यम से सदन के माहौल को नार्मल किया है, इसके लिये उन्हें साधुवाद देता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

जिसकी भैंस दूध नहीं देती है उसके लिये क्या प्रबन्ध करना पड़ता है उसके लिये डाक्टर से मदद ले सकते हैं। लेकिन मान्यवर, मैं आभारी हूं अमर मणि जी का। मैं उन्हें उस सूची में नहीं समझता था यह रंगनाथ जी की श्रेणी में कब से आ गये। उन्होंने तो स्वीकार किया है।

श्री अधिष्ठाता-

अब भैंस का सन्दर्भ कृपया समाप्त करें।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी मैं पंचायती राज मंत्री जी को सुन रहा था। मान्यवर, इधर से चाहे उधर से दोनों पक्षों से लोगों ने सुझाव दिये। मैं खुश होता अगर उन सुझावों को समाहित करके संशोधन करके इस विधेयक को पेश किया जाता लेकिन कदाचित् उन्होंने उचित नहीं समझा क्योंकि उनको ग्राम सभा को अधिकार नहीं देना है।

(व्यवधान)

आलोचना सुनने का धैर्य रखा करिये। मान्यवर, इसमें न तो ब्लाकों को वित्तीय अधिकार दिये गये हैं न प्रशासनिक। एक बात कह दी कि खाता ज्वाइन्ट बी० डी० ओ० के साथ ब्लाक प्रमुख अपना ओपरेट करेंगे। यह बात समझ में नहीं आई। चरित्र पंजिका में इन्ट्री का अधिकार 10 साल पहले मिला था, वह भी खत्म कर दिया। चरित्र पंजिका में वह प्रविष्टि नहीं कर पायेगा। सी० डी० ओ० की प्रविष्टि जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं कर सकता है। वित्तीय सैंग्शन सी० डी० ओ० या कलक्टर करेंगे। जिला योजना बदलने का अधिकार कमिश्नर को दे दिया। यह क्यों दे दिया। इसी तरह से मंत्री उस मीटिंग को क्यों प्रीसाइड करेंगे तब जिला पंचायत अध्यक्ष आ गया वह मीटिंग प्रीसाइड करेगा। एक तरफ कहते हैं कि विधायकों के अधिकार खत्म नहीं हो रहे हैं फिर बीच में क्यों मंत्री को लाते हैं।

मैं एक प्रस्ताव रख रहा हूं कि मंत्री ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करेंगे केवल विभाग को काम देखेंगे, योजना बनायेंगे और विकेन्द्रीकरण के तहत मंत्री को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार नहीं होगा। क्या आप इतने अधिकार छोड़ने के लिये तैयार हैं। कदाचित नहीं हैं। विधायकों को आप सीख दे रहे हैं कि बड़ी चीज के लिये कुर्बानी कर दीजिये। आप यहां कर दीजिये कि विधायक केवल विधान बनायेंगे, कानून बनायेंगे विकास से उसका कोई लेना देना नहीं है। आपने कह दिया कि एक ग्राम सभा एक स्वतंत्र इकाई रहेगी। उस ग्राम सभा के नीचे उसके अन्डर में कौन से अधिकारी हैं, यह हमको बता दीजिये। ब्लाक के अन्डर में कौन है, जिला पंचायत अध्यक्ष के नीचे कौन अधिकारी रखे हैं, यह बता दीजिये। खाली कर्मचारियों को रखकर उनको डाईंग कैडर कल डिक्लेयर करके एक बहुउद्देशीय कर्मी बना दिया है। यह समझ में नहीं आता वह ट्यूबवेल भी ओपरेट करेगा सींचपाल भी करेगा। बहुउद्देशीय कर्मी ऐसी व्यवस्था लागू करके ग्राम सभा, ब्लाक, पंचायत को फायदा हो लेकिन यह व्यवस्था आधी अधूरी लागू कर रहे हैं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि जैसा आपने बनाया है सचिवालय में आपका सचिवालय प्रशासनिक है, इसी तरह से गांव सभा का, ग्राम पंचायत का, सचिवालय बना दें, ग्रामालय

बना दें इस तरह इन्होंने कुछ नहीं किया । मैं पुनः प्रार्थना करूंगा हम सभी लोग इस बात के पक्षधर हैं कि ग्राम सभा को, पंचायत को, ब्लाकों को, जिला पंचायतों को ज्यादा-से ज्यादा अधिकार मिलें । केशो मेहरा जी ने एक बात कही चार सौ दिन तक मुलायम सिंह यादव जी ने कुछ नहीं किया, तो कल्याण सिंह जी तो आठ सौ से ज्यादा दिन से बैठे हैं तो लागू नहीं किया डेढ़ साल पहले बैठे तो कुछ नहीं किया अब ऐसी कौन सी बात आ गई जो अब लागू कर दिया । इधर के बैठे माननीय सदस्य और उधर के बैठे माननीय सदस्य, दोनों ही पक्षों के माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं है, मंशा भी पूरी नहीं होगी तो कुछ फायदा नहीं है इसमें पुनर्विचार करें । इसको प्रवर समिति को भेजने में कोई हर्ज नहीं है । नरेश चन्द्र जी ने कहा है कि सरकार जाने वाली है, मारकन्डेय चन्द जी बहुत जोरदार भाषण दिये हैं चौधरी जी बैठे हैं, सरकार जाने वाली नहीं है तो इतनी जल्दी क्या है । इसी के साथ मैं प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री कल्याण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, इस विधेयक पर बड़े ही उन्मुक्त मन से चर्चा हुई है । जिन्होंने भी इस चर्चा में भाग लिया है उन सबके प्रति मैं सम्मान के साथ अपना आभार व्यक्त करता हूं । सुझाव भी बहुत उपयुक्त आए, बहुत चिन्तन मनन के साथ सभी नेताओं ने अपनी बातों को रखा सभी माननीय सदस्य, चाहे इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों अपनी बातों को रखा, मैं इसके लिये सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं । माननीय नेता विरोध पक्ष के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि सही तरीके से सारा अध्ययन करने के बाद वह यह समझे होंगे कि यह जो विधेयक सरकार लाई है यह पूरी तरह से बहुत उपयोगी है इसलिये विरोध के नाम पर एक शब्द बोलना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा और एक दो लोगों का भाषण सुनने के बाद वह उठकर चले गये ।

(मेजें थपथपाई गई)

उनको ऐसा लगा जो आलोचना हो रही है यह निराधार है इसलिये इस विधेयक की आलोचना सुन नहीं सके और इसी नाते उन्होंने मुनासिब समझा कि घर चलें ।

(मेजें थपथपाई गई)

उनके इस मौन और अप्रत्यक्ष समर्थन के लिये विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं । श्रीमन् मैं आश्वस्त करना चाहता हूं जितने भी यहां सुझाव आए हैं आज की पूरी कार्यवाही जो भी हुई है अलग से निकलवाऊंगा और उसमें से किन-किन माननीय सदस्यों ने क्या-क्या सुझाव दिये हैं उनका अलग से संकलन कराऊंगा और फिर उनमें से इस स्टेज पर क्या कुछ किया जा सकता है आपके सुझाव का उस दृष्टि से उपयोग होगा । आप यह न मानिएगा कि आप जो कुछ बोले हैं उनका महत्व हमारे लिये नहीं है, बहुत महत्व है । मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं ....

(इस समय 6 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं । अनुभव बहुत कुछ सिखाता हैं । आज एक नया प्रयोग उत्तर प्रदेश में हम और आप कर रहे हैं सत्ता का विकेन्द्रीकरण का और विकास में जनता की सहभागिता का । सीखते-सीखते भी कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं और समय के साथ, अनुभव के साथ समय-समय पर सुधार किये जाते हैं, संशोधन भी किये जाते हैं । मान्यवर, जब संविधान बनाया गया तो संविधान निर्माता एक से एक विशेषज्ञ थे । उनकी योग्यता, उनकी प्रतिभा, उनकी क्षमता अद्वितीय थी और जिस समय संविधान बन रहा होगा यह मान कर बन रहा होगा कि यह परिपूर्ण है । लेकिन अनुभव के साथ, समय के साथ, बदलती हुई परिस्थितियों के परिवेश में हम और आप देख रहे हैं कि उस संविधान में भी 73वें और 74 वें संशोधन हो चुके हैं । तो मैंने जैसा निवेदन किया कि एक प्रकार से सारी व्यवस्था परिवर्तन का काम है, मानसिकता परिवर्तन का काम भी है ।

मैं जानता हूं कि अभी भी बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं, प्रशासन में बैठे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको इस विधेयक के अनुसार ऊपर से लेकर नीचे तक मानसिकता बदलनी होगी और शायद आप भी इससे सहमत होंगे कि वर्षों से जमी हुई, पीढ़ियों से जमी हुई मानसिकता को बदलने में कुछ तो समय लगता है। मैं आप सबके सहयोग से पूरी तरह से आश्वस्त हूं और माननीय सदन और सभी सम्मानित साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि समय के साथ, अनुभव के साथ, बदली हुई परिस्थितियों के परिवेश के साथ जब कभी सुधार की आवश्यकता होगी सरकार उसमें कोई ऐसी प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनायेगी, क्योंकि हम कह चुके हैं अब इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं खुले तौर से कह देना चाहता हूं। अभी यह कहा गया कि विलम्ब क्यों हुआ ?

चलो विलम्ब हो गया लेकिन अब 90 दिन का विलम्ब क्यों और कर रहे हो। आप तो तत्काल कहिये कि हम अपने प्रस्ताव को वापस लेते हैं। मैं आपका बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि भाषण में बहुत सारी बातें कहीं थीं। जो प्रश्न यहां पर उठाये गये हैं यदि आप मेरा भाषण पढ़ लोगे तो उसमें उनका उत्तर मिल जायेगा। मैं पंचायती राज मंत्री श्री धर्म पाल सिंह को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उनका उत्तर दिया। मैंने एक-एक बिन्दु नोट किये हैं उनका उत्तर देने में समय लगेगा। इस नाते प्रमुख बिन्दु जो यहां पर आये हैं उनका उत्तर देना चाहता हूं। इसका अर्थ यह नहीं समझे कि वह बिन्दु महत्वपूर्ण नहीं हैं जिनका उत्तर मैंने नहीं दिया है। समय सीमा है इस नाते प्रमुख बिन्दु निकाले हैं। कई माननीय सदस्यों और नेताओं ने कहा कि निर्वाचन आयोग का अधिकार घटा दिया है। एक माननीय सदस्य ने तो यह कह दिया कि खत्म कर दिया है। यह भी कहा गया कि सरकार के अधीन कर दिया, यह भी कह दिया गया कि उसकी स्वतंत्रता समाप्त कर दी। श्रीमन्, ज़िला पंचायत के सदस्यों, अध्यक्षों या उपाध्यक्ष या किसी क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ज्येष्ठ उप-प्रमुख, कनिष्ठ उप-प्रमुख या सदस्यों के सामान्य निर्वाचन के लिए तिथि नियत करने के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है। श्रीमन्, सामान्य निर्वाचन में व्यापक प्रशासनिक व्यवस्थायें करनी पड़ती हैं, अन्य प्रबन्ध भी करने पड़ते हैं, विधि व्यवस्था का भी प्रबन्ध करना पड़ता है। अगर कहीं कोई विशेष व्यवस्था खड़ी हो जाये तो वहां पर भी प्रबन्ध करने पड़ते हैं। सरकार निर्वाचन आयोग के परामर्श से निर्वाचन की तिथियां घोषित कर देगी उसके पश्चात् तिथि नियत होने के उपरान्त, निर्वाचन का संचालन, अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण यह पूरा का पूरा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जायेगा। कहां अधिकार कम हो गये। लेशमात्र भी कोई कटौती नहीं की है और न ही कोई उनके क्षेत्र में अतिक्रमण है। एक सुझाव आया कि लाइवेल्टी के हिसाब से ग्राम पंचायतों में जनसंख्या 5000 हजार होनी चाहिये। इससे सिद्धान्तः हम सहमत हैं। चूंकि मई 2 हजार में पंचायतों के चुनाव होंगे। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मई 2000 में सामान्य निर्वाचन के पहले हमारी कोशिश होगी कि उससे पहले ग्राम पंचायतों के लायवेल्टी के हिसाब से संविधान की मंशा के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या ग्राम पंचायत की 5 हजार बनाकर उसको एक वाईवल इकाई बना देंगे।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों की स्थिति भिन्न हैं वहां इस न्यूनतम जनसंख्या को कम रखना होगा।

श्री कल्याण सिंह–

इसके बारे में अलग से विचार करना होगा।

श्री वी०आर० वर्मा–

अधिकतम की सीमा निर्धारित नहीं है।

श्री कल्याण सिंह–

न्यूनतम जनसंख्या 5 हजार होगी इससे भी आगे बढ़ सकती हैं। हम इस बात की कोशिश करेंगे कि मई 2 हजार में पंचायत के निर्वाचन के पहले सरकार इस व्यवस्था को पूरा कर ले। एक सुझाव चुनावों की समय सीमा के बारे में आया था, हमने 6 महीने की अवधि नियत कर दी है। यह

अधिकतम है । यह दो महीने में हो सकता है और एक महीने में भी । लेकिन किसी भी हालत में 6 महीने की अवधि का अतिक्रमण नहीं होगा ।

श्री समरपाल सिंह–

तीन महीने की भी अवधि आप रख सकते हैं ।

श्री कल्याण सिंह–

वह तो एक महीने में भी हो सकता है । अधिकतम 6 महीने का समय है । यह गारन्टी हमने दे दी है । एक बात कही गयी कि तीन/चार आबादी गांव में रहती है और 1/4 शहरों में । जो डिवोलूशन की धनराशि है वह 4 प्रतिशत गांव में और 7 प्रतिशत नगरों में हैं यह भी कह दिया गया है कि हम गांव विरोधी है और हम नगर के पक्षपाती हैं । शायद उन्हें तथ्यों की जानकारी होती तो ऐसी भाषा का शायद प्रयोग न करते । राज्य वित्त आयोग बना तो उसमें राजस्व कर की 10 प्रतिशत धनराशि निकायों को देने का फैसला किया गया और उस आयोग ने 7 प्रतिशत नगरीय निकायों के लिये और 3 प्रतिशत ग्रामीण निकायों के लिये देने की बात कही । हमने ग्रामीण निकायों के लिये 3 प्रतिशत के बजाय उसे बढ़ाकर एक प्रतिशत और दे दिया और उसे चार प्रतिशत कर दिया । जो ग्रामीण निकायों को पैसा दे रहे हैं यह केवल विकास के लिये होगा इसमें से किसी को तनख्वाह ग्राम पंचायतों को नहीं देनी है जबकि नगरीय क्षेत्रों में डिवलूशन जा रहा है उसमें से नगर पालिका नगर महापालिका या नगरपालिका परिषद् के जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह भी इसी 7 प्रतिशत में से देनी होगी । हम यह जानते हैं कि नगरीय निकायों के मामले को लेकर आपका संकट कई जगह है क्योंकि ऐसा भी था कि जो पहले मिलता था इस नगर डिवोलूशन सिस्टम से उनका कम हो गया हमने उसको पूरा कर दिया है इधर गांव पंचायतों के लिए कितने भी काम सौंपें जा रहे हैं उन कामों को करने लिए धनराशि सीधे अलग ग्राम पंचायतों को उस 4 प्रतिशत से अतिरिक्त देंगे । फिर जो हस्तानान्तरित परिसम्पत्तियां हैं उनके रख-रखाव पर जो खर्च आयेगा उसके लिए भी 4 प्रतिशत धनराशि के अतिरिक्त धनराशि राज्य सरकार से जायेगी जो पंचायत में कर्मचारी हैं उनको जो 2250 की बात कही गयी है या आचार्य के लिए हमने 1000 रुपये की बात हमने कही है ये कक्षा–1 और 2 में पढ़ायेंगे, पार्टटाईम के होंगे इन सब का वेतन भी राज्य सरकार के कोष से जायेगा । 4 प्रतिशत से केवल विकास का कार्य होगा ।

श्रीमन्, जो नई भर्तियां की जायेंगी ग्राम पंचायतों के द्वारा उनमें वेतन भी राज्य सरकार के कोष से जायेगा और जो डिवोलूशन है वह 4 प्रतिशत है मैंने बता दिया । इस प्रकार से अपने मूल भाषण में जो उल्लेख किया था जहां एक ओर योजना के परिव्यय की 70 प्रतिशत धनराशि ग्रामीण विकास और कृषि विकास पर जायेगी वहीं हस्तान्तरण के द्वारा ग्राम विकास को धनराशि के साथ दशम वित्त आयोग को मिलाकर वर्ष 1999-2000 में पूरे 11 सौ करोड़ रुपये जायेंगे । यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार है । इसलिए यह सोचना ठीक नहीं है कि यह सरकार गांव विरोधी है । सच तो यह है कि नगरों की शिकायतें आ रही हैं मैं स्वीकार करता हूं क्योंकि उनको 7 प्रतिशत का डिवोलूशन हो रहा है और उसमें से अधिकांश तो तनख्वाह में ही जा रहा है लेकिन यह कहना कि हमारी सोच ग्राम विरोधी है, ठीक नहीं है । ग्रामीण विकास के लिये अगर आंकड़ा लेंगे तो नगर में रहने वालों को और अधिक शिकायत होगी । आप भी इस बात को मानते हैं कि तीन चौथाई हिन्दुस्तान गांव में बसता है और गांव अभी तक उपेक्षित रहा है, उनको नागरिक सुविधायें नहीं मिल पाई, और गांव के विकास के बिना प्रदेश और देश का विकास संभव नहीं है, इसलिये उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देने की बात हो रही है । मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि हम तो इस प्रदेश के अन्दर ग्रामीण जनता की छोटी मोटी शिकवा-शिकायतों की सुनवाई के लिये, वाद परिवाद के निर्णय के लिये न्याय पंचायतों का गठन भी शीघ्र करना चाहते हैं, उसकी विधि क्या होगी, प्रक्रिया क्या होगी, इसमें विचार चल रहा है, मैं समझता हूं कि ग्रामीण जनता जो अभी भागी-भागी घूमती है, कोर्ट कचेहरी, वकीलों के दफ्तरों पर । बहुत से ऐसे मामले हैं, जो न्याय पंचायतों

द्वारा हल हो सकते हैं। अब न्याय पंचायतों का गठन कैसे किया जाय, प्रक्रिया क्या हो, न्याय पंचायतों के सरपंचों के लिये क्या क्वालिफिकेशन नियत की जाय, इस पर आद्योपान्त मंथन, चल रहा है, यह ग्रामीण जनता के लिये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

श्रीमन् मैंने जो 2250 की बात कही थी, उसे मैं अपने पहले भाषण में बता चुका हूं, इनको ट्रेनिंग दी जायेगी, यह भी बता चुका हूं कि 3 और 5 का अनुपात हम प्राइमरी से करेंगे। अगर कहीं 5 अध्यापक हैं तो 3 बी०टी०सी० ट्रेन्ड रखेंगे और दो को मानदेय पर रखेंगे। धीरे-धीरे करके हम उत्तर प्रदेश के सभी ऐसे विद्यालयों में 2250 मानदेय पर ग्राम पंचायत के द्वारा उनको अधिकार देंगे कि वह अपने शिक्षकों की नियुक्ति करे। क्वालिफिकेशन यहां से बनकर जायेगी और पक्षपात की कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अभी माननीय कौकब साहब कह रहे थे कि यह बी०जे०पी० के लोगों की भर्ती का षडयंत्र है। मैंने स्पष्ट कर दिया है कि कोई साक्षात्कार नहीं होगा। हाईस्कूल के प्राप्त अंक और इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्राप्त अंक, इन दोनों को जोड़कर जिसका टोटल सबसे ऊंचा जायेगा, उसकी नियुक्ति हो जायेगी। अब आपका ऐसा ख्याल है कि इस पार्टी के अन्दर जो लोग हैं, यह काबिल लोग हैं और आपके साथ जो लोग हैं, वह इतने काबिल नहीं हैं, देन आई कैननाट हैल्प यू",

श्री अम्बिका चौधरी–

समूह ग की भर्ती के संबंध में कहा गया था कि 30 दिन के अन्दर रिजल्ट निकल जायेगी, आज तक लोग ढूंढ रहे हैं, यह भी इसी तरह की घोषणा तो नहीं है ?

श्री कल्याण सिंह–

समूह ग के मामले में तो यह आश्चर्यचकित हैं। गरीब का बच्चा बिना सिफारिश, बिना रिश्वत के एप्वाइंमेंट लेटर उसके घर मिल गया है। आपने अच्छा याद दिला दिया, आपको बता दूं, केवल दो जगह की शिकायत मेरे पास आई थी, उसकी जांच कराई और सी०डी०ओ० स्तर के अधिकारी को मुअत्तल किया है, यह अनहोनी बात हुई है कि 13 हजार नियुक्तियां हो जायं और कोई सिफारिश नहीं। हमारे किसी विधायक की, किसी मंत्री की और यहां तक कि मुख्यमंत्री भी चाहें तो वह कुछ भी नहीं कर सकता था, यह इनके लिये नई बात तो है। श्रीमन् जो एक बात चली थी कि जो क्षेत्र समितियां हैं, जो धनराशि डिवाल्व की जा रही है, उसके लिये यह व्यवस्था कर दी गई है कि जहां 70 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को जायेगी, 20 प्रतिशत जिला पंचायतों में जायेगी और क्षेत्र समितियों के पास भी कुछ पैसा रहना चाहिये इसलिये 10 प्रतिशत उनके पास अपने आप पहुंचेगी। अभी एक सवाल उठा था श्रीमन्, अभी एक सवाल उठाया गया था, जब कमीशन देंगे, तब पैसा मिलेगा। श्रीमन् डिवोलुशन सिस्टम का मतलब है कि अपने आप पैसा पहुंच जायेगा और लखनऊ नहीं आना पड़ेगा, तो कमीशन देने की बात नहीं है। इसमें आपको आश्चर्य लगता होगा। अभी कहा गया कि जिला योजना समिति का अध्यक्ष मंत्री को क्यों बनाया गया है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र के दोनों हैं, अगर किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाता तो वह अपने क्षेत्र की बात करता, इसीलिये मान्यवर मंत्री को अध्यक्ष बनाया गया है, जिससे किसी के साथ नाइंसाफी न हो। बीच का रास्ता निकाला गया है। श्रीमन् एक सवाल उठाया गया कि बजट पर कमिश्नर का अनुमोदन आवश्यक होगा।

मैं कहना चाहता हूं कि इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, बजट ग्राम पंचायत स्तर पर, क्षेत्र पंचायत स्तर पर और जिला पंचायत स्तर पर बनेगा। बजट वहीं पर फाइनल हो जायेगा, अनुमोदन के लिये किसी के पास नहीं जायेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष को सम्मान दिया गया है, सिंचाई बन्धु का गठन किया गया है, मत्स्य विकास प्राधिकरण है, उसका गठन किया गया है, वह उसका अध्यक्ष रहेगा, ठीक है उसके पास वित्तीय अधिकार नहीं रहेंगे, वित्तीय अधिकार नहीं दिये गये हैं। मान्यवर, मैं इसी समय बताना चाहता हूं कि जो बड़े कार्य हैं, जैसे सिंचाई योजनायें हैं, बड़े बड़े पुलों का निर्माण है, इन

सबको राज्य सेक्टर से पैसा दिया जायेगा। 70 प्रतिशत स्टेट सेक्टर का अंश है, इसी से बड़े बड़े काम किये जायेंगे।

श्री राम जग–

यह कैसे तय होगा, यह तो मंत्री की मर्जी पर होगा।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, मैं पुनः दोहराना नहीं चाहता हूं, मैंने प्रमुख विन्दुओं का स्पष्टीकरण दे दिया है, माननीय रेवती रमण जी ने कहा है कि इसमें देरी हो गयी है, तो मैं उनसे कहता हूं कि जब इसमें देरी हो ही गयी है, तो 90 दिन की देरी और क्यों कर रहे हैं, अपने प्रवर समिति के प्रस्ताव को वापस ले लें और इसे सर्वसम्मति से पास होने दें। एक और बात कहना चाहता हूं कि हमारी बुराई कर लें, यहां पर जितनी चाहें बुराई कर लें, लेकिन जब जनता में जाना तब इसकी बुराई मत करना, नहीं तो यह सौदा महंगा पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय रेवती रमण जी क्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, जो सुझाव मैंने दिये थे, उनका समावेश इसमें नहीं किया गया है, इसलिये मैं अपने प्रस्ताव को वापस नहीं ले रहा हूं, बल्कि बल दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–22 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1999

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

अध्याय–दो

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 26 सन् 1947 की धारा 12–ज का प्रतिस्थापन

2–संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 को, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 12–ज के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

आकस्मिक स्थिति

"12–ज–यदि ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान या किसी सदस्य का पद उसकी मृत्यु हो जाने, उसे हटाये जाने, उसके पद त्याग करने, उसके निर्वाचन के अभिशून्य होने या उसके पद की शपथ लेने से इंकार करने के कारण रिक्त हो जाय तो यथासंभव उसे ऐसी रिक्ति के दिनांक से छः मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व उसके शेष कार्यकाल के लिये यथास्थिति धारा 11–ख, 11–ग या 12 में उपबन्धित रीति से भरा जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी रिक्ति होने के दिनांक को ग्राम पंचायत की शेष अवधि छः मास से कम हो, तो रिक्ति की पूर्ति नहीं की जायेगी ।"

धारा 29 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 29 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

समितियां

"29–(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में या उसके अधीन बनाये गये नियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी प्रत्येक ग्राम पंचायत, ऐसी समिति या समितियां जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, ग्राम पंचायत के सभी या किन्हीं कृत्यों के सम्पादन में उसकी सहायता करने के लिये संघटित करेगी और ऐसी समिति या समितियों को अपनी ऐसी शक्तियां या कृत्य प्रतिनिहित कर सकती है जैसी वह उचित समझे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन संघटित प्रत्येक समिति में एक सभापति और छः अन्य सदस्य होंगे जो ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से नियत रीति से निर्वाचित किये जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी प्रत्येक समिति में कम से कम एक महिला सदस्य, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का एक सदस्य और पिछड़े वर्गों का एक सदस्य होगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि प्रधान या उप प्रधान या ग्राम पंचायत का कोई अन्य सदस्य ऐसी किसी समिति का सभापति होगा ।"

धारा 32 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 32 में उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

"(4) गांव निधि में से धन का समस्त आहरण और उसका वितरण ग्राम पंचायत के प्रधान और सचिव द्वारा संयुक्त रूप से किया जायगा ।"

धारा 109–क का प्रतिस्थापन

5–मूल अधिनियम की धारा 109–क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी अर्थात् :–

"109–क (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी,

अभिलेखों की अभिरक्षा और उन्हें प्रमाणित करने का ढंग

(क) ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख उसके सचिव की अभिरक्षा में रहेंगे,

(ख) सचिव, आवेदन करने पर और ऐसी फीस के भुगतान करने पर जैसी नियत की जाय, किसी व्यक्ति को ऐसे किसी अभिलेख की प्रति देगा और उसे अपने हस्ताक्षर और ग्राम पंचायत की मुहर से सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित करेगा ।

(2) ग्राम पंचायत के किसी अभिलेख की सम्यक रूप से प्रमाणित प्रति को अभिलेख के अस्तित्व के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जायगा और प्रत्येक वाद में उसमें अभिलिखित विषयों के साक्ष्य के रूप में उस सीमा तक ग्रहण किया जायेगा जहां और जिस सीमा तक मूल अभिलेख, यदि वह प्रस्तुत किया जाता, ऐसे विषयों को प्रमाणित करने के लिये ग्राह्य होता ।

अध्याय–तीन

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961 की धारा 6 का संशोधन

6–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 6 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :–

"(4) जिला पंचायत का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हो जो पूर्णतः या भागतः किसी क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र में पड़ता हो, ऐसी क्षेत्र पंचायत की बैठकों में विशेष आमंत्रित के रूप में भाग लेने और अपने विचार व्यक्त करने का हकदार होगा किन्तु ऐसी बैठकों में उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

धारा 12 का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 12 में शब्द "रिक्ति की पूर्ति" के स्थान पर शब्द "रिक्ति की पूर्ति ऐसी रिक्ति के दिनांक से छः मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व" रख दिए जायेंगे ।

धारा 21–क का संशोधन

8–मूल अधिनियम की धारा 21–क में, शब्द "जब अध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या वह" रख दिये जायेंगे ।

धारा 25 का संशोधन

9–मूल अधिनियम की धारा 25 में, शब्द "रिक्ति की पूर्ति" के स्थान पर शब्द "रिक्ति की पूर्ति ऐसी रिक्ति के दिनांक से छः मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व" रख दिए जायेंगे ।

10–मूल अधिनियम की धारा 39 में,– धारा 39 का संशोधन

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(1) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये किन्हीं विशेष निदेशों के अधीन रहते हुए, जिला पंचायत में अधिकारियों के निम्नलिखित पद होंगे :–

(1) मुख्य अधिकारी ;

(2) अपर मुख्य अधिकारी ;

(3) वित्त अधिकारी,

(4) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ;

(5) पेयजल अभियन्ता ;

(6) विकास अधिकारी ;

(7) कार्य अधिकारी ;

(8) अभियन्ता ;

(9) बेसिक शिक्षा अधिकारी ;

(10) कृषि अधिकारी ;

(11) सहकारिता अधिकारी ;

(12) पशुधन अधिकारी ;

(13) समाज कल्याण अधिकारी ;

(14) ग्रामीण अभियंत्रण अभियन्ता ;

(15) युवा कल्याण अधिकारी ;

(16) भूमि संरक्षण अधिकारी ;

(17) उद्यान अधिकारी ;

(18) पंचायत राज अधिकारी ;

(19) लघु सिंचाई अभियन्ता ;

(20) बाल विकास अधिकारी ;

(21) कर अधिकारी ;

(22) मत्स्य अधिकारी ;

(23) गन्ना अधिकारी ;

(24) दुग्ध अधिकारी ;

(25) माध्यमिक शिक्षा अधिकारी ;

(26) नलकूप अभियन्ता ;"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(3) राज्य सरकार के, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, और जहां किसी जिले में मुख्य कार्यपालक अधिकारी तैनात न हों, वहां मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, द्वारा नाम-निर्दिष्ट उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी अधिशासी अभियन्ता जल निगम, जिला विकास अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, जिला युवा कल्याण अधिकारी, जिला भूमि संरक्षण अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता (लघु सिंचाई), जिला कार्यक्रम अधिकारी, (बाल विकास परियोजना) यथास्थिति, सहायक निदेशक मत्स्य या मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मत्स्य किसान विकास अभिकरण, जिला गन्ना विकास अधिकारी, उप दुग्ध विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक और अधिशासी अभियन्ता (नलकूप) क्रमशः उपधारा (1) के खण्ड (1), (4), (5), (6), (9) से (20) तक और (22) से (26) तक में उल्लिखित पद भी धारण करेंगे ।"

(ग) उपधारा (3क) में, शब्द और अंक "उपधारा (1) के खण्ड (4), (5), और (6)" के स्थान पर शब्द और अंक "उपधारा (1) के खण्ड (7), (8) और (21)" रख दिये जायेंगे ।

धारा 44 का संशोधन

11–मूल अधिनियम की धारा 44 में, शब्द "अधिकारियों", जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "अधिकारियों और कर्मचारियों" रख दिये जायेंगे ।

धारा 65 का प्रतिस्थापन

12–मूल अधिनियम की धारा 65 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात :–

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गई जिला पंचायत की समितियों का संघटन

"65 (1) इस अधिनयिम के किसी अन्य उपबन्ध में या उसके अधीन बनाये गये नियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, प्रत्येक जिला पंचायत, धारा 64 में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं समितियों के स्थान पर जिन्हें इस धारा में आगे पूर्व समिति कहा गया है, इस अधिनियम के अधीन पूर्व समिति को समनुदेशित सभी या किन्हीं शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों या कर्तव्यों के सम्पादन के लिये ऐसी अन्य समिति या समितियां संघटित करेगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जायं और वह ऐसी समिति या समितियों को अपनी ऐसी अन्य शक्तियों, कृत्यों या कर्तव्यों को प्रतिनिहित कर सकती है, जैसा वह उचित समझे और किसी पूर्व समिति की किसी विशिष्ट शक्ति; कृत्य या कर्तव्य के संबंध में इस धारा के अधीन पूर्व समिति के स्थान पर किसी समिति के संघटित हो जाने पर उस शक्ति, कृत्य या कर्तव्य के संबंध में पूर्व समिति समाप्त हो जायगी और इस अधिनियम के किसी उपबन्ध में या उसके अधीन बनाये गये नियमों में पूर्व समिति के प्रति कोई निर्देश इस धारा के अधीन संघटित समिति के प्रति निर्देश समझा जायगा ।

(2)उपधारा (1) के अधीन संघटित प्रत्येक समिति में एक सभापति और छः अन्य सदस्य होंगे जो जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से, ऐसी रीति से जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, निर्वाचित किये जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी प्रत्येक समिति में कम से कम एक महिला सदस्य, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य और पिछड़े वर्गों का एक सदस्य होगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या जिला पंचायत का कोई अन्य सदस्य किसी ऐसी समिति का सभापति होगा ।''

धारा 70 और 71 का हटाया जाना

13–मूल अधिनियम की धारा 70 और 71 निकाल दी जायगी ।

नई धारा 89 क का बढ़ाया जाना

14–मूल अधिनियम की धारा 89 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :–

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गई क्षेत्र पंचायत की समितियों का संघटन

''89 (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में या उसके अधीन बनाये गये नियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, प्रत्येक क्षेत्र पंचायत, धारा 87 में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं समितियों के स्थान पर जिन्हें इस धारा में आगे पूर्व समिति कहा गया है, इस अधिनियम के अधीन पूर्व समिति को समनुदेशित सभी या किन्हीं शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों या कर्तव्यों के सम्पादन के लिये ऐसी अन्य समिति या समितियां संघटित करेगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जायं और वह ऐसी समिति या समितियों को अपनी ऐसी अन्य शक्तियों, कृत्यों या कर्तव्यों को प्रतिनिहित कर सकती है, जैसा वह उचित समझे और किसी पूर्व समिति की किसी विशिष्ट शक्ति, कृत्य या कर्तव्य के संबंध में इस धारा के अधीन पूर्व समिति के स्थान पर किसी समिति के संघटित हो जाने पर उस शक्ति, कृत्य या कर्तव्य के संबंध में पूर्व समिति समाप्त हो जायगी और इस अधिनियम के किसी उपबन्ध में या उसके अधीन बनाये गये नियमों में पूर्व समिति के प्रति कोई निर्देश इस धारा के अधीन संघटित समिति के प्रति निर्देश समझा जायगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन संघटित प्रत्येक समिति में एक सभापति और छः अन्य सदस्य होंगे जो क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से, ऐसी रीति से जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, निर्वाचित किये जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी प्रत्येक समिति में कम से कम एक महिला सदस्य, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य और पिछड़े वर्गों का एक सदस्य होगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या क्षेत्र पंचायत का कोई अन्य सदस्य किसी ऐसी समिति का सभापति होगा ।''

धारा 92 का संशोधन

15–मूल अधिनियम की धारा 92 में, उपधारा (1) में, खण्ड (2) निकाल दिया जायगा ।

धारा 95 का प्रतिस्थापन

16–मूल अधिनियम की धारा 95 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

कतिपय सरकारी कर्मचारियों से सहायता तथा परामर्श लेने का जिला पंचायत का अधिकार

"95–निम्नलिखित अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे जिला पंचायत को ऐसी सहायता और परामर्श, जहां तक उसका संबंध उनके विभाग से हो, दें जो आवश्यक या वांछनीय हो अथवा अपने जिला योजना कार्यक्रम तथा अन्य कार्य को कार्यान्वित करने के लिये जिला पंचायत जिसकी अपेक्षा करे :–

(1) संबंधित सर्किल के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा इस निमित्त नाम-निर्दिष्ट अधिशासी अभियन्ता (लोक निर्माण विभाग) ;

(2) संबंधित सर्किल के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा इस निमित्त नाम-निर्दिष्ट अधिशासी अभियन्ता (उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्) ;

(3) संबंधित सर्किल के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा इस निमित्त नाम-निर्दिष्ट अधिशासी अभियन्ता (नहर) ;

(4) मुख्य चिकित्सा अधिकारी ;

(5) जिले में क्षेत्राधिकार प्रयोग करने वाला मंडल वनाधिकारी (डिवीजनल फारेस्ट आफीसर) ;

(6) जिला पूर्ति अधिकारी ;

(7) उप क्षेत्रीय विपणन अधिकारी ;

(8) जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी ;

(9) सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र ;

(10) जिले के ऐसे अन्य अधिकारी जो अनुसूची–2 के भाग–क में विनिर्दिष्ट जिला पंचायत के किन्हीं कृत्यों के सम्बद्ध विभाग के प्रभारी हैं :–

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इन अधिकारियों में से कोई धारा 39 की उपधारा (3-क) के अधीन जिला पंचायत के पदेन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाय, तो उस पर इस धारा के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं होंगे ।"

नई धारा 101-क का बढ़ाया जाना

17–मूल अधिनियम की धारा 101 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

क्षेत्र पंचायत निधि से आहरण और वितरण

"101–क क्षेत्र पंचायत निधि में से धन का समस्त आहरण और उसका वितरण प्रमुख और खण्ड विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा ।

नई धारा 107-क का बढ़ाया जाना

18–मूल अधिनियम की धारा 107 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

"107–क (1) जो कोई किसी जिला पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र में उस जिला

अतिक्रमण या अवरोध के लिये शास्ति

पंचायत की किसी भूमि पर, किसी सार्वजनिक सड़क में नाली के ऊपर की सीढ़ियों के निर्माण को छोड़कर, अतिक्रमण करता है, साधारण कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से जो बीस हजार रुपये तक हो सकेगा दण्डनीय होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध जमानतीय और संज्ञेय होगा ।"

19–मूल अधिनियम की धारा 110 में, :– धारा 110 का संशोधन

(क) उपधारा (6) निकाल दी जायगी ;

(ख) उपधारा (7) में,–

(1) शब्द "अन्तिम रूप से पारित समझे गये" के स्थान पर शब्द "अपने द्वारा अन्तिम रूप से पारित" रख दिये जायेंगे ।

(2) प्रतिबन्धात्मक खण्ड को निकाल दिया जायगा ।

20–मूल अधिनियम की धारा 115 में– धारा 115 का संशोधन

(क) उपधारा (2) और (3) निकाल दी जायेंगी ;

(ख) उपधारा (4) में, शब्द "तथा नियोजन समिति की परिनिरीक्षा के परिणाम और सिफारिशों" निकाल दिये जायेंगे,

(ग) उपधारा (5) में, शब्द "कार्य समिति द्वारा तैयार किया गया बजट, उन परिष्कारों के अधीन रहते हुये जिनकी सिफारिश नियोजन समिति ने उपधारा (3) के अधीन की हो,पारित किया गया समझा जायेगा" के स्थान पर शब्द "कार्य समिति द्वारा तैयार किया गया बजट पारित किया गया समझा जायेगा" रख दिये जायेंगे ।

21–मूल अधिनियम की धारा 231 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :— धारा 231 का संशोधन

"(गग) उसने स्वहस्ताक्षरित किसी मिथ्या घोषणा के आधार पर जिसमें यह कथन किया गया हो कि वह, यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गो का सदस्य है, धारा 18–क के अधीन आरक्षण का लाभ प्राप्त किया हो;

(गगग) वह धारा 26 में निर्दिष्ट किसी अनर्हता से ग्रस्त हो ।"

22—मूल अधिनियम की धारा 264–ख में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी :– धारा 264–ख का संशोधन

"(3) उपधारा (4) में यथा उपबन्धित के सिवाय, राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा किसी जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्यों या किसी क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ज्येष्ठ उप-प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख या सदस्यों के सामान्य निर्वाचन के लिये दिनांक या दिनांकों को नियत करेगी ।

(4) राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा किसी जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या, सदस्यों या किसी क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ज्येष्ठ उप-प्रमुख, कनिष्ठ उप-प्रमुख या सदस्यों के उप निर्वाचन के लिये दिनांक या दिनांकों को नियत करेगा ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–22, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 पारित किया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अध्यादेश, 1999 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति विधेयक, 1999

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा प्रस्ताव है कि उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अध्यादेश, 1999 का अननुमोदन करता है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति विधेयक, 1999 को इस सदन में लाया गया वह जनतंत्र के विपरीत है । मान्यवर, मेरा यह मानना है कि जो जनता से चुना हुआ प्रतिनिधि काम करता है, उसमें जनता की भावनाएं रहती है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, जो विधान सभा का सदस्य होता है, वह प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से मतदाताओं के द्वारा निर्वाचित होता है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्ति बनाये रखें ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इस मामले में मेरा कोई मतभेद नहीं है । मान्यवर, ग्राम पंचायतों को, नगर पंचायतों को, नगर परिषदों को अधिकार दिये जायं । मान्यवर, जो वर्तमान स्वरूप बनाया जा रहा है ।

मान्यवर, विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करता है, अगर यह अधिकार उससे छीन लिये गये तो वह जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर पायेगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शांत रहें ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इस तरह से नगर पंचायतों के सदस्य छोटी छोटी जगहों से चुने जायेंगे । इसमें माननीय सांसद, माननीय सदस्य विधान परिषद् और माननीय विधान सभा के सदस्यों को सम्मिलित किया जायेगा; तो इसकी निश्चित रूप से सही कल्पना हो सकती है, अगर प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तो यह योजना एकांकी होगी ।

मान्यवर, इसी तरह से महानगर योजना समिति भी है । संविधान के 243 के अनुसार महानगर योजना समिति है। लेकिन आज उसको नहीं लाया गया है । यह इसलिये नहीं लाया गया है कि मुख्य मंत्री जी के तमाम विधायक इसका विरोध करते कि उनकी बात इस पर सुनी जाय । इसलिये संविधान का सहारा लेकर यह विधेयक लाया गया है । अगर सरकार इसको लाना जरूरी समझती है तो मेरा सुझाव है कि इसमें कहीं पर भी संख्या निर्धारित नहीं है । 243 य और ध के अनुसार सदस्यों की संख्या को कहीं भी निर्धारित नहीं किया गया है । यह जो विधेयक लाया गया है इसमें सदस्यों की संख्या कम से कम बीस और अधिक से अधिक 40 निर्धारित की गयी है । जबकि संविधान के अनुसार संख्या निर्धारित नहीं की गयी है । अभी कुछ देर पहले मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि 40 सदस्यों में से 8 सदस्यों को मनोनीत कर रहे हैं ।

मान्यवर, मेरा इसमें यह सुझाव है कि चूंकि सदस्य संख्या निर्धारित नहीं है इसलिये 1/5 जो सदस्य हैं उसमें सभी सदस्य विधान सभा और जिला निर्वाचक नामावली में रजिस्टर्ड विधान परिषद् के सदस्य तथा राज्य सभा व लोक सभा के सदस्यों को मिलकर जितनी संख्या होती है उसका 1/5 मान लेते और उसको 5 गुनी संख्या बढ़ाकर उसको जिला योजना समिति बना सकते थे इससे सभी विधायकों का हस्तक्षेप हो जाता और उनके विचार उसमें आ जाते । मान्यवर, आज जो स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं उनकी कहीं भी वोट देने का अधिकार नहीं है । स्थायी आमंत्रित सदस्यों को वोट देने का अधिकार नहीं है इसलिये यह भी इसमें विरोधाभाष है । एक बात स्थायी आमंत्रित सदस्यों की संख्या के बारे में बतायी गयी है । इसमें जिले का मुख्य विकास अधिकारी समिति का पदेन सचिव होगा । सी०डी०ओ० को इसमें सारे अधिकार दिये गये हैं । जैसे आपने सी०डी०ओ० को बनाया है उसी तरह से जिला मैजिस्ट्रेट को सचिव बनाया होता तो ज्यादा उचित होता । इसी तरह से जिला पंचायत के अध्यक्ष को इसमें शामिल करके उसको सदस्य बना सकते थे ।

मान्यवर, इस तरह से आज निश्चित रूप से विधायकों के सम्मान की रक्षा होती और सभी मतदाताओं के सही-सही विचार इसमें आ जाते । आप भी मानते होंगे कि रोजमर्रा के जीवन में न तो लोक सभा के सदस्य से न विधान परिषद् के सदस्य से जनता अपेक्षा करती है । उसकी अपनी आवश्कताओं की पूर्ति की अपेक्षा एक मात्र सम्मानित विधान सभा के सदस्य से होती है । जो जिला योजना समिति बनानी थी उसमें निश्चित रूप से सदस्य विधान सभा को प्रमुखता से स्थान देने का काम किया जा सकता था । जैसे लोक सभा के सदस्य और राज्य विधान सभा के सदस्य जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पूर्णतः या भागतः जिले में समाविष्ट हैं समिति की बैठकों में स्थायी रूप से आमंत्रित होंगे ।

दूसरी ओर राज्य विधान परिषद् के सदस्य जो स्थानीय स्नातक निर्वाचन क्षेत्र या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पूर्णतः या भागतः जिले में समाविष्ट हैं समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे । वह 20-30 जिलों में स्थायी आमंत्रित सदस्य हो गये । दूसरी तरफ विधान सभा का सदस्य केवल एक जनपद में होगा । जो हमारा संविधान है इसमें जिला पंचायत के सदस्य के रूप में समाविष्ट किया गया है । सदस्य विधान सभा को जिला स्तर पर किसी क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों

के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं वह पंचायत का सदस्य होगा । यह निर्धारित किया गया है जो किसी उद्देश्य से चुना गया है वह संविधान के अनुसार केवल एक जनपद में जहां निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होगा उसी जिला पंचायत का सदस्य होगा ।

मान्यवर, इसी तरह से इसमें भी सदस्य विधान परिषद् को केवल एक जनपद में जहां के निर्वाचन नामावली में उसका नाम रजिस्ट्रीकृत होता है उसको शामिल करते हैं । सदस्य विधान परिषद् और सदस्य, लोक सभा का पदेन सदस्य के रूप में शामिल कर दें । अगर आवश्यकता है तो 4/5 जिला पंचायत और नगर पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की कहीं सीमा का तार नहीं लगाया गया है । आप 5 गुना सदस्य बढ़ाकर जिला योजना समिति बना सकते हैं । वह संविधान की मूल भावना के अनुरूप होगी और समस्त मतदाताओं का सही-सही प्रतिनिधित्व होगा । विधान सभा क्षेत्र में कहीं शहर और देहात भी हैं उनमें हर जाति वर्ग के मतदाता हैं और जो जिला पंचायत और नगर पंचायत के सदस्य निर्वाचित होते हैं वह विभिन्न खण्डों के होते हैं उनमें हर जाति और वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है । इसलिए उसमें जो लोकतंत्र का असली मकसद है वह पूरा नहीं हो सकता है । इसलिए यह जो अध्यादेश है उसके अननुमोदन का संकल्प प्रस्तुत करता हूं ।

नियोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति विधेयक, 1999 पर विचार किया जाय ।

आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने पंचायती राज विधेयक रखा । जिला नियोजन समिति विधेयक, 1999 एवं पंचायती राज कोरिलेट हैं । उसमें अनेक क्रांतिकारी विचार माननीय मुख्य मंत्री जी ने रखे और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भी जब पंचायती राज विधेयक पर विचार रख रहे थे तो उससे को–रिलेटेड समिति पर विचार रखे गये । आज मैं उस विधेयक के संदर्भ में इस माननीय सदन के सामने अपने विचार रखते समय यह जो विधेयक अपने आप में आजादी के इतने वर्षों बाद जो ग्राम राज्य की कल्पना की गयी है उस ग्राम राज्य की कल्पना को साकार करने युगान्तर के तौर पर जब प्रारम्भ किया गया जो चली आ रहीं व्यवस्था है उसमें अच्छाइयां भी रही हैं, उपादेयता भी रही है और कहीं-कहीं जड़ता भी रही है । नया परिवर्तन लाना होता है तो उसमें कठिनाई और असन्तोष की परिस्थितियों का जरूर अनुभव होता है । मैं आप सबको अवगत कराना चाहूंगा कि सबसे पहले यह जो विधेयक आया है जो भी बिन्दु इस पंचायत राज विधेयक की चर्चा में संदर्भवश आया है । मैं इसको डिटेल में बता रहा हूं । 74वे संविधान संशोधन के प्राविधानों के तहत यह हमारी सरकार ने रखा है । इस जिला योजना समिति के कार्यक्षेत्र में जिला पंचायत एवं नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई विकास योजनाओं पर उनके पारस्परिक हित विशेष रूप से (जल योजना) संविधान की मूल मंशा यही है कि जो पारस्परिक हित और जल और अन्य प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी हिस्सेदारी और अवस्थापनाओं पर्यावरणीय और एकीकृत विकास पर विचार करते समय जनपद के लिए समग्र विकास योजना तैयार करने का यह विशेष रूप से कार्य क्षेत्र रहेगा । जिला योजना की संरचना पर उसमें उस-रेफरेन्स में काफी बातें आ चुकी हैं ।

मैं सारी बातों को रिपीट नहीं करना चाहता हूं । जैसे 4/5 सदस्य नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों से नीचे से चुनकर ऊपर आयेंगे और 1/5 का मनोनयन होगा । मनोनयन में सरकार भी रहेगी । यहां प्रसंगवश एक बात उठी कि प्रभारी मंत्री को क्यों रखा गया । इसका उत्तर तो मुख्य मंत्री जी ने दिया । उसमें नगरीय जिला पंचायत दोनों क्षेत्रों की समेकित योजना बनेगी उसमें माननीय सदस्यों के सम्मान का ख्याल स्वाभाविक रूप से मंत्री द्वारा किया जाएगा उसमें विधान सभा के सदस्य, विधान परिषद् के सदस्य एवं सांसदों के सम्मान का ध्यान मंत्री द्वारा किया जाएगा । जिला योजना समिति के मुख्य कृत्यों के संबंध में सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि यह स्थानीय आवश्यकताओं और उद्देश्यों का कार्य निर्धारण करेगी जिला योजना समिति संसाधनों का अधिकतम न्याय सम्मत् उपयोग और दोहन करने हेतु नीति ..

कुंवर रेवती रमण सिंह–

यह जो बात आप बता रहे हैं यह तो सबने पढ़ लिया है श्री वर्मा जी ने जो सुझाव रखा है उस पर आपकी क्या राय है उसको करने में क्या कठिनाई है अगर कर सकते हैं तो वह बता दें ।

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मैं श्री वर्मा जी के बिन्दु पर आ रहा हूं । मैंने नोट किया है । जनपद की योजनाओं में एक बिन्दु है कि निवेश के अपेक्षित प्रवाह को सुनिश्चित करना है । यह जिला योजना समिति डेवलप करने का काम करेगी यह लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट क्रिएट कर रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर संसाधन को इंवाल्व करें । गांव का विकास करें यह भी महत्वपूर्ण पक्ष है इसमें विधायक अपने प्रभाव से बेहतर असर डाल सकेंगे इसको अन्य राज्यों में नहीं किया गया है । यह उत्तर प्रदेश में ही हुआ है । विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए स्थल चयन करते हुए उसको अन्तिम रूप देना यह अब तक अन्य राज्यों में नहीं किया गया है। इसमें विधायकों के सम्मान को समाहित करते हुए किया गया है । यह बिल जो प्रस्तुत किया गया है अन्य राज्यों की तुलना में इसमें कुछ क्रांतिकारी कदम हैं । राज्य सरकार जिला योजना के लिए वित्तीय संसाधनों को जिला योजना के परिव्यय की अधिकतम सीमा के परिव्यय के अनुरूप करेगी ।

इसमें जो परिव्यय है, इसका आवंटन केन्द्र सरकार से जो धन मिलता है और राज्य सरकार के रिसोर्सेज को इवाल्व करते हुए उसके अनुसार किया जाता है । जिला योजना समिति के लिये कोई उपबन्ध लाया जा रहा है, ऐसा नहीं है । इस समिति को बनाने से पहले कई राज्यों का अध्ययन किया गया । केरल एक राज्य है, जिसकी अपनी विशेष भौगोलिक परिस्थिति है वहां पर एक ब्लाक में 10-12 गांव है, उन्होंने तो गांवों तक का बजट विधान सभा में पास करने का काम किया है ।

जिलेवार बजटरी सपोर्ट के आधार पर योजना परिव्यय देने का प्रयत्न आज तक किसी ने नहीं किया था परन्तु पहली बार एक मुश्त बजट के माध्यम से परिव्यय देने का काम पहली बार इस सरकार ने किया है । योजना के परिव्यय को पुनरीक्षित करने का अधिकार जिला स्तर पर जिलाधिकारी को दिया गया है । गणित ज्योतिष तो मेरी समझ में नहीं आता परन्तु फलित ज्योतिष मेरी समझ में आता है । परिव्यय सुनने में तो बहुत आनन्द आता था, मेरे विभाग में स्वयं लोग कहते थे कि इतना परिव्यय एलाट किया गया है, लेकिन इसका क्या फायदा जब तक बजटरी सपोर्ट न हो । परन्तु इसका प्राविधान पहली बार हमारी सरकार ने किया है ।

दूसरा है पुनर्विनियोग । इसका साकार रूप क्या है, हमारी सरकार ने पहली बार किया है, जैसे किसी जिले में किसी योजना पर 30 करोड़ रुपये दिये गये और 5 करोड़ रुपये उसमें से बच गये तो वह पांच करोड़ रुपये के लिये आदमी मुख्यालय के लिये नहीं दौड़ेगा बल्कि वहीं जिला स्तर पर जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार वहीं पर इसका पुनर्विनियोग कर देगा । यह एक क्रान्तिकारी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है । जिला योजना समिति को अन्तिम रूप देने का अधिकार है । उसे कहीं ऊपर भागना नहीं पड़ेगा । 1982 से डिस्ट्रिक्ट प्लान सिस्टम उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है, जिसका 30 परसेन्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान में देते थें और यह जो 17 वर्ष का अनुभव आया है। उससे लाभ हुआ है । मैं आलोचना नहीं करता कि कोई लाभ नहीं हुआ । 1982 से पूर्व गांव से छोटी-छोटी समस्याओं के लिये राज्य सेक्टर तक आना होता था । जहां अनेक उदाहरण ऐसे आते थे कि गांव का कोई जिम्मेदार आदमी राज्य में किसी अधिकारी से रिश्ता है तो अपने गांव में काम करवा लेता था लेकिन आज वहां के चुने हुए आदमी अपना काम नहीं करा पाते हैं ।

(मेजें थपथपाई गईं)

आज यह तो क्रांतिकारी निर्णय जो हमारी सरकार ने लिया है मैं एक वाक्य में इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे आजाद भारत के लिये महात्मा गांधी ने एक धोती और एक लंगोटी पर और भारत को आजाद कैसे कराया जाय उसकी कल्पना की थी । मान्यवर, मैं मदन मोहन मालवीय जी की संस्था का विद्यार्थी

रहा हूं उन्होंने और महात्मा गांधी जी ने काशी विद्यापीठ और काशी विश्वविद्यालय की स्थापना इस उद्देश्य से की कि भारत आजाद होने के बाद कैसा हो । भारत आजाद हुआ लेकिन उनके सपनों, उनकी कल्पनाओं को आज तक साकार रूप नहीं मिला ।

(मेंजे थपथपाई गई)

श्री अध्यक्ष–

मेज़ों की थपथपाहट और घड़ी की टिक-टिक का ध्यान रखें ।

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मैं आग्रह करना चाहूंगा माननीय सदस्यगण से और सदन के प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से कि पहली बार देश में इस संविधान संशोधन के तहत सभी अनेक सरकारों ने योजना समिति का गठन किया है उन संविधान संशोधन की परिधि में रहते हुए और सम्यक् विचारोपरान्त संविधान की मन्शा का शत-प्रतिशत अनुपालन करते हुए ग्राम योजना को, क्षेत्र पंचायत और नगरीय पंचायत, सब योजनाओं को सम्मिलित करते हुए और इस व्यवस्था से कि लोकतंत्र में विभिन्न क्षेत्रों से विधायक चुनकर आते हैं और सबको जोड़कर के इतना बेहतर विधेयक उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रस्तुत किया है अब तक इस संविधान संशोधन के आधार पर किसी राज्य सरकार ने नहीं किया है । मैं आग्रह कर रहा हूं कि उस पर विचार करने का कष्ट करें ।

(श्री लालजी वर्मा का नाम पुकारे जाने पर श्री राम औतार शाक्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आपमें से कौन प्रस्ताव रखना चाहता है ?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति विधेयक, 1999 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें । (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे) मान्यवर, माननीय मंत्री जी का भाषण मैंने सुना । जो बिन्दु मैंने उठाये कि किस तरह से विधायकों के अधिकारों का पूरी तरह से हनन किया जा रहा है । जो विकास की योजना बनी उसमें विधायकों को किस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है । आप लोग चाहे कितनी मेंजे थपथपा लें और कुछ भी कहें लेकिन 10 दिन बाद उन्हीं को इसके कारण तमाम परेशानियों को झेलना होगा । मैंने जो बिन्दु उठाया कि किस तरह से संविधान संशोधन के दायरे में रहते हुए माननीय सदस्य, विधान सभा को इसमें शामिल किया जा सकता है । इसके बारे में मैंने चर्चा की कि संविधान में कोई सदस्य संख्या निश्चित नहीं बताई गई है । न कोई सीमा निर्धारित की गई है इसमें सभी सम्मानित विधायकों को शामिल किया जा सकता था लेकिन मंत्री जी ने इसको नजरअंदाज करने का काम किया है । निश्चित रूप से जिला योजना आ रही है इसकी जल्दी नहीं है इस वर्ष की जिला योजना बन चुकी है स्वीकृत हो चुकी है यह 2000-2001 में आएगी इससे पहले जिला योजना बननी जरूरी है । इसमें विस्तृत विचार हो सके, विस्तृत चर्चा हो सके किस तरह से विधायकों और सांसदों को बनाया जा सकता है जो असली रूप में दर्द सुनने का काम करते हैं उनको शामिल किया जा सके । मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि मंत्री जी इस संशोधन के प्रस्ताव का समर्थन करें और सदन की प्रवर समिति को सौंप दें क्योंकि इसे तत्काल लागू करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि 1999-2000 का परिव्यय निर्धारित हो गया विभिन्न मण्डलाधिकारी द्वारा इसकी स्वीकृति जारी की जा चुकी है तो इसकी आवश्यकता तत्काल नहीं है इसकी आवश्यकता 2000-2001 में होगी इसलिए आप इसमें विभिन्न विचारों का समावेश करके अच्छा विधेयक लायें ।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला योजना समिति विधेयक, 1999 सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है मान्यवर, जिला योजना समिति के गठन में जो संवैधानिक व्यवस्था है जिसके तहत 4/5 सदस्य चुने हुए सदस्यों में से ही चयनित किए जायेंगे शेष 1/5 सदस्यों को नामित करने का अधिकार शासन को प्राप्त है । मान्यवर, लोकसभा, विधान सभा के सदस्य राज्य सभा के सदस्य आमंत्रित सदस्य के रूप में अब सम्मिलित हो सकेंगे । मान्यवर, विधायक, सदस्य विधान सभा जनता से सीधे निर्वाचित होकर आता है यह जनपद की विकास योजनाओं से जुड़ा ऐसा पदनाम है जनपद की किसी भी विकास योजना से सीधा रिश्ता उसका रहता है, जनता से सीधा रिश्ता रहता है । इन्होंने विधायक को आमंत्रित सदस्य के रूप में रखने का काम किया है । इससे बड़ी विसंगति और क्या होगी । क्षेत्रीय विधायक प्रभावी ढंग से नियोजन समिति में अपनी बात नहीं रख सकेगा और न ही नियोजन समिति उसके सुझाव मानने को बाध्य होगी । इससे विधायक की उपादेयता सीमित हो जाएगी ।

मान्यवर, संविधान में है कि 4/5 सदस्य चुने होने चाहिए, यह व्यवस्था बना दी गई है, इसमें प्रदेश सरकार परिवर्तन नहीं कर सकती है । 1/5 शेष सदस्यों के लिए संख्या निर्धारित करने का विधान सभा को अधिकार है । श्रीमन् जो संख्या रखी है उसको विधायकों के अनुपात में बढ़ाया जा सकता है, किसी जनपद में चार-पांच विधायक हैं अगर वहां पांच गुना संख्या कर दी जाए तो कठिनाई नहीं है लेकिन जो बड़े जनपद हैं जहां से 11 सदस्य विधान सभा के हैं वहां जिला योजना के सदस्यों की संख्या–50-55 हो जाएगी । विधायकों को विधायिका का अनुभव हो रहा है जिला योजना में सहभागिता समाप्त हो रही है, अगर संशोधन कर लें तो कठिनाई नहीं है । इलाहाबाद में 50-55 की संख्या होगी अधिकांश सदस्यों को नियोजन समिति का सदस्य बनाया जाए अब संख्या में बहुत वृद्धि होने वाली नहीं है ।

मान्यवर, उसी अनुपात में जहां विधायकों की संख्या जितनी है उससे पांच गुना संख्या कर ली जाय तो यह कठिनाई नहीं होगी । जो पदाधिकारी हैं उनको विशेष आमंत्रिती के रूप में रखा जा सकता है तो इस स्थिति में विवाद उत्पन्न होने वाला नहीं है । एक संशोधन और कर लिया जाय । मान्यवर, हम सब 425 माननीय सदस्य इसमें अपनी सहभागिता करना चाहते हैं और अपना योगदान देना चाहते हैं । अगर हमारी भी सहभागिता होगी, जनपद के विकास में अपेक्षापूर्ण व्यवहार होगा तो हम जनता की उपेक्षापूर्ण व्यवहार से बच सकेंगे ।

मैं समझता हूं कि सरकार इसको दृष्टिगत रखते हुए आंशिक संशोधन करने का काम करेगी । इसी के साथ मान्यवर, मैं धारा–16 की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । इसमें यह कहा गया है कि समिति इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए उप समितियों का गठन कर सकेगी ।'' मान्यवर, इसमें जिला पंचायतों को और योजना समिति को छोड़ दिया गया है । इसमें गंभीरतापूर्वक विचार करें और स्थायी उप समिति का गठन कर दिया जाय ताकि वह इसका चिन्तन कर सके और जो विसंगतियां हैं उसको दूर कर सके । अगर स्थायी रूप से यह उप समिति कार्य करेगी तो इस पर अंकुश भी लगेगा । मान्यवर, मेरा तीसरा सुझाव यह है कि इस जिला योजना समिति को तैयार करने में, जो प्रारूप है, उसमें प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं होंगे तो मेरा सुझाव है कि इसमें प्रशिक्षित व्यक्तियों को रखा जाय । ताकि वह विस्तृत जनपद के विकास के लिए उसी रूप में कार्य कर सके । इन सारी बातों के साथ मैं लालजी वर्मा जी द्वारा रखे गये संशोधन के प्रस्ताव पर बल देता हूं । कोई जल्दीबाजी नहीं है । जहां यह तीन सालों में नहीं आया तो तीन महीने और रुक जायें । इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें ताकि इस पर सम्यक् रूप से विचार हो सके और यह संशोधित रूप में हमारे सामने आये और इसे हम पास कर सकें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आज इस प्रस्ताव को रखने वाले माननीय नियोजन मंत्री जी काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं । मुझे आश्चर्य हुआ कि इन्होंने बार-बार गांधी जी का नाम लिया । गांधी जी के विचार उनकी लाठी और लंगोटी थे । लेकिन उनकी लंगोटी बंधी हुई थी इनके सरकार की लगोंटी ढीली है । आज जो यह प्रस्ताव रख रहे हैं उसकी हालत बहुत जर्जर है । इसलिए इन्होंने जो गांधी जी का नाम लिया है वह उचित नहीं है । इसी के साथ मैं माननीय लालजी वर्मा द्वारा रखे गये संशोधन के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति विधेयक, 1999 में धारा 20 में और इसके बाद धारा 4 के क्लास क में राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक मंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा, मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी भी स्थिति होती है जब विधान सभा भंग होती है और राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो कोई मंत्री नहीं होता है तो कोई स्थायी व्यवस्था इसमें नहीं है कि कौन अध्यक्ष होगा उसमें । अनुपस्थिति में तो व्यवस्था है । इसी तरह से क्लास ग में ऐसी नगरपालिका जो जिले के मुख्यालय पर स्थित हों यथास्थिति नगर प्रमुख या अध्यक्ष–उस नगरपालिका को स्थान दिया गया है जो जिला मुख्यालय पर स्थित हों मान लीजिए कहीं दो नगरपालिकायें हैं तो जिला मुख्यालय की नगरपालिका के अध्यक्ष को सभापति का स्थान दिया गया है अन्य दो नगरपालिकायें प्रतिनिधित्व से वंचित रह जायेगी तो रोटेशन के आधार पर इन नगरपालिका का भी प्रतिनिधित्व हो जांये । क्लास (ड) में ऐसे अन्य सदस्य जिन्हें इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि इस उपधारा के अधीन सदस्यों की संख्या, समिति के कुल सदस्यों के एक बटापांच भाग से अधिक न होगी, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाय । ऐसे कौन से सदस्य होंगे उसका क्या मानक है किस वर्ग से होंगे इसमें तानाशाही के आधार पर सरकार रख देगी ।

मुझे खुशी है कि पंचायत अधिनियम पेश करते समय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जो सदियों से पीड़ित रहे पिछड़े रहे हैं उनको अधिकार देने का काम हमने किया है । उस वाक्य से मुझे काफी तसल्ली हुई है पहली मर्तवा उनका ध्यान शोषितों दलितों की तरफ गया है । इस क्लास में भी इस तरह की व्यवस्था हो जाय तो उनको भी न्याय मिल सके । धारा 9 ग में आपने शब्द जोड़ा है ग्राम ब्लाक और जिला स्तर पर सारी सुविधाओं को सूचीबद्ध करेंगे और उनका मानचित्रण करना । ग्राम सभा को इसमें डिफाइन नहीं किया है ब्लाक शब्द क्षेत्र समिति हो गया है तो इस ब्लाक शब्द को क्षेत्र समिति अधिनियम के अन्तर्गत जो शब्द उसको बढ़ा दें ग्राम शब्द को भी उसमें डिफाइन कर दें । इसके साथ ही माननीय लालजी वर्मा जी ने जो संशोधन रखा है और माननीय अशोक बाजपेयी जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय वह अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, इस सदन के तमाम माननीय सदस्यों ने इस पर अपनी बात रखी, मैं आप सभी लोगों का आभारी हूं । मैं आप के माध्यम से सरकार से और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सम्मानित विधायकों को इसमें जिस रूप में शामिल होना चाहिए था उसको शमिल करने का कार्य नहीं किया गया । मैंने उसमें सुझाव दिया और अशोक बाजपैयी जी ने भी उसी राय को प्रकट किया कि इस तरह से विधायकों को शामिल करके समिति बनेगी तो इलाहाबाद की 55 की समिति होगी और बाकी 40 के अन्दर समिति रह जायेंगी अगर सभी सम्मानित विधायकों को शामिल करने का काम किया जाय अगर बहुत होगा तो 60 से ज्यादा किसी जनपद का नहीं होगा और इसी संख्या में प्रत्येक विधायक को शामिल कर लिया जायेगा । इसलिए यह अनुरोध है कि यह जो संशोधन है इसकी

तात्कालिक आवश्यकता नहीं है यह जरूरत है जिला नियोजन 2000 और 2001 की । माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी तो जब सरकार को अपना कार्यकाल पूरा ही करना है तो जब लोकसभा चुनाव के बाद हम बैठेंगे तो इसको पास कर लेंगे इसलिए इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ताकि सम्यक् विचार करने के बाद जो जिला योजना बने, उसको पास कर सकें ।

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, जहां तक माननीय वर्मा जी ने और माननीय बाजपेयी जी ने और सदस्यों ने संख्या की बात रखी है मान्यवर, जिला योजना समिति 1999 है इसमें वोटिंग का प्राविधान नहीं है इस नाते कोई ऐसी विसंगति की बात नहीं है कोई ऐसी बात आये तो उसमें सीमित संख्या विधान सभा सदस्यों की और 4/5 निर्वाचित सदस्यों की है । इसमें लोग बढ़ जायेंगे तो यह सम्मेलन हो जायेगा । जहां तक शाक्य जी ने 2-3 बिन्दु रखे हैं कि मंत्री की अनुपस्थिति में क्या व्यवस्था की गयी है तो मान्यवर, प्रभारी मंत्री की अनुपस्थिति में वहां उपस्थित सदस्यों के बीच में उस दिन के लिए अध्यक्ष का चयन कर लेंगे वहां माननीय सांसद रहेंगे, माननीय विधायक रहेंगे, विधान परिषद् के सदस्य रहेंगे वहां कोई अध्यक्षता कर लेगा । जो नगरपालिकाओं की बात आई, जो 4/5 में प्रतिनिधित्व होगा उसमें आलरेडी चयन करने में नगरीय क्षेत्र के प्रतिनिधि भी आ रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र के भी आ रहे हैं तो उनका पार्टीसिपेट हो जायेगा और 1/5 में जिला मुख्यालय की नगरपालिका को मानक बनाया गया है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मैंने स्थाई उपसमितियों के बारे में पूंछा था ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, आप सभी माननीय सदस्यों के बहुत ही मूल्यवान विचार इस विधेयक पर मिले । इस तरह से आप सभी माननीय सदस्यों के मूल्यवान विचार इस विधेयक पर मिले । अम्बिका जी ने महात्मा गांधी की लंगोटी की चर्चा की, हम लोग तो महात्मा गांधी जी को श्रद्धा से प्रातः स्मरण करते हैं, लेकिन बलिया जनपद की लंगोटी की अपनी एक विशेषता है, मै उसके बारे में नहीं जाना चाहता । इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में बीसवीं शताब्दी के समापन और इक्कीसवीं सदी के संधिकाल में एक आह्वान और क्रान्तिकारी निर्णय हमारी सरकार ने किया है, इस जिला प्लान कमेटी के इस नये सिस्टम के माध्यम से । अभी आप सबको थोड़ा सा कहीं न कहीं हिचक पैदा कर रही होगी लेकिन कल आपकी हिचक दूर जरूर होगी और तब आप दोहरी भूमिका में होंगे ।

एक मार्गदर्शक की भूमिका और दूसरी निर्णय की भूमिका में और छोटे स्थानीय कामों के लिये, अपने छोटे भाई जो 9 लाख जनप्रतिनिधि निर्वाचित हैं, उनको गाइड करने की भूमिका में भी होंगे । ऐसा क्रान्तिकारी समाज बनायेंगे, जिससे वास्तव में गांव का विकास सुनिश्चित हो । जैसे बलरामपुर गोण्डा में नदी नाले की समस्या है, तो जिला योजना समिति उसका विजिट करायेगी । इस तरह एक क्रान्तिकारी निर्णय लिया गया है, मैं अनुरोध करना चाहूंगा, माननीय लालजी वर्मा से, वह हमारे दोस्त भी हैं, हम हमेशा इनका लिहाज करते हैं, यह हमारा लिहाज करते हैं, उनके मूल्यवान सुझाव पहले से ही इसमें समाहित किये गये हैं, अतः इनका जो प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव है, उसको वापस ले लें और विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने में सहयोग दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, संकल्प/संशोधन प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरे सुझावों को नजरअन्दाज किया गया है, ऐसी स्थिति में सभी सम्मानित विधायकों के अधिकारों का हनन हो रहा है, अतः मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अध्यादेश, 1999 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति विधेयक, 1999 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति विधेयक, 1999 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–23 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति विधेयक, 1999

जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गयी योजनाओं का समेकन करने और सम्पूर्ण जिले के लिये विकास योजना का प्रारुप तैयार करने के लिये जिला स्तर पर, जिला योजना समिति का गठन करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 कहा जायगा ।

(2) यह 19 मई, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

परिभाषायें

2–इस अधिनियम में,:–

(क) "विधान सभा की निर्वाचक नामावली" का तात्पर्य राज्य विधान सभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र की ऐसी निर्वाचक नामावली से है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के उपबन्धों के अनुसार और उसके अधीन तैयार की गई हो ;

(ख) "समिति" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित जिला योजना समिति से है;

(ग) "जिला स्तर के अधिकारी" का तात्पर्य जिले के ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें;

(घ) "क्षेत्र पंचायत" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 5 के अधीन स्थापित क्षेत्र पंचायत से है;

(ङ) "मंत्री" का तात्पर्य, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रि-परिषद् के सदस्य से है और इसके अन्तर्गत राज्य मंत्री और उप मंत्री भी सम्मिलित है;

(च) ''नगर पालिका'' का तात्पर्य, यथास्थिति, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के अधीन गठित किसी नगर निगम, किसी नगरपालिका परिषद् या किसी नगर पंचायत से है;

(छ) ''जनसंख्या'' का तात्पर्य ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गयी जनसंख्या से है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गये हों;

(ज) ''ग्रामीण क्षेत्र'' का तात्पर्य, नगरीय क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र से है;

(झ) ''नगरीय क्षेत्र'' का तात्पर्य, यथास्थिति, किसी नगर निगम, नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र से है;

(ञ) ''जिला पंचायत'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित किसी जिला पंचायत से है ।

जिला योजना समिति का गठन

3—(1) प्रत्येक जिले में, एक जिला योजना समिति का, जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गयी योजनाओं का समेकन करने और सम्पूर्ण जिले के लिये विकास योजना का प्रारुप तैयार करने के लिये, गठन किया जायेगा ।

(2) समिति विकास योजना प्रारुप तैयार करने में,–

(क) निम्नलिखित का ध्यान रखेगी :—

(एक) पंचायतों और नगरपालिकाओं के सामान्य हित के विषय, जिनके अन्तर्गत स्थानिक योजना, जल और अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा बटाना, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण है;

(दो) उपलब्ध वित्तीय या अन्य संसाधनों की मात्रा और प्रकार;

(ख) ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें ।

जिला योजना समिति की संरचना

4—(1) प्रत्येक समिति के सदस्यों की संख्या उतनी होगी जितनी विहित की जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि सदस्यों की संख्या बीस से कम और चालीस से अधिक नहीं होगी ।

(2) समिति के सदस्यों की कुल संख्या के चार बटा पांच सदस्य जिला पंचायत और जिले में नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से जिले में ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार विहित रीति से निर्वाचित किये जायेंगे ।

(3) जहां जिले के नगरीय क्षेत्र में एक से अधिक नगरपालिका समाविष्ट हों, वहां ऐसी नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से समिति

उत्तर प्रदेश गजट

के सदस्यों की संख्या को ऐसी नगरपालिकाओं में ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाये, वितरित किया जायेगा ।

(4) समिति के शेष एक बटा पांच सदस्य निम्नलिखित होंगे :—

(क) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक मंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा ;

(ख) अध्यक्ष, जिला पंचायत;

(ग) ऐसी नगरपालिका का, जो जिले के मुख्यालय पर स्थित हो, यथास्थिति नगर प्रमुख या अध्यक्ष;

(घ) जिला मजिस्ट्रेट पदेन;

(ङ) ऐसे अन्य सदस्य जिन्हें, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि इस उपधारा के अधीन सदस्यों की संख्या, समिति के कुल सदस्यों के एक बटा पांच भाग से अधिक न होगी, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाय ।

(5) उपधारा (4) के खण्ड (ङ) के अधीन नाम-निर्दिष्ट सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा ।

(6) समिति का कोई सदस्य, समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने के लिये अपनी ओर से अपने प्रतिनिधि के रुप में किसी व्यक्ति को नाम-निर्दिष्ट नहीं करेगा ।

(7) यदि समिति का कोई निर्वाचित सदस्य यथास्थित नगरपालिका या जिला पंचायत का सदस्य नहीं रह जाता है, तो वह समिति का सदस्य नहीं रहेगा ।

(8) यदि समिति के किसी निर्वाचित सदस्य का पद उसकी मृत्यु, त्याग-पत्र या अन्य कारण से रिक्त होता है तो रिक्ति को उपधारा (2) के अधीन उपबंधित रीति से उसके शेष पदावधि के लिये भरा जायगा ।

रिक्तियां इत्यादि समिति की कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं करेंगी

5– समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल किसी रिक्ति के विद्यमान होने या समिति के गठन में त्रुटि के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी ।

समिति के स्थायी आमंत्रित

6—(1) लोक सभा के सदस्य और राज्य की विधान सभा के सदस्य जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पूर्णतः या भागतः जिले में समाविष्ट हैं, समिति की बैठकों के लिये स्थायी आमंत्रित होंगे ।

(2) राज्य की विधान परिषद् के सदस्य जो ऐसे स्नातक या शिक्षक या स्थानीय निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पूर्णतः या भागतः जिले में समाविष्ट हैं, समिति की बैठकों के लिये स्थायी आमंत्रित होंगे ।

(3) राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित या राज्यपाल द्वारा नाम-निर्दिष्ट राज्य की विधान परिषद् के सदस्य भी अपने विकल्प के जिले की समिति की बैठकों के लिये स्थायी आमंत्रित होंगे ।

(4) राज्य सभा के सदस्य भी जो राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने विकल्प के जिले की समिति की बैठकों के लिये स्थायी आमंत्रित होंगे ।

(5) कोई भी स्थायी आमंत्रित, समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने के लिये अपनी ओर से अपने प्रतिनिधि के रुप में किसी व्यक्ति को नाम-निर्दिष्ट नहीं करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां ऐसे किसी स्थायी आमंत्रित से, जो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्रि-परिषद् का सदस्य न हो, दो या अधिक जिलों में एक ही दिन ऐसी बैठक में उपस्थित होने की अपेक्षा की गयी हो, वहां वह उस जिले को; जिसमें वह ऐसी बैठक में उपस्थित होने की स्थिति में नहीं है, समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिये अपने प्रतिनिधि के रुप में किसी व्यक्ति को नाम-निर्दिष्ट कर सकेगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जहां ऐसे किसी स्थायी आमंत्रित से, जो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्रि-परिषद् का सदस्य हो, ऐसी बैठक में उपस्थित होने की अपेक्षा की गयी हो और वह ऐसी बैठक में उपस्थित होने की स्थिति में न हो, वहां वह समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिये अपने प्रतिनिधि के रुप में किसी व्यक्ति को नाम-निर्दिष्ट कर सकेगा ।

समिति का सचिव

7—(1) जिले का मुख्य विकास अधिकारी समिति का पदेन सचिव होगा और वह समिति के अभिलेखों का अनुरक्षण करने, समिति की बैठकों का कार्यवृत्त तैयार करने और विनिश्चयों और अन्य आनुषंगिक या प्रासंगिक विषयों की संसूचना देने के लिये उत्तरदायी होगा और समिति को ऐसी सहायता उपलब्ध करायेगा जो उसके कृत्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक हो ।

स्पष्टीकरण :– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये पद "मुख्य विकास अधिकारी" के अन्तर्गत मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी सम्मिलित है ।

(2) जिले का अर्थ एवं संख्या अधिकारी समिति का ऐसी रीति से, जैसी समिति द्वारा निदेशित की जाय, समिति की सहायता करने के लिये पदेन संयुक्त सचिव होगा ।

समिति के सदस्यों का निर्वाचन

8–राज्य निर्वाचन आयोग को, ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिये निर्वाचक नामावली तैयार कराने का, और उस निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का अधिकार होगा ।

समिति के कृत्य

9–समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् :–

(क) राष्ट्रीय और राज्य योजना के उद्देश्यों के ढांचे के भीतर स्थानीय आवश्यकताओं और उद्देश्यों का अभिज्ञान करना ;

(ख) विकेन्द्रीकृत योजना के लिये और जिला और ब्लाक संसाधन की पार्शिवका तैयार करने के लिये आंकड़े का ठोस आधार तैयार करने हेतु जिले की प्राकृतिक और मानव संसाधन से संबंधित सूचना को एकत्र, संकलित और अद्यतन करना ;

(ग) ग्राम, ब्लाक और जिला स्तर पर सुविधाओं को सूचीबद्ध करना और उनका मानचित्रण करना ;

(घ) उपलब्ध प्राकृतिक और मानव संसाधनों के अधिकतम और न्यायसम्मत उपयोग और समुपयोजन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के विकास के लिये नीतियों, कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं को अवधारित करना ;

(ङ) ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिये तैयार की गयी पंचवर्षीय या वार्षिक विकास योजना के प्रारूप को, समग्र योजना के उद्देश्यों और रणनीतियों को दृष्टिगत रखते हुए, उपान्तरित या संशोधित और समेकित करना ;

(च) राज्य सरकार को विकास योजना ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, प्रस्तुत करना ;

(छ) जिला के लिये रोजगार योजना तैयार करना ;

(ज) जिला योजना के वित्त पोषण के लिये वित्तीय संसाधनों का प्राक्कलन तैयार करना ;

(झ) जिला विकास योजना की समग्र रूपरेखा के भीतर सेक्टर और सब-सेक्टर के परिव्ययों का आवंटन करना ;

(ञ) जिले में विकेन्द्रीकृत योजना की रूपरेखा के अधीन कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों, जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय सेक्टर और केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं और संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों और विधान सभा-निर्वाचन क्षेत्रों की स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजनाएं भी हैं, के अधीन प्रगति का अनुश्रवण, मूल्यांकन और समीक्षा करना ;

(ट) जिला योजना में सम्मिलित की गयी योजनाओं के संबंध में राज्य सरकार को नियमित प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ;

(ठ) ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों का अभिज्ञान करना जिनके लिये संस्थागत वित्त की आवश्यकता हो और योजना के साथ पश्चगामी और अग्रवर्ती संयोजन का समुचित उपाय करना और ऐसे निवेश के अपेक्षित प्रवाह को सुनिश्चित करना ;

(ड) समग्र विकास प्रक्रिया में स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग सुनिश्चित करना ;

(ढ) राज्य सरकार को, ऐसी राज्य क्षेत्रीय योजनाओं के संबंध में जिनका जिले के विकास की प्रक्रिया से महत्वपूर्ण संबंध हो, सुझाव और संस्तुतियां देना ;

(ण) विभिन्न कार्यों और योजनाओं के लिये स्थल चयन को अंतिम रूप देना ;

(त) कोई अन्य कृत्य जो राज्य सरकार द्वारा सौंपे जायं ।

जिला योजना का कार्य क्षेत्र

10–(1) जिला योजना के अन्तर्गत ऐसे विषय समाविष्ट होंगे, जो यथास्थिति, ग्रामीण क्षेत्रों के लिये संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 और नगरीय क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में प्रगणित किये गये हों।

(2) जिला योजना के अन्तर्गत ऐसे मामले भी आ सकेंगे, जिन्हें समिति द्वारा आवश्यक समझा जाय या राज्य सरकार, आदेश द्वारा, निर्देशित करे।

जिला योजना की अधिकतम सीमा

11–(1) राज्य सरकार, जिला योजना के वित्त पोषण के लिए वित्तीय संसाधनों का पता लगायेगी और उनका प्राक्कलन करेगी और तद्नुसार जिला योजना परिव्यय की अधिकतम सीमा का विनिश्चय करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियत की गई जिला योजना परिव्यय की अधिकतम सीमा राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय पुनरीक्षित या परिवर्तित की जा सकेगी।

जिला योजना का अंतिम रूप दिया जाना

12–समिति, जिले के लिए विकास योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप देगी ;

जिलों को धन का आवंटन

13–(1) जिला योजना को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार जिला योजना परिव्यय की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुये, अपने वार्षिक वित्तीय विवरण में जिलेवार धन के लिये उपबन्ध कर सकेगी और उसके सम्यक् विनियोग के पश्चात् एकमुश्त धनराशि जिलों को आवंटित करेगी।

(2) राज्य सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुये, जिला मजिस्ट्रेट को धारा–12 के अधीन अन्तिम रूप से स्वीकृत जिला योजना के लिये वित्तीय मंजूरी देने की शक्ति होगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जिला योजना परिव्यय की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुये समिति, योजनाओं और कार्यक्रमों के परिव्यय को परिवर्तित, पुनरीक्षित या उपान्तरित कर सकेगी और जिला मजिस्ट्रेट धन का पुनः आवंटन विहित रीति से कर सकेगा।

उत्तर प्रदेश राजपत्र

विवाद का समाधान

14–यदि समिति के कृत्य, उसकी शक्ति या अधिकारिता के संबंध में या किसी अन्य मामले के संबंध में कोई विवाद या प्रश्न उत्पन्न होता हो, तो विवाद या प्रश्न को राज्य योजना आयोग को निर्दिष्ट किया जायगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

समिति की बैठक

15–(1) समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार जिला मुख्यालय पर ऐसे दिनांक को और ऐसे समय पर आयोजित की जायेगी जो अध्यक्ष द्वारा नियत किये जायं ।

(2) समिति अपनी बैठक में उपस्थित होने के लिये विशेषज्ञों को, ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जो विहित किये जायं, आमंत्रित कर सकेगी ।

(3) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, समिति का ऐसा सदस्य जिसे बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों द्वारा चुना जाय, समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

उप समितियां

16–समिति इस अधिनियम के अधीन अपने किन्हीं कृत्यों के निर्वहन के लिये उप समितियों का गठन कर सकेगी ।

समिति को कृत्य समनुदेशित करने की राज्य सरकार की शक्ति

17–राज्य सरकार, आदेश द्वारा, जिला योजना, समन्वय और अनुश्रवण से संबंधित ऐसे कृत्य जिनसे राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलाप आच्छादित होते हों और जो आवश्यक समझे जायं, समिति को समनुदेशित कर सकेगी ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण

18–इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी ।

नियम बनाने की शक्ति

19–राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी ।

समिति अपनी प्रक्रिया को विनियमित करेगी

20–राज्य सरकार द्वारा बनाये गये किसी नियम के अध्यधीन रहते हुए, समिति अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करेगी ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

21–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, कर सकती है जो कठिनाइयों को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में प्रवृत्त होते हैं।

अध्यारोही प्रभाव

22–तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध समिति के गठन और उसके सदस्यों के निर्वाचन, योजना की संरचना और उससे आनुषंगिक या पारिणामिक अन्य मामलों को सम्मिलित करते हुए सभी मामलों में लागू होंगे।

निरसन और अपवाद

23–(1) उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अध्यादेश, 1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 1999

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–23 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति विधेयक, 1999 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति विधेयक, 1999 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1999

आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1999, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय। श्रीमन् इसमें 2 प्रतिशत की जगह 5 प्रतिशत आरक्षण कर दिया गया है, यह बहुत क्रांतिकारी कदम है। मैं आशा करता हूं कि इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

कोई माननीय सदस्य इस पर विचार रखना चाहते हैं।

(किसी सदस्य द्वारा विचार न रखे जाने पर)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रुप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1999, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रुप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1999

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रुप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रुप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1999 कहा जायेगा।

(2) यह 21 मई, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन्, 1993 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रुप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(घ–1) 'समूह क के पद' या 'समूह ख के पद' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस रूप में विनिर्दिष्ट पद से है ;"

धारा 3 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (1) में खण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

"(एक) लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों का दो प्रतिशत स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए ;

(एक–क) समूह 'क' के पदों या समूह 'ख' के पदों से भिन्न लोक सेवाओं और पदों में 21 मई, 1999 को और से रिक्तियों का दो प्रतिशत और ऐसे दिनांक को और से जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1999 गजट में प्रकाशित किया जाय, रिक्तियों का पांच प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों के लिए ;"

धारा 5 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

"(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1997 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जिनमें 1997 के उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले इस अधिनियम के ऐसे उपबन्धों के अनुसार, जैसे वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे ।

(1–क) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1999 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जिनमें 1999 के उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले इस अधिनियम के ऐसे उपबन्धों के अनुसार, जैसे वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे ।

स्पष्टीकरण :–उपधारा (1) और (1-क) के प्रयोजनों के लिए वहां चयन प्रक्रिया आरम्भ की गयी समझी जायगी, जहां सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन की जाने वाली भर्ती,–

(एक) केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर की जानी हो और वहां यथास्थिति लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रारम्भ हो गया हो ; या

(दो) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, दोनों के आधार पर की जानी हो और वहां लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो गयी हो ।"

निरसन और अपवाद

5–(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 1999

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–5 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1999, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1999, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य राम औतार शाक्य उपस्थित नहीं हैं ।

माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, पहले चयन में बहुत भ्रष्टाचार था, उसको रोकने का प्रयास किया गया है । इसी कारण यह विधेयक लाया गया है । इसके द्वारा चयन बोर्ड के सदस्यों की संख्या को कम किया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राम औतार शाक्य उपस्थित नहीं हैं ।

माननीय मंत्री आपको कुछ और तो नहीं कहना है ? प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–5 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1999 कहा जायेगा ।

(2) यह 20 मई, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1982 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है,

धारा 2 में–

(क) खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :–

"(छ) 'सदस्य' का तात्पर्य बोर्ड के किसी सदस्य से है और इसके अन्तर्गत बोर्ड का अध्यक्ष भी है,"

(ख) खण्ड (ट-1) निकाल दिया जायगा ।

धारा 4 का प्रतिस्थापन

3–मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :–

"बोर्ड की संरचना 4(1) बोर्ड में एक अध्यक्ष और सात सदस्य होंगे जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे ।

(2) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह,—

(क) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति न हो या न रहा हो, या

(ख) राज्य सरकार की राय में, प्रशासनिक सेवा का ऐसा उत्कृष्ट अधिकारी, जो राज्य सरकार के सचिव या शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश से निम्न पंक्ति का न हो, या न रहा हो ।

(3) सदस्यों में से–

(क) एक ऐसा व्यक्ति होगा जो राज्य सरकार की राय में, राज्य शिक्षा सेवा का ऐसा उत्कृष्ट अधिकारी हो या रहा हो जो अपर निदेशक से निम्न पंक्ति का न हो,

(ख) अन्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो–

(एक) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में आचार्य के रूप में या ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त या उससे सम्बद्ध किसी महाविद्यालय में उपाचार्य के रूप में दस वर्ष से अनिम्न की अवधि के लिए कार्य किया हो, या

(दो) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन मान्यता प्राप्त किसी संस्था के प्राचार्य के रूप में, दस वर्ष से अनिम्न अवधि के लिए कार्य किया हो, या

(तीन) राज्य सरकार की राय में, ऐसा विख्यात शिक्षाविद् हो जिसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान किया हो ।

(4) इस धारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति उस दिनांक से प्रभावी होगी जिस दिनांक को उसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय ।"

उपाध्यक्ष पद पर नहीं रहेगा

4–किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व मूल अधिनियम की धारा 3 में निर्दिष्ट बोर्ड के उपाध्यक्ष का पद धारण करने वाला व्यक्ति, ऐसे प्रारम्भ पर ऐसे पद पर नहीं रह जायगा ।

निरसन और अपवाद

5–(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10; सन् 1999

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–5, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा० नैपाल सिंह (माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा मंत्री)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999, पारित किया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999, पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 1999

पर्यटन राज्य मंत्री (श्री दलवीर सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू- राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार किया जाये ।

मान्यवर, यह एक छोटा सा विधेयक है । जो कमरे का रेंट लिया जाता था, उसके साथ पेय पदार्थों को भी शामिल कर लिया जाता था, इससे दिक्कत आती थी। इस विधेयक से इसको मुक्त किया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य संशोधन रखना चाहते हैं ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें । माननीय मंत्री जी इस पर पुर्नर्विचार कर लें तो अच्छा रहेगा ।

श्री दलवीर सिंह––

इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे इसको वापस लिया जाये । बहुत ही छोटा सा संशोधन है, दिक्कत आ रही थी, इस कारण यह लाया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुन्ना चौहान जी, क्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री मुन्ना चौहान –

मान्यवर, मैं इस पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये, जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 1999

उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि अधिनियम, 1975 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू- राजस्व विधि (संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1975 की धारा 3 का प्रतिस्थापन

2—उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू- राजस्व विधि अधिनियम, 1975 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"3–इस अध्याय में, जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :–

परिभाषायें

(क) "अमरीकी पद्धति" का तात्पर्य ऐसी टैरिफ योजना से है जिसमें कमरे के किराये में सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि के भोजन का प्रभार सम्मिलित है और जिसमें शाम की चाय का प्रभार भी सम्मिलित हो सकता है ;

(ख) "यूरोपियन पद्धति" का तात्पर्य ऐसी टैरिफ योजना से है जिसमें कमरे के किराये में सुबह का नाश्ता का प्रभार भी सम्मिलित है ;

(ग) "होटल" के अन्तर्गत ऐसी आवासीय इकाई है जिसमें ग्राहकों को किराये पर कमरे दिये जाते हैं किन्तु इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग को पेइंग गैस्ट योजना के अधीन अनुमोदित इकाइयां सम्मिलित नहीं हैं ;

(घ) "सुख-साधन" का तात्पर्य ऐसी सुख-सुविधाओं से है जो किसी होटल में ऐसे कमरों या कमरों की कोष्ठावलि के जिनका किराया एक हजार रुपया प्रतिदिन अथवा उससे अधिक हो, अधिभोगियों के लिए व्यवस्थित की जाय ;

(ङ) "सुख-साधन कर" या "कर" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन उद्गृहीत कर से है ;

(च) "उपान्तरित अमरीकी पद्धति" का तात्पर्य ऐसी टैरिफ योजना से है जिसमें कमरे के किराये में सुबह का नाश्ता और दोपहर के भोजन या रात्रि के भोजन में से किसी एक का प्रभार भी सम्मिलित है ;

(छ) "स्वामी" का तात्पर्य होटल के स्वामी से है और उसमें ऐसे व्यक्ति भी सम्मिलित हैं जो होटल के प्रबन्ध का तत्समय प्रभारी हो ;

(ज) "किराया" का तात्पर्य किसी होटल के कमरे या कमरों की कोष्ठावलि के अधिभोगों से वास्तविक रूप में प्राप्त किये गये समस्त प्रभार, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, से है और इसके अन्तर्गत वातानुकूलन, कूलर, हीटर, गीजर, टेलीविजन, रेडियो, संगीत, मनोरंजन, अतिरिक्त शैय्या या लिनेन से निर्मित वस्तुयें भी सम्मिलित हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत भोजन या पेय या ऐसी अन्य वस्तुओं के प्रभार, जिनकी बिक्री पर उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 के अधीन व्यापार कर देय है, सम्मिलित नहीं है ।

स्पष्टीकरण– । किसी कमरे या कमरों की कोष्ठावलि में ठहरने वाले व्यक्तियों की संख्या का विचार किये बिना कमरे या कमरों की कोष्ठावलि को एक इकाई के रूप में मानकर कर का उद्ग्रहण किया जायेगा । जहां कहीं स्वामी द्वारा विभिन्न टैरिफ योजनाओं, जैसे यूरोपीय, अमरीकी या उपान्तरित अमरीकी पद्धति के अधीन प्रभारों की एक सम्मिलित दर, जिसके अन्तर्गत आवास, भोजन और पेय तथा इसी प्रकार की अन्य मदों के प्रभार भी सम्मिलित हैं, नियत की गयी हो, वहां इस अध्यादेश के अधीन कर का उद्ग्रहण ऐसे प्रभार के उस भाग पर जिस पर उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अधीन व्यापार कर उद्ग्रहणीय है, नहीं किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण–2 जहां कहीं स्वामी द्वारा प्रभार की उद्ग्रहण वसूली दैनिक दर से भिन्न दर के आधार पर की जाय, वहां कर का निर्धारण करने या कमरों की कोष्ठावलि के उपयोग की कुल अवधि के आधार पर संगणित औसत दैनिक प्रभार पर किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण–3 जहां कहीं स्वामी किसी प्रकार की छूट प्रदान करता हो और प्रभारों की वसूली कमरे या कमरों की कोष्ठावलि के लिए टैरिफ की प्रकाशित या घोषित दर से भिन्न दर पर करता हो, वहां कर का उद्ग्रहण स्वामी द्वारा प्रकाशित या घोषित प्रभारों पर न करके वास्तविक रूप से वसूल किये गये प्रभारों पर किया जायेगा ।''

धारा 4 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 4 में,–

(क) उपधारा (1) में प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जायेगा,

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

''(2) सुख-साधन कर की संगणना करने में एक रुपये के ऐसे भाग को, जो पचास पैसे या उससे अधिक हो, एक रुपया मान लिया जायेगा और जो पचास पैसे से कम हो उसे छोड़ दिया जायेगा ।''

नई धारा-4–क का बढ़ाया जाना

4–मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

कर की छूट और आस्थगन

''4–क–(1) राज्य सरकार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह अधिरोपित करे, किसी श्रेणी के होटलों या किसी होटल में व्यवस्थित किये जाने वाले किसी विशिष्ट श्रेणी के सुख-साधनों को इस अधिनयम के अधीन देय कर के पूर्ण या किसी भाग के, भुगतान से, अधिसूचना द्वारा, यदि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक हो, छूट प्रदान कर सकती है या पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए ऐसे कर के पूर्ण या किसी भाग के भुगतान के आस्थगन के लिए अनुज्ञा दे सकती है ।

(2) जहां किसी स्वामी ने उपधारा (1) के अधीन किसी छूट या आस्थगन का उपभोग कर लिया हो, और स्वामी द्वारा ऐसी छूट या आस्थगन की किन्हीं शर्तों का अनुपालन किसी भी कारण से नहीं किया गया है, वहां ऐसा स्वामी छूट या आस्थगन की अवधि के लिए कर का भुगतान करने के लिए दायी होगा मानो उसे ऐसी छूट या आस्थगन की अनुज्ञा नहीं दी गयी थी ।''

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–4 तक खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

पर्यटन राज्य मंत्री (श्री दलवीर सिंह)–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 पारित किया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

आज की कार्य सूची के विभिन्न प्रस्तावों एवं चर्चाओं के आगामी सत्र तक के लिये यथावत रुप में स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

पंजीयन, मनोरंजनकर, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क, खाद्य एवं रसद तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चायें लगी हुई हैं, मेरा प्रस्ताव है कि वह आगे के लिये जारी रहें । इनको आज न लिया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

किस-किस मद की चर्चायें, अगले सत्र में जारीं रहें, यह तो बता दें ?

श्री हुकुम सिंह–

मद संख्या 12, 13, 14, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 48 और 49 की चर्चायें अगले सत्र में जारी रहें ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि मद संख्या 12, 13, 14, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 48 और 49 पर जो चर्चायें हैं वह अगले सत्र में जारी रहें । जिनमें जारी है तथा जिनमें जारी नहीं है, वह अगले सत्र में ले ली जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ)

निम्नलिखित प्रस्तावों एवं चर्चाओं को विधान सभा के आगामी सत्र तक के लिये यथावत् रुप में स्थगित किया जाता हैं :–

[श्री केशो मेहरा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 1999 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा–जारी ।

"इस सदन का निश्चित मत है कि ऐतिहासिक पर्यटन नगरी, आगरा में 24 घंटे अनवरत् विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय ।"

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 1999 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा–जारी ।

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में विकेन्द्रीकरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु जिला सेक्टर के अन्तर्गत आने वाली योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति और उसके अन्तर्गत धनराशि खर्च करने की शक्ति उनमें निहित की जाय ।"

श्री समरपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 1999 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा–जारी ।

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रदेश के किसानों को कृषि कार्यों के लिये निःशुल्क विद्युत आपूर्ति की जाय ।"

नियम–103 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :–

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों (एन० जी० ओ०) की कार्य प्रणाली को पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वच्छ एवं उत्तरदायी बनाये जाने हेतु शासन द्वारा सामान्य नीति बनायी जाय ।"

नियम–103 के अन्तर्गत श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर एक घण्टे की चर्चा :–

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि सरकार प्रदेश के किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु गन्ने के रस के शीतल पेय की भांति विक्रय हेतु नीति निर्धारित की जाय ।"

नियम–103 के अन्तर्गत श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा–जारी ।

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद–171 के खण्ड (5) के अन्तिम पंक्ति के प्रारम्भ में प्रयुक्त शब्द 'साहित्य' से पूर्व शब्द और चिह्न 'विधि', रख दिया जाय ।"

नियम–103 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा–जारी ।

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि वह पेटेन्ट सम्बन्धी विधि में इस आशय का संशोधन करे कि भारतीय जड़ी-बूटियों के उत्पादन, उपयोग तथा विपणन आदि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।"

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता न दिये जाने के कारण माध्यमिक शिक्षकों द्वारा किये जा रहे आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय, श्री नरेन्द्र सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ।

ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पंचायतों एवं नगर निगमों को संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय तथा डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, दो घण्टे की चर्चा ।

प्रदेश में राशन की दुकानों पर भारत सरकार से प्राप्त कोटे के अनुरूप कम चीनी, मिट्टी का तेल, गेहूं, चावल आदि उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, एक घण्टे की चर्चा ।

प्रदेश में बढ़ती हुई पेयजल समस्या और गिरते हुये जल स्तर से उत्पन्न गंभीर स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, एक घण्टे की चर्चा ।

जनपद रामपुर में शुगर कारपोरेशन की चीनी मिल के बन्द होने से किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान न होने तथा मिल के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री शिव बहादुर सक्सेना द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, एक घण्टे की चर्चा ।

उत्तर प्रदेश में खाद्य, रसद एवं पेय पदार्थों में व्यापक स्तर पर मिलावट से जनजीवन प्रभावित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजधारी द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, एक घण्टे की चर्चा ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का विशेष प्रतिवेदन, जो दिनांक 26 फरवरी, 1999 को सदन में प्रस्तुत किया गया, पर डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री केशो मेहरा, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, मेजर जे० पी० सिंह, श्री अतुल कुमार तथा श्री राजधारी, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम 216 (4) के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सदन में विचार हेतु आधे घण्टे की चर्चा ।

प्रदेश में उन क्षेत्रों में जिनमें नहर होने के बावजूद सिंचाई हेतु किसानों को पानी न मिल पाने की दशा में भी उनसे सिंचाई शुल्क वसूल किये जाने के विषय में दिनांक 13 जुलाई, 1999 को पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न संख्या–1 नत्थी (क) के सम्बन्ध में श्री केशो मेहरा द्वारा दी गयी सूचना पर, नियम 49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा ।

खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा कार्य-योजना बनाने, रासायनिक खादों के असंतुलित प्रयोग एवं बुआई के समय होने वाली रासायनिक खादों की कमी को दूर करने के विषय में दिनांक 15 जुलाई, 1999 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–4 नत्थी (ग) के सम्बन्ध में श्री राजधारी, डा० रामबाबू हरित तथा डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दी गयी सूचना पर, नियम 49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा ।

प्रदेश के मेडिकल कालेजों में विद्यार्थियों को नवीनतम उपकरणों से शिक्षा दिये जाने हेतु आधुनिकतम उपकरण कैटस्केन मशीन और एम० आर० आई० मशीन उपलब्ध कराये जाने के विषय में दिनांक 14 जुलाई, 1999 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 14 नत्थी (ग) के सम्बन्ध में श्री केशो मेहरा द्वारा दी गयी सूचना पर, नियम 49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा ।]

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 23-7-99 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 36 सूचनायें प्राप्त हुई ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :–

1–डा०लक्ष्मीकान्त बाजपेयी — पवित्र तीर्थ स्थल चित्रकूट धाम को अलग से नगर पालिका बनाये जाने व विकास कार्य हेतु स्वीकृत तथा धनराशि अवमुक्त हुए कार्यों को तत्काल पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में ।

2–श्री राम औतार शाक्य — प्रदेश में बौद्ध विहारों के स्वरूप को नष्ट होने से उत्पन्न विसंगतियों के सम्बन्ध में ।

3–श्री इन्द्रजीत सरोज — जनपद कौशाम्बी अन्तर्गत मूरतगंजमहेवा मार्ग के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में ।

4–श्री ओमकार सिंह — जनपद बदायूं के सहसवान क्षेत्रान्तर्गत ब्लाक–जुनावई के बाढ़ की चपेट में आने वाले ग्रामों को बचाने हेतु बांध का निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में ।

5–डा० धर्मज्ञ मिश्र — जनपद हरदोई की नगर पंचायत कुरसठ में स्ट्रीट लाइट कनेक्शन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

6–श्री सीताराम निषाद — फैजाबाद जनपद में विसुही नदी पर कोछा–महमदमारी-निधियावां बाजार मार्ग पर मरमदमारी-परसूरी के बीच एवं विसुही नदी पर जाना-नन्सा मार्ग पर चपरघट्टा पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में ।

7–श्री समरपाल सिंह — बुलन्दशहर वाडी बिल्डिंग एसोसियेशन, उ० प्र० की टीम को उ० प्र० पुलिस बल के उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस, प्लाटून कमाण्डर, पी०ए०सी० कांस्टेबिल, नागरिक पुलिस तथा कांस्टेबिल पी०ए०सी० के पदों पर चयनित किये जाने के सम्बन्ध में ।

8–श्री अकबर हुसैन — जनपद मुरादाबाद के कुंदरकी क्षेत्रान्तर्गत राजकीय कन्या इण्टर कालेज कुंदरकी के अर्ध निर्मित भवन को पूरा कराये जाने तथा इण्टर की मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

9–श्री गोपाल कृष्ण — जनपद पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्रान्तर्गत आने वाले ग्रामों को शारदा नदी की प्रलयंकारी बाढ़ से बचाने हेतु राहत कार्य सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में ।

10–श्री अजय कुमार पोइया — जनपद मथुरा के बी० टी० सी० प्रशिक्षित बेरोजगारों को सेवायोजित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

11–श्री रणधीर सिंह — जनपद मथुरा के गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र को जल भराव एवं बाढ़ से बचाने के सम्बन्ध में ।

12–श्री नवाब सिंह नागर — जनपद गौतमबुद्धनगर के नोयडा क्षेत्र में गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी की स्थापना शीघ्र किये जाने के सम्बन्ध में ।

13–श्री तेजभान सिंह — जनपद सुल्तानपुर, थाना मुंशीगंज अन्तर्गत पुलिस चौकी शाहगढ़ की पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक नागरिकों की अमानुषिक तरीके से की गयी पिटाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

14–डा० अशोक बाजपेयी — लखनऊ महानगर स्थित नेपियर रोड सचिवालय कालोनी ठाकुरगंज भाग–2 की जर्जर सड़कों को अविलम्ब ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में।

15–श्री दद्दू प्रसाद — सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कर्वी/जिला चिकित्सालय कर्वी जनपद चित्रकूट में व्याप्त अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

16–श्री उमाकान्त यादव — जनपद जौनपुर के विकास खण्ड खुटहन के कतिपय ग्रामों की सुरक्षा हेतु बांध बनाये जाने तथा प्रभावित ग्रामों को राहत सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में।

17–डा० वकार अहमद शाह — जनपद बहराइच में रूपईडीहा स्थित डाक बंगले व कांजी हाउस के केन्द्र सरकार द्वारा अधिग्रहण फलस्वरूप प्राप्त धनराशि को जिलाधिकारी द्वारा जिला पंचायत को न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

18–श्री धर्मराज निषाद — वर्ष 1997-98 में जनपद चन्दौली में ग्राम पंचायत टाण्डा कलां व चक में केन्द्र पुरोनिधानित राष्ट्रीय मछुवा कल्याण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत 10–10 मछुवा आवासों को ग्राम पंचायत की खुली बैठक में चयनित पात्र लाभार्थियों की चयनित सूची की अवहेलना कर गैर चयनित अपात्र व्यक्तियों को मछुवा आवास की धनराशि अवमुक्त करके मछुवा आवास योजना के धन का दुरुपयोग करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

19–श्री अशोक कुमार सिंह — जनपद हरदोई की तहसील शाहाबाद में मुख्यालय पर स्थित कृषक कन्या पाठशाला हायर सेकेन्ड्री स्कूल की अवैधानिक तालाबन्दी से सैकड़ों छात्राओं एवं अभिभावकों के समक्ष उत्पन्न गम्भीर संकट के सम्बन्ध में।

20–श्री कृपाशंकर सिंह — जनपद उन्नाव की बीघापुर तहसील में ग्राम शुक्ला खेड़ा एवं धीनी खेड़ा को जोड़ने वाले मार्ग पर लोनी ड्रेन पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

21–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद — जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा अन्तर्गत ग्राम गड़रिया में पानी टंकी में पेयजल आपूर्ति हेतु राजकीय नलकूप का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

22–श्री दीप लाल भारती — जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड नेबुआ नौरंगिया अन्तर्गत ग्राम सोराहाखुर्द (चरी धरवा) में विद्युत पोलों पर तार लगाकर शीघ्र विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

23–श्री संजय गर्ग — सहारनपुर नगर स्थित पांवधोई तथा ढमोला नदियों की सफाई न किये जाने से फैल रही संक्रामक बीमारियों के सम्बन्ध में।

24–श्री दुर्गा प्रसाद यादव — जनपद आजमगढ़ में उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा की जा रही विद्युत कटौती के सम्बन्ध में ।

25–श्री राम चन्द्र यादव — मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद द्वारा कार्यदायी संस्थाओं एवं अधिकारियों को निर्देशित किये जाने के बावजूद भी विकास कार्यों को समुचित गति न मिल पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

26–श्री मुन्ना चौहान — अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची में न लेने के संबंध में मंत्रि-परिषद् के निर्णय की उत्तरांचल विकास विभाग द्वारा मनमाने ढंग से व्याख्या करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

27–श्री विनोद मणि — जनपद महराजगंज के ग्राम परसा-भिटई में दो दलित महिलाओं को सार्वजनिक रूप से अपमानित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयीं ।

विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना के प्रश्नों की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना के निम्नलिखित मामलों में मैने निर्णय ले लिया है –

1–श्री हरदेव सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 14 जुलाई, 1998

2–श्री धनीराम वर्मा, (नेता विरोधी दल), श्री प्रमोद कुमार, श्री चन्द्र नाथ सिंह, सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री उदयराज यादव, श्री राजेन्द्र यादव, श्री रामजग तथा श्री जगदम्बिका पाल, सदस्यगण विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सूचना, दिनांक 21 जुलाई, 1998

3–श्री हरदेव सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 17 अगस्त, 1998

4–श्री सरवर अली खां, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 14 जुलाई, 1998

उपरोक्त सभी मामलों में विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचनायें अग्राह्य कर दी गयी हैं । उक्त सूचनाओं पर मेरे द्वारा दिये गये निर्णय सदन की आज की कार्यवाही के अंग माने जायेगे ।

श्री हरदेव सिंह द्वारा ऊर्जा मंत्री के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री हरदेव सिंह, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत माननीय ऊर्जा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 14 जुलाई, 1998 को अभिसूचित की है । माननीय सदस्य का कथन है कि विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया द्वारा पूछे गये अतारांकित

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रश्न संख्या 42 के उत्तर में गलत सूचना देकर सदन को गुमराह किया गया है जिससे विशेषाधिकार का हनन हुआ है। माननीय सदस्य का यह भी कथन है कि उक्त प्रश्न में महाप्रबंधक, अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र द्वारा अरबों रुपये के घोटाले के बारे में विधायक श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल के पत्र दिनांक 13 मई, 1994 का उल्लेख है जबकि प्रश्न के उत्तर में पत्र दिनांक 21 अप्रैल, 1994 की प्राप्ति की बात कही गयी है जिससे अधिकारियों को बचाने के उद्देश्य से सदन को गुमराह किया गया है।

उक्त प्रसंग में माननीय ऊर्जा मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई। माननीय ऊर्जा मंत्री ने अपने अभिकथन में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत प्रकरण में श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तत्कालीन सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 13 मई, 1994 ऊर्जा विभाग के अभिलेखानुसार प्राप्त नहीं हुआ। उक्त की पुष्टि हेतु माननीय मुख्य मंत्री कार्यालय से भी जानकारी की गई, परन्तु वहां भी इस पत्र को प्राप्त न होना बताया गया है। माननीय ऊर्जा मंत्री ने यह भी उल्लेख किया है कि श्री मल्ल का पत्र दिनांक 21 अप्रैल, 1994 प्राप्त हुआ है। इसी आधार पर उक्त सूचना में यह उत्तर दिया गया था कि पत्र दिनांक 13 मई, 1994 का नहीं अपितु दिनांक 21 अप्रैल, 1994 का प्राप्त हुआ है जो अनपारा तापीय परियोजना के महाप्रबंधक श्री एस०पी० सिंह द्वारा भारी घोटाले के संबंध में था। अतः उक्त तथ्य के आधार पर उन्होंने अवगत कराया है कि मा० सदस्य का पत्र दिनांक 13 मई, 1994 का न होकर दिनांक 21 अप्रैल, 1994 का ही है। माननीय विधायक के पत्र दिनांक 21 अप्रैल, 1994 श्री एम०आई० सिद्दीकी की तत्कालीन सदस्य, उत्पादन से मामले की जांच कराई गई और जांच में कोई प्रतिकूल मामला प्रकाश में नहीं आया।

इस संबंध में माननीय मंत्री ने यह भी सूचित किया है कि कथित पत्र दिनांक 21 अप्रैल, 1994 का ही है, किन्तु उक्त पत्र माननीय मुख्य मंत्री कार्यालय से दिनांक 13 मई, 1994 को प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग को भेजा गया था जिसे राज्य विद्युत परिषद् को जांच कर आवश्यक कार्यवाही हेतु दिनांक 10 अक्टूबर, 1994 को प्रेषित किया गया।

माननीय ऊर्जा मंत्री का यह भी कथन है कि उपर्युक्त प्रश्न के दिये गये उत्तर में राज्य विद्युत परिषद् व शासन स्तर से किसी प्रकार के तथ्यों को न तो छिपाया गया है और न ही कोई भ्रामक/असत्य उत्तर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की उक्त सूचना माननीय ऊर्जा मंत्री के विरुद्ध अभिसूचित की है। विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना पदनाम से नही अपितु व्यक्ति या अधिकारी के नाम से दी जानी चाहिए। इस प्रकार माननीय सदस्य की सूचना तथा माननीय ऊर्जा मंत्री के अभिकथन के अवलोकन से वर्णित परिस्थिति में प्रश्नगत प्रकरण में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त होता हुआ प्रतीत नहीं होता है। अतः मैं माननीय सदस्य की उपर्युक्त सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं।]

श्री धनीराम वर्मा आदि द्वारा संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

[श्री धनीराम वर्मा नेता विरोधी दल श्री प्रमोद कुमार, श्री चन्द्रनाथ सिंह, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री उदय राज यादव, श्री राजेन्द्र यादव, श्री रामजग, श्री जगदम्बिका पाल, सदस्यगण विधान सभा ने माननीय संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना दिनांक 21 जुलाई, 1998 को दी है। माननीय सदस्यगण का कथन है कि दिनांक 20 जुलाई, 1998 को लखनऊ में अतिक्रमण अभियान के संबंध में दी गयी सूचना पर चर्चा के समय सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा था कि तत्कालीन लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(श्री प्रभात कुमार) के द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गयी है । उनके विरुद्ध श्री रमेश चन्द्र, आई०ए०एस० द्वारा समस्त तथ्यों की जांच करने पर किसी प्रकार का दोष सिद्ध नहीं हुआ है ।

माननीय सदस्यगण का यह भी कथन है कि वास्तविकता यह है कि रिट पिटीशन नं० 150/1997एस०सी० इण्डिया नोयडा इण्टरप्यूनर एसोसिएशन बनाम नोयडा एवं अन्य में वर्तमान उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण जो प्रतिवादी नं०–6 के रूप में अंकित है, के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की जांच की जा रही है जिसमें अन्य प्रकरण के अलावा उपाध्यक्ष ल०वि०प्रा० द्वारा वर्तमान अध्यक्ष, राजस्व परिषद् द्वारा नोयडा में अपनी तैनाती के दौरान सबसे पहले सेक्टर–50 में प्लाट लिया फिर उसे सेक्टर–51 में परिवर्तित कराया तदुपरान्त सेक्टर–39 में उसे नियमों का पूर्णतया उल्लंघन करके परिवर्तित कराया गया । उक्त प्रकरण की जांच कृषि सचिव, श्री राजगोपाल ने की तथा कतिपय बिन्दुओं पर अपनी जांच में दोषी ठहराया तो उसे भी सदन में चर्चा के दौरान माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने तथ्यों को छिपाया तथा इस प्रकार तथ्यों को छुपाकर सदन को गुमराह किया । इस प्रकार माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन के विशेषाधिकार को भंग किया है । माननीय सदस्यों ने यह भी उल्लेख किया है कि साक्ष्य के रूप में दिनांक 20 जुलाई, 1998 की सदन की कार्यवाही में सभी तथ्य उल्लिखित हैं तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित उपरोक्त याचिका एवं श्री राजगोपाल कृषि सचिव की जांच आख्या का सुलभ संज्ञान लिया जा सकता है । उन्होंने यह भी घोषित किया है कि तत्कालीन आयुक्त श्री राजगोपाल द्वारा मुरादाबाद की जांच में भी गलत तथ्यों से सदन को अवगत कराया गया है । माननीय सदस्यों ने अपनी सूचना के साथ कोई हस्ताक्षरित साक्ष्य संलग्न नहीं किया है ।

उक्त प्रसंग में संसदीय कार्य मंत्री जी से वस्तुस्थिति की जानकारी की गयी । माननीय मंत्री ने अपने अभिकथन में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत सूचना के साथ कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है बल्कि इस सम्बन्ध में कहा गया है कि दिनांक 20 जुलाई, 1998 की सदन की कार्यवाही में सभी तथ्य उल्लिखित हैं तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित उपर्युक्त रिट याचिका एवं श्री राजगोपाल, कृषि सचिव की जांच आख्या का सुलभ संज्ञान लिया जा सकता है । इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि कतिपय सदस्यों ने दिनांक 20 जुलाई, 1998 को नियम–56 के अन्तर्गत प्रश्नगत विषय के सम्बन्ध में सूचना दी थी जिस पर सदन में उस तिथि को चर्चा में भाग लेते हुए श्री चन्द्रनाथ सिंह, श्री प्रमोद कुमार, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, सदस्यगण एवं श्री धनीराम वर्मा, (मा० नेता, विरोधी दल) ने कहा था कि तत्कालीन उपाध्यक्ष ने देहरादून में अपनी तैनाती के दौरान देहरादून-मंसूरी मार्ग पर अपनी पत्नी आदि के नाम से जमीन खरीदी थी । जमीन की कीमत बढ़वाने हेतु उन्होंने एक योजना शुरू की जिससे उक्त जमीन की कीमत सात गुना हो गयी । तदुपरान्त 20 दिन बाद उक्त योजना निरस्त कर दी गयी । माननीय मंत्री ने सूचित किया है कि उक्त के सम्बन्ध में उनसे पूछा गया था क्या तत्कालीन उपाध्यक्ष ने उक्त जमीन खरीदने की शासन से पूर्व में अनुमति ली थी ? इसके सम्बन्ध में उन्होंने कहा था कि देहरादून के सम्बन्ध में स्पेसिफिक बात कही गयी है उपाध्यक्ष द्वारा उक्त के सम्बन्ध में रिटर्न दाखिल किया गया और शासन से उन्होंने उक्त की पूर्व की अनुमति भी प्राप्त की थी । इस सम्बन्ध में उन्होंने सूचित किया है कि उक्त मामले की जांच वरिष्ठतम अधिकारी श्री रमेश चन्द्र द्वारा करायी गयी थी जिसमें उनके विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ । माननीय मंत्री जी ने यह भी सूचित दिया कि उन्होंने सदन में जो बयान दिया था वह देहरादून सम्बन्धी विशिष्ट प्रकरण के सम्बन्ध में था । नोएडा के बाबत चर्चा में ऐसी बात नहीं आयी कि मा० उच्च न्यायालय ने किसी रिट याचिका में जांच के आदेश दिये हैं । नोएडा के सम्बन्ध में उनसे कुछ पूछा ही नहीं गया था और न ही इस सम्बन्ध में उन्होंने कुछ कहा था । इस सम्बन्ध में उन्हें कोई जानकारी भी नहीं थी । उपरोक्त के सम्बन्ध में उन्होंने उपलब्ध

जानकारी के आधार पर सही उत्तर दिया था । प्रश्नगत प्रकरण में श्री राजगोपाल, कृषि सचिव द्वारा जांच किये जाने तथा उक्त मामले की रिपोर्ट के सम्बन्ध में सदन में चर्चा के समय कोई बात नहीं आयी थी । इस सम्बन्ध में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी और न ही उन्होंने सदन में इस सम्बन्ध में कोई उत्तर दिया ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने सूचित किया है कि तत्कालीन आयुक्त श्री राजाराम द्वारा मुरादाबाद के सम्बन्ध में जांच किये जाने की जो सूचना दी गयी थी उसमें यह नहीं कहा गया था कि उन्होंने किस गलत तथ्य से सदन को अवगत कराया है । इस प्रकार उन्होंने उपलब्ध जानकारी के आधार पर सही उत्तर दिया था । उन्होंने तथ्यों को छुपाकर सदन को गुमराह करने की नीयत से कोई गलत उत्तर नहीं दिया है ।

प्रश्नगत मामले का सम्यक् रूप से परीक्षण करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सूचना के साथ आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न न होने के कारण वह स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा स्पष्ट की गयी स्थिति के प्रकाश में प्रश्नगत सूचना में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त होता हुआ प्रतीत नहीं होता है । अतः मैं माननीय नेता, विरोधी दल एवं अन्य सदस्यगण की उक्त सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं ।]

श्री हरदेव सिंह द्वारा श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल ऊर्जा मंत्री, सचिव ऊर्जा, अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद, मुख्य अभियन्ता वितरण मध्यांचल श्री ए० के० हंगल एवं मुख्य अभियन्ता लेसू के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री हरदेव सिंह, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत माननीय श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, ऊर्जा मंत्री, उत्तर प्रदेश, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग, अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद, मुख्य अभियन्ता, वितरण मध्यांचल श्री ए० के० हंगल एवं मुख्य अभियन्ता लेसू के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 17 अगस्त, 1998 को अभिसूचित की है । मा० सदस्य का कथन है कि विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के पांचवें शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री जय प्रकाश निषाद तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–139 के उत्तर में गलत सूचना देकर सदन को गुमराह किया गया है जिससे विशेषाधिकार का हनन हुआ है उक्त के सम्बन्ध में उन्होंने मुख्य अभियन्ता मध्यांचल का पत्र दिनांक 4 दिसम्बर, 1993 तथा मुख्य अभियन्ता (लेसू) का पत्र दिनांक 27 जनवरी, 1994 साक्ष्य रूप में प्रस्तुत किया है इसके अतिरिक्त श्री महेश कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 3 दिसम्बर, 1992 जो निजी सहकारी बैंकों में विद्युत बिल आदि की धनराशि जमा न किये जाने के सम्बन्ध में था ।

राजधानी सहकारी बैंक, लखनऊ के बोर्ड आफ डाइरेक्टर एवं उसके शेयर होल्डर अधिकांशतः विद्युत परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों के पारिवारिक सदस्य होने के कारण शासन के उक्त आदेश का पालन उनके द्वारा नहीं किया गया है । राजधानी बैंक में बिलिंग आदि के मद में जमा धनराशि 20 से 25 दिन बाद राज्य विद्युत परिषद के खाते में स्थानान्तरित होने कारण उक्त मद में जमा ब्याज तथा

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उपभोक्ताओं के फर्जी जमा रसीद के माध्यम से करोड़ों रुपये का दुरुपयोग वहां के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया गया है ।

उक्त प्रसंग में माननीय ऊर्जा मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी । मा० ऊर्जा मंत्री ने अपने अभिकथन में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत प्रकरण में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा शासन के आदेशों की अवहेलना नहीं की गयी है । मुख्य अभियन्ता (मध्यांचल) राज्य विद्युत परिषद एवं मुख्य अभियन्ता लेसू तथा राज्य विद्युत परिषद स्तर पर हुए पत्राचार के फलस्वरूप राजधानी नगर सहकारी बैंक, लखनऊ के साथ किया गया अनुबन्ध दिनांक 31 दिसम्बर, 1994 को समाप्त कर दिया गया है । मा० सदस्य द्वारा उनके पत्र दिनांक 17 अगस्त, 1998 में उठाये गये करोड़ों रुपये के गोलमाल के सम्बन्ध में जांच कराने हेतु महानिरीक्षक (सतर्कता) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को सम्पूर्ण प्रकरण परिषद् द्वारा सौंपा जा रहा है ।

माननीय सदस्य ने विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की उक्त सूचना माननीय ऊर्जा मंत्री के विरुद्ध अभिसूचित की है । विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना पदनाम से नहीं अपितु व्यक्ति या अधिकारी के नाम से दी जानी चाहिए । इस प्रकार माननीय सदस्य की सूचना तथा माननीय ऊर्जा मंत्री के अभिकथन के अवलोकन से प्रश्नगत प्रकरण में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त होता हुआ प्रतीत नहीं होता है । अतः मैं माननीय सदस्य की उपर्युक्त सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं ।]

श्री सरवर अली खां द्वारा शहर कोतवाल बाराबंकी के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री सरवर अली खां, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63/64 के अन्तर्गत शहर कोतवाल, बाराबंकी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दिनांक 14 जुलाई, 1998 को अभिसूचित की है । माननीय सदस्य का कथन है कि दिनांक 5/6 जुलाई, 1998 की रात जनपद बाराबंकी के मोहल्ला पीर बटावन में श्री शब्बीर अहमद के मकान से उनके दामाद श्री इशरत अली को कोतवाली पुलिस के शहर कोतवाल के नेतृत्व में मारते-पीटते हुये बाराबंकी फैजाबाद रोड पर रेलवे क्रासिंग से पहले गोली मारकर हत्या कर दी गयी । तत्पश्चात् फर्जी इन्काउण्टर दिखाकर पोस्टमार्टम के पश्चात् घरवालों को लाश न देकर बिना धार्मिक संस्कार के पूरब-उत्तर स्थित कब्रिस्तान में दफना दिया गया । उक्त प्रकरण को जब मैंने सदन में उठाया तो जनपद बाराबंकी के जिलाधिकारी ने मृतक श्री इशरत अली के शव का दुबारा पोस्टमार्टम कराये जाने के आदेश दिये थे । श्री सरवर अली के अनुसार उक्त आदेश की जानकारी होने पर जब वे घटना स्थल पर पहुंचे तब वहां श्री छोटे लाल यादव, पूर्व सदस्य, विधान सभा व शहर के अन्य गणमान्य नागरिक तथा पुलिस बल मौजूद था । उक्त घटना स्थल पर कोतवाल ने मा० सदस्य व अन्य लोगों को वहां से जाने के लिए कहा ।

मा० सदस्य का यह भी कथन है कि जब मैंने शहर कोतवाल से कहा कि मामले की सही जानकारी के लिए हम लोग यहां आये हैं तो शहर कोतवाल ने आक्रोशित होकर कहा कि आपने उक्त

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआमाना गया ।

प्रश्नगत प्रकरण सदन में उठाया है । इसे चाहें विधान सभा, चाहे लोकसभा जहां भी उठाया जाय हमको जरा भी परवाह नहीं है । आप जैसे विधायक हमने बहुत देखें हैं । आपको भी देख लेंगे । चाहे जितने आदमी मर जांय हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है और अभद्र बात करने लगे । मा० सदस्य के कथनानुसार इससे उनके विशेषाधिकार का हनन एवं सदन की अवमानना हुई है ।

उक्त प्रसंग में मा० मुख्य मंत्री जी को मा० सदस्य के पत्र की प्रति भेजकर उक्त मामले की जानकारी प्राप्त की गयी । प्रश्नगत प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी के माध्यम से अपर पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी से जांच करायी गयी । प्राप्त जांच आख्या के आधार पर मा० संसदीय कार्य मंत्री ने अवगत कराया है कि तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक, बाराबंकी का प्रश्नगत प्रकरण में स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया । दिनांक 11 जुलाई, 1998 को मृतक श्री इशरत अली उर्फ कालिया के पुनः पोस्टमार्टम के समय, कब्रिस्तान पर उपस्थित मा० विधायकगण, पूर्व विधायक, पत्रकार एवं जनता के काफी लोग एकत्र थे ।

मृतक श्री इशरत अली उर्फ कालिया के पुनः पोस्टमार्टम को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु मौके पर एकत्रित भीड़ को हटवाने हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री सुख सागर शुक्ल द्वारा मा० विधायकगण से वार्ता की गयी श्री एस० पी० सिंह, एस० ओ० सी० बाराबंकी द्वारा मा० सदस्य से वार्ता के उपरान्त पोस्टमार्टम स्थल पर जनप्रतिनिधियों एवं मृत परिवार वालों को उपस्थित रहने की अनुमति दी गयी थी । उक्त लोगों की उपस्थिति में ही श्री इशरत अली उर्फ कालिया का पुनः पोस्टमार्टम सम्पन्न हुआ । मौके पर एकत्र भीड़ को हटवाने के लिए प्रभारी निरीक्षक (शहर कोतवाल) श्री सुख सागर शुक्ल द्वारा मा० सदस्यगण से वार्ता की गयी । इस वार्ता के दौरान श्री शुक्ल द्वारा मा० सदस्य के साथ किसी प्रकार के अभद्र व्यवहार किये जाने एवं उक्त कथन की पुष्टि जांच से नहीं हुई है ।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि श्री सरवर अली, सदस्य विधान सभा दिनांक 11-7-98 को श्री इशरत अली उर्फ कालिया का पुनः पोस्टमार्टम कराये जाने हेतु उक्त कब्रिस्तान पर गये थे । मा० सदस्य का उक्त कृत्य सदन अथवा किसी समिति के कृत्य एवं कार्यकलापों से भी सम्बन्धित नही है । उपर्युक्त परिस्थिति में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है । अतः मै मा० सदस्य की उक्त सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं ।

श्री बद्रीनाथ एवं केदारनाथ मन्दिर समिति में कार्य करने के लिए विधान सभा के हिन्दू सदस्यों द्वारा दो हिन्दू सदस्यों के निर्वाचन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री बद्रीनाथ एवं केदारनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939 की धारा 5(1) (ख) के अन्तर्गत श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ मन्दिर समिति में कार्य करने के लिए विधान सभा के हिन्दू सदस्यों द्वारा दो हिन्दू सदस्यों का निर्वाचन के लिए सम्बन्धित अधिनियम के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुये, जहां तक वे उक्त समिति की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, यह सदन श्री अध्यक्ष को, उक्त समिति में सदस्यता के लिए अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम–निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समिति में नाम

निर्देशन कर दें और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समिति में सम्बन्धित अधिनियम की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि श्री बद्रीनाथ एवं केदारनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939 की धारा 5 (1) (ख) के अन्तर्गत श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ मन्दिर समिति में कार्य करने के लिए विधान सभा के हिन्दू सदस्यों द्वारा दो हिन्दू सदस्यों का निर्वाचन के लिये सम्बन्धित अधिनियम के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुये, जहां तक वे उक्त समिति की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, यह सदन श्री अध्यक्ष को, उक्त समिति में सदस्यता के लिये अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम-निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध केसाथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समिति में नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समिति में सम्बन्धित अधिनियम की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझें जायेंगे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

जनपद जालौन के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के लोगों की निरन्तर हो रही हत्याओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्रीराम पाल, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जनपद जालौन के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के लोगों की निरन्तर हो रही हत्याओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्रीराम पाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दिनांक 15-7-99 को दी गयी नोटिस के सम्बन्ध में प्रकरण की जांच पुलिस अधीक्षक जालौन से करायी गयी । प्राप्त जांच आख्या के अनुसार तथ्यात्मक विवरण निम्नवत् है :–

थाना कदौरा के ग्राम चतेला के राम गोपाल के पुत्र बलराम की कथित हत्या के सम्बन्ध में थाना कदौरा पर मु०अ०सं०–64/99 धारा 302/201/504/506 व 3(2) 5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया । दिनांक 1-4-99 को घटित उक्त घटना में श्याम जी ब्राम्हण, शिव बाबू, राम जी ब्राम्हण एवं मुन्ना सिंह ठाकुर को अभियुक्त बनाया गया था । इस अभियोग की विवेचना श्री वी० के० चतुर्वेदी क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा की गयी । जांचोपरान्त अपराध धारा 302/201भा०दं०वि० के साबित न होने पर अभियोग की विवेचना दिनांक 13-7-99 को अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गयी ।

श्री हर प्रसाद निवासी ग्राम खोवा थाना कोंच जनपद जालौन के पुत्र जीतू उम्र 9 वर्ष की दिनांक 3-6-99 से दिनांक 5-6-99 के बीच हुयी हत्या के संबंध में थाना कोंच पर मु०अ०सं०–282/99 धारा 302/201/377 भा०द०वि० व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट दर्ज किया गया । इस अभियोग की विवेचना श्री वी० एल० गौतम प्रभारी थाना कोंच द्वारा की गयी । इस अभियोग में बब्बू राजा पुत्र भगवानदास को नामित किया गया था । विवेचनोपरान्त अभियुक्त बब्बू राजा को दिनांक 8-6-99 को गिरफ्तार किया गया तथा विवेचना पूर्ण कर दिनांक 26-6-99 को आरोप पत्र संख्या–78 न्यायालय भेजा गया जो कि विचाराधीन न्यायालय है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

थाना रेंडर के ग्राम डावर के शिवदीन पाल की दिनांक 9-6-99 को की गयी हत्या के सम्बन्ध में जांचोपरान्त स्थिति यह पायी गयी कि शिवदीन पाल की मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुयी है। शिवदीन पाल की मृत्यु पर इसके पक्ष के लोगों ने विपक्षियों को फंसाये जाने हेतु हत्या का मुकदमा लिखाने का प्रयास किया। इस सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर गयी। मृतक के शरीर पर किसी प्रकार की चोट या किसी प्रकार हत्या किये जाने सम्बन्धी कोई चिन्ह या साक्ष्य न पाये जाने पर एहतियात के तौर पर पुलिस द्वारा मृतक शिवदीन पाल का पंचायतनामा तैयार किया गया। पंचायतनामा कर्ताओं ने भी शरीर पर किसी प्रकार की चोट की पुष्टि नहीं की। तदोपरान्त पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम में भी डाक्टर द्वारा मृतक शिवदीन पाल के शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं पाया गया तथा डाक्टर द्वारा विसरा सुरक्षित किया गया है जिसे परीक्षण हेतु रासायनिक परीक्षक के पास भेजा गया है। परीक्षण में कोई तथ्य पाये जाते हैं तो नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

दिनांक 20-2-99 को श्री मुन्ना पुत्र रामफल कोरी निवासी बबीना थाना कदौरा ने अनुज पुत्र राम हेत, दयाशंकर, रवि, छुन्ना द्वारा मारपीट किये जाने की सूचना थाना कदौरा पर दी गयी। उक्त सूचना के आधार पर मु०अ०सं०–25/99 धारा 323/504 भा०द०वि० व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट थाना कदौरा पर पंजीकृत किया गया। इस अभियोग में नामजद अभियुक्त अनुज पुत्र रामहेत तथा दया शंकर पुत्र राम कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया एवं अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य एकत्र कर दिनांक 15-7-99 को आरोप-पत्र संख्या–9 न्यायालय प्रेषित है शेष दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

दिनांक 1-6-99 को श्री सेवा राम पुत्र धनाराम प्रजापति निवासी ग्राम मिझौना थाना माधौगढ़ द्वारा अपनी भतीजी नारायन देवी उम्र 10 वर्ष के साथ दिनांक 30-5-99 को उसी गांव के बाबा द्वारा अश्लील हरकत करते हुये उसे पकड़ने एवं लोगों के आ जाने पर भाग जाने की सूचना थाना माधौगढ़ पर दी गयी। इस सूचना पर थाना माधौगढ़ पर मु०अ०सं०–79/99 धारा 354 भा०द०वि पंजीकृत किया गया तथा बाबा पुत्र विद्या चरन ब्राह्मण को नामजद अभियुक्त बनाया गया। विवेचनोपरान्त अभियुक्त को गिरफ्तार करने का प्रयास पुलिस द्वारा किया गया परन्तु अभियुक्त बाबा दिनांक 28-6-99 को हाजिर अदालत होकर जेल गया तथा पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने पर दिनांक 30-6-99 को आरोप पत्र संख्या–39 न्यायालय भेजा गया जो कि विचाराधीन न्यायालय है।

यह कहना सही नहीं पाया गया कि अपराधी भयमुक्त होकर मृतकों के परिवार वालों को जान से मारनें की धमकियां दे रहे हैं और ग्रामों से व्यक्तियों का पलायन हो रहा है। स्थानीय पुलिस को सुरक्षा उपलब्ध कराये जाने एवं शान्ति व्यवस्था कायम रखने के निर्देश दिये जा चुके हैं। उक्त से स्पष्ट है कि स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त सभी अपराधों में निष्पक्ष विवेचना करते हुये त्वरित कार्यवाही की गयी है।]

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मान्यवर, हत्या हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हुई है, लेकिन कोई एफ० आई० आर० लाज नहीं हुई है, ऐसा क्यों किया गया है ?

हमारा अनुरोध है, इसमें दिया गया है कि चोट नहीं पायी गयी लेकिन पोस्टमार्टम से 3 चोटें पायीं गयीं। सी०जे०एम०, उरई ने इसका परीक्षण किया और उसके आधार पर एफ०आई०आर० लाज करने का आदेश दिया। लोगों ने शपथ-पत्र दिये हैं। हमारा अनुरोध है कि न्याय के हित में दूसरी एजेंसी से जांच करवा दें इससे हत्या हुई है यह स्पष्ट हो जायेगा।]

जनपद आजमगढ़ में मेंहनगर–डोहा मार्ग पर स्थित डोहा बाजार के पास मगई नदी पर पुल निर्माण कार्यों के संबंध में श्री रामजग द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जनपद आजमगढ़ में मेहनगर-डीहा मार्ग पर डीहा बाजार के पास मगई नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या–5248ई/23–सा०नि०अनु०–11–75ई/95 दिनांक 27-8-87 द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत 20 मीटर लम्बा लघु सेतु निर्माण हेतु रु० 10.50 लाख को स्वीकृति प्रदान की गयी थी, परन्तु विस्तृत सर्वेक्षण तथा जलीय आंकड़ों के पश्चात् 60 मीटर लम्बाई के पुल का निर्माण कराया जाना उचित पाया गया । अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–2, लोक निर्माण विभाग, आजमगढ़ द्वारा उक्त सेतु के निर्माण कार्यों हेतु अपने पत्रांक–541/7सी, दिनांक 30-3-99 द्वारा परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, आजमगढ़ को अनुमानित लागत रु० 90.74 लाख का प्रस्ताव पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु भेजा गया था, परन्तु इसकी स्वीकृति नहीं हो पायी है । प्रश्नगत सेतु के निर्माण कार्य को आर० आई० डी० एफ० फेज–5 योजना में सम्मिलित करने का सिद्धान्ततः निर्णय लिया गया है । इस सेतु के प्रस्ताव पर आर० आई० डी० एफ० फेज–5 के अन्तर्गत नाबार्ड को स्वीकृति प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।]

प्रदेश में निरन्तर भू-गर्भ का जलस्तर नीचे गिरने से पेयजल की विकराल समस्या के सम्बन्ध में डा० राम बाबू हरित, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–51 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तुत सूचना में पेयजल की समस्या से त्राहि-त्राहि मचने व हैण्ड पम्प लगाने के उपरान्त उनके रख-रखाव की व्यवस्था न होने के कारण पीने योग्य पानी न मिलने की समस्या इंगित की गयी है, इस बिन्दु के सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रदेश सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में सामान्तया पाइप पेयजल योजनायें स्वीकृत की जाती है किन्तु तात्कालिक राहत के लिये इण्डिया मार्क–II हैण्डपम्प भी अधिष्ठापित किये जाते है । ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यता इण्डिया मार्क–II हैण्ड पम्पों द्वारा जलापूर्ति की जाती है । नगरीय क्षेत्रों में अधिष्ठापित हैण्ड पम्पों का रख-रखाव स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में जल निगम द्वारा इनका रख-रखाव किया जाता है । उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्ड पम्पों के रख-रखाव का दायित्व ग्राम पंचायतों को सौंपा जा रहा है ।

2–जनपद आगरा मे पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु द्वितीय जलकल का निर्माण किया गया है । वर्ष 1998-99 में 3155 अस्थाई रूप से खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत की गयी है । वर्ष 1999-2000 में माह जून, 1999 तक 936 अस्थाई रूप से खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत की गयी है । द्वितीय जलकल से 72 एम०एल०डी० अतिरिक्त पेयजल प्राप्त हो रहा है । जून, 1997 से पूर्व 180 एम०एल०डी० जलापूर्ति होती थी किन्तु अब 250 एम०एल०डी० जलापूर्ति हो रही है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

3–वर्ष 1999-2000 में आगरा के लिये 8 नलकूपों के रिबोर हेतु 80.00 लाख तथा 1000 हैण्ड पम्पों की मरम्मत हेतु 3.00 लाख रु० स्वीकृत किया गया है ।

4–ताज ट्रेपेजियम के अन्तर्गत आगरा पेयजल हेतु 72.80 करोड़ रु० की लागत की योजना स्वीकृत की गयी है । वर्ष 1997-98, 1998-99 में 16.50 करोड़ रु० की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है । इस प्रकार प्रदेश सरकार आगरा नगर की पेयजल समस्या के प्रति पहले से ही जागरुक है तथा इस हेतु सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद अधिकाधिक धनराशि की व्यवस्था की जा रही है ताकि पेयजल की कोई समस्या न रहे ।

5–आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा आगरा विकास क्षेत्र के अन्तर्गत नियोजन एवं नियंत्रण महायोजना में निर्धारित भू-उपयोग के अनुसार किया जाता है । महायोजना में जिन स्थलों पर नदी, नाले, तालाब आदि दर्शाये गये हैं उन पर किसी प्रकार का निर्माण स्वीकृत नहीं किया जाता है । कोठी मीना बाजार का तालाब बारह खम्बा, थोलू का नगला के पीछे का तालाब, फतेहपुर सीकरी मार्ग पर प्रभुसत्ता मार्ग के पास स्थित तालाब, तोता का तालाब आदि को लोगों द्वारा खरीदकर उनमें मिट्टी भरवाकर कालोनियां बनाकर बेचे जाने का प्रश्न है, इस बिन्दु पर जांच कराकर जांच रिपोर्ट भेजे जाने हेतु जिलाधिकारी, आगरा को निर्देश भेज दिये गये हैं ।।

प्रदेश के टेन्ट व्यवसाइयों पर व्यापार-कर में एक मुश्त पंजीयन करके स्थायी रूप से समाधान योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

भारत के संविधान के छियालिसवें संशोधन के द्वारा बिक्री की परिभाषा में किसी वस्तु के प्रयोग करने के अधिकार के अन्तरण से सम्बन्धित सम्व्यवहार को भी सम्मिलित कर लिया गया है । दिनांक 1-3-97 से सभी वस्तुओं के प्रयोग करने के अधिकार के अन्तरण पर अतिरिक्त-कर सहित 5 प्रतिशत की दर से कर लगाया गया है, यदि व्यापारी की वार्षिक बिक्री एक लाख रुपये से अधिक हो । इस प्राविधान के फलस्वरूप टेन्ट व्यवसाइयों पर प्रयोग करने के अधिकार के अन्तरण से प्राप्त होने वाली धनराशि पर कर देय हो गया है ।

माननीय विधायक जी द्वारा प्रेषित सूचना में शासन द्वारा व्यापारियों की सहमति से केवल वर्ष 1996-97 हेतु समाधान योजना लागू किये जाने के कारण व्यापारियों में आगे के वर्षों हेतु अनिश्चितता व्याप्त होने का उल्लेख करते हुए वर्ष 1996-97 से 1999-2000 तक का एक मुश्त पंजीकरण करके वर्ष 1999-2000 तक के लिए समाधान योजना लागू करने की मांग की गयी है ।

जहां तक समाधान योजना लागू किये जाने का प्रश्न है, वर्ष 1996-97 में केवल दिनांक 1-3-97 से 31-3-97 तक एक माह के लिए कर का दायित्व था तथा वर्ष 1996-97 का कर निर्धारण दिनांक 31-3-99 को कालवाधित होना था, इस कारण वर्ष 1996-97 के लिए समाधान योजना लागू की गयी । वर्ष 1997-98 का कर निर्धारण दिनांक 31-3-2000 तक होना है । वर्ष 1996-97 की समाधान योजना को स्वीकार करने वाले व्यापारियों की संख्या संकलित की जा रही है । इस योजना को स्वीकार करने

नोट :–1 । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

वाले व्यापारियों की संख्या की जानकारी करके तथा उनसे विचार विमर्श करके शीघ्र ही वर्ष 1997-98 से वर्ष 1999-2000 तक की समाधान योजना के बारे में निर्णय ले लिया जायेगा ।

जहां तक व्यापार कर के पंजीयन का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के प्राविधानों के अनुसार व्यापारी को टर्नओवर की सीमा कर देयता से अधिक होने पर तीस दिन के अन्दर निर्धारित प्रार्थना-पत्र में रु० 100/- पंजीयन शुल्क जमा करके प्रार्थना-पत्र देना होता है । विलम्ब के लिए प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए पच्चीस रुपये का विलम्ब शुल्क जमा करना होता है । ऐसे व्यापारी को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व प्रत्येक वर्ष पंजीयन का नवीनीकरण कराने के लिए पचास रुपये का शुल्क जमा करना होता है । नवीनीकरण कराने में विलम्ब के लिए भी प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए पच्चीस रुपये का विलम्ब शुल्क जमा करना होता है । व्यापारियों को यह सुविधा दी गयी है कि वह यदि पंजीयन की अवधि समाप्त होने से पूर्व पंजीयन के नवीनीकरण के लिए पांच सौ रुपये की धनराशि एक मुश्त जमा कर देता है, तो उसका नवीनीकरण व्यापार की पूरी अवधि के लिए कर दिया जाता है । पंजीयन योग्य होते हुए भी पंजीयन न कराने पर अर्थदण्ड लगाने का भी प्राविधान है, जिसके अन्तर्गत व्यतिक्रम (डिफाल्ट) के लिए प्रथम तीन माह तक प्रत्येक माह या भाग के निमित्त एक सौ रुपये और तीन महिने के पश्चात् प्रत्येक महीने या उसके भाग के लिए पांच सौ रुपया अर्थदण्ड लगाया जा सकता है । टेन्ट व्यवसाइयों के पंजीकरण के मामले में भी समाधान योजना लागू करते समय एक मुश्त पंजीयन दिये जाने के सम्बन्ध मे विचार किया जायेगा ।]

प्रदेश के निवर्तमान सांसद श्री पारसनाथ यादव को समुचित सुरक्षा दिये जाने के संबंध में श्री अफजाल अहमद आदि द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[श्री पारसनाथ यादव, पूर्व मंत्री जनपद–जौनपुर के साथ शासनादेश दिनांक 21-11-97 के द्वारा उनके निवास स्थान पर दो सशस्त्र गार्ड नियुक्त हैं तथा सांसद होने के नाते शासकीय व्यय पर एक गनर के अतिरिक्त शासानदेश दिनांक 17-03-97 द्वारा 25 प्रतिशत व्यय पर एक अतिरिक्त सशस्त्र गनर नियुक्त किया गया था । इसके अतिरिक्त स्थानीय तौर पर दिनांक 8-6-97 से एक और अतिरिक्त सशस्त्र गनर उनके निवास स्थान जनपद–जौनपुर मे प्रदान किया गया था ।

शासानदेश दिनांक 2-6-99 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री यादव को दिये गये अतिरिक्त गनर पर निहित व्यय के रूप में दिनांक 31-5-99 तक रु० 1,18,258.20/- बकाया धनराशि जमा न किये जाने के फलस्वरूप उन्हें दिये गये दोनों अतिरिक्त गनर क्रमशः दिनांक 2-7-99 व 8-7-99 को वापस कर लिये गये हैं ।

इस प्रकार श्री यादव के साथ वर्तमान समय में भी दो सशस्त्र सुरक्षार्थ गार्ड उनके निवास पर तथा एक गनर उनके साथ अभी भी नियुक्त हैं ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद गाजियाबाद के जनता इण्टर कालेज, छज्जूपुर डहाना में शिक्षा आयोग द्वारा चयनित प्रधानाचार्य की अर्हता का शासनादेशों के तहत अवलोकन न किये जाने के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही सम्पन्न करते हुए तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभाग को उपलब्ध करायी गयी । इस सम्बन्ध में रिट याचिका संख्या–31115/96 में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय दिनांक 6-10-98 तथा उक्त निर्णय के विरुद्ध मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका में मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17-12-1998 और रिट याचिका संख्या–44412/98 में मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 23-12-98 के परिपेक्ष्य में शासनादेश संख्या–5841/15-7-10(55)/98, दिनांक 7-1-99 द्वारा यह आदेश जारी किये जा चुके हैं कि तत्कालीन आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को विशेष अनुज्ञा याचिका में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन नियुक्ति दिये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है । किन्तु नियुक्ति देने के पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जावे कि चयनित अभ्यर्थी पद की अर्हता पूरी करते हैं अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो उपरोक्त निर्णय में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए । शासन के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) ने अपने पत्र दिनांक 14-1-99 के द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश सम्बन्धित अधिकारियों को निर्गत किये गये हैं ।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद गाजियाबाद के जनता इण्टर कालेज, छज्जूपुर-डहाना में माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग द्वारा श्री देव भास्कर तिवारी का चयन किया गया है और जिला विद्यालय निरीक्षक तथा इस विद्यालय में कार्यरत प्रबन्ध संचालक ने उन्हें कार्यभार भी ग्रहण करा दिया गया है । चयनित अभ्यर्थी अपने पद की अर्हता रखते हैं अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में जांच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल को आदेश जारी कर दिये गये हैं । यदि चयनित अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 के अन्तर्गत निर्धारित अर्हता नहीं रखते हैं और उसके उपरान्त भी प्रबन्ध संचालक ने उन्हें प्रधानाचार्य के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया है । जांच में इसकी पुष्टि होने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी । जनपद के अन्य विद्यालयों में भी यदि इस प्रकार की पुनरावृत्ति हुई है, तो इस सम्बन्ध में भी जांच के आदेश दे दिये गये हैं और जांच आख्या प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।]

जनपद बहराइच के महाजनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राइमरी अनुभाग की शिक्षिकाओं को अप्रैल, 1993 से वेतन का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० वकार अहमद शाह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मा० सदस्य द्वारा सूचना दी गयी है कि महाजनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग की शिक्षकाओं का वेतन भुगतान अप्रैल, 1993 से नहीं हुआ है जबकि वे शिक्षण कार्य बराबर कर रही है । मा० सदस्य द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि भुगतान के सम्बन्ध में मा० उच्च

न्यायालय द्वारा दिनांक 18-5-99 को आदेश पारित करके भुगतान हेतु आदेश प्रदान किये हैं । शिक्षकाओं को भुगतान न होने के कारण उनमें रोष, असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

मा० सदस्य की उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि महाजनी उच्चतर मा० विद्यालय के साथ कथित संलग्न प्राइमरी विद्यालय, संलग्नता की शर्तों को पूर्ण नहीं करता है ऐसी स्थिति में इस विद्यालय को उ० प्र० शासन द्वारा अनुदान सूची पर नहीं लिया गया है । इस विषय में शिक्षिकाओं द्वारा मा० उच्च न्यायालय में याचिका सं०–9103/93 दाखिल की गयी जिसमें मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18-5-99 को आदेश पारित करते हुये अप्रैल, 1993 से वेतन भुगतान किये जाने के आदेश दिये है । इस विषय में पुनः यह स्पष्ट करना है कि कथित प्राइमरी विद्यालय माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध होने के लिए निर्धारित शर्तें पूर्ण नहीं करता है और इसी कारण न तो इसे अनुदान सूची पर लिया गया और न ही वेतन भुगतान किया जा सका । मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18-5-99 के संदर्भ में न्याय विभाग के परामर्श के अनुसार इस प्रकरण में विशेष अपील योजित किये जाने के आदेश निर्गत कर दिये गये है । प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण अभी भुगतान हेतु निर्णय लिया जाना संभव नहीं है ।]

प्रदेश की मध्य प्रदेश से लगने वाली सीमा के जनपदों का सीमांकन कर दस्यु प्रभावी क्षेत्र घोषित करके विशेष दस्यु उन्मूलन अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तराम सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[प्रदेश की मध्य प्रदेश से लगने वाली सीमा क्षेत्र तथा जालौन, इटावा, औरैया के भाग में यमुना, चम्बल, सिंध, पहूंज, क्वांरी नदियों के खादर/जंगल (बीहड़) में 15 दस्यु गिरोह चिन्हित किये गये हैं, जो वर्तमान में डकैती व अपहरण के अपराधों में लिप्त पाये गये हैं ।

यह सही है कि दिनांक 1-12-98 को ग्राम जायघा पुलिया, थाना रामपुरा से दस्यु सरगना पहलवान सिंह गूजर गैंग द्वारा 10 व्यक्तियों का सामूहिक रूप से अपहरण किया गया था परन्तु यह सही नहीं है कि कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई । उक्त अपहरण में विवेचना के दौरान पहलवान गूजर उर्फ सलीम गैंग का हाथ होना पाया गया, 9 अभियुक्त प्रकाश में आये जिनमें से 6 अभियुक्तों ने पुलिस की सक्रियता एवं दबाव के कारण न्यायालय में आत्मसर्मपण कर दिया । शेष 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है । 10 अपहृत व्यक्तियों में से 8 को सकुशल मुक्त करा लिया गया किन्तु 2 अपहृतों की अभियुक्तों द्वारा हत्या कर दी गई । दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में उपरोक्त प्रकार के अपराधों की रोकथाम तथा दस्युओं के उन्मूलन हेतु इन गिरोहों के सम्बन्ध में सूचनाओं के आदान प्रदान एवं भविष्य की रणनीति तैयार करने के लिए प्रभावित जनपदों के पुलिस अधीक्षकों के पर्यवेक्षण में विशेष कार्यदल गठित किये गये हैं तथा नोडल अधिकारियों को नामित किया गया है । इसी रणनीति के अन्तर्गत दिनांक 8 जून, 1999 को प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के दस्यु प्रभावी क्षेत्रों के अधिकारियों/पुलिस अधिकारियों के साथ थाना

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

चकरनगर, जनपद इटावा में एक समन्वय बैठक/गोष्ठी आयोजित की गई जिसमें इस समस्या पर व्यापक विचार-विमर्श करते हुए अनेक महत्वपूर्ण सूचनाओं पर आदान प्रदान किया गया । तत्पश्चात् चिन्हीकृत किये गये गैंगों के विरुद्ध योजनाबद्ध रूप से प्रभावी जनपदों की पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही की जा रही है । नोडल अधिकारियों द्वारा साप्ताहिक समीक्षा की जाती हैं । ऐसे ग्रामीण जो डकैतों को संरक्षण देते हैं या अपहरण की घटनाओं में दलाली का कार्य करते हैं, उन्हें चिन्हीकृत करके उनके विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही की जाती है । दस्युओं से पुलिस से साठगांठ किये जाने का प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है ।

दस्यु प्रभावी क्षेत्र अधिनियम, 1983 की धारा-3 के अन्तर्गत प्रदेश के 13 जनपदों–झांसी, इटावा, हमीरपुर, जालौन, बांदा, कानपुर देहात, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, आगरा, बदायूं, ललितपुर तथा फिरोजाबाद को पहले ही दस्यु प्रभावित जनपद/क्षेत्र घोषित किया जा चुका है । इनमें से जनपद इटावा, औरैया, कानपुर देहात व जालौन को दस्युओं के विरुद्ध और अधिक सशक्त एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु एक-एक अतिरिक्त पी०ए०सी० की कम्पनी प्रदान की गई है तथा जनपद इटावा को एक प्लाटून बाढ़ राहत पी०ए०सी०, 2 मोटरबोट व 1 बुलटप्रूफ ट्रैक्टर दिया गया है । जनपद इटावा, कानपुर देहात व जालौन में विशेष न्यायालय डकैती गठित हैं जिनके द्वारा डकैती के मामलों में दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत वादों का परीक्षण किया जाता है ।]

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, कोई प्रस्ताव ले आ रहे हैं ?

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इस सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

अब हम इसके बाद राष्ट्रीय गान करेंगे । इसके पहले मैं जो माननीय सदस्य हैं सभी माननीय सदस्यों को, माननीय मुख्य मंत्री को, माननीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों को, नेता विरोधी दल को और सभी दलों के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं । यद्यपि यह सत्र छोटा रहा लेकिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन किया गया और सदन को चलाने में सबका बहुत सक्रिय और सार्थक सहयोग मिला उसके लिये मैं आभारी हूं ।

अब हम राष्ट्रीय गान करेंगे और उसके बाद अनिश्चितकाल तक के लिये उठेंगे ।

राष्ट्र-गान

जन-गण-मन अधिनायक जय हे ।
भारत-भाग्य-विधाता ॥
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग ।
विन्ध्य हिमांचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग ॥
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे ॥
गाहे तव जय गाथा ॥
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता ॥
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे ॥

(''भारत माता की जय'', ''भारत माता की जय'' के नारे लगाये गये)

अब हम अनिश्चित काल तक के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन सायंकाल 08 बजकर 12 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ

23 जुलाई, 1999

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

[illegible] 253 विधान सभा (7(1)-12 ! 2(X)0-81) [illegible]

उत्तर प्रदेश विधान सभा